आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन)

भाग-1

भाग-1

सम्पादन : ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

सम्पादन : ज्ञान सिंह

आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन।)

भाग-एक

आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन।)

भाग-एक

संपादन
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

विषय सूची

संदेश / आलेख

एक अनमोल कथा का शीर्षक हैं चौधरी रणबीर सिंह ix
चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा

सन्देश xv
इंजी. एच.एस. चहल
कुलपति

आभार xvii

प्रस्तावना स्वरूप xix
ज्ञान सिंह
अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

1. संसदीय जीवन का प्रथम भाषण 01
2. हरयाणा प्रान्त के गठन का मार्ग बंद न हो 08
3. कृषि उपज की जायज कीमत मिले 11
4. कृषि भूमि पर किसान-मजदूर के हक की रक्षा हो 14
5. गरीबों पर टैक्स का विरोध 16
6. ग्रामीण व नगरीय छात्रों में प्रतियोगिता का धरातल एक नहीं 18
7. संविधान की खूबियों पर खुशी, खामियों पर चिंता 22
8. भाखड़ा-यमुना घाटी निगम बने 27

9. ग्रामीण क्षेत्र से सौतेला व्यवहार बंद हो 29
10. आवश्यक चीजों की कीमतों का सवाल 33
11. विस्थापितों के पुनर्वास का सवाल 37
12. अनाज उपजाओ अभियान 41
13. विशेष विधेयक 49
14. निराक्षर नासमझ नहीं होते 55
15. भूअधिग्रहण किसान को उजाडने का कारण न बने 57
16. न्यूनतम मजदूरी तय हो 60
17. ज्यादा बिचौलिए, ज्यादा खराबी 65
18. दिल्ली को पंजाब में शामिल करने का फायदा होगा 69
19. किसानी व मनुवादी तहजीब का अन्तर 75
20. प्रश्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 86
21. आर्थिक नीति पर प्रस्ताव 92
22. अनुदान के लिए माँगें 101
23. आम बजट जनरल चर्चा 107
24. अनुदान मांगें 114
25. सिंचाई पर ध्यान दें तो अनाज की कमी पूरी हो सकती है 120
26. भाषा के सवाल पर 127
27. मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए 133
28. दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सिलिंग) विधेयक 136
29. खेती-किसानी करने वाले भेदभाव के शिकार हैं 143
30. कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन 149
31. अनुदान माँगें 155
32. भूमि सुधार के तहत काश्तकार के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए 166
33. मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक 173
34. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक 176

35. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक 180
36. कोई ऐसा बूढ़ा देशभक्त न रहे जिसे हाथ पसारना पड़े 187
37. ग्रामीण आबादी घाटे में 191
38. घर देते वक्त किसी को बेघर न करें 197
39. दबाव में न आकर बाढ की रोकथाम हो 204

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA
सत्यमेव जयते

D.O. No. CMH-2014 /....SSS....
मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA
CHANDIGARH.

Dated : 23.08.2014

सन्देश/आलेख

एक अनमोल कथा का शीर्षक हैं चौधरी रणबीर सिंह

भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन कुछेक अर्थ में विलक्षण रहा था। उसके नायक भी अनेक विचारधाराओं से बंध कर काम कर रहे थे। अनेक करवटें बीच में आईं। उतार चढाव भी अनेक हुए। लम्बा भी बहुत चला। हरियाणा की इस आन्दोलन में भूमिका गौरवपूर्ण थी। इसके अनेक नायक उभरे। उनमें एक नाम रोहतक जिला की भूमि के पुत्र चौधरी रणबीर सिंह का आता है। जिस घर में उन्होंने आजादी का सपना पाला वह क्षेत्र का नामी आर्य समाजी परिवार था और उनके पिताश्री चौधरी मातू राम ख्याति प्राप्त सामाजिक प्राणी थे, जहां हर घड़ी माहौल इस आन्दोलन के अनुकूल बना रहता था।

मेरी समझ बनी है कि आधुनिक हरियाणा के इतिहास की शुरूआत सन् 1855-57 के दौर से होती है। यह वीर भूमि अपनी ईमानदार मेहनत पर विश्वास रख कर चलने वाले कर्मठ इंसानों का घर है। एक छोर पर पहुंच कर जब यहां महात्मा गांधी से प्रेरित स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा आर्य समाज का सन्देश पहुंचा तो नया अध्याय ही खुल गया, जिसके अनेक सेनानियों की कुर्बानी के फलस्वरूप हम आज सुख का सांस लेने के काबिल बने। उनमें एक विभूति रोहतक जिला के सांघी गांव में जन्मे चौधरी रणबीर सिंह की याद आती है। जब उनका जन्म हुआ हरियाणा के इस क्षेत्र में आर्य समाज की प्रेरणा अपना रंग दिखाने लगी थी, जिसकी अगुआई भूमिका में चौधरी मातू राम, चौधरी पीरू सिंह, भक्त फूल सिंह जैसी विभूतियां थीं।

वर्ष 1914 में चौधरी मातू राम के घर जब चौधरी रणबीर सिंह का जन्म हुआ, वह उस उफान का समय था जिसने आगे चलकर उनके मन-मस्तिष्क को रूप दिया। मुझे बताया गया है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में कार्यरत 'चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ' अब तक महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं हरियाणा की इस प्रतिष्ठित विभूति चौधरी रणबीर सिंह द्वारा (पंजाब को छोड़ कर) अब तक विभिन्न सदनों में दिये गए भाषणों के संकलन प्रकाशित कर चुकी है। यह सन्तोष की बात है। अच्छी शुरुआत हुई है। इतिहास पुरुषों को जिंदा रखने में ऐसे साहित्य का अपना महत्व बनता है। विश्वविद्यालय की यह पहल सराहनीय रही। बीच में एक अन्तराल आया, उन्होनें चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लिया और सामाजिक कार्यों में ही रम गए। चुनावी राजनीति की अपनी विधा है। इसमें लगातार बयानबाजी जनता के सामने रहने का एक जरिया ही बन गया है। सामाजिक काम में रमे लोगों के चेहरे अनजान से रह जाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यह लम्बा अन्तराल, जिसमें दो-तीन पीढियां उनसे लगभग अपरिचत सी रह चलीं। दु:खद पहलू ऐसा बना कि प्रान्त के राजनीतिक इतिहास के जानकार भी चुनावी राजनीति में सक्रिय चेहरों तक सीमित होकर रह गए। लेकिन सामाजिक जीवन में चौधरी साहिब का योग ऐसे समय की देन है जो आधुनिक हरियाणा व देश के इतिहास को रचता है। इस अन्तराल के चलते चौधरी साहिब के भूले व्यक्तित्व को जानने-समझने में ये प्रकाशन उपयोगी साबित होंगे, इसमें दो मत नहीं हैं। आधुनिक हरियाणा की राजनीति की एक खास धारा के वे अनमोल प्रतिनिधि हैं। आप देखेंगे कि विभिन्न सदनों में रखे गए उनके विचारों पर स्वतन्त्रता आन्दोलनों में जगी जन आशा-आकांक्षाओं की विरासत छायी हुई है। ये भाषण उनकी आस्था के स्वर हैं। इन्हें समझने का अर्थ होगा अपने प्रान्त के गौरवपूर्ण इतिहास और उसके मूल्यों के एक खास दौर को तरोताजा रखने का प्रयास।

मुझे यह भी बताया गया है कि पीठ ने उक्त प्रकाशनों से उनके

कुछेक महत्वपूर्ण भाषणों को 'आस्था के स्वर' के नाम पर अलग से दो भागों में प्रकाशन करने का इरादा बनाया है। अति व्यस्तता की भागती दुनियां में इस संकलन का महत्व चौधरी रणबीर सिंह को एक नजर में जानने-पढ़ने में होगा। यह अच्छा निर्णय है। मैं इसकी तायद करता हूँ। शोधपीठ ने इस संकलन में जिन 62 भाषणों को अपने नजरिये से चुना, यह उसकी अपनी बुद्धिमता का प्रश्न है। आजादी के बाद के संयुक्त पंजाब में चौधरी साहिब सरदार प्रताप सिंह कैरों मन्त्रीमण्डल में पहले सिंचाई व बिजली मन्त्री रहे। पंजाब विधान सभा में उनकी शिरकत सामान्यत: सरकारी कामकाज के सिलसिले में ही अधिक रही। अपने मन्त्रालय पर हुई बहस का जवाब देते हुए दो भाषणों को इस संकलन में शामिल किया गया है। सम्भवत: चयनकर्त्ताओं के विचार में चौधरी साहिब की प्रशासनिक क्षमता को भांप कर ही शामिल किया होगा। दोनों भाषण महत्व के हैं और उस समय को समझने में मदद करते हैं। उनकी लगन व कार्यक्षमता की एक सहज झलक इनमें है। उम्मीद है, चयन किये गए ये सब भाषण चौधरी रणबीर सिंह के प्रतिनिधि उद्बोधन मान कर किए हैं, जिससे उस काल अवधि में संजोये उनकी आस्था के बिंदुओं को सहज उपलब्ध कराया जाए।

चौधरी रणबीर सिंह देश-प्रान्तों के सात विभिन्न विधायी सदनों के सदस्य रहे। वे संविधान सभा (1947-1949), संविधान सभा (विधायी) (1947-1949), अन्तरिम संसद (1949-1952), प्रथम लोक सभा (1952-57), द्वितीय लोक सभा (1957-62), पंजाब विधान सभा (1962-66) एवं पंजाब मन्त्रीमण्डल में सिंचाई एवं बिजली (1962-64) तथा बाद में लोक निर्माण तथा स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री (1964-66), अन्तरिम हरियाणा विधान सभा के सदस्य एवं लोक निर्माण व स्वास्थ्य मन्त्री (1966-1967) तथा बाद में कलानौर क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा (1968-1972) और फिर राज्य सभा (1972-1978) के सदस्य रहे। इन सदनों में कभी निष्क्रिय रह कर समय नहीं खोया। जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। एक बार वे चोटिल होकर अस्पताल रहे, किन्तु तब भी कभी अपने संसदीय दायित्व को नजरन्दाज नहीं किया।

जब चौधरी साहिब सिंचाई व बिजली मन्त्री थे, उस समय भाखड़ा बांध तैयार हो गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे देश को समर्पित किया था। पंजाब-हरियाणा क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली तथा बाढ़ की रोकथाम तथा सेम जैसी समस्याओं को हल करने का एजेण्डा सामने था। वे मानते थे कि इस क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने की बहुत सम्भावनाएं हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। इसके लिए उनके विभागों का बड़ा महत्व बनता है। उन्होंने जान लगा कर काम किया। उनका यह भी मत था कि जमुना नदी को भी इस काम में जोता जाए। किशाऊ बांध व रेणुका जैसी परियोजनाओं का संकल्प बना। कुछ हालात में ये दबी रह गईं, जिनपर फिर से हम लोगों ने ध्यान देना आरम्भ किया हुआ है। सही है, आवागमन जैसी सुविधाओं से विकास को गति मिलती है। किन्तु, उत्पादन के क्षेत्र में बढ़त ही किसी देश की नींव को मजबूती दे सकती है। हमारा भी प्रयास रहा कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिले। सिंचाई के स्त्रोतों को बढाया जाए और बिजली उत्पादन पर पूरा ध्यान दिया जाए।

जैसा पहले कहा कि हरियाणा देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण भौगोलिक-सांस्कृतिक इकाई रही है। इसे स्वतन्त्रता की पहली जंग में हुई मात का सन् 1857 के बाद बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसकी तहजीब को मिटाने के बहुत प्रयास हुए, हरीभरी अर्थव्यवस्था चौपट हुई। रोजगार के लाले पड़े। भय के साये में इसे जीने के लिए मजबूर किया गया। किन्तु, इतना सब सहने के बावजूद हरियाणा ने अपनी पहचान बनाये रखी। जब आजाद देश में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न उठा तो हरियाणा की चाह को दरकिनार कर दिया गया था। जिस सवाल को चौधरी साहिब पहले ही संविधान सभा में उठाते रहे। बाद के दिनों में भी वे दिल्ली देहात तथा हरियाणा के हिमायती बन कर सामने आते हैं। बाद के दिनों, सन् 1965-66 में जब पंजाब पुनर्गठन का प्रश्न गर्म हुआ तो अलग हरियाणा प्रान्त गठित करने की मांग को उन्होंने बल दिया और महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। उल्लेखनीय है कि उस वक्त पंजाब मंत्रीमण्डल के सदस्य के रूप में चौधरी रणबीर सिंह ने सन् 1966 में पहल लेकर हरियाणा प्रदेश गठन संबंधी

प्रस्ताव रखा और उसे मंजूरी दिलवाई। हरियाणा के पहले मन्त्रीमण्डल में रहते हुए और बाद में सन् 1968 से 1972 के आरम्भ तक हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही को ध्यान से देखें तो नये हरियाणा की शक्ल-सूरत पर उनकी चिंता के बिंदुओं को सहज देखा जा सकता है। सन् 1972 से 1978 तक राज्य सभा की कार्यवाही भी उनकी इस तमन्ना का शीशा है।

चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों के अतिरिक्त, मुझे याद है नेहरू लाइब्रेरी व म्यूजियम नयी दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में लिया गया उनका एक लम्बा साक्षात्कार उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने समय के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डाली है, जिसमें संविधान सभा की कार्यपद्धति को भी रेखांकित किया है। स्वतन्त्र भारत के आधुनिक इतिहास का यह एक खास पहलू है जो एक दिलचस्प किन्तु अब तक अप्रकाशित दस्तावेज है। जिस दौर के आन्दोलन में चौधरी साहिब शामिल थे, उसके दशर्न इस साक्षात्कार में भी होते हैं। फिर, संविधान सभा की प्रकाशित कार्यवाही उनके अनोखे चरित्र का दर्शन कराती है।

यदि ध्यान से देखा जाए तो चौधरी रणबीर सिंह ग्रामीण भारत की आवाज बने और उसकी तहजीब को उन्होंने खूबसूरती से वहन किया। वे एक किसान की तरह सादा जीवन जीते रहे। गांधी जी की जीवनशैली के वे जिंदगी भर कायल थे। हरियाणा के एक किसान की तरह कर्मठ और बेबाक तथा अपने लक्ष्य के प्रति सदा तत्पर जो उनको विलक्षणता प्रदान करने वाले गुण बने। उसी किसान मजदूर की तरह सदा आशावादी जीवन उन्होंने जिया।

उनकी एक खासियत अध्ययनशीलता थी। वे कभी मामलों को हल्के ढंग से लेने के आदी नहीं थे। सदन में जाते तो सामान्यत: विषय का अध्ययन करके जाते। तथ्यों के प्रति लापरवाही उन्हें नहीं सुहाती थी। इसलिए हाजिरजवाब रहते। उन्होंने संसदीय जीवन को कभी हल्के ढंग से नहीं लिया, जबकि अपने क्षेत्र के अतिरिक्त वे देश की परिस्थिति को जानने समझने के लिए दूसरे क्षेत्रों में अक्सर जाते रहते। हां, जीवनयापन के लिए उनका लगाव खेती से था, जिसमें निजी दिलचस्पी रखते थे -मन-मस्तिष्क से सही मायने

में किसान। इसकी झलक तो उनके अनेक भाषणों में भी मिलती है।

मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। चौधरी रणबीर सिंह देश और प्रान्त की राजनीति के एक अनमोल एवं विलक्षण हीरा थे, एक निर्मल मन का ग्रामीण ऋषि, जिसका जीवन अन्तिम सांस तक दूसरों की कसक लेकर चला। संयोग ऐसा रहा कि चुनावी राजनीति से बहुत पहले उनके संन्यास लेने के बहुत बाद उन्हें जब कुछ लोग एक मुख्यमन्त्री के पिता के रूप में लेते तो मुझे सुन कर थोड़ा कष्ट होता। संयोग दूसरा था कि हरियाणा का वर्ष 2005 में बना मुख्यमन्त्री उनका बेटा था। चुनावी राजनीति से तो वे वर्ष 1978 में अलग हो गए थे, जब उनकी उम्र मात्र 64 साल थी। बीच में कुछ पीढियां बदल चुकी थीं और उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि देश के विभिन्न सातसदनों में दिये गये उनके भाषणों को प्रकाशित किया जाए! स्वभाव से निर्लिप्त पुरुष। यह तो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को श्रेय जाता है कि उसने 2009 में चौधरी साहिब के निधन के बाद श्रद्धा स्वरूप शोधपीठ स्थापित करने का तय करके उनकी देनों को सापेक्ष विस्मृति से बाहर लाने का उपक्रम बनाया। हरियाणा संस्कृति व लोकाचार की आज तो उन्हें प्रतिमा ही कहा जा सकता है।

मैं उनका बेटा हूँ। प्रयास है उनकी विरासत को ढ़ो चलूं। कहीं कमी रहेगी तो खलेगी जरूर। किन्तु, मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की कर्मशील जनता के आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व भले से निभा सकूं।

शोध पीठ द्वारा इस प्रकाशन की उपयोगिता की कामना के साथ।

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

H.S. Chahal
Vice-Chancellor

Dated : 22.08.2014

सन्देश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यरत 'चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ' द्वारा चौधरी साहिब द्वारा विभिन्न सदनों में दिये गये भाषणों में से चुनिंदा भाषणों का संकलन दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। नि:सन्देह यह एक रचनात्मक प्रयास है। इस संकलन में चौधरी साहिब के उन भाषणों को समाहित किया गया है, जो उनकी गहरी एवं दूरगामी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी नेता एवं ग्रामीण भारत के सगो पैरोकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़चढ़कर भाग लिया। वे संविधान निर्मात्री सभा, संविधान सभा (विधायी), अन्तरिम सरकार, प्रथम व द्वितीय लोकसभा, पंजाब व हरियाणा विधानसभा और रा%यसभा आदि सात विभिन्न सदनों के निर्वाचित सदस्य रहे।

चौधरी रणबीर सिंह ने हमेशा देहात से जुड़े मुद्दों पर पूरी गम्भीरता के साथ अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने हर सदन में हमेशा किसानों, मजदूरों, गरीबों, असहायों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि की आवाज को बुलन्द किया। चौधरी साहिब ने देहात की खुशहाली के लिए अनेक अनुकरणीय सुझाव भी दिये।

मुझे विश्वास है कि यह संकलन बहुपयोगी सिद्ध होगा। आम पाठकों के साथ-साथ शोधार्थियों को भी चौधरी साहिब के व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व को समझने में सहायता मिलेगी। इस संकलन के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

22/8/14

(हर सरूप चहल)

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK-124001, (HARYANA) INDIA
(NAAC 'A' Accredited)
A State University, established under Haryana Act No. 25 of 1975
Off : 01262-393548 Res : 01262-274710 E-mail : vcmdu@hotmail.com, vc@mdurohtak.ac.in Website : www.mdurohtak.ac.in

आभार

प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का यह दो भागों में 'आस्था के स्वर' नामक संकलन शोधपीठ की एक रचनात्मक कोशिश है। पूर्ण विश्वास है यह संकलन सभी के लिए एक रूचिकर और बहुपयोगी साबित होगा।

पीठ हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है कि उन्होंने अति व्यस्तता के बावजूद समय निकाला और इस संकलन के लिए विस्तृत प्रस्तावना की रचना की। इसके साथ ही पीठ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति श्री हर सरूप चहल की बेहद आभारी है, जिन्होंने इस संस्करण के लिए 'सन्देश' भेजकर हमें अनुग्रहित किया।

इसके साथ ही इस संकलन को सुचारु रूप से तैयार करने एवं आपके हाथों तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पीठ के अपने सहयोगियों श्री राजेश कुमार 'कश्यप', श्री धर्मबीर हुड्डा व श्री स्नेह कुमार का भी धन्यवाद है।

चेयरमैन
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

प्रस्तावना स्वरूप

ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए छिड़े भारत के लम्बे स्वतंत्रता आन्दोलन में हरियाणा क्षेत्र की विशिष्ट भूमिका थी। इस क्षेत्र से यहां राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। जिन लोगों ने इस आन्दोलन में अपने को समर्पित किया, उनमें एक विलक्षण विभूति चौधरी रणबीर सिंह का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। चौधरी साहिब पर जहां गांधी दर्शन व गांधी जीवन पद्धति का प्रभाव पड़ा, वहीं परिवार में आर्य समाज की सोच और एक मेहनती किसान परिवार की जीवनशैली एवं मूल्यबोध ने उनकीं चेतना को प्रभवित किया, जिसे वे जीवनभर सम्भाल कर चले। गाँव और गाँव की अर्थव्यवस्था उनकीं सोच का हिस्सा बनकर रहे।

आन्दोलन में उनकीं स्वच्छ छवि एवं कुर्बानियों को देखते हुए अविभाजित पंजाब विधान सभा से उन्हें संविधान सभा के लिए चुना। वे 10 जुलाई, 1947 को चुने गए थे। बाद में वे अन्य सदनों के सदस्य रहे।

1. सविंधान सभा 1947–1949
2. संविधान सभा (विधायी) 1947–1949
3. अन्तरिम संसद 1949–1952
5. प्रथम लोकसभा 1952–1957
5. द्वितीय लोकसभा 1957–1962
6. पंजाब विधानसभा 1962–1966
7. हरियाणा विधानसभा 1966–67, 1968–1972
8. राज्यसभा 1972–1978

पंजाब विधानसभा काल और हरियाणा विधानसभा काल (1966–67) में वे सिंचाई एवं बिजली विभाग तथा लोक निर्माण मन्त्री रहे।

इन सदनों में वे अत्यन्त सक्रिय सदस्य रहे। कभी अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को हल्के से नहीं लिया।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में सन् 2009 से कार्यरत ''चौधरी रणबीर सिंह पीठ'' ने इन सभी सदनों (पंजाब विधानसभा को छोड़कर) में चौधरी साहिब द्वारा दिए भाषणों को प्रकाशित किया है।

इन सदनों में चौधरी रणबीर सिंह की सोच निखर कर सामने आती है। पीठ अब इन सभी सदनों में दिए गए उनके भाषणों से चुनकर 'आस्था के स्वर' नामक दो भागों का संकलन प्रकाशित कर रही है, ताकि संक्षेप में उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद मिल सके।

आशा है यह संकलन लोकप्रिय होगा और पाठक अपनी एक विभूति की सोच से परिचित होंगे।

-ज्ञान सिंह,

चेयरमैन,
चौधरी रणबीर सिंह पीठ।

संसदीय जीवन का प्रथम भाषण

चौधरी रणबीर सिह 10 जुलाई 1947 को अविभाजित पंजाब ऐसैम्बली से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 14 जुलाई 1947 को इस सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। सदन में संविधान का संशोधित प्रारूप बहस के लिए 4 नवम्बर 1948 को विधिमन्त्री ने पेश किया। 6 नवम्बर 1948 को इस पर बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने अपने संसदीय जीवन का यह शुरुआती भाषण दिया। भाषण का यह इतिहासिक महत्व है।

संविधान सभा की सदस्यता के साथ ही चौधरी साहिब के संसदीय जीवन का प्रारम्भ होता है। भारत के एक लम्बे स्वतन्त्रता आन्दोलन के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन की गुलामी से छुटकारा पाकर देश उस समय अपनी राह तय कर रहा था और संविधान सभा इस स्वतन्त्र देश की शासन प्रणाली को रूप देने बैठी थी जो आगे आने वाली पीढियों के भविष्य को प्रभावित करने वाला काम था। जब चौधरी रणबीर सिंह इस सदन के लिए निर्वाचित हुए इस समय उन्होंने अपने जीवन के 32 वर्ष ही पार किए थे। संसदीय जीवन की शुरुआत थी। उस समय की अपनी मनोदशा पर स्वयं उन्होंने कहा:

संविधान सभा में एक से एक दिग्गज थे। कहां बडे बडे वकील, बैरिस्टर, लेखक, प्रोफे सर, बडे बडे विद्वान और ऊंचे दर्जे के वक्ता और चिंतक और कहां मैं। लेकिन, फिर सोचा चलो जो जितना बन पायेगा ईमानदारी से करूंगा।

कुछ दिन मैने सभा की कार्यवाही को खूब गम्भीरता से देखा-समझा। सब भाषण ध्यान से सुने। जरूरी जरूरी बातों के नोट्स भी लिए। सभा की सारी कार्यवाही में मैंने पाया कि वहां जब भी गांव किसान, मजदूर

के विषय में बहस तथा भाषण होते तो वे सतही स्तर पर ही रहते। मैने वहां अपनी जगह महसूस की। मैं इन विषय को औरों से ज्यादा जानता था। मैंने फै सला किया कि और जगबीती कह रहे हैं मैं आप-बीती कहूंगा।

उन्होंने अपने पूरे संसदीय जीवन (1947-1978) में इस प्रण पर अमल किया: जगबीती की जगह आपबीती को रखा। देश के जमीनी सच को उजागर करने में कोई कोताही नहीं बरती। इस अवधि में विभिन्न सदनों का सदस्य रहते ऐसे अनेक अवसर आए जब उनकी कही बहुतों को कडवी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात बेझिझक, बेपरवाह होकर कही। उनके राजनीतिक जीवन का यह पहलू अद्वितीय है। इस संकलन में यह तथ्य बार-बार उभरता है।

उनका पहला भाषण इस अर्थ में उस समय के उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए एक दर्पण है; निर्धारित समयसीमा में जिन विषयों को सदन के सामने रखने के लिए चुना उससे उनकी सोच-समझ व दिलचस्पी का अहसास होता है।

जब संविधान सभा पहुंचे उस समय चौधरी रणबीर सिंह देश पर ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी के लिए छिडी जंग में तप कर निकले युवा सिपाही थे। उनकी सोच-समझ, आशा-आकांक्षा को इसी ने संवारा था, राजनीतिक-सामाजिक मूल्यों को आकार दिया था जबकि उनकी जड़ें हरयाणा की हवा- मिट्टी में पले एक जुझारू किसान के पसीने से सिंची हुई थीं। आर्य समाज और गांधी दशर्न से मिली दृष्टि के वे धनी थे। वह गम्भीरता उनमें थी। ऐसा नौजवान उस दिन अपने दिल की बात थोड़े से मिले पलों में कहने के लिए पहली बार सदन के सामने खड़ा हुआ था।

इस भाषण में देखेंगे कि चौधरी रणबीर सिंह ने अपने को ग्रामीण भारत की किस्मत के साथ जोड़ कर पेश किया है और खेती-किसानी पर टिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उस समय विकास का स्तम्भ मान कर आगे बढने की वकालत की है। -सम्पादक।

संसदीय जीवन का प्रथम भाषण*

सभापति महोदय, मैं डा. अम्बेदकर के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दो-एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सेठ गोविन्ददास जी की तरह इस बात का हामी हूँ कि यह अच्छा होता कि हम आरम्भ में ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रपताका और राष्ट्रभाषा का फैसला करते। मंत्री जी ने जो बात कल कही थी, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम दक्षिण के साथियों से आज यह तवक्को नहीं कर सकते कि वह एकदम से हिन्दी में ही बोलें और हिन्दी में ही काम चलावें। लेकिन राष्ट्रभाषा का फैसला पहले होने से एक फायदा यह था और अब भी लाभ है कि लोगों को यह पता लग जायेगा कि देश की कौनसी राष्ट्रभाषा है और उनको कौनसी राष्ट्र-भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इसके बाद मैं ताकत के एकीकरण या प्रथक्करण के झगड़े में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस सभा का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र, उसके अन्दर प्रथक्करण से जो ताकत पैदा होती है, वह ज्यादा मजबूत होती है और मेरे लिए इसके अलावा और भी दूसरे कारण हैं। मैं एक देहाती हूँ, किसान के घर पला हूँ और परवरिश पाया हूँ। कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह और उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं। मैं यह समझता हूँ कि इस देश के अन्दर उसके निर्माण करने में जितना बड़ा हक देहातियों का होना चाहिए, उतना उनको मिलना चाहिए और हरेक चीज में देहात का प्रभुत्व होना चाहिए।

---

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 4 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 246, 247, 248, 249 व 250

इसके आगे एक और चीज है, जिसकी तरफ आज सुबह बाबू ठाकुरदास ने ध्यान दिलाया था। वह यह है कि देहाती और शहरी नशिस्तों (स्थानों) की तफरीक मिटा दी जाय। इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसको मानता हूँ कि अगर हम बहुत आगे की बातें सोचें, तो इसमें देहात का फायदा है, खासतौर पर हिन्दुस्तान जैसे देश के अन्दर, जहां पर कि 7 लाख देहात हैं और चन्द शहर हैं। पर आज जैसे हालात हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। हम कितने ही अच्छे ढंग से देहातियों को समझावें और कितने ही अच्छे गीत गाकर उनको हम भुलाना चाहें, वह इस बात को भूल नहीं सकते कि आज देश के अन्दर प्रेस की ताकत और पढ़े-लिखे इंटेलीजैंसियों की जो ताकत देश में प्रभुत्व रखती है, वह शहरों तक ही महदूद है और देहात की आवाज का देश के निर्माण में बहुत थोड़ा हिस्सा है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम आज जो हालात हैं, उसको भुला नहीं सकते। आज देश में यह जरूरत है कि अभी देहात की जो धारा सभायें नशिस्तें हैं, वह अलहदा रखी जायें, क्योंकि दरअसल अगर संरक्षण मिलना है और मिलना भी चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, जो कि पिछड़े हुए हैं। संरक्षण जो कि हमारे ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन में दिया गया है, वह संरक्षण तो अजीब है। हमें एक चीज़ को याद करना चाहिए, जो कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिखाई है कि हमें अपने ध्येय को हासिल करने में मीन्स (साधन) का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मीन्स का असर ध्येय पर अवश्य पड़ता है। तो जब हम एक सैक्युलर स्टेट बनाना चाहते हैं और निर्धर्मी सरकार बनाने का हमारा ध्येय है, तो फिर उसको हासिल करने के तरीके में अगर हम सीटें माइनारिटीज के लिये या कुछ सम्प्रदायों, रिलीजियन्स के लिये संरक्षित कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं नहीं समझता कि यह चीज जो मीन्स हैं, यह कहां तक ठीक हैं। क्या इन मीन्स का असर ध्येय पर नहीं पड़ेगा ? मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो यह स्वप्न है कि देश के अन्दर एक निर्धर्मी सरकार बनावें, वह स्वप्न ही रह जायगा, अगर आज भी हमने इस तरह का फैसला किया कि संरक्षण जो

मिलें, वह धर्म के आधार पर मिले। आज देश की हालत को देखें तो जहां तक कि मुसलमान मजहब के मानने वालों का ताल्लुक है, उनकी तरबियत और शिक्षा और उनकी ताकत का हम सबूत देख चुके हैं। हमने यह देखा कि उन्होंने अपने ऑरगेनाइजेशन की ताकत से और विदेशी ताकत की मदद से देश के दो हिस्से कराए। दूसरी माइनारिटीज भी, जिनका जिक्र पहले आ चुका है, वह भी कोई कम ताकतवर नहीं हैं। उनको किसी तरह हम पिछड़ी हुई जातियां नहीं कह सकते हैं। हां, यह बात कही जा सकती है कि हरिजन भाई पिछड़े हुए हैं। तालीम के लिहाज से और आर्थिक दशा के हिसाब से वह पिछड़ी हुई जाति कही जा सकती है। लेकिन इस सिलसिले में भी हमको एक बात और सोचने की है, वह यह है कि अगर हम आज उनको हरिजनों के नाम से संरक्षण देते हैं, तो हम उनके हरिजन नाम को पक्का कर देंगे, जो कि हमारा ध्येय नहीं है।

हम देश के अन्दर एक क्लासलैस सोसाइटी (वर्गविहीन समाज) बनाना चाहते हैं। तो उस क्लासलैस सोसाइटी के अन्दर अगर हम इस तरह सुरक्षित स्थान देंगे, तो वह क्लासलैस सोसाइटी नहीं बन सकेंगी। बल्कि इस तरह से तो हम हरिजन शब्द को पक्का करेंगे। मेरी समझ में उनको सुरक्षित स्थान देने का दूसरा तरीका है, जो बहुत अच्छा है और वह यह है कि पिछड़े हुए जितने आदमी हैं, वह या तो किसान हैं या वह मजदूर हैं। रशिया में जो मनुष्य हाथ से मेहनत नहीं करते थे और जो दूसरे ढंग से अर्थात्, रूपया से रूपया कमाते थे और जिनकी श्रम से कमाई नहीं थी, उनको डीफ्रैंचाइज कर दिया गया था। हम अपने देश में चाहे आज उनको डीफ्रैंचाइज न करें, उनको उनकी आबादी के हिसाब से पूरा अधिकार दे दें। लेकिन जो श्रम करने वाली जातियां हैं, किसान और मजदूर, उनके लिए हम संरक्षण रखें। और अगर संरक्षण देना है, तो उन्हीं आदमियों को देना है, जो कि किसान हैं और मजदूर हैं और उन्हीं को यह सही तौर पर दिया जा सकता है।

एक बात और है। जैसा मैंने पहले कहा था, शायद कोई कह सकता है कि इस तरह से एक और बीमारी पैदा हो जायगी, वह यह है कि किसान और

मजदूर का शब्द भी पक्का घर कर जायगा। परन्तु मैं समझता हूँ कि इससे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर सारा देश मजदूर बन जाय या किसान बन जाय, तो वह सबसे बेहतर है। अगर हर एक इन्सान श्रम करके खायेगा, तो यह देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी और जो देश का आज का मसला अनाज और कपड़े का है, वह भी आसानी से हल हो सकेगा।

इसके बाद मेरा नम्र निवेदन, जो कि एक किसान के नाते हो सकता है, वह गौरक्षा के बारे में है। गौवध के बारे में मैंने और पंडित डाकुरदास भार्गव जी ने कांग्रेस-पार्टी में एक प्रस्ताव (रिजोल्यूशन) रखा था और उस वक्त वह सर्वसम्मति से माना गया था। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि उसका जिक्र हमारे कान्स्टीट्यूशन में किसी तरह से भी नहीं आया है। हालांकि हिन्दी के बारे में भी ऐसी ही बात हुई थी। हिन्दी का जो फै सला था, वह पार्टी के अन्दर हो चुका था, लेकिन वह भी इस हाउस के अन्दर नहीं आया था। फिर भी मसौदे में उसका प्रवेश कर दिया गया है। लेकिन गौरक्षा का जो रिजोल्यूशन था, उसका जिक्र नहीं आता। मेरा यह नम्र निवेदन है कि उस रिजोल्यूशन को पूरे तरीके से माना जाय, बल्कि उसका विस्तार इस तरह कर दिया जाय:

''राज्य को प्राथमिक कर्तव्य में अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और कपड़े प्रदान करने के लिए छूट होगी:

(क) जितना जल्दी संभव हो सके, नदियों और बांधों के निर्माण के दोहन के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य व खाद्य और चारा का उत्पादन बढ़ाने के साधन अपनाने की।

(ख) परियोजना और पशुओं की नस्लों में सुधार उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध विशेष तौरपर दुधारू पशु और पशु मसौदा व उच्च संरक्षण करने की।''

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन मैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में

करना चाहता हूँ। मुझे इसमें तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि सैन्टर बड़ा भारी मजबूत हो, लेकिन एक चीज, जो मैं निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, वह यह है कि सूबों के फाइनेन्सेज मजबूत किये जायें। आज एक किसान, जिसकी कमाई खून और पीसने की कमाई है, उसकी आमदनी का एक पाई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एक बीघा भी जमीन अगर वह काश्त करता है, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इसके मुकाबले में इस भारत के दूसरे निवासियों की दो हजार तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। किसान के साथ यह एक बहुत बड़ा अन्याय है और एक ऐसे देश में, जिसके अन्दर कि किसानों का प्रभुत्व है और जिसमें किसानों की इतनी बड़ी आबादी है, बल्कि यों कहना चाहिए कि जो देश किसानों का ही है, उसके अन्दर उनके साथ यह अन्याय जारी रहेगा, तो यह कैसा मालूम देगा? इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सूबे की सरकारें जमीन का जो लगान है, उसको भी इन्कमटैक्स के ढंग से लागू करें। इसके लिए उनके फाइनेन्सेज को मजबूत किया जाय।

दूसरी बात एक पंजाबी होने के नाते में कहना चाहता हूँ कि इस देश के आज़ाद होने से पंजाब तकसीम हुआ और पंजाब के तकसीम होने से सूबे का तमाम काम उथल-पुथल हो गया। उसको फिर दुबारा दूसरे सूबों की बराबर लाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम दस साल तक, जहां तक आर्थिक व्यवस्था का ताल्लुक है, ईस्ट पंजाब के साथ खास रियायत बरती जाय।

हरयाणा प्रान्त का गठन हो*

{संविधान के मसौदे पर सदन में 18 नवम्बर, 1948 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने विभिन्न प्रान्तों में बहुमत-अल्पमत के प्रश्न पर अपना मत रखा तथा अलग हरयाणा प्रान्त के गठन पर बल दिया और निवेदन किया कि इसका रास्ता बंद न किया जाए। -सम्पादक। }

सभापति महोदय, कल मैं यह बता रहा था कि इस संशोधन के अनुसार धार्मिक या किसी जात-पात की माइनोरिटी जिसकी किसी स्टेट या किसी इलाके में मैजोरिटी नहीं है, तो भी उसके लिये, इसमें कोई शक नहीं कि इस संशोधन से गुंजायश पैदा हो जाती है कि प्रेसीडेंट या भारत सरकार चाहे तो उनको उनकी मर्जी की स्टेट के अंदर हदबंदी की तब्दीली की जा सकती है। लेकिन मुझे डर है कि इस संशोधन के अनुसार वह, ऐसे इलाकों के लिए जो किसी स्टेट के इलाकों में मैजोरिटी में हों, लेकिन स्टेट के अंदर माइनोरिटी में हो, उनकी कामयाबी के चान्सेज जो हैं, वह कम कर देती है और उनकी मांग का वजन तथा उनकी आवाज का वजन भी कम हो जाने का डर है क्योंकि इस संशोधन के अनुसार वह मसला स्टेट के लेजिस्लेचर की बहस के अंदर आयेगा, क्योंकि वह इलाका स्टेट के अंदर एक माइनोरिटी है, चाहे वह स्टेट के किसी इलाके में मैजोरिटी में भी है, कुदरती तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि यह लिख दिया जायेगा कि चन्द विधायिका के सदस्य राज्य की सीमाओं में तब्दीली चाहते हैं। तो इससे जिस तरह से पहले

---

* विधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 4 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 559

संशोधन के अनुसार यह था कि किसी इलाके की मैजोरिटी मेम्बरों की यह चाहें कि वह इलाका किसी दूसरी स्टेट या एक नयी रियासत के साथ जोड़ दिया जाये, तो उसके ऊपर विचार हो सकता था। अब जो नया संशोधन है, उससे मुझे डर है कि उनकी आवाज के असर में फर्क पड़ जायेगा और खास तौर पर ऐसे इलाकों की, जिनके पास न कोई नेता है, न जिनके पास कोई अपना प्रेस है और न कोई दूसरा आवाज उठाने का जरिया (साधन) है, उनके लिये खास तौर पर यह मुश्किल पैदा होगी। यू.पी. को ही ले लीजिए। जिस समय हम पिछली दफा विधान के बारे में विचार कर रहे थे, हमारी पार्टी के अन्दर कई दफा इस मसले पर विचार होते हुये यह बात साफ हुई कि यू.पी. वाले यह महसूस करते हैं कि उनका सूबा बहुत बड़ा सूबा है। मिसाल के तौर पर उस समय यू.पी. वालों ने कहा था कि दूसरे सूबों की तरह एक लाख के ऊपर एक मेम्बर की नुमायन्दगी आयेगी। तो यू.पी. का हाउस 600 का बन जायेगा और वह बहुत बड़ा हाउस होगा। इस किस्म की समहंस और प्रशासनिक कठिनाईयों को मानते हुए भी यह कहा जाता है कि कोई भी इलाका दिल्ली को या हरियाणा प्रान्त को न दिया जाये। हालांकि इस इलाके के लोग यह चाहते हैं कि वह दिल्ली या हरियाणा प्रान्त के अन्दर मिला दिया जाये। लेकिन हुआ क्या ? चूंकि उनके पास अपना कोई नेता नहीं था, न अपना प्रेस था। पहले तो यू.पी. में, जिन्होंने इस किस्म की आवाज उठाई थी, उनकी वफादारी के ऊपर शक किया गया और उनकी आवाज को इतनी बुरी तरह से दबाया गया कि जिसका कोई अन्दाज नहीं। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने उनको बैन कर दिया और कहा कि वह कोई आवाज सूबे की तब्दीली के लिए नहीं उठा सकते।

अत: मुझे डर है कि यह जो संशोधन है, इससे उन आदमियों के लिये जिनकी सभ्यता एक है, बोली एक है, ढंग एक है, जिनका कानूनी और प्रशासनिक दूसरे नुक्ते निगाह से इकट्ठा होना देश के लिये फायदेमन्द है, वह कुछ न कर सकेंगे। मेरी राय में जैसा कल ठाकुरदास ने बतलाया था, हरियाणा प्रान्त के बारे में जब आवाज को उठाया गया, तो उससे कुछ आदमियों की वफादरी पर शक किया गया और कहा गया कि यह जाट सूबा बनाना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर हरियाणा प्रान्त बनता, जैसे अंग्रेजों के समय

में भी जिस समय राउन्डटेबुल कान्फ्रेंस का समय था, उस समय कारवेट स्कीम के मुताबिक एक नया सूबा बनाने की स्कीम थी। उस समय भी इस प्रान्त का कोई बड़ा नेता न था। इसलिये उस स्कीम को टारपीडो कर दिया गया। तो आज भी यही कह दिया जाता है कि यह लोग जाट सूबा अलग बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसा अभी मैं बताना चाहता था, सच यह है कि जाट इसके अंदर एक माइनोरिटी हैं और उनकी अकेली कम्यूनिटी के नाते भी और कोमों के मुकाबले में मैजोरिटी नहीं होती है। अगर कोई ज्यादा गिनती वाली कम्यूनिटी हैं तो वह हरिजन भाइयों के अंदर चमार कम्यूनिटी है। अगर कोई स्थान या सूबा बनता है, तो वह चमारों का सूबा बनता है। परन्तु चूंकि उनके पास अपना प्रेस नहीं है, इसलिये उनकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता।

इसमें कोई शक नहीं कि मैं संशोधन का समर्थन करता हूँ, पर इसके साथ-साथ मैं यह चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई इस किस्म की तब्दीली जरूर कर दी जाये, जिससे जब केन्द्र प्रान्तीय धारा सभा से उसकी राय पूछे, तो उसके अन्दर यह भी दर्ज हो कि उस इलाके की, जो इलाका पृथक होकर दूसरे के साथ मिलना चाहता है, उसके प्रतिनिधित्व के बहुमत की राय क्या है? उसकी राय केन्द्रीय असेम्बली में दर्ज होकर आये और पता लगे कि इलाका क्या चाहता है।

कृषि उपज की जायज कीमत मिले*

{सदन में 23 नवम्बर, 1048 को संविधान के मसोदे पद बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने कृषि उपज पर न्यूनतम लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अलग धारा जोड़ने का सुझाव पेश किया और अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि ऐसा न करने से किसानों पर बड़ा भारी अन्या होता रहेगा। -सम्पादक }

मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, किन्तु मैं अनुच्छेद पर बोलना चाहता हूँ।

मिस्टर वाइस प्रेसीडेण्ट, मैं इसीलिये पहले खड़ा हुआ था कि जो अपनी दो-चार बातें एक्सप्रैस करना चाहता हूँ वह जनरल आर्टिकल पर कह लेता। लेकिन चूंकि मुझे उस वक्त समय नहीं दिया गया; अगर आप इजाजत दें तो एक दो मिनट में अपनी बात कह लेना चाहता हूँ। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपने संशोधन को प्रैस नहीं करूंगा। इसके अलावा एक बात और भी है। जैसे कि श्री आयंगर साहब ने बताया .....

उपाध्यक्ष: कृपया संशोधन पर बोलिये।

चौधरी रणवीर सिंह: मेरा संशोधन इस प्रकार है:

''कि अनुच्छेद 34 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद 34-ए जोड़ दिया जाय :

''34-ए (क) राज्य समुचित कानून-निर्माण अथवा आर्थिक संगठन

---

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 04 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 722, 723 व 724

अथवा किसी अन्य प्रकार से कृषक को कृषिजन्य पदार्थों का न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा।

(ख) राज्य उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय सहकारी संगठन को सहायता देगा।

(ग) विशेष कानून-निर्माण द्वारा कृषि-सम्बन्धी बीमे का नियमन किया जायेगा।

(घ) किसी रूप में भी अत्यधिक ब्याज लेना वर्जित किया जाता है।''

उपाध्यक्ष : मान लो कि आप इस बात को छोड़ देते हैं। अब श्री चौधरी, आप वक्तृता दे सकते हैं।

चौधरी रणवीर सिंह : सभापति महोदय, जिस हालत में अब आर्टिकिल 34 स्टेंड करता है और डाक्टर अम्बेडकर साहब ने नागप्पा जी का जो सुझाव माना है उससे भी एक क्लास और बाकी रह जाती है जिसके इकानमिक इंटरेरट्स सुरक्षित नहीं होते, और वह क्लास लैंडलाड्र्स का नहीं है क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि वह पंजाब के पीज़ेंट प्रोपराइटर्स का क्लास है जो कि न तो किसी को शोषण करता है और न किसी से शोषित होना चाहता है। पीज़ेंटरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक कि हम उसकी उपज की कोई इकोनोमिक प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक उसके साथ बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा। आज स्टेट की ड्यूटी लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखना ही नहीं है, बल्कि आर्थिक उलझनों को सुलझाना भी है और यह एग्रीकल्चरिस्ट के लिये आज एक बड़ी भारी समस्या है। पिछले दिनों का जिक्र है कि गुड़ और कई चीजों की प्राइस इतनी गिरी कि जो प्राइस 4 या 5 महीने पहले थी उसकी चौथाई रह गई। यह एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे देश में इस किस्म की उथल-पुथल एग्रीकल्चरल इकानमी को उथल-पुथल किये बगैर नहीं रह सकती। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रैस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि पिछली आर्टिकिल से यह बात हल हो जाती है, पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिये। मेरे कहने के मायने यह हैं कि एग्रीकल्चर की चीजों की इकानमिक प्राइस

मुकर्रर किये बगैर एग्रीकलचरिस्ट की इकानमिक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और उसको स्टेबिल करना जरूरी है। बाकी जो तीन हिस्से हैं वह भी थोड़ा-बहुत इसी की सपोर्ट करते हैं। चूंकि हाउस के बहुत ज्यादा मेम्बर यह समझते हैं कि यह आशय इससे पहले वाले आर्टिकिल से हल हो जाता है, इसलिये मैं अपने इस संशोधन को पेश नहीं करता।

कृषि भूमि पर किसान-मजदूर का हक*

{संविधान के मसौदे पर 02 दिसम्बर, 1948 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने अनुच्छेद 13 में संशोधन का प्रस्तवा रख कर कृषिभूमि को धनवान गैर-कृषक लोगों के हाथ खिसकते जाने से उत्पन्न खतरे से आगाह किया।-सम्पादक }

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सज्जनों से सहमत नहीं हूँ जो इस अन्तर्वर्त्ती काल में इन प्रावधानों के हटाने के पक्ष में हैं। इसी कारण मैंने अनुच्छेद 13 में दो और प्रावधानों की सूचना दी है। वे निम्न रूप में हैं कि '

''अनुच्छेद 13 में निम्न नये (7) और (8) खण्ड जोड़ दिये जायं :

(7) इस खण्ड के उपखण्ड (घ), (ड़) तथा (च) की किसी बात से किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्त्तन पर प्रभाव न होगा

और न राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने में रूकावट होगी जो भूमि को जोतने वालों अथवा कृषकों के हित की रक्षा के लिये उन लोगों पर, जो खेतिहर नहीं हैं कृषि-भूमि की अवाप्ति अथवा संधारण के बारे में आयंत्रण लगाती है। (8) उक्त खण्ड (घ) (ड़) और (च) की कोई बात राज्य को न्यूनातिन्यून अविच्छेद्य भूमि के आर्थिक संधारण की घोषणा करने वाले कानून के निर्माण करने से नहीं रोकेगी।''

श्रीमान्, आगे और विचार करने पर मैंने अपने विचार बदल दिये और इन संशोधनों को पेश नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि इस अनुच्छेद के उपखण्ड (5) में 'जन-सामान्य के हित में' शब्द से मेरा आशय पूर्णतया पूरा

---

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 4, खण्ड VII (ख), 1 दिम्बर, 1948 से 8 जनवरी, 1949, पृष्ठ सं. 1175 व 1176

हो जाता है अर्थात् कृषि करने वालों अथवा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये जब कभी प्रतिबन्धों का लगाना आवश्यक समझा जायगा, सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समाज के किसी वर्ग पर प्रतिबन्ध लगा दे अथवा उन कानूनों को जो लागू हैं लागू रहने दे और जिनके बारे में सरकार यह समझे कि किसानों अथवा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये वे आवश्यक हैं।

मैं पूर्वी पंजाब से आया हूँ और वहां एक ऐसा कानून है कि भूमि-विच्छेद-अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके अनुसार कुछ वर्गो को कानून से भूमि अवापन करने का अधिकार नहीं है। मैं अपने मित्रों, विशेषकर हरिजनों से इस बात में सहमत हूँ कि हरिजनों तथा अन्य लोगों को जो कि वास्तव में कृषि करने वाले हैं, भूमि अवापन का अधिकार हो। पर मैं यह नहीं समझ पाता कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कृषि करता हो या नहीं कृषकों के समान समझा जाय और उसे कृष्य भूमि अवापन करने की स्वतंत्रता हो। यदि यह दशा होगी तब तो हम एक नयी समस्या खड़ी करेंगे - जमींदारी की समस्या - वह समस्या जिसे हम देश से मिटा रहे हैं अथवा मिटाने का वचन दे चुके हैं। अनेकों प्रान्तों में जमींदारी-प्रथा मिटाने का कानून बन चुका है। पंजाब के सम्बन्ध में मेरा विचार है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भूमि-विच्छेद-अधिनियम के फलस्वरूप पंजाब में जमींदारी-प्रथा का अभाव है और जिस उग्र रूप में यह अन्य प्रान्तों में है वैसे रूप में यहां नहीं है और यही वास्तविक कारण है कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब के किसान अधिक उन्नत अवस्था में हैं। अत: मेरा यह पुष्ट और ठीक विचार है कि राज्य के विधान-मण्डलों तथा विभिन्न सरकारों को अकृषकों पर कृषि भूमि के अवापन करने और संधारण के बारे में प्रतिबन्ध लगाने की स्वतन्त्रता हो और कृषि करने वाले अथवा किसानों की रक्षा के लिये न्यूनातिन्यून अविच्छेद्य भूमि के आर्थिक संधारण की घोषणा करने की स्वतंत्रता हो।

हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है और वे ही कृषि करने वाले हैं। अत: ''जन-सामान्य के हित'' शब्दों का आशय केवल कृषकों और मजदूरों से ही है न कि केवल मध्यवर्गीय बौद्धिक तथा श्वेतवस्त्रधारी वाचाल लोगों से।

गरीबों पर टैक्स का विरोध*

{प्रस्तावित संविधान के अनुच्छेद 255 पर सदन में 09 अगस्त, 1949 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने कर सम्बंधी नीति में भेदभाव का प्रश्न उठाते हुए मजदूर विशयाकर हरिजन भाइयों पर पेशेवर कर जबकि उनकी क्षमता ऐसी नही होती। जहां आयकर में प्रतिमाह 2000 रुपये तक आमदनी पर छूट दी जाती है वहां लैंड रेवैन्यू से एक बीघा जमीन भी मुक्त नहीं है जिसपर प्रति रुपया दो पैसा पेशेवर कर लिया जाता है। करनीति समान सिद्धान्त पर बने। -सम्पादक }

सभापति महोदय, इस अनुच्छेद का समर्थन करने में मुझे झिझक है। वह इसलिये कि जो संशोधन भाई शिब्बनलाल सक्सेना ने पेश किया है, मेरी समझ में वह एक प्रिन्सिपल पर बेस्ड है और यदि यह न माना गया तो सब के साथ न्याय नहीं होगा। अब आज कल ऐसा है कि आम तौर पर छोटे छोटे आदमियों के हाथ में पेशेवर कर लगाना होता है वह गरीब हरिजनों से एक तरफ तो बीस बीस और चौबीस रूपये, प्रोफे शनल टैक्स के नाम से लेते हैं, हालांकि उनकी कैपेसिटी दो या तीन रूपये की भी नहीं होती है, दूसरी तरफ वह बड़े कारखानेदार जो हरिजनों से कहीं ज्यादा रूपया दे सकते हैं, पूरा हिस्सा नहीं देते। इस

अनुच्छेद द्वारा दो सौ, ढाई सौ तक ही उन की हद बांधी जा रही है। एक और बात जो मैं एक किसान होने के नाते कहना जरूरी समझता हूँ वह है कि

---

* 'संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 450 व 451

सारे किसानों से लैन्ड रेवेन्यू के अलावा जो टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोड्र्स और लोकल बाडीज के द्वारा लिया जाता है वह पंजाब में एक रूपये पर दो पैसा है, और अब उसको और बढ़ाने की कोशिश है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां इन्कम टैक्स दो हजार रूपये की आमदनी तक बिलकुल फ्री है वहां एक बीघा तक भी लैंड रेवेन्यू फ्री नहीं है। इससे किसान घाटे में रहते हैं। चाहे उस की एकानमिक होल्डिंग है कि नहीं, लेकिन उस से लैन्ड रेवेन्यू जरूर लिया जाता है, और उस लैंड रेवेन्यू पर प्रति रूपया दो पैसा पेशेवर कर दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो बड़े बड़े आदमी हैं उन से भी उसी प्रिन्सिपल पर क्यों और न लिया जाय। ढाई सौ रूपये की पाबन्दी से डिस्ट्रिक्ट बोड्र्स और लोकल बाडीज की आमदनी में काफ़ी घाटा पड़ेगा जिस से उन्हें गरीबों पर और ज्यादा टैक्स लगाना होगा, या गरीबों की भलाई के कामों को कम करना होगा। अगर उन्हें गरीबों की भलाई करना है और अस्पताल वग़ैरह बढ़ाना है तो जरूरी तौर पर उन को अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना होगा। ये तभी लग सकता है कि प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन मंजूर किया जाय और मैं समझता हूँ कि यह कर का भार कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, इस को देखते हुए जो किसानों से लिया जाता है। लैंड रेवेन्यू का जो प्रिन्सिपल है उसे देखते हुए वह बिल्कुल ज्यादा नहीं है। जब कि किसानों से एक पर्सेन्ट से भी कई पर्सेन्ट ज्यादा लिया जायेगा। इसलिये मैं इस धारा के अन्दर चाहता हूँ कि शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन मंजूर कर लिया जाय।

छात्रों में प्रतियोगिता का धरातल एक नहीं*

{22 अगस्त, 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 284 पर बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने ग्रामीण व नगरों के छात्रों की काबिलियत को एकतरह नापने को गै-वाजिब करार दिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में बहुत अन्तर है। उनका एक धरातल पर मुकाबला नहीं कराया जा सकता है। प्रतियोगिता समान के बीच होती है। इसके लिए उन्होंने सुझाव भी रखा। -सम्पादक }

————————

अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के समर्थन में डा. पंजाबराव देशमुख द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खूब समझता हूँ कि इन परिस्थितियों में खुली प्रतियोगिता का क्या अर्थ हो सकता है। शहर में पैदा हुआ बच्चा अपने बचपन से ही रेडियो सुनता है, उसको घर में दैनिक समाचार पत्र प्राप्त होता है और अनेक सुविधायें उपलब्ध होती हैं, स्कूल भी उसके निवास स्थान से कुछ गज की दूरी पर ही होता है। जब वह बच्चा तीन या चार वर्ष का होता है, वह स्कूल एवं बाजार में अनेक बातें सीख सकता है। जो गांव का कोई आठवीं कक्षा पास लड़का भी नहीं सीख सकता। जब लोक सेवा आयोग द्वारा कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तब एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्णय करने की कसौटी वही होती है कि क्या वह पूछे गये उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है या नहीं;। हमारा देश गांवों का देश है और ग्रामीण जनता अधिक है, परन्तु तथ्यों के आधार पर इस बात

---

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 842, 843 व 844

से इंकार नहीं कर सकता कि शहर के लोगों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और वे ग्रामीण जनता की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हैं और इन परिस्थितियों में यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति का शहरी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ मुकाबला कराया जाता है और उनसे एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक अथवा समानता के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकेगा।

इस स्थिति के समाधान के दो तरीके हैं। एक यह है कि ग्रामवासी उम्मीदवारों के लिये सरकारी सेवाओं में कुछ अनुपात आरक्षित कर दिया जाये और सेवाओं में उन्हें आरक्षित संख्या के पद आबंटित किये जायें। उन पदों के लिये केवल ग्रामीण जनता के उम्मीदवारों को ही मुकाबला करने की अनुमति दी जाये।

दूसरा तरीका यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये कि उनमें 60-70 प्रतिशत सदस्य ऐसे होने चाहियें जो ग्रामवासियों की कठिनाइयों को समझते हों और उनके साथ सहानुभूति रखें। मैं आपको एक सामान्य दृष्टान्त देना चाहता हूँ। हमारी सेना में भर्ती के लिये एक नियम लागू किया गया है कि प्रारम्भिक प्रतियोगिता लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह लड़ाई के दाव-पेंच में भी पारंगत हो, क्योंकि लड़ाई में केवल ऐसा व्यक्ति ही सफल हो सकता है जिसका शरीर गठा हुआ हो और दिल मजबूत हो। लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप ऐसे लोगों का चयन कर सकते हैं जो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, परन्तु यदि ऐसे लोग सेना में भेजे जाते हैं तो इस बात को आप निश्चित समझें कि सेना को अपने कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सेना का कार्य बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। सेना के एक अधिकारी के सम्बन्ध में हमें यह देखना होता है कि उसमें बलिदान की भावना कितनी है, उसमें कितना साहस है और वह कितना शारीरिक कष्ट झेल सकता है। परन्तु यदि सेना के लिये भर्ती प्रारम्भिक प्रतियोगिता के आधार पर की गयी तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि सेना के

लिए भर्ती के क्षेत्र में भी ग्रामीण लोग पीछे रह जायेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले जिन लोगों को युद्धप्रिय जातियां कहा जाता था, वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती थीं, वे लोग अब भी सेना में सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं। परन्तु सैनिक अधिकारी अधिकांशत: शहरी लोग होते हैं। समय की मांग यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने में मदद की जाये और इस समय उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें सैनिक अधिकारी के रूप में उचित स्थान दिया जाये।

आजकल ऐसे बहुत से गांव हैं जहां प्राथमिक विद्यालय तक नहीं हैं। सर्वप्रथम तो एक ग्रामीण की खर्च करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वह अपने बच्चों को शहर में माध्यमिक अथवा उच्चतर विद्यालयों में भेज ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त आप विचार कर सकते हैं कि कितने गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिये सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं।

इन परिस्थितियों में यदि आप एक यन्त्र की तरह काम करना चाहते हैं तो मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि डा. देशमुख द्वारा व्यक्त की गयी शंकाएं सही प्रमाणित होंगी। यदि देश को अहिंसा के आधार पर प्रगति करनी है तो हमें परिस्थितियों के अनुरूप इस पहलू पर विचार करना होगा। जैसा कि हमने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किये हैं, संभवत: वही तरीका ग्रामीण जनता के संबंध में भी अपना सकते हैं। यह तरीका या तो लोक सेवा आयोग के संबंध में या सरकारी सेवाओं के संबंध में अपनाया जा सकता है। यदि कुछ पद आरक्षित कर दिये जायें व उन पदों के लिये प्रतियोगिता में केवल ग्रामीण युवकों को ही अनुमति दी जाये तो बेहतर होगा।

एक बात और है। हममें से बहुत से लोग हैं जिनका जन्म शहरों में हुआ है और जिन्होंने शहरों में शिक्षा प्राप्त की है और जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्हीं का लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता में चयन किया जाता है, परन्तु उनमें से अधिकांश को ग्रामीण जीवन की जानकारी नहीं होती और वे ग्रामीण जीवन में होने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते। वहां पर न तो सड़कें हैं और न शहरों में उपलब्ध होने वाली सुविधायें हैं। इसलिये वहां

पर जाकर काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिये वे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से जी चुराते हैं और सब काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार ग्रामीण लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए मेरे विचार में लोक सेवा आयोग गठित करते समय डा. देशमुख द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मैं श्री साहू की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवावधि बढ़ा दी जानी चाहिये। राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे भूतपूर्व प्रधान आचार्य कृपलानी ने घोषणा की है कि सरकार सफल नहीं हुई है। इसका एक कारण यह है कि सरकार लोक सेवा आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है और इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोक सेवा आयोग का गठन पुरानी व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था और पिछली सरकार ने उसके सदस्यों को अपने विचारों के अनुसार नियुक्त किया था।

यह आवश्यक है कि सरकार बदल जाने के साथ-साथ सेवाओं में भी बदलाव आये। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिये जिससे, जब वह आवश्यक समझे, आयोग के किसी सदस्य को सेवा से हटा सके। इसलिये मैं डा. देशमुख के विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

जहां तक भाई-भतीजावाद का संबंध है, यह तो भविष्य में भी चलता रहेगा, इसको रोकना इतना सरल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सामने कई बातें विचार किये जाने के लिये होती हैं। मेरे इस विचार में इस बुराई से हमें अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाई भतीजावाद को तभी रोका जा सकता है जब उनका अन्त:करण निर्मल व मजबूत हो जाये और उनके विचारों में परिवर्तन आ जाये। जब तक लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वर्तमान विचारों और मन में परिवर्तन नहीं आता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवावधि बढ़ाकर उसको रोक नहीं सकते।

संविधान की खूबियों पर खुशी, खामियों पर चिंता*

{संविधान के मसौदे पर चर्चा के तीसरे यानी अन्तिम चरण की बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर यिंह ने 24 नवम्बर, 1949 को अपना वक्तव्य रखा। संविधान का प्रारूप, संशोधनों के साथ 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार कर लिया गया था। अपने इस भाषण में चौधरी साहिब ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में जगी जन आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए संविधान के कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं को उकेरा। साथ ही वे इस भाषण में भी गरीब मजदूरों व किसानों की जिंदगी से जुड़े महत्व के सवालों का हवाला देने से नहीं चूके जिनको वे बार-बार सदन में उठाते रहे हैं और जिनपर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। -सम्पादक }

———————

अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के ऊपर अपने विचार प्रकट करने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और दूसरे देशभक्तों के आदर में, जिन्होंने देश की वेदी पर अपने जीवन की कुर्बानी दी और तरह तरह की तकलीफें उठाई, श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आज बहुत सारे भाई इस बात का गिला जाहिर करते हैं कि हमने संविधान के बनाने में काफी वक्त लिया है, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जिस वक्त यह सभा बैठी थी उस वक्त

---

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 10, खण्ड XI एवं XII, 14 नवम्बर, 1949 से 24 जनवरी, 1950, पृष्ठ सं. 4064, 4065 व 4066

हिन्दुस्तान एक गुलाम देश था और 600 से ज्यादा हिस्सों में बंटा हुआ देश था, उस में तरह तरह के आदमी थे और तरह तरह की पार्टियां थीं जो देश का बंटवारा करना चाहती थीं। इस तीन साल के अन्दर जो देश में तबदीली हुई है वह इतिहास के अन्दर एक निराली चीज है। इस में हमारा देश दो हिस्सों में बंटा, लेकिन इस के बावजूद कोई आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आप की प्रधानता के अन्दर हम भारत के इतिहास में पहली दफा इतने बड़े व मज़बूत रूप में स्थापित करेंगे जितना वह पहले कभी नहीं था।

कई भाई कह सकते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में भारत इस से ज्यादा बड़ा देश था, पर इस बात के मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी राज्य में भारत में जो 562 रियासतें थीं उन का अधिकार अजीब था और उन का राज्य शासन भी अजीब ढंग से चलता था। कोई आदमी इस से इन्कार नहीं कर सकता कि सन् 1857 से पहले अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि भारत की रियासतों को तोड़ कर एक मज़बूत राज्य बना लें, लेकिन अंग्रेज थोड़ी ही रियासतों को तोड़ने में कामयाब हुए थे कि देश के अन्दर उथल पुथल हुई और अंग्रेजों को यह ख्याल छोड़ना पड़ा। पर हम ने आप की प्रधानता में और हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चल कर देश में से एक नहीं सैंकड़ों रियासतों को शान्ति से समझाया बुझाया और उन को देश के अन्दर संगठित किया और वह देश जो कि इस सभा के शुरू होते समय 600 से ज्यादा हिस्सों में बंटा था अब मुश्किल से 27 प्रान्तों का देश बन जायेगा। समझता हूँ कि थोड़े ही दिनों में 15 या 20 हिस्सों में ही रह जायेगा। इस तरह देश को इतने कम हिस्सों में संगठित कर के हम ने एक मज़बूत संघ की बुनियाद डाली है। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देर ज़रूर हुई पर उस देर के अन्दर काम बहुत ज्यादा हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक साल के अन्दर अन्दर यह विधान बना लेते तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहां कितना कम्युनिटीज़ के लिये रिजरवेशन होता। वह जो झगड़ा या बीमारी थी उस को हम ने दूर कर दिया और यह कामयाबी हमारे नेताओं की होशियारी की वजह से मिली।

सभापति महोदय, मैं अब संविधान की दो चार धाराओं पर, जिन पर मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। इस संविधान में हमने बालिग मताधिकार को मान कर हर एक हिन्दुस्तानी को राजनीतिक तौर पर आजाद किया है और इसी तरह से धारा 17 के द्वारा बेगार खत्म करके और धारा 23 के द्वारा छुआछूत को गैर कानूनी करार दे कर हम ने सामाजिक तौर पर देश के हर एक अंग को आज़ाद किया है। इस से आगे चल कर हम ने जहां तक आर्थिक आजादी का ताल्लुक है, धारा 31(4) को मान कर देश के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा की है कि जिससे जैसे हमने अपने नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की 562 रियासतों का मसला हल किया है, उसी तरह मुझे पूर्ण आशा है कि अगले साल के अन्दर हिन्दुस्तान में जमींदारी प्रथा जोकि एक बोझ की तरह है और देश की तरक्की में रोड़ा बना हुई है, वह भी समाप्त हो जायेगी और पंजाब जैसे प्रदेश में जिसका कि मैं रहने वाला हूँ और जो कि आम तौर पर छोटे छोटे किसान मालिकों का प्रदेश है, जहां पर दस फीसदी बड़े बड़े जमींदार हैं, मैं समझता हूँ कि उन का मसला भी शान्ति के साथ हल हो जायेगा। जो किसान बेजमीन हैं उन को आर्थिक तौर पर हम इस धारा के तहत आजाद कर पायेंगे। इसी तरह से जो भाई खेत मजदूर हैं या कारखाने के मज़दूर हैं उनको भी हम इस संविधान के द्वारा आजाद कर सकेंगे। लेकिन सभापति महोदय, जिस इन्टरेस्ट का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ यानी खेत मालिक किसान, उनको मुझे खेद है कि इस संविधान के अन्दर कुछ न कुछ पहले से भी पीछे फेंका गया है। उन को आर्थिक आज़ादी तभी मिल सकती थी जब ऐसा कायदा माना जाता कि जिस चीज़ को वह पैदा करते हैं, उन को उस चीज को जिस कीमत पर उससे पैदा करते हैं उससे कम कीमत पर बेचने को मजबूर न किया जा सकता होता। अगर हम ऐसा मानते और इस विधान में कोई ऐसी धारा पैदा कर देते तो उन को भी हम आर्थिक लूट से बचा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ने 12(एफ) को मान लिया है जिस का असर हमारे प्रान्त पर बुरा पड़ता है। हमारे इन्तकाल अराज़ी का कानून है। मैं मानता हूँ कि उस के अन्दर कुछ खामियां हैं, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस

कानून के द्वारा पंजाब के लाखों किसानों को जो दिन रात मेहनत करते हैं यह फायदा हुआ है कि उन की ज़मीनें उन के पास रह सकती हैं। मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि स्वतंत्र भारत के आप प्रधान होंगे और यह बात जो मैं कहता हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे हाउस के एक बहुत बड़ी तादाद की इच्छा है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप हाउस की इस इच्छा को ठुकरायेंगे नहीं। इस विधान के अन्दर एक धारा है जिसके द्वारा प्रधान को यह अख्तियार है कि वह जो कानून थोड़ा बहुत संविधान से टकराते हों उनको अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है। इसलिये मैं आप से विशेषतया यह प्रार्थना करता हूँ कि इस से लाखों किसानों का सम्बन्ध है और आप इसे संशोधन बेशक कर दें। हमें ऐतराज नहीं कि आप हरिजनों को जो जमीन के अन्दर काम करते हैं उनको अधिकार दे दें कि वह जमीन खरीद सकें, लेकिन इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम ऐसी हालत न पैदा होने दीजिये कि जिस से वह आदमी जिस का सम्बन्ध जमीन से बिल्कुल नहीं रहा हो वह जमीन को खरीद सके। अगर ऐसा हुआ तो इस में शक नहीं कि लूट खसोट होने लगेगी और ज़मींदारी उन्मूलन के फायदे का खातमा हो जायेगा।

एक चीज जिस के बारे में हाउस में किसी ने ज़िक्र नहीं किया और जिस के बारे में मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ वह चीज़ आती है 327 में हलकाबन्दी के सिलसिले में। मैं यह मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर देहात जो हैं वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और अगर शहर वालों को देहात वालों के हल्के के साथ मिला दिया गया तो उन के साथ यह एक बड़ी भारी ज्यादती होगी। हम हिन्दुस्तान में राष्ट्र भाषा हिन्दी को इतनी जल्दी लागू नहीं कर सके। इसका कारण यह था कि कुछ लोगों को यह ख्याल था कि उनकी नौकरी छिन जायेगी। लेकिन वह आदमी जिन्हें न बोलना आता है, न जिन के पास प्रेस है, न लीडरशिप है, उनके साथ आप एक बड़ा भारी घोर अन्याय करेंगे अगर शहर और देहात की हलके बन्दी को एक कर देंगे तो, इस संविधान के द्वारा उनको अलग भी रखा जा सकता है और एक भी किया जा सकता है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि बाद में जो कमीशन इस काम के लिये बनेगा वह शहर और देहात के हलकों को अलहदा अलहदा रखेगा।

मैं दो तीन बातों के ऊपर अपने विचार और प्रकट करना चाहता था, लेकिन मैं दूसरे साथियों के समय पर छापा नहीं मारना चाहता और समाप्त करता हूँ।

भाखड़ा-यमुना घाटी निगम बने*

{संविधान सभा (विधायी) में 18 फरवरी 1948 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने दामादर घाटी निगम की तर्ज पर भाखड़ा-यमुना घाटी के विकास को गति देने हेतु निगम बनाने का सुझाव सरकार के सामने रखा। -सम्पादक }

———————

अध्यक्ष महोदय, मैं किसान के नाते मंत्रिमंडल और शेषतया मंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह बिल लाकर भारत के अन्दर एक नया युग आरम्भ किया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि अंग्रेजी राज के जमाने में, 10 और 15 साल हमारे यहां जो युनियनिस्ट पार्टी थी वह भाखड़ा डैम का नाम इस्तैमाल करती आई और इस पार्टी ने इसका नारा लगाकर लोगों से राय लेने का साधन बनाये रखा। मैं मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह विरोधी दल को यह अवसर नहीं देंगे कि कांग्रेस ने सिर्फ इलैक्शन में राय लेने के लिए यह स्टन्ट (Stunt) खड़ा किया है बल्कि वह इसको जल्दी से कार्यक्रम में परिणित करेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक चीज मंत्री महोयद के ध्यान में लाना चाहता हूँ और वह यह कि देहाती मसल है: 'दिया तले अन्धेरा।'

मेरे कहने का मतलब यह है कि देश बदला, हम गुलामी से आज़ाद हुए। पहिले दीपक की रोशनी के अन्दर पढ़ते थे आज बिजली की रोशनी देखते हैं। तो कम से कम अब दीपक के नीचे जब कि दीपक के स्थान में

---

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 18 फरवरी, 1948, पृष्ठ 909-910

बिजली आ गई है अन्धेरा नहीं रहना चाहिये। अन्धेरा ऊपर होना चाहिये, नीचे नहीं। लेकिन अभी तक इससे विपरीत है। ऊपर चांदनी है और दीप के नीचे अन्धेरा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम यहां यमुना के किनारे बैठे हैं।

जैसी दामोदर वैली (Valley) की हालत है वैसी हालत यमुना की घाटी की है। जहां हम बैठे हैं वहां से यमुना गुजरती है और यहां से पांच मील के फासले पर वही हालत देखते हैं जो शायद आपने बंगाल और बिहार में देखी है। बहुत अधिक बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है जहां पर अच्छे-अच्छे फल फूल और साग सब्जी तैयार हो सकती हैं। हर साल वहां पर बाढ़ के कारण किसानों को लाखों रूपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि इस में भी यू.पी., पंजाब, देहली प्रान्तों को फायदा पहुंचता है। अत: यह विषय एक प्रान्त का नहीं है और इस घाटी का सुधार एक प्रान्त की सरकार नहीं कन्टीन्यू (Continue) कर सकती बल्कि केन्द्र की सरकार ही कर सकती है।

अत: मेरे कहने का मतलब यह है कि बगैर किसी विलम्ब के एक ऐसा बिल जिसका नाम 'यमुना घाटी संस्था' होगा जल्द से जल्द हमारे सामने लायेंगे। और ज्यादा न कहते हुए अन्त में फिर मैं मन्त्री महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और बैठते हुए यह आशा करता हूँ कि इस संस्था को जल्द से जल्द कार्यरूप देंगे और हम जल्द से जल्द तमाम भारत के किसानों को बहुत अच्छी हालत में देख पायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र से सौतेला व्यवहार*

{संविधान सभा (विधायी) में 16 मार्च, 1948 को रेल बजट-1949 पर बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं की संविधान ओर सरकार का ध्यान दिलाया। अस्पतालों की कमी से लेकर कृषि उपज की कीमतों को दबा कर रखने जेसी नीतियों से कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की बात उठाई। -सम्पादक }

———————

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो कटौती के प्रस्ताव भेजे थे। एक का आशय यह था कि एग्रीकल्चररिस्टस ;हतपबनसजनतपेजेद्ध की प्राडक्टस चतवकनबजेद्ध की प्राइसीज़ स्टेबिलाइज ;चतपबमे`जंइपसप्रमद्ध कर दी जायं। और दूसरे का आशय पैदावार ज्यादा करने का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक देहाती हूँ और किसान हूँ। मैं जब देहात में जाता हूँ तो मेरे देहाती भाई और किसान भाई खासतौर पर मेरे से पूछते हैं कि पहली सरकार एक सौतेली मां की तरह से हमेशा हमारे साथ बर्ताव करती रही। क्या यह सरकार भी हमारे साथ सौतेली मां जैसा बर्ताव रक्खेगी? मिसाल के तौर पर वह मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि कीमतों को जब बांधा जाता है तो वह शहरियों के फायदे के लिये किया जाता है। जब कभी एक किसान को अपने अनाज पर एक पैसा भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है तो सरकार के कायदे और कानून उसके रास्ते में आ जाते हैं, और उसकी प्राइस कन्ट्रोल (price control) कर दी जाती है और यह कानूनन जुर्म करार

---

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 16 मार्च, 1948, पृष्ठ 2221–23

दे दिया जाता है कि इससे ज्यादा कीमत पर वह बेच न सके। लेकिन, जब उसका सवाल पैदा होता है तो कोई आदमी नहीं पूछता। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन आदमियों में से नहीं जो अपने नेताओं पर किसी किस्म का अविश्वास रखता हो। मैं तो उन्हें यही विश्वास दिलाता रहता हूँ कि पं0 जवाहरलाल के नेतृत्व में किसानों का फायदा है, वह किसानों के फायदे के लिये ही वज़ारत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वह जब तक यहां मौजूद हैं, तब तक उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन, फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ कि उनके आसपास मोटरवाले फिरते रहते हैं और एक देहाती आदमी जिसके पास न मोटर है, न उसके पास अखबार है, उसकी आवाज़ प्रेस (Press) में आ नहीं सकती। मैं आज आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराया था कि गुड़ की कीमत इस मौसम के अन्दर 24 से घट कर के 4 मन तक पहुंची। मैं यह दावे से कहता हूँ कि अगर किसी दूसरी वस्तु की कीमत में इतना घटाव-बढ़ाव आता तो अखबारात हिन्दुस्तान के कोने कोने में शोर मचाते और इस हुकूमत तक पहुंचाने के लिये उनकी जितनी शक्ति होती वह लगा देते। मिसाल के तौर पर मीठे का सवाल लीजिये। दूसरा मीठा गुड़ के अलावा चीनी है। चीनी का कन्ट्रोल (control) हटा और जितने चीनी पैदा करने वाले बड़े-बड़े अमीर थे उन्होंने कन्ट्रोल बांध दिया, और इससे डीकन्ट्रोल (decontrol) होने के बाद कीमत घटी नहीं बल्कि बढ़ी। इसके मुकाबिले में गुड़ की कीमत छः गुनी कम हो गई। कहां 24 कहां 4 रूपया? इस मौसम में भी, मिसाल के लिये उन्हें एक चर्खी या उसे काल्हू कहिये, उसको किराये पर लेने के लिये कन्ट्रोल प्राइस देनी पड़ी और ब्लैक मारकेट प्राइस (black market price) भी देनी पड़ी। परसों 14 तारीख को मैं एक दिल्ली के देहात में एक मीटिंग थी, उसके अन्दर उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहां उन्होंने बताया कि दिल्ली की सरकार ने एक कन्ट्रोल (control) तय किया था और इस कन्ट्रोल प्राइस पर एक भी आदमी ने एक भी ऐसी चर्खी नहीं जिसे उठाया हो। उसकी कन्ट्रोल प्राइस से फालतू लिया गया। और उनसे रसीद कन्ट्रोल प्राइस की ली गई। चूंकि समय भी, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा ही मिलेगा इसलिये मैं

माननीय मंत्री का ध्यान प्राइस सब-कमेटी की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। एग्रीकल्चरसिस्टस (Agriculturists) की प्रोडक्टस की कीमत अच्छी रखी जायगी तो उसमें सिर्फ एग्रीकलचरिस्टस का ही फ़ायदा नहीं है बल्कि तमाम हिन्दुस्तान का फ़ायदा होगा। एग्रीकलचरल इकोनमी (Agricultural economy) ठीक होगी। हमारा देश देहाती और किसानों का देश है, अगर एग्रीकलचरिसटस और देहातियों की इकोनमी खराब हो जाती है तो तमाम हिन्दुस्तान की इकोनमी खराब समझनी चाहिये। जो हमारे दूसरे भाई यहां बैठे हुए हैं उनका भी ध्यान इस रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि एग्रीकलचरिस्ट इकोनमी के साथ तमाम देश की इकोनमी बनी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ़ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी बजट सैशन के अन्दर जब (finance) वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया तो उस वक्त बताया था कि शिकागो के अन्दर जो गेहूँ पैदा करते हैं उन देशों ने गेहूँ के पैदावार के फ़ायदे के लिये गेहूँ की कीमत पर एक किस्म का नियन्त्रण सा कर दिया है और उस देश से जो देश गेहूँ लेना चाहते हैं उससे यह कहते हैं कि उतनी कीमत पर उन्हें पांच सालों तक उसमें थोड़ी बहुत घटती बढ़ती होगी। उस किस्म का कन्ट्रोल कर दिया गया है। ऐसी ही चीज़ मैं अपने माननीय मंत्री से भारत देश के किसानों के लिये चाहता हूँ। वह यह कि पहली चीज़ जिसकी तरफ़ मैंने अभी उनका ध्यान आकर्षित कराया, गुड़ की कीमत को वह कन्ट्रोल करें ताकि हिन्दुस्तान के उन गरीब किसानों को, इन मेहनत करने वालों का फ़ायदा हो। एक चीज और मैं इस दौरान कहना चाहता हूँ कि सब से ज्यादा मेहनत जिस में एक किसान को करनी पड़ती है वह ईख की पैदावार है। माननीय मंत्री महोदय का मैं इस तरफ़ ध्यान आकर्षित करा रहा था कि गुड़ की कीमत जरूर नियन्त्रित करें। इस नियन्त्रण में शक नहीं कि शहरी भाइयों का फ़ायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन पहले उसे कन्ट्रोल करें।

अब चूंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ़ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह (Grow More Food) ग्रो मोर फूड

है। इस साल भी एक सौ दस करोड़ रूपया बजट में रक्खा गया है। जो बाहर से अनाज मंगाने के लिये खर्च किया गया है। मैं मन्त्री महोदय का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसमें से अगर चन्द करोड़ रूपया भी मन्त्री महोदय कुंए बनवाने के लिये किसानों को दान कर दें। मिसाल के तौर पर, एक सौ दस करोड़ के मुकाबिले में चार करोड़ रूपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चार करोड़ रूपया कुएं बनवाने की मद में सूबों को भेज दें और उसमें यह भी रख दें कि चार सौ रूपया हर कुएं बनाने वाले के लिये दान की शक्ल में या ग्रांट के तौर पर दे दिया जाय तो इस तरीके से इस देश के अन्दर एक लाख कुंए बन सकते हैं। और उनके पानी के द्वारा एक फसल में एक करोड़ बीस लाख मन अनाज पैदा किया जा सकता है। अब मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए मन्त्री महोदय का और अपने नेता का ध्यान किसानों की हालत की तरफ विशेषतया दिलाना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है कि मन्त्री महोदय और हमारे नेता किसानों के लाभ के लिये हमेशा जो कुछ उनसे बन सकेगा, वह करते रहेंगे।

आवश्यक चीजों की कीमतों का सवाल*

{संविधान सभा (विधायी) में 3 सितम्बर, 1948 को चौधरी रणबीर सिंह ने आवश्यक चीजों की कीमतों में उतार-चढाव के सवाल पर बोलते हुए कहा कि सरकार अगर भाव गिराने के लिए कोई कदम उठाती है तो उसे किसान की उपज उसी भाव पर खरीदने का विश्वास दिलाना चाहिए जिस भाव वह उाके घर पड़ता है। केवल एकतरफा बात नहीं करनी चाहिए। -सम्पादक }

———————

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में अपने मंत्रीमंडल के प्रति किसानों की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है। जिस ढंग से आज हाउस के अन्दर बातें कहीं गई हैं और जितनी खतरनाक हालत बतलाई जाती हैं मैं नहीं समझता कि हालत इतनी ख़राब है। इस देश के अन्दर 60 या 70 फीसदी आदमी अनाज पैदा करते हैं। इस तरह, जहां तक अनाज का सवाल है वह 60 या 70 फीसदी लोगों के लिए तो हल हो ही जाता है। बाकी कपड़े का सवाल रहा। उसके बारे में हाउस के अन्दर यह ऐलान कर ही दिया गया है कि तमाम कपड़े को फ्रीज़ (Freeze) कर दिया जाएगा और बंधी कीमत (कंट्रोल्ड प्राइस) पर बांट दिया जाएगा।

अब जो सवाल बाकी रह गया है वह 25 या 30 फीसदी का कहा जा सकता है। मैं तो इसको दूसरे ढंग से समझता हूँ। यह आवाज़ जो देश के नाम पर उठाई जा रही है, यह उन लोगों की है जो कि वोकल (vocal) हैं जिनके

---

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 3 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 962-63

पास अखबार है इसमें कोई शक नहीं कि उनको कठिनाई हुई हैं और यही वजह है कि देश में जो शोर है उसका कारण यही है कि जो भाई बोलता है वह देश का नाम लेकर बोलता है। लेकिन देश सिर्फ पढ़े लिखे आदमियों तक या मध्यम वर्ग (मिडिल क्लासेज़) तक महदूद नहीं है। इस देश को चार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक इंडस्ट्रियल लोग-उनके ऊपर कोई आफत नहीं है। दूसरे मिडिल क्लासेज़ या पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी बंधी (फिक्सड) तनख्वाहें हैं इसमें शक नहीं कि उनके ऊपर आफत है। तीसरे मज़दूर है। जहां तक देहात के मज़दूर और हाथ से काम करने वाले मज़दूरों का सवाल है वह बहुत आराम से है। एक बढ़ई आज आसानी से पांच रूपये रोज़ कमा सकता है, एक लुहार भी रोज़ाना आसानी से पांच रूपये कमा सकता है जो सन् 38 या 39 में मुश्किल से चार आना या पांच आना कमा सकता था। खेती का मज़दूर आसानी से दो तीन रूपये रोज़ाना कमा सकता है। तो जहां तक मज़दूरों का ताल्लूक है उनका भी मसला हल हो जाता है। अब बाकी रहे किसान। किसानों के बारे में मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि किसान तो अनाज को पैदा करता है। इसलिए अनाज का तो उसके लिए कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ कपड़ा है। कपड़े का गवर्नमेंट ने इन्तज़ाम कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह एक बहुत अच्छे ढंग से और जायज कीमत पर उन तक पहुंच जायेगा। तो, देखना यह है कि देश के अन्दर क्या आफत आ गयी है और क्या इन्कलाब आ गया है, जिसका इतना शोर है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्कलाब है तो वह सिर्फ मिडिल क्लासेज या बंधी तनख्वाह वालों तक ही महदूद है। मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लासेज़ ने हमेशा हर एक मुल्क में काफी बड़ा पार्ट अदा किया है। लेकिन देश के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की रीढ़ की हड्डी कौन है। वह किसान हैं। आज किसान देहातों में है। आप शहरों में मुद्रा-प्रसार (inglation) की बीमारी देखते हैं पर अगर आप देहात में जायं तो आपको तकलीफ नहीं मालूम देंगी, न यहां कोई तकलीफ है ओर न यहां यह मालूम होता है कि देश में इनकलाब आने वाला है। बल्कि वह लोग खुशहाल दिखाई देते हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर थोड़ी तकलीफ है तो वह बीच के दर्जे वाली क्लासेज़ तक ही

महदूद है। उनके लिये सारे देश में चीप रेट ग्रेन (Cheap Rate Grain) की दूकानें खुली हुई हैं। मैं समझता हूँ कि यह मसला और भी आसानी से हल किया जा सकता है, अगर माननीय रेल मंत्री लोगों की सहायता करें। श्री भट्ट ने कुछ दिन हुए कि हाउस को याद दिलाया था कि बीकानेर के अन्दर चने सड़ रहे हैं। मैं भी मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि जीन्द स्टोर के अन्दर, दादरी के अन्दर, जितना आप चना चाहें हासिल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। रोहतक की, जोकि यहां से 44 मिल दूरी पर है। वहाँ आप साढ़े नौ रूपये मन चना हासिल कर सकते हैं। मगर यहां पर चना 14 रूपये मन भी नहीं मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब सरकार ने चने को ले जाने-लाने पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं पर इसके बावजूद भी इस चीज़ को नज़र से ओझल नहीं किया जा सकता कि इस मामले में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह ट्रांसपोर्ट (transport) की है। जहाँ तक जींद स्टेट और पटियाला यूनियन का ताल्लुक है मैं बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ हजारों मन अनाज को बाहर भेजने के लिये परमिट दिये हुए हैं। लेकिन, चूंकि ट्रांसपोर्ट के लिए उनको रेल के गड्डे (वेगन) नहीं मिलते इस वजह से यह आपत्ति है।

अब मैं आपको फलों के बारे में भी बतला देना चाहता हूँ। नागपुर के अन्दर सन्तरों की एक वैगन आठ रूपये में नीलाम होती है और दिल्ली में आपको एक दो और चार आने में एक संतरा नहीं मिलता। यह जो आपत्ति दिखाई देती है इसका बहुत कुछ हाल ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब से मिल सकता है। मैं एक और नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल गवर्नमेंट ने शहर के लोगों को सस्ता अनाज बेचने के लिए साढ़े 22 करोड़ रूपया खर्च किया और मैंने अभी पिछले सेशन में आपसे निवेदन किया था कि देहात में 24 रूपये से 4 रूपये गुड़ आ गया। जब गुड़ का भाव इतना गिर गया तो आसमान नहीं टूट पड़ा तो आज मेरी समझ में नहीं आता कि अगर गेहूँ का भाव 16 रूपये मन से 24 या 25 रूपये मन हो गया तो किस तरह से आसमान टूट पड़ेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए चूंकि हाऊस के पास समय बहुत कम है, केवल यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ और अपने मंत्रीमंडल को यह विश्वास

दिलाना चाहता हूँ कि देश के अन्दर कोई खतरनाक हालत नहीं है। यह देश किसानों का देश है। किसान सन् 39 और 40 की निस्बत आज बहुत आराम में है। अगर किसान खुश है तो देश भी खुश है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाव गिराने के लिये कोई कदम (action) उठाते भी हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार हों कि जिस वक्त अनाज के भाव गिरें तो उस वक्त आप किसान का अनाज उसी भाव से खरीदने का विश्वास दिलाये, जिस भाव से उसके घर पड़ता है।

विस्थापितों का पुनर्वास *

{संविधान सभा (विधायी) में 6 सितम्बर, 1948 को विस्थापितों के पुनर्वास के सवाल पर बहा में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने फिर दिल्ली में जतीन से बेघर किए गए लोगों को उचित मुआवजा न दिए जाने का सवाल उठाया और कहा कि जमीन अधीग्रहण पर सरकार इपना नजरिया बदले, पेसे की बात छोड दी जाए और जमीन के बदले में उसी कीमत के बराबर की जमीन दी जाए। उन्होने सरकार से आशा की कि जहां दूसरे भाइयों को बसाने के लिए पूरा यत्न करेगी वहीं अपनी स्कीमों से उजाडे गए लोगों को बसाने के लिए भी पूरा यत्न करेगी और जमीन व मकान की शक्ल में मुआवजा देगी-सम्पादक }

———————

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति जी, मैं पंजाब का होने के नाते इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रगट किये बगैर नहीं रह सकता। लेकिन, मेरे रास्ते में एक दो हिचक है। मैं ज्यादा पीछे की बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जहां पर आज हम बैठे हैं, यहां कुछ लोग आबाद थे – 25 और 30 साल पहिले उनकी जमीनें ले ली गई थी और जो बेघर कर दिये गये थे। उनमें से बहुत सारे आज तक भी बेघर हैं। जहाँ हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो पश्चिम (West) से भाई आये हैं उनको बसाया जाए तो उनके साथ साथ हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उन भाईयों को बसाने के लिए जिन्हें हम अभी उजाड़ेंगें, उन्हें बसाने के लिए मकान, ज़मीन या कोई दूसरा पेशे (Profession) का इन्तजाम करें। मैं

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062-63

अभी आपको एक दो बातों की मिसालें दूंगा। मेरे पास चन्द दिन हुए राजपुर गांव के लोग आये। हमारी सरकार का बड़े जोरों से प्रपेगन्डा है कि पैदावार बढ़ाई जाए। विशेषतया फल और तरकारी की पैदावार बढ़ाई जाए। राजपुर दिल्ली के करीब ही एक गांव है। उस गांव में बहुत सारे बाग़ात हैं। जिनको कटवा दिया जायेगा क्योंकि सरकार की स्कीम वहां पर मेडिकल इंस्टीट्यशन और दूसरे इंस्टीट्यशन बनाने की है। इस सिलसिले में वहाँ के लोगों की ज़मीन को एक्वायर (Acqiore) करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। हालांकि इसके मुकाबले में वहां पर पास ही उन मुसलमान भाईयों की ज़मीन पड़ी है जो पाकिस्तान चले गये हैं और उनकी ज़मीनें तकरीबन् खाली पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ ज़मीन जो राजपुर वालों से 25 साल पहिले ली गई थी वह भी खाली पड़ी है। इसके अलावा और भी ज़मीन उसके आसपास खाली पड़ी है जो बंजर है, जोकि बसाने के काम में आ सकती है। लेकिन पता नहीं कि इस तरह से क्यों गलती की जा रही है।

इसलिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो वह ज़मीन ली जाय जिसको मुसलमान भाई छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं। अगर, किसी भाई की जो यहां का रहने वाला है और खेती करता है ज़मीन ली भी जाए, जैसा कि बिल के अन्दर दर्ज है कि उसको मुआवज़ा रूपये के रूप में दिया जायेगा। मैं एक किसान और एक खेती करने वाले के नाते इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि ज़मीन का मुआवजा क्या होता है। आप उसको रूपया दीजियेगा, मगर उसका पेशा जो है वह इन रूपयों से पूरा नहीं होगा। अगर आप उसको दूसरा पेशा नहीं देते हैं तो आप हज़ार रूपया बीघा भी उसको मुआवज़ा देवें तो भी उसको कोई मुआवज़ा नहीं मिलता है। वह बेघर हो जाता है, न उसके पास मकान रहता है और न उसके पास पैसा रहता है। अत: उसे ज़मीन के बदले में ज़मीन दें।

इसका एक दूसरा रूख है। कल-परसों यहां हाउस के अन्दर बड़े जोरों के साथ मुद्रा प्रसार (inflation) के ऊपर गौर किया जा रहा था कि देश के अन्दर इनफ्लेशन है। इस इनफ्लेशन की निगाह से अगर आप उनको मुआवज़ा रूपये के रूपमें दीजियेगा तो इनफ्लेशन और बढ़ेगा। इसलिये मैं

यह चाहता हूँ कि आप उन लोगों की जो पाकिस्तान चले गये उनकी ज़मीन दें, जितनी कीमत की उनकी ज़मीन है और जो सरकार उनको मुआवजा देगी उसी कीमत की ज़मीन उनको उस में से मिल जानी चाहिये। मैं आपके सामने राजपुर गांव वालों की मिसाल दूंगा। राजपुर वालों ने मुझे बताया कि 25 साल पहिले उनका गांव जहां पहिले आबाद था उजाड़ दिया गया था। और आज वहां शहर बसे हुए हैं उसके लिए भी उनको खाली करने का नोटिस मिला है। कितनी दु:ख और करूणाजनक बात है कि वे लोग जो शहर वालों के लिए तरकारियां व फल पैदा करते हैं आज सरकार उन सब चीजों से उनको महरूम कर रही है। मैं आपसे इस चीज़ के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जहां आप पर पश्चिम से आये हुए लोगों को बसाने का कर्त्तव्य है वहां पर आपको जो इधर रहते हैं और जिनको आप उजाड़ रहे हैं उनको भी बसाने का पहिला कर्त्तव्य हो जाता है। मैं कहता हूँ कि हमको उन भाईयों को खुशी से बसाना चाहिये जो वैस्ट से आये हुए हैं। लेकिन, मैं इसके साथ ही साथ यह भी समझता हूँ कि जो लोग यहा खेती करते हैं और जिनकी जमीन है, वे कोई बड़े बड़े ज़मींदार लोग नहीं हैं, जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा। उनके पास हजारों बीघा ज़मीन नहीं है। किसी के पास दो एकड़ ज़मीन है, किसी के पास पांच एकड़ ज़मीन है और किसी के पास दस एकड़ ज़मीन है। अगर, आपने बड़ी-बड़ी इमारत बनाने के लिए उनकी यह ज़मीन ले ली, तो मैं पूछता हूँ कि उनका क्या हाल होगा और उनके लिए आपने क्या हल निकाला है। मैं ज्यादा इस बात पर नहीं जाता हूँ। मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसा कि इस बिल में देखा गया है कि उनको उनके बदले में रूपया दिया जायेगा। इससे उन लोगों को संतोष नहीं होगा। रूपया उनके लिए कुछ चीज़ नहीं है। उनको तो पेशा और मकान चाहिये। आप उनको ज़मीन के बदले में उतनी ही कीमत की ज़मीन उनके गांव के आसपास में दीजिये जो इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि, जो लोग पाकिस्तान गये हैं, वे लोग ज्यादा हैं। मैं मानता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको भी ज़मीन मिलनी चाहिये। मगर, हम उनको नये सिरे से बसा रहे हैं, उनको मत्स्य-यूनियन, सी.पी, यू.पी. और दूसरी रियासतों में बसा

सकते हैं। मगर, जिन लोगों को जोकि यहां बसे हुए हैं, जिनका आप उजाड़ रहे हैं, तो उनको उसके ही आसपास कोई उसी कीमत की ज़मीन मिलनी चाहिये। इससे उन लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार का काम भी पूरी तरह से हो जायेगा। जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको तो मजबूरन अपनी ज़मीन और घरबार छोड़ना पड़ा है। मगर, यहां हम उनको अपने हाथों से बेघरबार कर रहे हैं। और हम अपनी स्कीमों को पूरा करने के लिए उनको बेघरबार कर रहे हैं, तो, यह हमारा फर्ज़ हो जाता है कि उनको मकान के बदल में मकान, और ज़मीन के बदले में ज़मीन और पैसे के बदले में उनको पैसा देना चाहिये।

मुझे इस बात का दु:ख है कि, अगर हम यह समझते हैं कि रूपया लेकर वह अपना पेशा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह आपका अन्दाज़ा गलत है, वह कोई पेशा नहीं कर सकते हैं। यह पुश्तों से खेती करते चले आये हैं, उनके बापदादाओं ने खेती की है और वह भी खुद खेती करते हैं और कोई दूसरा पेशा नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे यह कहूँगा कि इस बिल के अन्दर जो पैसे की शर्त है, उसको छोड़ दिया जाए और उसकी बजाय यह रख दिया जाए कि उसको ज़मीन के बदले में उसी कीमत के बराबर की ज़मीन दी जाएगी। कई साहब कहते हैं कि उनको सन् 1939 ई0 की कीमत पर मुआवजा देना चाहिये, तो मैं पूछता हूँ कि उसने जो घर बनाना है, ज़मीन खरीदनी है वह उसे आजकल खरीदनी है, न कि सन् 1939 ई0 में खरीदनी है। आजकल ज़मीन और मकानों की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं अपने गांव की मिसाल देता हूँ आप वहां कोई भी ज़मीन का टुकड़ा 2000 रू. बीघा के हिसाब से भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ और पुरजोर अपील करता हूँ और अपनी भारतीय सरकार से यह आशा रखता हूँ कि जहां वह दूसरे भाइयों को बसाने के लिए अपनी ताकत लगाएगी वहीं अपनी स्कीमों से उज़ाड़े हुए लोगों को बसाने के लिए भी पूरा यत्न करेगी और उनको ज़मीन व मकान की शक्ल में मुआवज़ा देगी।

'अनाज उपजाओ अभियान'*

{देश में चल रहे अनाज उपजाओं अभियान पर बहस में हिससा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने 3 फरवरी, 1949 को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि किसान आपके लिए अनाज पेदा करे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भर न रहे तो आपको किसानों के दु:खों को सुनना ही पड़ेगा और इसका इलाज भी करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए अनेक उदाहरण देकर बताया कि किसान के प्रति उसका नजरिया भेदपूर्ण है।– सम्पादक }

———————

माननीय सभापति महोदय, मैं जयरामदास जी और प्रोफे सर रंगा से 16 आने सहमत हूँ। मेरे कई एक दोस्तों ने जोर दिया है कि "Grow More Food" के अन्दर कोई खातिरखाह तरक्की नहीं हुई है। मेरे साथी सरदार भूपेन्द्र सिंह मान तो हद से भी बाहर चले गए। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि जितना आपने गुड़ डाला है या जितना आपने मीठा डाला है, आपका शरबत उससे ज्यादा मीठा हुआ है।

जब कोई घबराया हुआ इस हाऊस से कहता है कि जो रूपया खर्च हुआ है उसका हमें पूरा बदला नहीं मिला है, तो मैं इसको दूसरे ढंग से समझता हूँ। इस हाऊस के अन्दर बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिनका खेती करने वालों से कोई वास्ता नहीं है। खेती पर जब उन्हें कोई रूपया जाता दिखाई देता है तो वह उन्हें भाता नहीं, चूंकि वह पढ़े-लिखे लोग हैं और उन्हें अच्छे ढंग से बोलना

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 1, 3 फरवरी, 1949, पृष्ठ 148–52

आता है और वह उस रूपये को किसी दूसरी तरफ़ डालना चाहते हैं, इसलिये वह कह देते हैं कि खर्च फिजूल किया है। मैं आपको आंकड़ों के द्वारा यह बतलाऊंगा कि आपने कितना कम रूपया खर्च किया और आपको उसके बदले में कितना वापस (त्मजनतद) मिला। सरकार की रिपोर्ट के बारे में सिधवा साहब ने यह शिकायत की है कि यह रिपोर्ट देर से मिली।

यह दुरस्त है कि देर से मिली, लेकिन, चूंकि मुझे इस चीज़ से प्रेम है इसलिए मैंने उसका एक एक शब्द पढ़ा। यदि उन्हें भी इस चीज़ से प्रेम होता तो वे शिकायत तो बेशक करते लेकिन यह नहीं कह सकते थे कि वह पढ़ कर नहीं आये हैं। जो शहर के रहने वाले हैं, उन्हें खेती से न कोई प्रेम है और न कोई वास्ता। वह बहाने बना सकते हैं और अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, अंग्रेजी के भारी-भरकम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि रूपया फ़िज़ूल ख़र्च हुआ है, तो मैं आपको यह बतलाना चाहता था कि थोड़े से रूपया के अन्दर हमने कितनी तरक्की की है। आप वह नक्शा उठायें जो आपने सन् 47 व 48 का दिया है। उससे आपको पता चलेगा कि मद्रास के अन्दर एक साल में 8141 कुँए बने। अब देखिये कि मद्रास को आख़िर आपने रूपया कितना दिया था।

श्री महावीर त्यागी : मद्रास के पास इसके अलावा और भी रूपया है।

चौधरी रणबीर सिंह : सरकार ने कुल चार लाख रूपया इसके लिए दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त त्यागी जी एक किसान हैं और मेरी तरह से किसानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। लेकिन उन्हें आलोचना का शौक है और कुछ और भी ख्याल है। मैं मानता हूँ कि यह जो कुवें बने वह सब सरकार के खर्चे से नहीं बने हैं, पर इस चार लाख से कुछ प्रचार तो जरूर हुआ होगा और लोगों को उस तरफ रागिब किया होगा कि वह कुवें बनावें। मद्रास के अन्दर तकरीबन आठ हज़ार से कुछ ऊपर कुवें बने हैं और सरकार का चार लाख रूपया खर्च हुआ है।

इसी तरह सी.पी. में 5300 कुँए बने और आपकी सरकार ने कितना रूपया दिया? सी.पी. और बरार के लिए जो आपने ग्रांट दी खेती करने वाले

के लिए वह 1.2 लाख रूपया थी, और जो आलोचना त्यागी जी ने की है, उसका भी जवाब मौजूद है कि आपने 49.7 लाख कर्जा भी दिया। तो इस तरह से आप सारा हिसाब लगायेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारा रूपया जो दिया गया वह 1.7 करोड़ था और उसके बदले में 23 हज़ार कुँए बने। या तो हम मान लें कि यह आंकड़े गलत हैं और अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमें मानना होगा कि हमें काफी रूपया वापस मिला।

मैं समझता हूँ कि हमारी (Privincial) सरकारों की जा एजेन्सी आंकड़े इकट्ठा करने की है अगर उस पर रूपये में दस आना बारह आना भी ऐतबार किया जाये तो भी मैं समझता हूँ कि यह आंकड़े ज्यादा हिम्मत दिलाने वाले आंकड़े हैं। इसी तरीके से पीछे की बात कही जाती है कि सन् 43 से 46 तक इस सिलसिले में 16,16,84,159 रूपया खर्च हुआ है। तो इस रूपये में उनको और भी चीजें जैसे खाद वगैरह भी दी गई थी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा के लिए रहेगी चाहे उसे देने वाली सरकार रहे या न रहे। 50,000 कुँए हैं जोकि बनाये गये।

इस सिलसिले में मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिछले साल हमने देश के लिए दूसरे देशों से 129 करोड़ रूपये का अनाज मंगाया, मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं हैं, और वह अनाज हमारे वकील भाइयों और शहरी भाइयों को और पढ़े लिखे आदमियों को सस्ता बेचा जिससे हमारी सरकार ने 28 या 29 करोड़ का एक साल के अन्दर घाटा खाया। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि सरकार हर साल 28 या 29 करोड़ का घाटा महंगा अनाज दूसरे देशों से खरीद कर सस्ता बेच रही है तो उसपर तो कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता बल्कि दूसरी किस्म की बातें कही जाती हैं। दूसरी तरफ जहां आपने तीन साल के अन्दर सिर्फ 16 करोड़ रूपया दिया उसके लिए इतना शोर है। मैं तो इसका अर्थ बिलकुल दूसरे ढ़ंग से समझता हूँ जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि यहां बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हुए हैं जिनका खेती करने वालों से न कोई तालमेल है और न वह उनकी तकलीफें समझते हैं।

एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं यह तो नहीं मानता कि तरक्की

बिलकुल नहीं हुई, लेकिन मैं मानता हूँ कि कठिनाईयां हैं और उन्हें बहुत अच्छे ढ़ंग से हमें सोचना होगा। हमारी सरकार को, सरदार वल्लभभाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और हमारे जयराम दास जी को उनका हल निकालना होगा। आप चाहते हैं कि देश को ज्यादा अनाज मिले। देश के लिए ज्यादा अनाज हासिल करने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो लोग अनाज पैदा करते हैं उनको आप कहां तक खुश करते हैं, उनकी मानसिकता को आप कहां तक बदलते हैं। जिस वक्त जैराम दास जी बोल रहे थे उस वक्त मेरी बहिन रेनुका ने तम्बाकू के बारे में कहा था। कोई पहले का वक्त होगा, 100 या 200 वर्ष पहले का, जब किसान को अपने नुकसान का पता नहीं होता था। आज बहुत सारे किसान पूरे नहीं तो आधे परधे जागे हुए हैं। अगर कोई आदमी यह चाहता है कि जिस फसल से उनको ज्यादा रूपया मिलता है उसको वह एकदम बन्द कर दे तो यह आसान काम नहीं है। हमारे रंगा साहब ने कहा कि शायद कोई सरकार मजबूर कर देगी। मैं तो उससे भी ज्यादा कहता हूँ।

मैं कहता हूँ कि पिछली दफा यह अखबारनवीस और दूसरे भाई बड़े ज़ोर से यह बात कहा करते थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर बलवा हो जाएगा यदि शहर वालों के लिए सस्ता अनाज नहीं मुहय्या हुआ। तो, मैं यह कहता हूँ कि उन बलवा करने वालों के हाथ में न दम है और न तलवार है। जिन आदमियों को आप मजबूर करना चाहते हैं या जिनको आप दबाना चाहते हैं उनके हाथ मजबूत हैं और उनके हाथ में तलवार है। बलवा हुआ तो ऐसी चीजों से होगा। इसलिये आपकी अपने किसानों को ऐसी बातों के लिए मजबूर न करना चाहिये जिसमें उनका कुछ फायदा न हो। अगर आप चाहते हैं कि किसान आपके लिये अनाज पैदा करे, अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भरन रहे तो आपको किसानों के दु:खों को सुनना ही पड़ेगा। और उसका इलाज भी करना पड़ेगा। आप बेशक कितने ही हथियार रखें, कितने अच्छे ढंग से पढ़ायें लिखाएं, कितना ही कहें कि अनाज उपजाओ अभियान फे ल हो गया इसलिए हम रूपया नहीं देना चाहते हैं, पर इससे कुछ काम नहीं चलेगा। कितने ही देहात के लोग अनपढ़ हों लेकिन, वह आज जागृत जरूर हैं। मेरे भाई सिधवा साहब तो मज़दूरों की बात करते हैं। मैं उनसे

कहता हूँ कि यह हिन्दुस्तान किसानों का देश है, अब किसान सोये हुए नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं और हमारी सरकार और पार्टी चाहती है कि वह राज करें, वह जिन्दा रहें, तो उनको किसानों की बात सुननी होगी।

मैं कुछ एक बातें आपको इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि किस तरह से हम किसानों को रागिब कर सकते हैं जिससे वह ज्यादा अनाज पैदा करें। उनको क्या प्रोत्साहन हम दे सकते हैं कि हौसला मिले। वह दो चार बातें जो रंगा साहब ने कही उनके अलावा मैं कहना चाहता हूँ। आज जब हम देहात में जाते हैं तो हर एक देहात वाला हम से कहता है कि जरा सोचिये और बताइये, रोहतक ज़िला यहां से 44 मील के फासले पर है, वहां चने का भाव इस वक्त आठ रूपए है। उसके मुकाबले में दिल्ली है, यहां 14 रूपए का भाव है। आखिर इससे किसको आप खुश कर सकते हैं, किसके दम पर हुकूमत चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं .

श्री देशबन्धु गुप्ता : पूर्व पंजाब की सरकार जिम्मेदार है।

चौधरी रणबीर सिंह: यह तो मुझे पता नहीं कि कौन सी सरकार इसकी उत्तरदायी है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि ईस्ट पंजाब की गवर्नमेंट का यह हुक्म नहीं हो सकता क्योंकि उसके अन्दर कम से कम पांच आदमी ऐसे हैं जो किसान घरानों में पैदा हुए हैं जिनको उनके भाई और रिश्तेदार मजबूर कर सकते हैं कि वह किसानों के नुकसान में न रहें। मैं इसको इस ढंग से समझता हूँ कि उनके ऊपर दबाव से करवाया जाता है, या वे दूसरे अखबार वालों के दबाव से करने पर मजबूर हो जाते हैं .....

पं0 ठाकुरदास भार्गव : ईस्ट पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं दो एक बातें और कहना चाहता था। मसला भी ऐसा था, लेकिन कुछ तो घंटी बज चुकी है। मेरा दिल तो था कि कम से कम दस पंद्रह मिनट और भी बोलूं पर इस बात को खत्म करके मैं कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि सभापति जी, क्योंकि यह किसानों का मसला है, इसलिये मुझे थोड़ा समय देंगे।

आज खास तौर से नौ बजे कागज़ात मिलने के बावजूद मैंने इसका

एक एक शब्द पढ़ा है, इसलिये मुझे और भी आशा है कि कुछ सुविधा सभापति जी ज़रूर देंगे।

मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि अनाज किसान ज्यादा पैदा करे, तो आपको यह चीज़ हटानी पड़ेगी। आपको जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें से देख लीजिये। आप चावल को ले लीजिये। सी.पी. सरकार चावल 11 रूपए 6 आना प्रति मन के हिसाब से हासिल करेगी। इसी तरह मद्रास के अन्दर चावल 6 रू. 14 आना 3 पा. के हिसाब से किसानों से हासिल किया जायेगा। लेकिन जो सरकार देगी, मेरा मतलब यह नहीं कि उन्हीं सूबों की बल्कि आखिर हिन्दुस्तान एक देश है हिन्दुस्तान की कोई न कोई सरकार जो लोगों को देगी उस भाव का भी आप अंदाजा लगाइये। यू.पी. के अन्दर (Issue Price) 30 रू. मन होगी चावल की। बम्बई के अन्दर 34 रू. 2 आ. 8 पा. प्रति मन के हिसाब से चावल दिया जाएगा। इसी तरह से आप गेहूँ का हिसाब ले लीजिये। राजस्थान के अन्दर गेहूँ 10 रू. प्रति मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। (Procurement scheme) के तहत। दिल्ली के अन्दर 14 रू. 8 आ. के हिसाब से हासिल किया जायगा। दिल्ली के अन्दर एक और अजीब बात है कि दिल्ली में जो लोगों को दिया जाएगा वह 12 रू. कुछ आने प्रति मन होगा। लेकिन दूसरे सूबों में (Issue price) जिस पर गवर्नमेंट देगी वह भी आप अन्दाजा करके देखिये। हैदराबाद के अन्दर 25 रू. 3 आ. प्रति मन के हिसाब से सरकार देगी। सी.पी. के अन्दर 20 रू. 3 आ. के हिसाब से दिया जाएगा।

इसी तरह से दूसरी चीज़ें ले लीजिये। चना लीजिये। वह जयपुर के अन्दर 6 रू. 3 आ. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। ईस्ट पंजाब के अन्दर 8 रू. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ़ 5 रू. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। लेकिन सौराष्ट्र के अन्दर 16 रू. 11 आ. में और यू.पी. के अन्दर 12 रू. 10 आने में बेचा जाएगा। आप ज़रा सोचें यह देश किसानों का है और किसान भी वह लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जो आपकी इस बात को नहीं समझ सकते कि यह ईस्ट पंजाब सरकार का कसूर है, या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का या दूसरी सरकार का कसूर है, या अखबार वालों का है। वह

समझते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। अगर आप चाहते हैं कि वह ज्यादा अनाज पैदा करें तो आप यह कीजिये कि (highest procurement price) और बेचने की कीमत, जो हिन्दुस्तान में हो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये। इतना फर्क हो जितना कि किराया लगे। इससे ज्यादा होगा तो आप याद रखिये आपकी सरकार के पास चाहे जितनी मज़बूत पुलिस हो, कितनी ही ताकत आपके पास हो, काला बाजारी नहीं रोक सकेंगे। काला बाज़ार गर्म रहेगा।

एक और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो आपको आंकड़े मिले हैं इससे आप देखें; कभी कभी कहा जाता है कि किसान जो हैं वह काला बाजारी करता है, लेकिन आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात कुछ हद तक दुरूस्त नहीं है और करता भी है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज, हुकूमत और हमारे ढंग पर है। क्योंकि जब फसल आती है उस वक्त अनाज का मुल्य कुछ होता है लेकिन जब फसल के बोने का वक्ता आता है तो वह भाव दूना और तिगुना होता है। अगर आप यह चीज़ कर सकते हैं कि फसल के वक्त में और बोने के वक्त में तकरीबन एक आध रूपये से ज्यादा का फर्क हो और इससे ज्यादा फर्क न होने दें तो किसान जितना उसके पास फालतू अनाज होगा वह अभी अपने पास न रख छोड़ेगा। दिसम्बर के पहले सप्ताह में हिन्दुस्तान में अनाज के 1947 के भाव का (Index) 100 था तो आपको पता लगेगा कि अप्रेल 1948 के अन्दर पूर्वी पंजाब गेहूँ की कीमत का (Index) नम्बर 130 था और फिर नवम्बर के अन्दर 234 था। यह फसल और बोने के वक्त का फर्क है। अगर इसको आप ठीक कर सकते हैं तो किसान किसी हद तक राज़ी हो सकते हैं।

एक चीज में पंजाबी होने के नाते कहना चाहता हूँ। हमारे पंजाब को तकरीबन 54 लाख रूपए कुओं के लिये दिया गया था लेकिन चूंकि पंजाब के अन्दर पिछले साल उथल पुथल हुई, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ गए, अमन नहीं रहा, वहां कुए नहीं बन सके। मैं अपने माननीय मन्त्री साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वह रूपया पंजाब को जरूर दें। इससे जो आगे का हिस्सा है उसमें कोई कमी नहीं होने दें। क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा इलाका है जिसमें कुए खोद कर ज्यादा से ज्यादा आपके लिये अनाज पैदा किया जा सकता है।

मैं अब ज्यादा हाऊस का समय नहीं लेना चाहता और इसके साथ साथ मैं माननीय मन्त्री साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ कि उनका जो आलोचना की गई है, वह सोलह आने गलत है, और जो उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान अगर चाहता है कि उसकी तरक्की हो तो उसको खेती की तरक्की पहले करनी होगी, सोलह आने सही है।

विशेष विधेयक*

{दिन्नांक 21 मार्च, 1949 को संविधान सभा (विधायी) में विशेष विधेयक-1949 पर बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह के इस भाषण का महत्व इस बात में है कि देश को आजदी मिलने के कुछ समय बाद ही स्थिति को जिस अंदाज में वह देख रहे थे वह एकदम स्पष्ट थी कि विकास की दिशा क्या हो। वह कहते हैं कि अगर हमने अपनी कृषि की हालत को नहीं सुधारा और उत्पादन को नहीं बढाया तो हमारा देश जो आजाद हुआ हे वह आर्थिक दृष्टि से आजाद नहीं रहेगा।.....हमें सोचना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि-अर्थव्यवसिा होनी चाहिए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था।....हमें कृषि, खेती को पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी। -सम्पादक }

———————

सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए तकरीबन डेढ़ साल से ज्यादा हो गया। इससे देश में परिवर्तन आया और यदि कोई भाई यह समझे कि इस परिवर्तन के साथ हमारी सरकारी ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि वह गलती पर है। यह इसलिए कि यह एक ऐसा देश था जिसमें चन्द साल पहले एक नहीं कोई चौबीस-पचीस लाख इन्सान भूख की वजह से मर गए, उनके पास अनाज नहीं पहुंच पाया। हमारे आजाद होने के बाद बल्कि जिस दिन हमें आजादी मिली, उसी दिन से हमारे देश में हज़ारों आदमी बेघर होना शुरू हो गए और लाखों की संख्या में बेघर होकर इधर से उधर गए। मैं यह समझता हूँ कि जो भाई यह समझते हैं कि परिवर्तन नहीं आया, वे जरा शान्ति से इस बात को सोचें। आज से तीन चार साल पहले

---

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1680-83

आदमी अपने घरों पर थे, वह बेघर नहीं हुए थे। इसके बावजूद भी देश की आर्थिक स्थिति के कारण या कुछ और भी कारणों की वजह से पच्चीस लाख के करीब आदमी भूखों मर गए। लेकिन, आज़ाद होने के बाद इस देश में देखा, कि एक करोड़ से ज्यादा आदमी बेघर हुए। लेकिन, उनमें से एक इन्सान भी भूखा नहीं मरा।

इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जो भाई यह कहते हैं कि देश के आज़ाद हो जाने के बाद सरकार के ढंग में तब्दीली नहीं आई वह गलती पर हैं। हमारे ढंग में, हमारे कार्यक्रम में बड़ी भारी तबदीली आई और इसी तबदीली के कारण यह हुआ कि हालांकि इतने हमारे भाई इधर से उधर गए या उधर से इधर आए और उनको आज भी बहुत सी तकलीफात हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भूखों नहीं मरा। जो कई तकलीफात मौजूद हैं तो इस सिलसिले में आलोचक भाई यह भूल जाते हैं कि यह देश एक गरीब देश है जिसकी अपनी सीमा हैं। इस देश में हजारों लाखों देहात ऐसे हैं जिनके अन्दर न कोई अस्पताल है, न कोई स्कूल हैं और न कोई दूसरी आराम की चीजें हैं। लेकिन जो भाई बेघर होकर आए उनके लिए तकरीबन हर एक जगह स्कूल का इन्तजाम हुआ, हर एक जगह उनके लिए दवा दारू का इंतजाम हुआ। मैं पिछले साल कुछ मेंबर दोस्तों के साथ केन्द्र सरकार का कैम्प देखने के लिए कुरूक्षेत्र गया था। मैंने वहां पर अस्पताल की हालत देखी और डाक्टर से बातचीत की। डाक्टर ने हमको बताया कि देश की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो हमारे जरूरत की हो और यहां न आती हो। इस देश के अन्दर लाखों देहात ऐसे हैं कि जहां कुनैन भी नहीं पहुंचती है। जिस देश का ढांचा ऐसा हो, जहां की आर्थिक हालत ऐसी हो, उन हालात में जो कुछ काम हुआ वह कोई कम काम नहीं है।

लेकिन, इस सब के बावजूद, मैं कहना चाहता हूँ कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है। इसके अन्दर 85 फीसदी आदमियों की रोटी का वास्ता सीधे खेती से है। एक मिनट के लिए अगर आप नम्बरों को भी अपने ध्यान से छोड़ दें और अपने ध्यान से यह हटा लें कि इसमें इतने आदमी लगे हैं और इस वजह से खेती को महत्व न दें तो भी आप यह मानेंगे कि इस देश के

अन्दर आज ऐसी हालत पैदा हो गई है कि अगर हमने अपनी कृषि की हालत को नहीं सुधारा और उत्पादन को नहीं बढ़ाया और ठीक नहीं किया तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ है वह आर्थिक दृष्टि से आज़ाद नहीं रहेगा। इस नुक्ते निगाह से ही हमको अब यह सोचना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थ-व्यवस्था होनी चाहिए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था। मुझे इस बात पर ज़रा भी विरोध नहीं है और मैं इस बात को मानता हूँ कि यह देश जिस हालत में आज़ाद हुआ है और आज भी जो हालत हैं, इस अवस्था में अगर हमारे देश में एक मजबूत फौज़ नहीं हुई तो हमारी आज़ादी एक स्वप्न बनकर रह जाएगी।

मैं मानता हूँ कि आज़ाद देश में बहुत से कारखाने होने चाहिएं। लेकिन, इस सब के बावजूद कुछ बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। यह अब ऐसा वक्त आ गया है कि इस वक्त हमें कृषि, खेती को पहली प्राथतिकता देनी पड़ेगी अपने देश की इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, हर एक सूबे के अन्दर और केन्द्र के अन्दर इंडस्ट्रियल फ़ायनेंस क़ारपोरेशन चालू किए गए हैं। लेकिन, मैं आपसे यह कहता हूँ कि इस देश के अन्दर, जो कि कृषि प्रधान देश, सबसे पहले अगर कोई फाइनेंस कारपोरेशन बनना चाहिए था, तो वह एग्रीकल्चरल फायनेंस कारपोरेशन बनना चाहिए था। क्या आपने या किसी सूबे ने कोई एग्रीकल्चरल फायनेंस कारपोरेशन जारी की? अगर आप चाहते हैं कि आप जो 130 करोड़ या 133 करोड़ रूपए सालाना का अनाज दूसरे देशों से मंगाते हैं और जिसकी वज़ह से न आप कारखानों की मशीनें मंगा सकते है, न कोई और दूसरी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि यह हालत बदल जाए, तो क्या आप समझते हैं कि खेती करने वालों के भावों की चोट लगाकर आप बदल सकते हैं? कई भाइयों ने कई विचार प्रकट किए हैं। हमारे एक भाई ने अपने बयान में जिक्र किया कि गन्ने की कीमत कम कर दी जाए, ताकि किसान ज्यादा बो सकें। लेकिन, मैं उनसे और अपनी सरकार से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषक मशीन नहीं है, कृषक एक इन्सान है, उसके भाव को अगर आपने चोट लगाई तो आप कभी अपने मसलों को हल नहीं कर पावेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश अनाज के हिसाब से एक आत्म-निर्भर देश हो तो आपको कम से कम एक बात जरूर करनी पड़ेगी, वह यह कि

आप खेती को प्रोत्साहन दीजिए ताकि वह ज्यादा पैदा करे, और वह इनसेंटिव आप किस ढंग से दे सकते हैं। त्रिपाठी जी और मैं साथ थे जब हमने मिस्टर डाड से बातें की। मिस्टर डाड ने हमें बताया था कि अमेरिका में वह तब तक ज्यादा पैदा नहीं करा सके, जबतक कि अमेरिका की सरकार ने किसानों को यह यकीन नहीं दिलाया कि सरकार खास भाव पर अनाज जरूर खरीदेगी।

मैंने कई एक दफा हमारे कृषि मंत्री साहब से बातें की और उन्होंने बताया कि देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि सरकार इस बात का जिम्मा नहीं ले सकती। मैं इस बात के लिए पूरा जोर देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर ज्यादा अनाज पैदा हो तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप इस जिम्मेवारी को लें। चाहे यह कितनी ही मुश्किल हो या चाहे इसमें कितना ही खतरा हो। अगर, आप चाहते हैं कि ज्यादा अनाज पैदा हो तो आपको यह जिम्मा लेना होगा कि खास भाव तक अगर देश के अन्दर कोई दाम देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार खरीदेगी।

इस सिलसिले में एक और सुझाव देना चाहता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि सरकार को बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा। देश के अन्दर बिचौलियों की एजेन्सी इतनी लम्बी चौड़ी बढ़ गयी है और बढ़ती ही जा रही है। यदि आप इस मिडिलमैन की एजेन्सी को कुछ देर के लिए कम कर दें और मैं समझता हूँ कि चूंकि उनके पास कुछ अपना धन भी हैं इससे ज्यादा तकलीफ उनको नहीं होगी। कोआपरेटिव कंज्यूमर्स सोसायटी और कोआपरेटिव प्रोड्यूसर्स सोसायटी को तरक्की देवें। आज हम क्या देखते हैं? लोग बड़ी आवाज से किसानों से मांग करते हैं कि ज़्यादा अनाज पैदा करो। लेकिन हम देखते हैं कि अनाज की कीमत, जो तय की जाती है, तकरीबन वह पहले से कम की जाती है और कन्ट्रोल करते हुए कपड़े की कीमत जो मुकर्रर की जाती है तो वह 25 परसेंट ज्यादा तय की जाती है।

आज ही सोंधी साहब से बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कारखानेदार सबसे कम कीमत पर पैदा करके देश को और दुनिया को कपड़ा दे सकते हैं तो इसमें हमारे देश की भलाई जरूर है। इसके बावजूद मैं यह समझता हूँ कि चाहे दुनिया में आपके यहां सबसे कम कीमत हो इससे

आप आम आदमी को राजी नहीं कर सकते कि कपड़े की कीमत 25 फीसदी ज्यादा बढ़ा दी जाए और उसका किसान पर असर भी न हो। आसानी से यह चीज़ हल की जा सकती है, क्योंकि बिचौलिये को तकरीबन 25 फीसदी का मुनाफा दिया जाता है। मैं आपको यह भी नहीं कहता कि कीमत को घटा दीजिये। अगर घटा सकते हैं तो बेशक घटा दें। लेकिन, अगर घटा नहीं सकते तो कम से कम बिचौलिये को हटा दीजिए और सब डिलीवरी कोआपरेटिव सोसायटी को दिला दीजिए। आपूर्ति जिला और प्राविंशियल सहकारी इकाई को दिलाइए इससे लाभ किसान को पहुंच जाएगा और देहाती यह समझेगा कि देश की जो सरकार है यह मेरे लिए है और सरकार का ध्यान अब कृषि की उन्नति करने के लिए लग गया है।

मैं आपसे नम्र निवेदन इन दो चीज़ों का करना चाहता हूँ। एक तो कृषि वित्त निगम को आप जल्द से जल्द स्थापित करें, ताकि लोग यह समझ पायें कि सरकार इस बात में लगनशील है कि ज़्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें। और जो निगम, जमीन सुधारने के लिये, टैऊक्टरस खरीदने के लिये कल ही मैं देखकर आया, पूसा संस्थान में, वहां हमने एक हल देखा जो दुगना काम कर सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार उसे तैयार करा कर देहात में भेजे, तो उसे देहात के लोग बहुत पसन्द करेंगे। वे यह समझेंगे कि सरकार की तबदीली के साथ-साथ उनकी भी किस्मत में तबदीली करने के लिये कोई तरक्की होने वाली है।

इसी तरह से दूसरी चीज़ जिसका कि मैंने पहले ज़िक्र किया था वह कीमतों की स्थिरता है। सरकार को चाहिये कि जो कृष्णामचारी कमेटी की रिपोर्ट है उसको कार्य रूप में जल्द से जल्द लाने का यत्न किया जाये। जब तक आप यह दो बातें नहीं करेगे, आप का विश्वास जीत नहीं सकते। जब तक आप उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस वक्त तक आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अधिक अनाज पैदा कर देगा। साथ ही, मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त उनके लिये कुछ नहीं कर सकते, तो फिलहाल आप कोई ऐसा कदम हरगिज न उठायें, जिससे किसानों को चोट पहुंचे।

एक छोटी सी चीज़ और है। आप देखिये कि रेल तार और हवाई जहाज की वजह से यह हिन्दुस्तान का मुल्क एक छोटा सा देश बना दिया गया है। बम्बई के अन्दर जो कीमत है, और पंजाब के अन्दर जो कीमत है, कृषक चाहते हैं कि उनकी कीमतों में एक दो रूपये मन से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि प्रोक्योरमेन्ट स्कीम अगर आप लागू करें तो खरीद और बेचने में इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये, जिससे रेल का और थोड़ा बहुत मिडिलमैन का खर्चा पूरा हो सके। मैंने प्रोक्योरमेंन्ट प्राईस पढ़ी हैं, आज मैं गलती से उसको लाना भूल गया, वरना मैं उसके आंकड़े इक्ट्ठा करके यह बतलाता कि एक जगह जो खरीद कीमत है, वह दस रूपया है, और उसी चीज़ की दूसरे मुकाम पर बेचने की कीमत उससे डबल है। अगर इतना ज्यादा फर्क होगा, तो आप कैसे किसान को यकीन दिला सकते हैं कि जो सरकार का सारा का सारा ढांचा है, वह उसकी मदद के लिये है। जब तक उसे यकीन नहीं दिला देते कि सारी सरकार की मशीनरी उसकी मदद के लिये है, तब तक आप अनाज़ की पैदावार नहीं बढ़ा पायेंगे।

आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल कृषि का है। जब तक अनाज और कृषि की तरक्की नहीं होगी, अनाज का आयात बन्द नहीं होगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि देश में कोई इन्डस्ट्री नहीं बढ़ पायेगी, और न ही दूसरी बड़ी-बड़ी समस्याएं हल हो पायेंगी। इसीलिये, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज ही इसका एलान कर दें कि कृषि वित्त निगम बनाने जा रहे हैं। देश के अन्दर ऐसी वित्त निगम बन जायेगी, तो उसमें बड़ा फायदा है। सरकार अगर इसी बात का जिम्मा ले ले कि जो उसकी प्रोक्योरमेन्ट प्राईस है उससे नीचे कीमत नहीं गिराने देगी। अगर आप इतना भी कर लेंगे, तो भी किसानों को प्रोत्साहन देंगे। मैं हाऊस का ज्यादा समय न लेते हुए यह विश्वास रखता हूँ कि मैंने जो हाऊस के सामने अपने सुझाव रखे हैं, उन्हें मन्त्री महोदय ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

निराक्षर नासमझ नहीं होते*

{चुनाव पद्धति पर कानून बनाते समय संसद एवं विधान सभाओं हेतु योग्ताओं का सवाल उठा। इस विषय पर अन्तरिम संसद में 4 अप्रैल, 1950 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने जो बात कही उससें देश का नया जनतन्त्र बेपटरी होते-होते बच गया। सदन में जोरदार ढंग से बात उठी कि संसद व विधान सभाओं के लिए केवल पढे-लिखे लोगों को ही चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार हो। इसका चौधरी साहिब ने तर्कसंगत ढंग से जोरदार विरोध किया। -सम्पादक }

———————

मैंने प्रस्ताव पर और श्री कामथ के संशोधन पर बार-बार विचार किया है तथा इस प्रस्ताव का विरोध करना तय किया है। विरोध करने का कारण यह नहीं है कि मैं किन्ही योग्यताओं को नहीं चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ और मेरा मानना है कि एक सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता देश की सेवा होना चाहिए। इस सदन का सदस्य होने से पहले देश और उन लोगों की किसी रूप में सेवा करनी चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व वह करना चाहता है। किन्तु दिक्कत तब होती है, जब ऐसी सेवा को टैस्ट किया जाए और कैसे जाना जाए कि उसने सेवा की है या नहीं? क्या तय करने का अधिकार अदालत को दें कि किसी ने देश सेवा के लिए या लोगों की सेवा में कुछ किया है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ऐसा करना ठीक होगा।

फिर, शैक्षिक योग्यताओं के बारे में यहां अनेक सदस्यों ने कहा है कि वे ग्रेजुएट होने की योग्यता को नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो यहां सदस्य बनकर आयें, उन्हें लिखना-पढ़ना आना चाहिए। जहां तक लिखने-

———————————

**संसदीय वाद-विवाद खण्ड 1, भाग 11, 4 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2546-2547)*

पढ़ने की बात है, मैं कह सकता हूँ कि यहां आने के बाद कोई भी (सदस्य) पांच दिन के अन्दर हिन्दी आसानी से सीख सकता है।

सेठ गोविन्द दास : किन्तु आप तो इसे भूल रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : नहीं। मैं इसे नहीं भूल रहा हूँ। न मैं इसे भूल सकता हूँ। यह मेरी राष्ट्रभाषा है।

मैं कह रहा था कि शैक्षिक योग्यता को लिखने और पढ़ने तक सीमित करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर, इससे अधिक की मांग को जैसा कहें कि मैट्रिक पास की सीमा हो तो मैं कहूँगा कि बहुत लोग हैं और हमारे प्रान्त में तो 10 या 15 साल तक मुख्यमन्त्री रहे हैं जो न मैट्रिक पास थे और न वे कभी स्कूल या कॉलिज ही गए। मैं इस बारे में सर सिकदर हयात खां का नाम ले सकता हूँ। दूसरे प्रान्तों में भी मैंने ऐसे मुख्यमन्त्री देखें हैं जो न कानूनी अथवा डॉक्टरी विधा में गेजुएट थे। मैंने ऐसे मित्रों को भी देखा है, जिन्होंने न ज्ञानी का कोर्स पास किया, न ऐसी किसी दूसरी परीक्षा पास की है, किन्तु उन्होंने देश का शासन अच्छे ढ़ंग से चलाया, जो शायद कोई स्नातक भी न चला सके। अत: प्रश्न उठता है कि एक सांसद होने के लिए कैसी योग्यता चाहिए? संसद के लिए ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो प्रशासनिक क्षमता रखता हो, बुद्धि रखता हो, मामले को जल्द समझता हो और अभिव्यक्ति की काबलियत रखता हो।

मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कानून के स्नातक हैं, ऐसे भी जो कॉलिज के प्रोफे सर हैं, किन्तु अच्छे सांसद साबित नहीं हुए। ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। आप हिटलर की मिसाल ले सकते हैं। हिटलर की विचारधारा से कोई असहमत हो सकता है। किन्तु, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसने अपने देश को थोड़े समय में ऊंचाई पर पहुंचाया, जो कोई स्नातक शायद इतने थोड़े समय में नहीं ले जा सके। विचार की मौलिकता का जहां तक प्रश्न है, मैं कबीर की मिसाल दे सकता हूँ, जो समूचे देश में प्रख्यात हैं। मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम जानना चाहते थे कि अनपढ़ आदमी ने देश को क्या दिया है? मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत कुछ समृद्ध किया है।

भूअधिग्रहण किसान को उजाडने का कारण न बने*

{भूमि अर्जन (सत्ता की निरन्तरता) संशोधन विधोयक पर अन्तरिम संसद में 15 मार्च, 1951 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने किसान की जमीन अधिग्रहण करने पर सुचारू नीति बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से किसान को बेधर व बेरोजगार न किया जाए। किसान के लिए किसानी का पेशा छोड़ना आसान नहीं है। -सम्पादक }

———————

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री ने स्वयं माना है, अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं कि वह ज्यादा मकान बना सकें और सरकारी मकान बनाने की वजह से उसकी जमीन को छोड़ सकें। इसलिए, पहले तो मैं यह समझता हूँ कि आने वाले काफी दिन तक मकानों की जो समस्या है, वह बनी रहेगी। मेरी समझ में यह आता है कि बजाय, इस कानून की साल दर साल मंजूरी ली जाये, इसको एक पक्का कानून बना दें। अगर कभी रद्द करने की आवश्यकता हो तो उस कानून को फिर उठा दें। इसके साथ-साथ दूसरा पहलू जो मैं कहना चाहता हूँ और जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है, वह भू-अधिग्रहण का है। जहां तक इमारत के अधिग्रहण का संबंध है और कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में जरूर कहना है। दिल्ली और

** संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4662–4665*

अजमेर में काफी कृषि भूमि मुख्तलिफ जरूरतों के लिए ली जा रही है। कृषि भूमि का जो अधिग्रहण है जैसा कि पहले सरकार करती थी, वह तो इसलिए था, चूंकि वह लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं थी और उसका रवैया किसी हद तक समझा जा सकता था। लेकिन, यह अफसोस की बात है कि किसी हद तक वैसा व्यवहार आज भी मालूम दिखाई देता है। कृषि भूमि के लिए 77 लाख में से जिसका जिक्र किया है, कितना मुआवजा देते हैं? मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन, बहरहाल कुछ लाखों का सवाल है और लाखों से एक आदमी का पेशा नहीं बन सकता है और एक आदमी जो खेती करता है, उसका कोई दूसरे पेशे में शामिल होना या उसके अन्दर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। पेशा अख्तियार करना एक आदमी का अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छा व्यवसायी होगा और घाटे वाला व्यवसायी होगा, अगर वह कारखाने की तरफ या दूसरी तरफ अपना ध्यान लगायेगा तो यह बहुत संभव है कि एक बहुत अच्छा और सफल काश्तकार उन कामों में लग कर असफल हो जाये। मैं इस बात को मानता हूँ कि देश की जरूरत के लिए हमें यह जरूरत रहेगी कि कृषि भूमि भी हम अधिगृहित करते रहें। उसके साथ-साथ, मैं इस बात पर मंत्री महोदय को जोर देकर कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृषि भूमि अव्वल में जहां तक हो सके, उसको छोड़ दें। क्योंकि, वहां काफी अन्न पैदा होता है। उसके बदले, जहां तक हो सके परती भूमि में से जमीन लें और उपजाऊ जमीन को छोड़ दें। परती जमीन पर जो सरकारी चीज बनाना हो वहां बनायें। अगर, किसी जरूरत के लिए वह समझें कि वे उस उपजाऊ कृषि भूमि को नहीं छोड़ सकते, तभी वे ऐसी जमीन पर अपना हाथ रखें या डालें, अन्यथा नहीं। लेकिन, उसके साथ-साथ, जैसाकि अधिग्रहण कानून में दर्ज है, बहुत मामूली सा मुआवजा देकर काश्तकार से अपना पल्ला छुटाना कोई अच्छी नीति नहीं है। पहले समय में जबकि हाउस के सामने सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह चीज अगर होती तो आश्चर्य न था। लेकिन, अब तो स्थिति बदल गई है। आज की सरकार इस सदन के प्रति पूर्णत: उत्तरदायी है। सरकार मेरे विचार में ऐसे आदमियों को, जिनको कि वह शरणार्थी बना

रही है, उनको जब तक वह पेशा न दे, उस वक्त तक मेरी समझ में सरकार का कोई हक नहीं रहता कि उनको विस्थापित कर दे। देश के अन्दर थोड़ी नहीं काफी परती भूमि है और अगर सरकार को उस भूमि को लेना आवश्यक ही हो, जिस पर कि काश्त की जा रही थी, या हो, तो बजाय इसके कि वह उस जमीन के एवज में काश्तकार को रूपया दें, वह परती भूमि को विकसित कर दें या जमीन देकर उतना मुआविजा और दे जिससे कि वह आसानी से उसको विकसित कर सके।

मेरा सदन से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, अगर यह स्थायी कानून बना दिया जाये और जैसा कि मैंने कृषि भूमि अधिग्रहण के बारे में कहा है, वे उसके ऊपर ध्यान दें।

न्यूनतम मजदूरी तय हो*

देश में मेहनत के एवज मिलने वाली मजूरी दर तय करने का प्रश्न महत्व का रहा है। इसके जरिये ही देश की उत्पादित दौलत के उचित बटवारे का सवाल तय होता है कि यहां गैर-बराबरी रहेगी अथवा नहीं। ग्रामीण (पारिपारिक श्रम पर टिकी किसानी) अर्थव्यवस्था एवं नगरीय (पूंजी आधारित औद्योगिक-व्यापारिक) अर्थव्यवस्था के बीच दूरी तथा संगठित व असंगठितम श्रमिकों की आय के बीच की बढती दूरी का सम्बंध मजदूरी दर को तय करने में बरती गए भेद से है। इस सवाल पर अव्तरिम संसद में न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक पर 17 अप्रैल, 1951 को चौधरी रणबीर सिंह ने अपना ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा नजरिया रखा। -सम्पादक }

———————

बिल का समर्थन करते हुए मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि मंत्री महोदय ने जो समय सीमा तय नहीं की है, इससे उन्होंने मजदूरों और देश की सेवा नहीं की है। मैं यह भी कहता हूँ कि इससे एक तरह से उन्होंने संसद के कुछ अधिकारों को भी छीनने की कोशिश की है। क्योंकि, अगर इसमें एक साल या दो साल की सीमा होती तो अगर सीमा बढ़ाने की जरूरत होती तो संसद को उस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता। जहां मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इसकी अवधि तय की जाय। मैं उन राज्य सरकारों के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता जोकि इस मसले की अहमियत को समझती हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर सबसे गरीब तबका

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 17 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6942–6946*

खेत मजदूर और देहात के मजदूर का है। लेकिन, इसको भी मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता, जैसा कि मेरे लायक दोस्त रथनास्वामी ने कहा कि आज अगर एक मिनट के लिए यह मान भी लिया जाता कि एकदम से बड़े-2 सरकारी अफसरों का वेतन सौ रूपये कर दिया जाये तो भी यह मुमकिन नहीं कि यह समस्या हल हो जाय।

मैं नहीं समझता कि यह समस्या तेजी से हल की जा सकेगी। यह समस्या बहुत बड़ी है और यह उस समय तक हल नहीं हो सकती, जब तक कि देश की पैदावार न बढ़े। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि राज्य सरकारें क्यों अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पायी हैं। एक बहुत बड़ा मसला छिपा हुआ है। वह यह है कि बड़े-बड़े कारखानों के मालिक चन्द बड़े आदमी हैं। उनकी आमदनी भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन, खेत के मालिकों का जहां तक ताल्लुक है, उनमें से बहुत से तो ऐसे आदमी हैं जो खेत मजदूर की तरह ही गरीब हैं। हो सकता है कि कुछ बड़े-बड़े जमींदार हों। लेकिन, जमींदारी उन्मूलन के साथ उनका तो खात्मा हो रहा हैं। इसके बाद छोटे-छोटे और खेत के गरीब मालिकों और खेत के मजदूरों का मसला रहता है। मेरा निवेदन है कि यह ठीक है कि खेत के मजदूर के साथ न्याय हो, और यह बहुत जरूरी भी है। उसकी मदद की निहायत जरूरत है। इसीलिये, पिछली दफा जब हाउस के सामने एक और मसला था तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर राशन किसी के लिए होना चाहिये तो वह खेत के मजदूर के लिए होना चाहिये। क्योंकि, वह सब से गरीब है और उसके अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि वह खुले बाजार में चीजों को खरीद सके। मेरे एक भाई ने बतलाया कि इन मजदूरों की संख्या सात करोड़ है। दूसरे ने बताया कि 15 करोड़ है।

मेरा दावा है कि जिन लोगों से इनका वास्ता पड़ता है, उनकी संख्या भी 15 करोड़ है। जहां आपको इन सात या 15 करोड़ के लिए सोचना है, वहां आप दूसरे 15 करोड़ के लिए भी सोचना बन्द नहीं कर सकते। यह बड़ा ही टेढ़ा मसला है। अगर आपको उनकी मजदूरी तय करनी है तो आपको यह भी तय करना होगा और देखना होगा कि खेत के अन्दर जो पैदावार होती है, जिसे

खेत का मालिक खेत के मजदूर की मदद से पैदावार करता है, उसको क्या मिल़ता है और उसी के मुताबिक आपको हर एक चीज का भाव तय करना होगा। आप ऐसा करने से इन्कार नहीं कर सकते। आज अपने देश में दुनिया के सब देशों से सस्ती कपास नहीं बिक सकती, जितनी कि आज बिक रही है। फिर, आप उद्योग के लिए सस्ता माल नहीं ले सकेंगे, जैसे कि आप आज शूगर फै क्टरी के लिए सस्ता गन्ना लेते हैं। जो लोग खेत के मालिक हैं, आज न कोई उनकी आवाज है और न उनकी तरफ से मजदूरी नियमित का कोई विरोध है। मै भी थोड़ी सी जमीन का मालिक हूँ।

मेरा यह विचार है और मैं सबसे पहले इस बात की वकालत करता हूँ कि सरकार के लिये अक्लमंदी यह है कि एक साल तो दूर रहा, वह इस चुनाव के पहले ही, उनकी कम से कम मजदूरी तय कर दे। वह उसको पूरा कर सकेगी या नहीं, यह बाद में देखा जायेगा। इससे चुनाव में काफी फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको ऐसे कई कायदे और कानून गिना सकता हूँ, जिनको संसद ने पास कर दिया है, पर आज तक उन पर अमल नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उस कानून को भी पूरा न कर सके तो कम से कम देश को एक रास्ता दिखाने में जरूर कामयाब होंगे। हो सकता है कि हमारी कोशिश एक साल नहीं तो डेढ़ साल के अन्दर कामयाब हो जाय। यही नहीं, मैं तो इसलिये भी चाहता हूँ कि अगर खेत के मजदूर की मजदूरी तय हुई तो कोई सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकेगी कि पैदावार के भी भाव तय करे, ताकि इससे काश्तकार को कुछ बच सके।

जहां देश की नीति बनाने में देश के मजदूर का हाथ होगा, वहां देश की नीति बनाने में उन आदमियों का भी जरूर हाथ होगा, जो मुश्किल से पांच एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ अथवा सात एकड़ के मालिक हैं। मैं यह अवश्य मानता हूँ कि जो खेत के मजदूर की हालात उनसे कमजोर है, जिनके पास चाहे दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन है। दो एकड़ और तीन एकड़ जमीन वाले की अवस्था उनके मुकाबले में अच्छी है। जैसा मेरे लायक दोस्त रथनास्वामी ने कहा कि देश के अन्दर लोगों के जीवन स्तर में बहुत फर्क है।

देहात में एक काश्तकार की जिन्दगी के स्तर और यहां सचिवालय के बड़े अफसर के स्तर में, जो 4 हजार तक तनख्वाह लेते हैं, कितना फर्क है? इसका आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिये भी यह चाहता हूँ कि जल्दी न्यूनतम मजदूरी तय हो।

इसके साथ ही, जब खेत के मजदूर की मजदूरी तय हो तो आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि खेत की पैदावार के लिये भी ऐसा भाव तय करें कि जिससे उसके लिये वह फायदेमन्द हो।

अब मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए आखिर में फिर दोबारा यह नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको 53 नहीं, सन् 52 से ही तय करें और अगर हो सके तो जैसा डाक्टर राम सुभाग सिंह जी कहते हैं, चुनाव के पहले ही कोई तारीख तय की जाय, वह शायद और भी अच्छा हो।

श्री गाडगिल : फिर जमींदार वोट नहीं देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : काश्तकार की कौन सुनता है? फिर भी इसके साथ-साथ वह इस बात पर भी गौर करें कि जो दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से जरा सी, थोड़ी बहुत, खेत के मजदूर की सहायता लेते हैं, क्योंकि जब काटने का वक्त होता है तो वह काट नहीं सकते, तो जिसने बोया और जिसने दिन रात मेहनत की और रखवली की, उसको भी पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा विरोध?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मीरा (मद्रास) : काफी सोच विचार के बाद और भी उपयुक्त हो।

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा मेरे लायक दोस्त ने कहा, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं उनको बताना

चाहता हूँ कि मेरी भी उतनी ही जोर की ख्वाहिश है, जितनी कि शायद उनकी हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि दो साल नहीं, एक साल नहीं, 4 महीने में ही मजदूरी तय कर दी जाय। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह करना कोई मुश्किल नहीं है। आप हर एक सूबे में एक-एक गाँव का एक महीने के अन्दर अन्दाजा लगा सकते हैं। दूसरे गांवों में जो हालत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उस हालत का पता लगाना, अगर सरकार चाहे, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूँ कि अगर वह 53 नहीं, तो 52 मान लें और ज्यादा कृपा करें तो 51 की ही कोई तारीख रख लें और इसको मंजूर करें तो अधिक अच्छा हो।

ज्यादा बिचौलिए, ज्यादा खराबी*

{कपडे के निर्यात पर अन्तरिम संसद में पुर्नसंकल्प आया तो 7 जून, 1951 को अपने विचार रखते चौधर रणबीर सिंह ने बिचौलियों की जमात को खारिज करने की बात उठाई। उनका कहना था कि कोई भी प्रणाली हो उसमें जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, उतनी ही ज्यादा खराबी होगी। साथ ही उन्होंने औद्योगिक उत्पाद की चीजों में लगातार कीमतों में हो रही बढत पर चिंता जताई। -सम्पादक }

———————

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहे बिना नहीं रह सकता कि एक दिन मेरे लायक दोस्त श्री अमोलक चन्द जी ने यह प्रश्न उठाया था कि जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं और जो पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, उनके दिल में जलन पैदा हो रही है कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिये जाते और मिल वालों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। मिल वालों को व्यापारियों की होड़ में आने का कारण विदेश में हमारा महंगा कपड़ा बिकना है। चूंकि उसके अन्दर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिये हर कोई आदमी उस होड़ में आना चाहता है। व्यापारी भी और मिल मालिक भी। मुझे तो व्यक्तिगत तौरपर इसमें कोई गिला नहीं होगा, अगर मिल वालों को लाइसेंस दे दिया जाये, क्योंकि इस तरह एक बिचौलिया खत्म होता है। हम जमीन के ऊपर से बिचौलिया खत्म करते हैं तो दूसरी जगहों पर भी बिचौलिया क्यों रहने दें? बिचौलिया को रखना मैं ठीक नहीं मानता। कोई भी प्रणाली हो उसमें जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, उतनी ही ज्यादा खराबी होगी।

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 7 जून, 1951, पृष्ठ 10426–10430*

इसके साथ साथ में यह बात भी कहे बगैर नहीं रह सकता, जैसा मेरे लायक दोस्त डाक्टर पंजाब राव देशमुख ने बताया, कि एक तरफ तो वह आदमी है जो कपास को पैदा करता है, धूप, गरमी ओर सरदी को सहता है, सारी तकलीफ उठाता है, ऐड़ी से चोटी तक पसीना बहाता है। एक तरफ वह आदमी है जो खेत में मुश्किल से कपास पैदा करके पैसा चाहता है, दूसरी तरफ मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया कि कपास के बचे-खुचे कचरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क देकर भी लाभ में रहता है। लेकिन, इसके बावजूद क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि जितनी कीमत कपास के पैदा करने वाले को सरकार देती है, उतनी कीमत तो कम से कम हर सूरत में व्यापारी कपास के बचे-खुचे कचरे बाहर भेज कर हासिल कर लेता है। तो, क्या जो कपास का पैदा करने वाला है, उसकी कपास की कीमत कपास के बचे-खुचे कचरे के बराबर लगाई जायेगी ?

क्या यही आपकी सरकार से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? यही नहीं, हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री हरेकृष्ण महताब जी से धोती के बारे में कई बार सवाल उठाया गया। उन्होंने कई बार सदन में आश्वासन दिया कि धोती की पैदावार बढ़ाई जा रही है और फलां महीने में ज्यादा पैदा हो रही है। अब फै क्टरियों को हुक्म दे दिया गया है। लेकिन, जब यह सदन बैठा और हम यहां आये थे तो धोती की कीमत देहाती क्षेत्र में ब्लैक में 22 रूपये थी। किन्तु आज 22 से बढ़कर वह 32 रूपये हो गई है। वह तो कहते हैं कि धोती की पैदावार बढ़ाई जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाजार में धोती की कीमत बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका किस तरह इन्तजाम करना है, आपकी जिम्मेवारी है।

मैं कहता हूँ कि कपड़े का जहां तक संबंध है, आप जब सन् 1947 में सता में आये तब से लेकर अब तक हालात का आप अवलोकन कर लें। इस पर गौर करें, तो आपको मालूम होगा कि यह एक अजीब कहानी है। सन् 1947 के अन्दर कपड़े का नियन्त्रण था। लोगों ने कहा कि हमारे कारखानों में कपड़ा सड़ रहा है, कपड़े को विनियन्त्रित किया जाये। गवर्नमेंट ने उनकी

आवाज को माना और उनकी आवाज के असर में आकर विनियन्त्रित कर दिया। लेकिन, विनियन्त्रण के कुछ दिन बाद ही कपड़े की कीमत जब नियन्त्रण में थी, उससे दुगनी और दुगुनी से भी ज्यादा तिगुनी कीमत पर लोगों को मिलने लगा। फिर, सरकार इस बात पर मजबूर हुई कि नियन्त्रण करे और राशन करे। नियन्त्रण जारी किया गया। लेकिन, वह नियन्त्रण पहली कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में कम से कम शायद 20 फीसदी के करीब ज्यादा कीमत पर नियन्त्रण हुआ।

इसके बाद, फिर एक ऐसा वक्त आया कि कारखाने वालों ने कहा कि कपड़ा हमारे पास बहुत फालतू है, हमारा कपड़ा सड़ रहा है। उसके बाद फिर नियन्त्रण को ढ़ीला किया गया, राशनिंग को हटाया गया और फिर एक तरह से कपड़ा बाजार में तकरीबन विनियन्त्रण के हिसाब से बिकने लगा। लेकिन, उसके बाद हम आज क्या हालत देखते हैं? आज फिर वही कहानी है कि कोई भी कपड़ा हो, चाहे वह कोर्स हो, चाहे फाइन हो, कपड़ा नियन्त्रण के भाव से बाजार के अन्दर नहीं मिलता। यही नहीं, वह धोती जिसकी कीमत 12 रूपये नियन्त्रण के हिसाब से है, उसका भाव आज बाजार में 32 रूपया है।

दूसरी तरफ, मेरे लायक दोस्त ने कहा कि कपास की कीमत इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती कि उसकी कीमत का असर अनाज की कीमत पर पड़ेगा और फिर अनाज की कीमत बढ़ जायेगी और इस तरह कीमतों को बढ़ाने की तरफ रूझान होगा। मैं उनसे और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह बतलाये कि पाकिस्तान के अन्दर कपास की क्या कीमत है और अनाज की क्या कीमत है? अगर आपकी बात में दम है तो पाकिस्तान में उसका दम क्यों नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर ही इस बात का असर क्यों होता है? वहां कपास हमारे यहां से तिगुनी कीमत पर बिकती है। अनाज वहां पर हमारे यहां से आधी कीमत पर बिकता है। कई मेरे लायक दोस्त समझते हैं कि हर जमीन में जहां कपास पैदा की जा सकती है, वहां गेहूँ या धान पैदा हो सकता है। जिस जमीन में हम छोटे रेशे की कपास पैदा करते हैं, उसमें लंबे रेशे की कपास पैदा नहीं हो सकती, उसके अन्दर धान नहीं पैदा हो सकता है।

जिस जमीन में धान पैदा हो सकता है, उसमें गेहूँ पैदा नहीं होता। यह कोई जरूरी नहीं कि जिसके अन्दर ज्वार पैदा हो उसमें दूसरी चीजें भी पैदा हों। हर एक चीज के लिये पानी की मात्रा अलग चाहिये। जमीन की किस्म अलग चाहिये। एक जमीन जिसमें कपास पैदा करने में ज्यादा फायदा हो, उसमें अगर अनाज उगाया जाये तो शायद इतना फायदेमन्द न रहे। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि कपास की कीमत को बढ़ाने की कोई बहुत अच्छी नीति नहीं होगी। मैं एक बात कहता हूँ, या तो आप कपड़े का इन्तजाम कीजिये, जिस तरह आप नियन्त्रण के भाव पर कपास लेते हैं, या फिर आप कपास को भी विनियन्त्रण के भाव पर बिकने दीजिये। इस तरह अन्याय न होने दीजिये कि आज व्यापारियों की जो कपास आधारित है, उसके बराबर भी वह कपास न बेच सकें। मेरा इतना ही निवेदन है।

मैं समझता हूँ कि 25 फीसदी कोई ज्यादा नहीं है। यदि इसको 100 फीसदी रख दिया जाये तो भी शायद अन्याय न हो। क्योंकि पिछले साल उन्होंने करोड़ों रूपये भेजकर हासिल किया है। दूसरा सबसे अच्छा ढ़ंग यही हो सकता है कि आप राज्य व्यापार निगम बनाइये। यह जो झगड़ा, कभी कहते हैं कि कम हो गया, कभी कहते हैं नियन्त्रण हो, कभी कहते हैं विनियन्त्रण हो। लाखों और करोड़ों रूपया लोग बनाते हैं और उसके आयकर के लिये जांच आयुक्त बनाते हैं। यह सब झगड़े आपके सामने नहीं होगे। इससे यह सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आप राज्य व्यापार निगम बनाएंगे और उससे जूट व दूसरी चीजें का, दूसरे देशों से व्यापार करेंगे।

दिल्ली को पंजाब में शामिल करने का फायदा होगा*

{अन्तरिम संसद में ''सी'' श्रेणी राज्यों पर विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए 28 अगस्त, 1951 को धैधरी रणबीर सिंह ने दिल्ली को तहजीब व भाषा में मामले में पंजाब के रोहतक, हिसार व गुडगांव से मेल खाता हुआ बताया और दलील दी कि इसे उस समय के पंजाब में मिला दिया जाए तो फायदा होगा। -सम्पादक }

———————

सभापति महोदय, मैं सिधवा जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ। लेकिन, समर्थन करने के साथ-साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने जो भेदभाव रखा है, वह बहुत अच्छा नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि.....

श्री सिधवा : मैं भी कुर्ग में संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वहां पहले से ही एक प्रभावशाली संशोधन मौजूद है।

चौधरी रणबीर सिंह: शायद जैसा आपको मालूम ही है कि मेरा कोई बहुत ज्यादा वास्ता कुर्ग से नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप दिल्ली को उस संशोधन में शामिल करें और उसके लिये मेरा बहुत उचित कारण है। संविधान सभा में जिस समय अनुच्छेद 239 के ऊपर बहस हो रही थी, उस समय बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने विचार जाहिर किये थे। उस समय भी बहुत ज्यादा दोस्तों की जो अलग-अलग प्रदेशों से आये थे, यह राय थी कि नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली और दिल्ली के देहात को पंजाब के साथ मिला दिया जाये।

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 28 अगस्त, 1951, पृष्ठ 1511–1518*

श्री देशबन्धु गुप्ता : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली चर्चा में शामिल नहीं है, क्योंकि खण्ड 2 से 10 तक दिल्ली का उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि मैं चुप रहा। अब यह उचित नहीं होगा कि इस प्रश्न का उल्लेख किया जाए। जब खण्ड 26 तक पहुंच जाए, तब इस प्रश्न को लिया जा सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा विचार है कि देशबन्धु जी का ऐतराज ठीक नहीं है। इसलिये कि दिल्ली का नाम धारा 3 में है। यह दूसरी बात है कि देशबन्धु जी की राय में दिल्ली के बारे में इस समय बोलना ठीक नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं। यह बात ठीक है कि दिल्ली को एक राज्य सरकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की सीट है। कई एक ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जिनमें मतभेद हो सकता है और जो कि आगे चलकर काफी दु:खदायी हो सकते हैं। इसलिये मैंने अपने सुझाव में रखा है कि नई दिल्ली जहां कि हिन्दुस्तान की सरकार की सीटी है, उसको अलहदा रखकर बाकी इलाके को पंजाब के साथ मिला दिया जाय। इसकी एक और वजह भी है और वह यह है कि आज की बात और है। पर, जिस समय वहां से सदस्य चुने जायेंगे और मंत्री बनेंगे, उस समय वह मंत्री लोग इस बात की कोशिश करेंगे और सदस्य भी यह कोशिश करेंगे कि प्रान्त ऐसा का ऐसा बना रहे। क्योंकि, अगर वह किसी दूसरे इलाके में मिला दिया गया तो न तो उस वक्त इतने सदस्य बन सकेंगे और न ही उनमें से इतने मंत्री बन सकेंगे।

अगर दिल्ली शहर का या दिल्ली देहात का कोई वजीर बनाया भी जायेगा तो वह मुश्किल से एक हो सकता है। अगर यह प्रान्त अलग रहा तो तीन चार मंत्री तो आसानी से बन सकते हैं। 48 सदस्य बनेंगे और तीन या चार मंत्री होंगे। उन सबका हित इसी में होगा कि यह प्रान्त अलग रहे। अगर आज दिल्ली के लोगों से पूछा जाय तो मेरा यकीन है कि वह पंजाब के साथ मिलना पसन्द करंगे। क्योंकि, दिल्ली शहर के आधे से ज्यादा आदमी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी बोली पंजाबी है और जिनको पंजाब के साथ प्रेम है। इसी

तरह से देहात का जहां तक वास्ता है, देहात के लोगों का रोहतक, हिसार और गुड़गांव से मेल खाता हैं। उनका दूसरे भागों से इतना ज्यादा मेल नहीं है। वह भी यही चाहते हैं कि हम अपने भाईयों के साथ मिलें, क्योंकि, उनके जो प्रश्न हैं, वह वही हैं जो कि रोहतक और हिसार के देहात वालों के हैं।

मैं उनका समर्थन कर रहा था। वह इसलिये कि उनकी मंशा यह है कि देश के अन्दर यह छोटे–छोटे हिस्से न रहें, बल्कि किसी न किसी बड़े हिस्से में उनको मिला दिया जाए। इस काम के लिये आज चुनाव से पहले बहुत अच्छा समय है। चुनाव के बाद शायद इतना अच्छा समय नहीं रहेगा। उसके कई एक कारण हैं। एक कारण यह है कि आज सदन में जितना बहुमत है, पता नहीं कि आगे इतना बहुमत आने वाला है या नहीं।

श्री द्विवेदी : इस बिन्दू पर सूचना। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग ईस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल में आये हैं या जो पश्चिम पंजाब से विन्ध्य प्रदेश या और दूसरी जगहों पर गये, क्या उन जगहों को भी आप अपने में मिला लेना चाहते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में एक ही असेम्बली हो। लेकिन, मेरी इच्छा से क्या बनता है? देश का संविधान हमने बना दिया है। इसलिये हमारे जो भाई उधर जा बसे हैं, वह अपना रास्ता खुद बनायेंगे। उनकी फिक्र मुझे नहीं करनी चाहिये। आपसे यह कह रहा था कि अगर आपकी इच्छा है कि आप इन इलाकों को दूसरे बड़े इलाकों में मिलाना चाहते हैं तो इसके लिये जितना अच्छा समय इन छह महीनों में है, उतना अच्छा समय फिर बाद में नहीं आने वाला है। सवाल यह है कि आखिर आज इनके मिलाने में आपको परेशानी क्या है, सिवा एक भोपाल के जहां कि आपको वहां के नवाब की इच्छा की जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आता कि और किसी इलाके के बारे में आज आपके सामने कोई कठिनाईयां हैं। विन्ध्य प्रदेश को भी अगर यह सदन आज चाहे तो मिलाने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती है।

श्री द्विवेदी : पंजाब को भी मिला सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं तो पंजाब को हिन्दुस्तान का एक हिस्सा नहीं, बल्कि सारे देश की एक ही इकाई देखना चाहता हूँ। लेकिन, मेरी इच्छा से तो कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई द्विवेदी जी को तकलीफ होती होगी। शायद वे चाहते हैं कि लोगों से पूछा जाय। मैं पूछता हूँ कि हिन्दूस्तान की इतनी बड़ी रियासत जैसा की बड़ौदा को बम्बई के साथ मिला दिया गया। क्या उस समय किसी से पूछा गया था? मेरे यहां एक रियासत फरीदकोट थी। उस रियासत की जितनी अच्छी सड़कें थीं और जितना अच्छा शिक्षा का इन्तजाम था, इतना न पंजाब में है और न पटियाला में। लेकिन, उसको पटियाला के साथ मिला दिया गया। क्या वहां के लोगों से किसी ने पूछा था?

श्री द्विवेदी : वहां के लोगों से पूछिये कि अब उनकी क्या हालत है?

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछिये। यह तो लोगों के सामने विचार पेश करने का सवाल है। जहां तक असलियत का सवाल है, वह तो यह है कि यह उनकी भलाई के लिये है। देश की भलाई के लिये है। हमारे भाई द्विवेदी जी को मालूम है कि हम यहां कानून बनाने में लगे हुए हैं और दूसरे लोग जिनको तोड़फोड़ का काम है, वह लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि उनको आज लोगों के सामने कुछ गलत विचार पेश करने में कामयाबी हासिल हो जाय। जो लोगों से पूछने वाली बात है, यह तो एक ख्याल है। मैं मानता हूँ कि इसमें उनकी भलाई है और देश की भी भलाई है। यह तो सवाल को देखने का सवाल है। कुछ समय पहले हमारे भाई मुकुट बिहारी लाल जी बहुत ज्यादा इसके हक में थे कि अजमेर को राजस्थान के साथ मिला दिया जाय। आज उनकी इच्छाएं पहले के मुकाबले में कुछ कम मालूम देती है। इसके कारण हैं।

आज अगर अनुसूचित जाति से पूछा जाय कि क्या वह योग्यता तोड़ने के लिये तैयार है तो वे इन्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक फायदे हैं। अजमेर की सात लाख की आबादी है। मेरे विचार में शायद संसद

में उनके यहां से दो मेम्बर आयेंगे। इसी तरह से और भी दूसरे प्रान्त हैं, उनका हाल है। कुर्ग की डेढ़ या दो लाख की आबादी है। वहां से भी कम से कम एक सदस्य सदन में आयेगा। यह राजनीतिक फायदे हैं, इनको कौन छोड़ना चाहेगा? यहां जो मेरे दोस्त सदस्य और मंत्री बनेंगे, वह तमाम इसके हक में होंगे कि इन इलाकों को अलग रखा जाय।

श्री राजगोपालाचार्य जी ने अपनी बड़ी नेक इच्छा सदन के सामने बताई। लेकिन, उनकी नेक इच्छा का क्या बनेगा? क्योंकि, वह इच्छा, इच्छा ही बनकर रह जाएगी। उसके खिलाफ लड़ने वाले इतने होंगे कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं तो समझता हूँ कि उसका सबूत हमें हमारी संसद में मिलता है। आखिर कुर्ग की छोटी आबादी थी, उसकी डेढ़ या दो लाख आबादी थी। उसके लिये संसद के अन्दर हमको एक धारा रखनी पड़ी। उसके लिये एक अनुच्छेद रखा गया। जबकि, बड़ौदा जैसी रियासत के लिये किसी ने कुछ नहीं पूछा कि कितना अच्छा इन्तजाम है या क्या बात है? अगर आप यह चाहते हैं और आपका अगर यह विचार है कि चुनाव के बाद इनको इक्कठे करने में आप कामयाब होंगे तो मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहते हैं कि उनको हिन्दुस्तान के बड़े हिस्सों में मिला दिया जाय तो उसके लिये जितना अच्छा मौजूदा समय छह महीने के अन्दर है, वह समय फिर उसके बाद नहीं आने वाला है। इन छः महीनों के लिये मैं तो उन भाईयों से कि श्रेणी सी राज्यों से आते हैं, उनसे कहूँगा कि आप छह महीने के लिये जरा और सब्र करें। उन्होंने साढ़े तीन साल तक सब्र किया है, छह महीने कोई बड़ी चीज नहीं है।

दिल्ली राज्य के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं समझता हूँ कि दिल्ली को अलग दर्जा देना एक गलती होगी। इस सरकार में और दिल्ली राज्य की सरकार के बीच में हमेशा झगड़ा पैदा करेंगे।

श्री देशबन्धु गुप्ता : क्या आदरणीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली को पंजाब में मिलाकर सी से डी बना दिया जाय?

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आदरणीय श्री देशबन्धु गुप्ता यह समझते हैं कि हम डी में हैं तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि हमारा डी बुरा नहीं है। हमारा डी आपको एकदम ए में ले जायेगा और आपको एकदम सी. बी. तक भी नहीं चलेगा। आप डी. में आते हुए मत घबराईये। मैं तो एक बात और भी कहता हूँ। हमारे दोस्त पुनाचा जी ने कहा था कि हम सब इक्कठा हो जायेंगे। इस सिलसिले में दिल्ली के लिये कहता हूँ कि अभी वह मुख्य आयुक्त से शासित होते हैं और हम राज्यपाल से शासित होते हैं। हमारे और उनके अधिकार इस समय एक से बना दिये गये हैं। आज जितना अच्छा समय है कि हम आपस में मिलकर बैठें और सब इलाका एक बन जाय, इतना अच्छा समय फिर कभी आने वाला नहीं है।

किसानी व मनुवादी तहजीब का अन्तर*

{अन्तरिम संसद में हिंदू कोड़ बिल पर बहस में 22 सितम्बर, 1951 को चौधरी रणबीर सिंह ने भाग लेते हुए बिल का विरोध ही नहीं किया बल्कि अपने को मनुवादी तहजीब से अलग करके सदन से निवेदन किया कि पिछले दरवाजे से इस मनुवादी तहजीब को हम पर न थौंपा जाए जिसे इतिहास में हमने कभी स्वीकार नहीं किया था। इसे उन्होने एक अनाधिकार चेष्टा बताया। इस वक्तव्य में डनहोंने हरयाणा की किसानी तहजीब और उसके सामाजिक ताने-बाने को सदन के समक्ष रखा। -सम्पादक }

———————

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 और भट्ट जी के संशोधन नंबर 288 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। भट्ट जी का अपने संशोधन से आशय है कि जो रीति या रिवाज हैं, वह अगर कहीं आपके इस हिन्दू कोड बिल से टक्कर खाते हैं, तो उस टक्कर को एक दम से यह नहीं मान लेना चाहिये कि रिवाज खत्म हुआ, बल्कि दस साल तक उसे जीवन दे दिया जाये और दस साल के बाद उसे खत्म मान लेना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 का यह आशय है कि जितने भी रिवाज हों, जो हिन्दू कोड बिल के मुताबिक हों, उनको खत्म मान लेना चाहिये और जो रिवाज उनके अलावा बाकी रहते हैं, उनकी ताकत को या उनकी कानूनी ताकत को जिन्दा रहने दिया जाये। मेरे लायक दोस्त पांडे जी ने जिस तरह से कहा, मैं मानता हूँ यह बात सही है और वह बड़ी संतोष दिलाने वाली बात है

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 22 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 3129–3142*

कि हिन्दू कोड बिल का जो असली आशय था, वह समझा जाता था कि यह हिन्दू कोड बिल देश के अन्दर कुछ सुधार करने के लिये या सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये, उनमें तबदीली करने के लिये, लाया जाता रहा है। इस बिल का असर कितने आदमियों के ऊपर पड़े, यह सोचने वाली बात है। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं तो इसे अनाधिकार चेष्टा मानता हूँ कि इस तरह पिछले दरवाजे से इस देश के उन आदमियों पर जिन पर हिन्दू कोड बिल अभी तक लागू नहीं है, उनको जबरदस्ती इसमें फांसा जा रहा है।

श्री ए.सी.शुक्ला : अगर वह न चाहें, तब भी लें।

चौधरी रणबीर सिंह : शुक्ला जी, मेरे जबरदस्ती कहने का मतलब नहीं समझे। या उन्होंने सुना नहीं। अगर यह कहते कि जबरदस्ती मैं जो कहता हूँ, वह गलत है, तो मैं उनको शायद जवाब देता कि वह कोई सबूत दें कि पंजाब के किसी भाई ने आज तक चाहे वह हिन्दू जाति का रहा हो, सिक्ख जाति का रहा हो, या मुसलमान जाति का रहा हो, एक आदमी ने भी कभी इस आवाज को बुलन्द किया हो कि हमारे कस्टमरी कानून है, उसको हटा दिया जाय। उसकी जगह हमें मनु का कानून, या याज्ञवल्क्य या और किसी का कानून हमें दीजिये?

श्री ए.सी.शुक्ला : पढ़ लिख जायेंगे तो उसके लिये मांग करेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : हमारे माननीय शुक्ला जी को मालूम नहीं है कि हमारे पंजाब प्रान्त में कैसे गतिशील आदमी हुए हैं, जिन्होंने देश की ताकत को चैलेंज किया है, जोकि मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन, यह इतिहास की सच्चाई है कि पिछले सालों के अन्दर हिन्दू बहुल क्षेत्र के अन्दर कोई कांग्रेस के आदमी को हरा नहीं सका। लेकिन, पंजाब का ऐसा इलाका था हरियाणा का जो हिन्दू बहुल क्षेत्र था, वहां चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था।

डा. अम्बेडकर : चौधरी छोटू राम हिन्दुओं के बहुत बड़े मित्र थे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं डाक्टर साहब से उनका अगर कोई लेख हो, उनकी कोई बात उनके सबूत में हो, तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। बाकी जहां तक उनके आशय का वास्ता है, उसके मैं विरूद्ध नही हूँ। मैं एकल पत्नी का समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में तलाक की व्यवस्था भी अवश्य रहनी चाहिये, ताकि जब स्त्री, पुरूष दोनों तरह एक साथ रहने से तकलीफ होती है, तो उन्हें उस तकलीफ से बचाने के लिये कोई न कोई ढ़ंग या रास्ता निकालना चाहिये। लेकिन, इसके साथ-साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह चेष्टा अनाधिकार चेष्टा है। क्योंकि, हिन्दू कोड बिल से हमारा आशय होना चाहिये था कि हिन्दू कोड बिल से जो संचालित होते हैं, उन्हीं पर यह लागू किया जाये।

यह मेरी बदकिस्मती है कि जब से यह हिन्दू कोड बिल का सवाल आया, कई महीनों चला और कई दिन इसके ऊपर लगाये गये। मैंने उस वक्त बहुत कोशिश की कि मुझे पांच मिनट मिलें तो कुछ उस पर अपने विचार प्रकट करूं। लेकिन, मौका नहीं मिला। यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे मान साहब बोले तो वह सिक्ख धर्म में फंस गये। बजाये इसके कि सही बात पर आते। लेकिन, उन्होंने शायद ऐसा समझा कि इस तरह उनकी बात जोरदार हो जाय या और कोई कारण रहा होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यह सिक्ख धर्म का प्रश्न नहीं है। यह पंजाब प्रान्त भर के कस्टमरी कानून का प्रश्न है। डाक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अन्दर ऐसे समय में जबकि ब्राह्मनिक कायदे कानूनों ने सारे देश और समाज के रहन-सहन और रीति रिवाजों को अपने पंजे में बांध रखा था कि सोमवार को नहीं जा सकते, मंगलवार को नहीं जा सकते, और शनिवार को नहीं जा सकत।

ऐसे समय में मैं डाक्टर साहब को बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब की मार्शल जाट जाति ने, जिस जाति से मैं और सरदार बलदेव सिंह, ताल्लुक रखते हैं, उस जाट जाति ने आज तक उस ब्रह्मनिक रूल के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो यह दो चीजें एकल पत्नी और तलाक हैं, उनके लिये वास्तव में हमारे समाज में कोई ज्यादा विरोध नहीं है।

मेरा भी इन दोनों से कोई विरोध नहीं है। लेकिन, जो आपका यह ढ़ंग और तरीका है, उससे जरूर विरोध है। आज जिस तरीके से जिस बैक डोर से यह बढ़ा है, वह कोई बहुत अच्छा ढ़ंग नहीं है। यह बात नहीं है कि मैं अपने आपको गैर हिन्दू मानता हूँ। यह जरूर मानता हूँ और यह सच बात है कि हम लोग कभी हिन्दू कोड से संचालित नहीं हुए।

वह हमारे ऊपर कभी लागू नहीं हुआ। आपका यह विचार कि जिन लोगों को आप अभी तक दिमागी तौर पर गुलाम नहीं कर पाये थे, उनको आप यह समझते हैं कि पिछले दरवाजे से गुलाम कर लेंगे तो मुझे इसमें पूरा शक है। यह जो आप शादी-विच्छेद के बारे में रीति-रिवाज के ऊपर कायदे कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें भी हमें बहुत कुछ मतभेद हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज के अन्दर विधवा के प्रति दर्द के नाम पर बहुत सारे समाज सुधारकों ने उस दिशा में बड़ी उन्नतियां की हैं। लेकिन, बदकिस्मती से हमारे समाज के अन्दर सदा से नौजवान विधवा अज्ञात रही हैं। हमारे समाज के अन्दर नौजवान विधवा का नाम नहीं होता।

हमारे यहां यह रिवाज है कि जिस समय किसी बहिन का पति मर जाता है तो उसके पति के मरने के एक साल बाद, दोनों तरफ के भाई, जो उस बहन के परिजन और भाई होते हैं, वह भी इक्ठ्ठा होते हैं और जो भाई मर जाता है, उसकी तरफ के लोग भी यानी उनके परिजन और भाई भी इक्ठ्ठा होते हैं। वहां पर यह फैसला किया जाता है कि चाहे उस बहन को थोड़ी बहुत शर्म आती हो, जैसा हिन्दू समाज में सारी जगहों पर होता है, वैसे ही हमारे यहां भी थोड़ी शर्म होती है। अगर वह इन्कार कर दे और कह दे कि जो दुःख भगवान ने मुझे दिया है, वह दुःख मैं ही काटूंगी। लेकिन, उसकी बनावटी इच्छा के विरूद्ध भी उसे मजबूर किया जाना यह मुमकिन नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसका आदर्श अच्छा है। लेकिन, कितने आदमी हैं जो इतने ऊंचे आदर्श पर चल सकते हैं। इसके ऊपर हमारे समाज में शक है कि आप इस समाज के अन्दर यह बहुत ऊंचा आदर्श कायम करने जा रहे हैं, इससे हमारे समाज में कहीं खराबी न

पैदा हो, इसलिये इस तकलीफ को, आप इसे तकलीफ मानें या जो भी मानें। इस बात को मान लिया जाये कि जो कपड़ा हम डालते हैं, यानी हम किसी के सुपुर्द करते हैं, विवाह करते हैं, आसान तरीके से, उसका नाश न किया जाय। इसलिये मैं भट्ट साहब की बात की ताईद करना चाहता था। अब मैं इसके कारण की तरफ आ रहा हूँ।

एक तरफ तो जहां आपका कायदा कानून है, कि बहनों की परेशानियों को हल्का किया जाये। जिन्हें बहुत हद तक हल्का किया भी। वहां हमारी बहनों की परेशानियों को और तकलीफ देह बनाया गया है। वह इसलिये कि आपने उनको एक तरफ से हक दे दिया कि वह जहां चाहें शादी कर लें। वैसे भी यह होगा कि अगर कोई गड़बड़ी न हो तो आसानी से रिवाज पड़ जायेगा कि वह दूसरी जगह शादी कर सके। लेकिन, आप इसको क्यों डालते हैं? जो लोग द्विविवाह होते हैं तो उनकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि दबाव में मजबूरी से होता है। जो भाई मर जाता है, उसके दूसरे भाई को अपनी इच्छा के विरूद्ध भी द्विविवाह के रिवाज को मानना पड़ता है।

श्रीमती दीक्षित : मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यह चीज सही है कि एक स्त्री है, उसके चार-छह बच्चे हैं, उसकी भावज है, उसके चार-छह बच्चे हैं, उन सबको इक्ठा कर दिया जाय और सौतपन रहता है, उससे उनमें संघर्ष नहीं होता? क्या यह सिद्धान्त अन्याय नहीं है कि एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध भी मजबूर किया जाय कि वह दूसरे आदमी से शादी करे?

सरदार हुक्म सिंह : भगवान की इच्छा से।

चौधरी रणबीर सिंह : पुर्नविवाह से आपका मतलब है तो मैं कहूँगा कि नहीं। पुर्नविवाह भी तभी हो सकता है, जिसे जाब्ते में समाज करे। लेकिन, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो इसे जाहिर नहीं कर सकतीं। स्त्री को मरे जहां 13 या 14 दिन हुए, आदमी यह जाहिर कर देता है। लेकिन, बहनें ऐसा नहीं कर सकतीं। क्योंकि जैसा हमारा समाज बना है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बदलने के लिए काफी समय चाहिये था। लेकिन, अगर उनकी मंशा यह

थी कि एक भाई है, उसके दो तीन बच्चे हैं, एक उसकी बीवी है, दूसरा भाई मरने वाला है, उसके भी दो तीन बच्चे हैं, बीवी है। अगर उन लोगों को इक्कठा कर दिया जायेगा तो उससे मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। अगर, वह यह पूछना चाहती हैं तो मैं इसकी तरफ भी आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी राजी से दूसरा विवाह नहीं करता, एक बहन भी मजबूर होती है। क्योंकि, एक तरफ तो उसे बच्चों का प्यार है, वह उनको छोड़ नहीं सकती।

दो-तीन बच्चे हैं, आखिर कहां जायें? वह यह भी नहीं कह सकती कि मेरी पुर्नविवाह करने की इच्छा है। घर के दूसरे लोग भी उन बच्चों को छोड़ नहीं सकते। सवाल यह पैदा होता है कि वह अपने बच्चों को अपने साथ ले जाये। लेकिन, यह हमारे समाज का रिवाज है। मेरी समझ में आप कोई भी कानून बनायें, आप इसे नहीं बदल सकते। यह कोई दिल्लगी की चीज नहीं है। वह स्वयं इसको बदल सकते हैं। लेकिन, आप खुद आज इसको नहीं बदल सकते।

हमारे यहां एक और प्रथा है। यह अपना विश्वास है कि एक खानदान जिसके बच्चे हैं, उसका नालायक से नालायक आदमी भी अपने बच्चों को दूसरे खानदान में नहीं जाने देता है। इसके विपरीत कोई आदमी इसकी चेष्टा भी करे तो उसकी सजा हमारे यहां बड़ी कड़ी है, आज भी। चाहे आप कह लीजिये कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। उसका सुधारना भी बड़ी दिक्कत का काम है। लेकिन, इस तरह की बात का नतीजा हमारे यहां अब भी कत्ल है। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे समाज के अन्दर कत्ल व गारत की तादाद ज्यादा बढ़े। पहले से ही पंजाब कत्ल व गारत के लिये ज्यादा बदनाम है। वहां काफी आदमी इस तरह के कत्ल के सिलसिले में फांसी चढ़ते हैं। तो, अगर आप उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक एक दम से जो कायदा कानून चाहे लागू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कत्ल व गारत और फांसी की सजाओं में कुछ कमी हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भट्ट साहब या भार्गव जी का जो संशोधन है, उसको मान लें।

मैं यह बता रहा था कि इसके अन्दर क्या है कि वह बहन या तो इस बात पर मजबूर होगी कि तमाम उम्र विधवा बनी रहे, जैसा कि उसके समाज में अब से पहले कभी नहीं था। अगर उसे अपने बच्चों से प्यार है। अगर बच्चों से प्यार नहीं है तो अपने बच्चों को चोरी छिपाकर रात को उठाकर कहीं ले जाये। अगर कोई हिम्मत वाला इंसान मिल गया और उसने कहा कि चलो मेरे साथ मैं देख लूंगा दूसरों को, तो उसका नतीजा क्या होगा? वह दुबारा विधवा होगी, या उसका मर्द फांसी पर चढ़ेगा। किसी सूरत में उसका सौभाग्य कायम नहीं रह सकता। यह वैसे तो काफी बड़ी बात है और डरावनी बात है। लेकिन, एक सच्ची बात है।

इसके बाद सगोत्र विवाह की बात है। कितने भाई हैं और कितनी बहने हैं, जो शहरों में रहती हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इस हिन्दू कोड बिल पर क्या प्रतिक्रिया है? इस सदन के अन्दर तो बहुत से भाई हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शहरों में रहते हैं। जो शहरों में जन्में, शहरों में पले और शहरों के कायदे कानून और तरीकों तक ही उनके विचार सीमित हैं। उनके ख्याल से शहर की जिन्दगी में और देहात की जिन्दगी में कोई अन्तर नहीं है। इसका उन्हें कोई अन्दाजा नहीं हैं। मैं तो एक मामूली सी मिसाल देता हूँ। एक शहर को लीजिये, वहां अगर कोई बहन शादी नहीं करना चाहती तो कोई आपत्ति उसके ऊपर नहीं है कि तुम शादी क्यों नहीं करती? लेकिन, अगर देहात में कोई लड़की 16 साल के ऊपर चली जाती है तो जहां उसके माता-पिता पर विपत्ति आ जाती है, वहां उस बहन पर भी आपत्ति आ जाती है। पूछता है कि तू इस लड़की को बाहर क्यों नही भेजता?

उस लड़की की कितनी ही इच्छा क्यों न हो कि वह शादी न करे, लेकिन, वह शादी कराये बगैर नहीं रह सकती। उसको मजबूर किया जाता है। यह थ्योरी भी अच्छी हो सकती है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि शहर की शिक्षा-दीक्षा और देहात की शिक्षा-दीक्षा के अन्दर कितना फर्क है? दोनों के लिये आप एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं। मेरे लायक दोस्त जांगड़े साहब बड़े जोर से बोले। उन्होंने दूसरों के लिये कहा। मैं कहता हूँ कि मुझे शक

है कि जांगड़े साहब शहर वाले बन गये हैं। उनकी तरफ चले गये हैं। अब शहर की बात समझने लगे हैं। वह अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी जगह वालों की नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब तरबियत में इतना फर्क है, उनकी सामाजिक नीति में आपस में इतना मतभेद है, उनके लिये एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनके रीति रिवाजों में कोई अन्तर रखना कोई मायने नहीं रखता, यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है।

एक बात और इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ, वह है सगोत्र विवाह के बारे में। हमारी बहुत सारी बहनों की दिल्ली के दिल्ली में ही शादी होती है। एक गली से दूसरी गली में उनका विवाह हो जाता है। छोटे-छोटे शहरों में जिनकी आबादी दस हजार की होती है, उनमें भी उनका विवाह एक घर से दूसरे घर में हो जाता है। उनको यह पता नहीं है कि हमारे यहां शादी का कायदा क्या है? हमारे यहां शादी के लिये कम से कम 15, 20, 50 और सौ मील का फर्क होता हैं। अगर अपनी जाति में मैं अपने लड़के की शादी करना चाहूँ तो अपने समाज के आज के रिवाज के मुताबिक मैं अपनी उपजाति में, जोकि 24 गांवों में और 10 मील के रेडियस में रहती है, उसकी शादी नहीं कर सकता। मैं उन 24 गांवों में से किसी गांव में अपने लड़के की शादी नहीं कर सकता। यही नहीं। उसके बाद फिर उसकी जो माँ है, उसकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद आप आगे चलिये जो मेरी माँ है, उनकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी उसकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह से आसपास के कोई पचास गाँवों में हम शादी नहीं कर सकते।

श्री ए.सी.शुक्ला : यह अच्छी बात है या खराब बात है?

चौधरी रणबीर सिंह: मैंने यह दावा नहीं किया। मैं आपको नाराज भी नहीं करना चाहता। जैसा कि डाक्टर साहब ने कर दिया। मेरी यहां डाक्टर साहब की सी हिम्मत नहीं हैं कि मैं कड़वी बात सुना सकूं। वह बड़े हैं और मैं तो एक छोटा सा सदस्य हूँ।

श्री राधेलाल व्यास : आप भी तो जाट हैं।

चौधरी रणबीर सिंह: मैं जाट तो हूँ। लेकिन, मैं सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जैसा, सिख जाट नहीं हूँ। मैं आपको कड़वी बातें नहीं सुनाना चाहता और इसीलिये, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरा रिवाज अच्छा या आपका अच्छा या कानून अच्छा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह आज के हालात हैं और वही मैं आपको बता रहा था कि सौ या 120 गांव छोड़कर मुझे अपने बच्चे की शादी करनी होगी। उन बहनों को जो छोटे छोटे कस्बों या बड़े शहरों में रहती हैं और जिनका विवाह एक गली से दूसरी गली में हो जाता है, उनको क्या मालूम कि हमारे सामने क्या मसले हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस मामले में हिन्दू लॉ मे और आपके लॉ में कोई फर्क नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : फर्क न हो, लेकिन विकास में अन्तर है। आज भी, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, हम इतने गोत्र छोड़कर शादी करते हैं और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके विरूद्ध कर सके। कोई नालायक से नालायक आदमी, जिसे आज के समाज के अनुसार नालायक ही कहेंगे, हो सकता है कि कल के मुताबिक उसे उन्नत कहा जाय, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन, आप उसे इस कानून में अधिकार देते हैं।

श्री ए.सी. शुक्ला: आप क्या चाहते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं शुक्ला जी को यह बतलाना नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो यह बतलाना चाहता हूँ कि हालात क्या हैं? इसीलिये, मैं कहता हूँ कि भट्ट साहब का संशोधन मान लीजिये और हमको दस साल का मौका बदलने के लिये दे दीजिये। अगर हमारी बात ठीक होगी तो आप बदल जायेंगे और आपकी बात ठीक होगी तो हम बदल जायेंगे। इसीलिये, मैं उनकी संशोधन की ताईद करता हूँ।

मैं आपसे कह रहा था कि सगोत्र विवाह आज भी हमारे समाज में नहीं हो रहे हैं। लेकिन, कायदे और कानून की बड़ी ताकत होती है। शायद कोई हिम्मतवर निकले और इस कानून का सहारा लेकर अगर उसी गांव में ही शादी करना चाहे तो उसका क्या नतीजा होगा? उसका भी वही नतीजा होगा जोकि मैंने पहले बताया। मैं इस बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन, मैं आपको यह सच्चाई बतलाना चाहता हूँ कि आज के हमारे समाज में यह हालत है कि अगर मेरे खानदान में किसी ने ऐसी शादी कर ली तो यह कोई नहीं पूछेगा कि मेरे क्या विचार हैं? अगर मेरा भाई कोई इस किस्म की गलती करता है तो हो सकता है कि यह उसका भाई है, चाहे मेरे विचार उसके विरोध में हों या उसके पक्ष में। इस बात को कोई नहीं पूछेगा। हमारे समाज की यही हालत है। वहां तो यह देखा जाता है कि एक भाई क्या करता है और समझ लिया जाता है कि दूसरा भाई भी उसके साथ है।

यहां पर एक भाई कम्युनिस्ट हो सकता है, दूसरा सोशलिस्ट हो सकता है और तीसरा कांग्रेसाईट हो सकता है। एक लड़का किसी का भारतीय जन संघ का मैम्बर हो सकता है और उसका का दूसरा भाई दूसरी पार्टी का हो सकता है और धर्म में भी अदल बदल हो सकती है। लेकिन, हमारे यहां यह बात बनी हुई है कि अगर किसी खानदान में एक आदमी कांग्रेसी हो गया तो वह सारा कुनबा कांग्रेसी समझा जायेगा, चाहे वह हो या नहीं। इस किस्म की हमारे समाज में हालत है। आप उसे जो कुछ कहें, उन्नति कहें या जहालत कहें। इन हालात में, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं इस बात के हक में हूँ कि एकल विवाह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और हिन्दुस्तान जैसे देश में और खास तौरपर जिस बिरादरी का मैं हूँ, उसके लिये अर्थात जाटों के लिये तो यह वैसे भी जरूरी हैं, क्योंकि हमारे यहां लड़कियां थोड़ी हैं और लड़के ज्यादा हैं। तो अगर कोई भाई दो विवाह कर लेगा तो किसी का हिस्सा कम हो जायेगा। अगर एकल विवाह प्रथा रहेगी तो कुछ ज्यादा भाईयों की शादी हो जायेगी। शायद इस देश में कुछ हिस्से ऐसे हों, जहां भाईयों से बहनें कुछ ज्यादा हों।

सरदार बी.एस. मान : मद्रास में।

चौधरी रणबीर सिंह : तो हमारे यहां का हिन्दू जाट तो इतना उन्नत नहीं है कि वह मद्रास पहुंच जाये, सिख जाट भले ही पहुंच जायें। इसलिये मैं तो मोनोगैमी को ठीक समझता हूँ। लेकिन, हमारा समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया है या इतनी हालत नहीं कर पाया है कि हम मान जायें कि यह सगोत्र विवाह ठीक है। इसको आप दस साल के लिये अपनी किताब में जमा रखें। दस साल बाद उस पर फिर गौर कर लिया जाएगा। अगर ठीक होगा तो मान लेंगे और अगर उस समय तक समाज की उतनी तरक्की नहीं हुई तो वह कायदा किताब में ही रहेगा। जिसे हम जबरदस्ती विवाह कहते हैं, उसे हम अच्छी चीज नहीं मानते हैं। लेकिन, हमारे यहां उसकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। इसके लिये आप हमको दस साल का वक्त दे दीजिये।

अन्त में मैं फिर दोबारा डाक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं डाक्टर साहब की सब बातों का पूरे तौरपर हामी हूँ, लेकिन, मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वह या तो भट्ट जी के संशोधन को मान लें या भार्गव जी के 420 नम्बर के संशोधन को मंजूर कर लें।

प्रश्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था का*

{अन्तरिम संसद में इस सदन के अन्तिम वित्त विधेयक पर बहस में 5 मार्च, 1951 को बहस में बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रश्न उठाया और सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से हो रही अव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने आजादी की जग में हिदुस्तान के ग्रामीण लोगों की भूमिका की हवाला दिया और बताया कि उनकी वजह से हम सु:ख की सांस ले रहे हैं तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदरी भी है जिनका बड़ा हिस्सा बनता है। -सम्पादक }

———————

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक का स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज कृषि अर्थव्यवस्था के अन्दर एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। जैसा उन्होंने कल बताया था, सन् 1931 से लेकर सन् 1939 के बाद से फिर कुछ समय बदला और कृषि अर्थव्यवस्था के अन्दर एक तब्दीली आयी, जिसमें कि किसान को कुछ राहत मिली। लेकिन इस साल से कुछ दूसरे हालात शुरू हुए। यहां हमारे कुछ भाई एक बात के बारे में बहस करते हैं कि अनाज इतना महंगा हो गया है। इससे इन्डेक्स नम्बर इतने प्वाइंट हो गया। लेकिन, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि वह एक साल का ही समय लें। आपने पिछले साल गुड़ का भाव 21 रूपये मन रख था नियन्त्रण में। लेकिन आज गुड़ के भाव की क्या हालत है? वह आज छह या सात रूपये मन बिक रहा है। कुछ अन्दाजा लगाईये, एक तरफ

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 11, भाग 2, 5 मार्च, 1952, पृष्ठ 2026–2033*

आप मानकों की गिनती करते हैं और मानकों की गिनती के ऊपर देश के अन्दर आर्थिक क्रान्ति की बातें करते हैं।

दूसरी तरफ, आप गुड़ वालों को देखिये। आखिर वह भी तो आप ही के देशवासी हैं। उनका भी इस देश के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। उनकी बिक्री की दर एकदम से 21 से 6 रूपया मन आ जाय, यह कोई बात है? दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के ही अन्दर नहीं, बल्कि दुनिया के अन्दर निर्धारित अर्थव्यवस्था का बोलबाला है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यही आपकी निर्धारित अर्थव्यवस्था है? एक तरफ तो आप कानून पास करते हैं कि एक खास किस्म की कपास बोई जा सकती है। लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इससे इतने नीचे या इतने भाव पर सरकार आपसे यह कपास खरीदेगी। लेकिन आज क्या हालत है? कुछ दिन हुए बाबू ठाकुर दास जी ने अपने जिले के बारे में कुछ बातें बतलाईं थीं। उस इलाके के किसान वहां के फार्म वाले यहां भी आये और उद्योग और व्यापार मंत्री से मिलने की हिम्मत भी की थी। आज देश के अन्दर क्या हालात है? जो सबसे अच्छी लम्बे रेशे वाली कपास है, वह हांसी इलाके करनाल व मेरे जिले में बोई जाती है।

आज उसे कोई भी किसी भाव पर बोने के लिए तैयार नहीं है। वैसी ही कपास आप अमरीका से, जिसका भाव तकरीबन तीन सौ रूपया पड़ता है, या इससे भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन आप अपने देश की कपास पचास रूपया मन भी लेने को तैयार नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यह कैसी निर्धारित अर्थव्यवस्था है? इस निर्धारित अर्थव्यवस्था के अन्दर हिन्दुस्तान बढ़िया किस ढ़ंग से तरक्की करने वाला है, यह आप सोचें। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान बढ़िया कपास में आत्मनिर्भर हो जाय, तो आप कोई भी कपास दूसरे देशों से न मंगायें और अपने रूपये को दूसरे देशों में न खर्च करें इसके लिये। बल्कि, अपनी बढ़ोतरी के लिये आप विनिमय को इस्तेमाल करें। इसके लिए भी आपको तमाम बातें सोचनी पडेंगी। हमारे यहां ऐसी कपास होती है, जिसका नाम नरमा कपास है। वह जैसा उसका नाम है, वैसी ही नर्म भी है। कुछ समय बाद वह बिल्कुल नर्म हो जाती है।

पंडित ठाकुद दास भार्गव : 16 मार्च के बाद रंग फीका होना आरम्भ हो जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : 16 मार्च के बाद उस कपास की कोई कीमत काश्तकार के लिए नहीं रहने वाली है। अगर आप 16 मार्च के पहले उस कपास को नहीं उठवाते हैं तो, आप अन्दाजा कीजिये कि उसका क्या नतीजा होगा? आप आइन्दा कोई कायदा, कोई कानून बनायें, लोग इस बात को बेहतर समझेंगे कि अपनी जमीन को बंजर ही पड़ी रहने दें, बजाय इसके कि वह इसको बोंयें या इसके लिए वह मेहनत करें। मेहनत किसान करते हैं अपने जिन्दगी का खर्च कमाने के लिये। अगर, उनको उल्टा घाटा पड़े और कोई इसकी परवाह न करे तो उसे क्या जरूरत है घाटा उठाकर हल चलाने की और मेहनत करने की। अगर आप चाहते हैं कि कपास अच्छी तरह पैदा की जाय तो आप यह बात याद रखिये कि इन पिछले दस सालों में आपके नियन्त्रण की क्या कहानी है? यह नियन्त्रण क्या चीज थी? इस नियन्त्रण के जरिये सरकार ने काश्तकारों से जो रूपया उनके पास था वह ले लिया, उसको उनसे छीन लिया और समाज के दूसरे विभाग को उस नियन्त्रण के भाव पर चीजें खरीद कर पहुंचाई। आज जब दूसरा समय शुरू होने वाला है तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उनकी रक्षा करें। आपको उस जिम्मेदारी को हिम्मत से संभालना चाहिये। जब कुछ मंहगा था तब आपने पूरी ताकत लगाई, पिछले साल कोल्हुओं पर लाइसेन्स आपने लगाया और आपने गुड़ को सस्ता करने के लिये तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल कीं। मैं खाद्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आपने क्या अधिकार किये हैं जिससे गुड़ का भाव कहीं तो जाकर टिके। अगर आप इसके लिये कुछ नहीं करते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप खाद्य मंत्री हैं या उद्योग मंत्री हैं?

अगर आप खाद्य और कृषि के मंत्री हैं तो आपका फर्ज है कि कोई योजना, कोई विधेयक, कोई जरिया देश के सामने ऐसा लायें जिससे जिन आदमियों ने देश की मदद करने के लिये ज्यादा ईख बोई और मेहनत की, उसके लिये गर्मी और सर्दी में एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाया, उनकी मेहनत का

सिला उनको मिले। अगर नहीं मिलता है तो जो मुश्किलात आपको आज अनाज की दिखाई देती हैं वह कठिनाईयां आपके सामने फिर आने वाली हैं। कल तक कपास न मिलने की वजह से हमारे कारखाने बन्द होते थे। क्या आप समझते हैं कि वह हालत दुबारा नहीं आ सकती है? वह जरूर आयेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंचवर्षीय योजना तरक्की करे तो इसके लिए यह निहायत जरूरी है कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाय। कई दोस्त समझते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर खाद्य छूट जरूर दी जाय, अगर नहीं दी जाती है तो इन्डेक्स नम्बर ऊंचा हो जायेगा। लेकिन, जब देहात के मजदूरों की बात आती है तो इस बात को भूल जाते हैं। कहते हैं उनको तो काश्त में साझा मिलता है। कैसा साझा?

अगर, एक इंसान को पांच मन या चार मन अनाज मिलता है तो उसके अन्दर उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। कहा जाता है देहात के आदमियों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज कल सबसे कम आर्थिक स्तर या कम से कम आमदनी किसी वर्ग की है तो वह खेतीहर मजदूर की हैं और अगर आप चाहते हैं कि खाद्य रियायत दी जाती तो अगर इसके लिए मूल्य में सबसे पहले किसी का हक है तो वह खेतीहर मजदूर का है। अगर उनको आप मिटाना चाहते हैं तो मिटाइये। जहां और वर्ग को तकलीफ होगी, वहां उनको भी तकलीफ होगी। कई भाइयों को डर है अशांति का। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एशिया के इतिहास को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किसी का अनरेस्ट (बेचैनी) यहां तीव्र हुआ है तो वह देहात का है। आप बतलाईये कि आपके सामने मद्रास, या बम्बई या कलकत्ता का सवाल है या तेलंगाना का सवाल है। आज जो हमारे प्रशंसक हैं, उनको तेलंगाना की बातें देखकर नींद नहीं आती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह औद्योगिक मजदूर हैं? हिन्दुस्तान के लिये अगर कोई क्रान्ति आने वाली है तो वह देहात से आने वाली है।

अगर, आजादी आई है तो वह हिन्दूस्तान के देहात के सिपाहियों की लड़ाई की वजह से है जोकि तकरीरें देना नहीं जानते थे और अखबारों में खबरें नहीं भेज सकते थे। उन्हीं लोगों की वजह से दूसरी क्रान्ति आने वाली हैं।

हिन्दुस्तान में औद्योगिक श्रम बीस पच्चीस साल तक तो बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिये आप अपनी आर्थिक नीति बनाते वक्त उनकी तकलीफों को सामने रखने की कोशिश करें। अगर डर से नहीं तो वैसे भी इस देश में देहात का हिस्सा सबसे अधिक है। अजीब बात है कि एक कृषि प्रधान देश हो और उसकी नीति तब बनती है तो देहात की न गिनती होती है, न सुनवाई होती है, न कोई पूछ होती है, न ताछ होती हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा कराधान आयकर वसूल करते हैं। हमारे बाबू ठाकूर दास संयुक्त परिवार का बड़ी गीत गाते रहते हैं। वह कहते हैं कि संयुक्त परिवार में चार, पांच हजार या छह हजार तक माफ कर दिया जाय। दूसरी तरफ, देहात में कराधान का क्या हाल है? अगर एक आदमी एक बीघा भी बोता है और चाहे उसको घाटा ही क्यों न हो उसको कर देना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह अंग्रेज वाली कहानी आज भी क्या कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि जमीन सरकार की मालकियत है और दूसरी चीजें सरकार की मालकियत नहीं है। लगान भी एक कर है। आयकर भी एक कर है। तो देश में एक के लिये कर का एक सिद्धान्त है और दूसरे के लिए दूसरा सिद्धान्त है।

श्री श्यामनंदन सहाय : उनको क्या देना पड़ता है?

चौधरी रणबीर सिंह : ईख के लिये एक एकड़ पर 15 रूपया पड़ता है और दूसरे के लिए ढ़ाई रूपया देना पड़ता है।

पंडित ठाकूर दास भार्गव : पानी शुल्क वगैरह है। राजस्व इतना नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह अजीब बात है कि दिल्ली बन रही है और चण्डीगढ़ बन रहा है। वहां सड़कें बन रही हैं। वहां लोगों के लिये तरह तरह के आराम के इंतजाम किये जा रहे हैं। इसके लिये वहां वालों से क्या लिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के ऊपर कितना खर्च हुआ है और इसमें से दिल्ली वालों का कितना हिस्सा है?

लेकिन, देहात के लिये यह बात है कि अगर कहीं नहर निकलती है तो उसको सारा खर्च देहात वालों से लिया जाता है। उसके बाद भी उसके लिये उनको कर देना पड़ता है। आप बताइये कि यह आपके वित्त की कौन सी निष्पक्षता है? क्या आपके वित्त का यही न्याय है कि जो कानून बनाया जाता है वह देहात के लिये एक तरह का होता है और शहर वालों के लिये दूसरी तरह का होता है?

मध्यम श्रेणी के आदमियों की तकलीफों का बड़ा जिक्र किया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक अंग्रेज रहे और उनके बाद सन् 1939 तक हिन्दुस्तान के मध्यम श्रेणी वालों ने न केवल अपने हक का ही खाया है, बल्कि दूसरों के हक का भी खाया है? अब अगर दस सालों से उनको अपना ही हक मिल रहा है तो इसमें कौन सा अन्याय है? आज भी अगर हम हिन्दुस्तान की सोसाइटी का मुकाबला करें तो आपको मानना होगा कि मध्यम श्रेणी वाले दूसरों के मुकाबले में आज भी जीत में हैं। आप मध्यम श्रेणी वालों के लिये इतना नरम रवैया रखें और दूसरों के लिये न रखें, यह कहां तक ठीक है और कहां तक यह बात चलने वाली है, खास तौर पर ऐसे देश में जहां कि बालिग मताधिकार हों और जहां बालिग मताधिकार पर राज्य बनता और बिगड़ता हो?

इसलिये अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्थिर सरकार हो और योजनाबद्ध ढ़ंग पर तरक्की हो तो उसके लिये आपको सोचना होगा, समझना होगा और अपनी वित्तीय नीतियों को बदलना होगा।

आर्थिक नीति पर प्रस्ताव*

{नये बने संविधान के तहत प्रथम लोक सभा के लिए 1952 में चुनाव हुए जिसमें रोहतक क्षेत्र से चौधरी रणबीर सिंह चुने गए। इस सदन में भी उन्होंने अपनी चिरपरिचिति भूमिका निभाई। इस सदन में पहली अक्तूबर, 1955 को जब आर्थिक नीति पर प्रस्ताव आया इसपर भी वे बोले। उनके इस वक्तव्य की विशेषता यह है कि यहां पर उन्होंने अन्य बातों के अतिरिक्त सीलिंग व खेती में मशीनों के प्रयोग से जुड़े सवालों पर खुलकर बात रखी। -सम्पादक }

————————

कोई और बात कहने से पहले मेरे साथी ने अभी जो बातें आंकड़ों के सम्बंध में कही हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो किताब हमें भेजी गई है, उसके मुताबिक जो लोग खुद मालिक हैं और खुद काश्त करते हैं, उनकी तादाद हिन्दुस्तान के अन्दर 16 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उनको ओनर्ज कल्टीवेटर्स का नाम दिया गया है। इसी तरह से मुजायरों की तादाद, जिनको टेनेंट्स कहते हैं, कोई तीन करोड़ है। जो मजदूरों की तादाद है, वह कोई साढ़े चार करोड़ के करीब है, जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। जिनको शाजा बादा खाने वाले कहते हैं, जिनका जमीन से बटाई लेने के इलावा कोई वास्ता या रिश्ता नहीं होता है, उनकी तादाद 53 लाख है। हिन्दुस्तान की कुल आबादी में से जितनी आबादी खेती पर मुनहसर है, उसकी तादाद करीब करीब 25 करोड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 1 अक्तूबर, 1955, पुस्तक सं. 8, भाग 2, पृष्ठ 16101–16111*

कुछ भाई हैं, जिनके ख्याल के मुताबिक किसानों के तमाम दु:खों की एक दवा सीलिंग ही है और इसी से उनके दु:खों का उछाला हो सकता है? लेकिन, आप अन्दाज लगाइये कि आखिर इस सीलिंग के लगने से खेती की इकोनोमिक्स पर कितना असर पड़ सकता है। यही नहीं, एक और सवाल है, जिसका हमें फै सला करना होगा। हमें आज यह देखना है कि जो आदमी इस देश में खेती पर निर्भर करते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना है या घटाना है। आज हमारे देश के अन्दर उन लोगों की आबादी 70 फीसदी है, जोकि जमीन पर ही निर्भर करते हैं। देखना है कि देश की तरक्की इस तादाद को घटाने से हो सकती है या बढ़ाने से। अगर आप दूसरे देशों से कोई सबक लें और अपने देश के पुराने इतिहास से कोई सबक लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इस तादाद को घटाना होगा, इसको बढ़ाना नहीं होगा। अमरीका के अन्दर जो लोग जमीन की आमदनी पर निर्भर करते हैं, उनकी तादाद केवल 12 फीसदी है। अगर हमें अपने देश को दूसरे देशों के अन्दर छोटी और बड़ी दोनों किस्म की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आबादी को उधर भेजना होगा और जमीन के ऊपर बोझ को कम करना होगा।

मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो सीलिंग की कोई मुखालिफत करते हों। मैं उन आदमियों में से भी नहीं हूँ जो यह समझते हैं कि 30 या 40 या 50 या 100 एकड़ जमीन खेती करने के लिए जरूरी है। एक चीज जिसे में बेसिक चीज समझता हूँ, यह है कि आज जो यह ख्याल किया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि आज के हिन्दुस्तान के खेती में सीलिंग का ही एक मसला है, वह गलत बात है। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से इंटरमिडियेरीज (मध्यस्तों) का जो मसला था, वह तकरीबन खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। यह एक बीते जमाने की बात होने वाली है, इतिहास की बात होने वाली है। सीलिंग के माने यह नहीं हैं जैसे कि बिहार के भाई समझते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि वे अपने ही नुक्तेनजर से तमाम देश को क्यों देखना चाहते हैं। हमें मालूम है कि बिहार के अन्दर कोई रेवेनयू रिकार्ड नहीं हैं। सरकार के पास वहां कोई ऐसा हिसाब नहीं है, जिससे यह पता लग सके कि इस जमीन को कौन काश्त करता है। उन्हें पता होना चाहिये कि पंजाब के अन्दर हर एक फसल का रिकार्ड होता है और.....

श्री विभूति मिश्र : बिहार में पर्मानेंट सेटलमेंट है और वह आज से नहीं है, सन् 1858 से है।

चौधरी रणबीर सिंह : यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि वहां पर एक परमानेंट रिकार्ड है और उसी के लिहाज से आज भी वह देखना चाहते हैं। इस बात को वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।

मैं कह रहा था कि पंजाब के अन्दर हर छह महीने के अन्दर हालत बदले हैं। पंजाब के रिकाड़ से यह पता लग सकता है कि आज से छह महीने पहले किस आदमी ने एक खेत को काश्त किया और दूसरा छह महीने में किसने किया। यह हो सकता है कि जो खेत छह महीने पहले किसी ने काश्त किया हो, वही खेत उसने छह महीने के बाद काश्त न किया हो और किसी दूसरे ने किया हो। साथ ही साथ वह उस फसल के लिये इस्तेमाल न किया गया हो, जिसके लिये कि वह पहले इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से पंजाब में हर छह महीने और हर साल का रिकाड है, जिससे यह पता चलता है कि किस आदमी ने कौन सा खेत और क्या फसल काश्त की। यही चीज यू.पी. में भी है। इसके मुकाबले में बिहार के भाई आयें और बतायें कि उनके पास क्या रिकार्ड है। यह सही बात है कि उनके पास कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है। इस बात से वह इन्कार नहीं कर सकते। वे जो मध्यस्त को हटाने की बात कहते हैं और जिसके ऊपर वह बड़ी बड़ी मांग करते हैं, मैं मानता हूँ, वह उचित ही है और मैं भी चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिये। लेकिन, वह अपने ही नुक्तेनजर से सारे देश को न देखें। आज तिवारी जी ने कहा था कि ट्रैक्टर वाले जो हैं, वह जो पैदावार करते हैं, उनकी पैदावार दूसरों के मुकाबले में, जोकि टैऊ्रक्टर्ज का इस्तेमाल नहीं करते, कम है। उनको मालूम होना चाहिये कि अगर टैऊ्रक्टर वाला दूसरे आदमी के मुकाबले में ज्यादा पैदा नहीं करता है तो वह जिन्दा नहीं रह सकता है। टैऊ्रक्टर के जरिये से जो खेती करत है, वह ऐसी खेती नहीं करता है, जिससे कि उसको पता ही न चले कि क्या खर्चा पड़ता है। अगर ऐसा न हो तो वह छह महीने के बाद दिवालिया हो जाये। जो टैऊ्रक्टर्ज के तेल का खर्चा होता है और जो मैकेनाइज्ड तरीकों से जो कल्टीवेशन होता है, वह सब एक तरह से ऐसी चीज है, जैसे कि एक बिजिनेस होता है। इसलिये

टैऊक्टर्ज इस्तेमाल करने वालों को अगर जिन्दा रहना है तो उनको पैदावार ज्यादा करनी ही होगी। अगर वह ऐसा कर सकते हैं तभी वह जिन्दा रह सकते हैं।

मुझे एक बात याद आती है। पंजाब के देहातों में एक मिसाल है, जिसको मरासी लोग, जोकि पंजाब में एक क्लास है, वह कहती है कि काश्तकार न होते तो इन्सानों को खेती करनी पड़ती। इसी तरह से जो लोग टैऊक्टर्ज वगैरह के खिलाफ हैं, क्या वे यह चाहते हैं कि जिस ड्रजरी में किसान इस वक्त है, उसी में वह रहें। अगर हमें इस ड्रजरी में से निकलना है तो हमें मशीनें लानी ही होंगी और मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह मशीनें लायें और जल्दी से लायें ताकि देश की पैदावार बढ़े और किसानों का जीवन एक सुखी जीवन बने।

एक माननीय सदस्य : जो बेकारी होगी ?

चौधरी रणबीर सिंह : बेकारी का मसला मेरी समझ में नहीं आता है। जो बेकारी की बात करते हैं, वह शायद सिर्फ उन टैऊक्टर्ज को ही देखते हैं, जोकि 60 हार्स पावर के हैं। उनको शायद यह मालूम नहीं है कि थोड़ी-थोड़ी हार्स पावर के टैऊक्टर भी होते हैं। मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह दोनों ही जापन गये और हमने वहां पर पांच हार्स पावर और दो हार्स पावर के टैऊक्टर देखें और मैं समझता हूँ, अगर ऐसे टैऊक्टर इस्तेमाल किये जायें तो किसी भी तरह से हमारे देश में बेकारी नहीं फै ल सकती है। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप ऐसी मशीनें लायें, जिनसे हमारे देश में बेकारी फै ले।

आप ऐसी मशीनें लायें जोकि किसानों की ड्रजरी को कम करें और किसान ज्यादा भी पैदा कर सकें। मैं जानता हूँ कि हमारे देश के अन्दर बहुत सारी जमीन ऐसी है, जिसको काश्त करने में हल कारगर साबित नहीं होता है। वह जमीन सख्त होती है। हल उसके अन्दर घुसता नहीं है। मुझे मालूम है कि तराई के एरिया की जो जमीन है, वहां पर अगर कोई आदमी बरसात में हल नहीं चला सकता है तो उसकी जमीन बंजर हो जाती है। हमें आज ऐसी मशीनों की जरूरत है, जो सख्त जमीन की काश्त करने में हमारी मदद कर सकें और किसानों की ड्रजरी को कम कर सकें और वह ऐसी छोटी छोटी मशीनें होनी

चाहियें जो बेकारी भी न लायें और किसानों की जिन्दगी को सुखी भी बना दें। ऐसी मशीनें आज देश की खेती में लाने की जरूरत है।

इसके अलावा में अपने इधर वाले दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि वे एक बात समझ लें और वह यह है कि अब इंटरमीडियरी के नाम पर और सीलिंग के नाम पर अगर वह जिन्दा रहना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इस पर हम बहुत दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते। आज अगर यू.पी. के किसान उठते हैं तो वे इसलिये नहीं कि वहां सीलिंग नहीं लगी है, बल्कि वे इसलिये उठते हैं कि उनके गन्ने की कीमत ठीक नहीं मिलती। अगर आज पंजाब के किसान शोर करते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके गेहूँ की और चने की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती। इसी तरह से अगर साउथ के किसान उठते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिये कि उनकी रबड़ की, चाय की, कहवे की, रूई की और ग्राउंड नट की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती है। इसी तरह से जूट का हाल है। आज आपको किसान की लड़ाई या पुकार का सही कारण जानना जरूरी है। आप पिछले सालों के अखबार पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि किसान किस चीज के लिये लड़ता है, किसान किस बात पर अपनी आवाज उठाता है।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ। लेकिन, अपनी बात कहने से पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं। सरकार ने प्राइस सपोर्ट दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का यह ख्याल था कि वह इस देश में नही दिया जा सकता। वे कहते थे कि यह देश बहुत बड़ा है और यहां पर बहुत बड़ी आबादी खेती का काम करती है। अगर किसी देश में 10 या 12 फीसदी आबादी खेती करती हो तो वहां तो प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है या जहां खेती की इनकम 10 या 12 फीसदी हो, उस देश में प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है। उन लोगों का कहना था कि हिन्दुस्तान में तो 50 फीसदी आमदनी खेती से होती है और यहां पर 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है। यहां पर किस तरह से प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है और उसका बोझ कौन सहारेगा? ताज्जुब की बात है कि ऐसा कहा जाता है।

प्राइस सपोर्ट का मसला बिल्कुल साफ है। जितना मार्केटैबल सरपलस

है, उसको सपोर्ट देना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जोकि अभी तक हमारे देश मे कभी हुई न हो। आप खेती के पिछले आठ सालों का इतिहास देखें तो आपको उससे यह सबूत मिलेगा कि पिछले सालों में, कंट्रोल के जमाने में सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये लगाकर खेती की पैदावार को, मार्केटबिल सरप्लस को खरीदा, इसलिये कि हिन्दुस्तान में उपभोक्त को सस्ती चीजें बेची जा सकें। आज भी उतना ही या उससे दस पांच फीसदी ज्यादा मार्केटेबिल सरप्लस होगा। उसको खरीदने का सवाल है और वह भी कंज्यूमर के लिये खरीदा जायेगा। ऐसा करने से किसान को फायदा होता है तो सरकार को ऐसा करना चाहिये। पहले जब सरकार ने एक हजार करोड़ का मार्केटेबिल सरप्लस खरीदा था तो उसने 200 करोड़ का घाटा बरदाश्त किया था। मैं अपने कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस काम के लिये वे वित्त मंत्री से मांग करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इधर के सदस्यों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार अगले पाँच साल के लिये इस काम के वास्ते 400 करोड़ रूपया रखे, ताकि कीमत को स्थिर किया जा सके। यह डर गलत है कि अगर सरकार प्राइस सपोर्ट देने लगेगी तो इससे सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। आज आप देखें कि हालत क्या है। वह गेहूँ जोकि पंजाब में फसल पर 8 रूपये मन बिका था, आज मद्रास और कलकत्ते में 18 रूपये मन बिकता है। चना जो पंजाब में 5 रूपये मन बिका था, आज 14 और 15 रूपये मन तक बिकता है। तो इसमें सवाल तो प्लानिंग का है।

यहां बतलाया गया है कि वेयर हाउसेज (गोदाम) बनाये जायेंगे। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जितना हाथ इस मिनिस्ट्री का देश की उन्नति करने में है, उतना और किसी का नहीं है। मैं मिनिस्टर महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट उनके लिये है। इसलिये जिस चीज को वे देश के लिये अच्छा समझें उसको पूरा करने के लिये हिम्मत से आगे बढ़ें। वे अपनी मांगें फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरी मिनिस्ट्रीज से पूरी करावें और पीछे न हटें।

मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि जैन साहब ने वेयर हाउसेज के

बारे में क्या कहा। मैं उनका मतलब ठीक से नहीं समझ सका। मैंने तो यही समझा है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया 12 हजार वेयर हाउसेज बनवाना चाहती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने सात या पांच हजार की ही राय दी है।

श्री ए. पी. जैन : मैंने ऐसा नहीं कहा था कि 12 हजार बनाने का प्रोग्राम था। जब स्टेट गवर्नमेंट्स से बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाया कि करीब सात हजार वेयर हाउसेज तो किराये पर लिये जा सकते हैं। इसलिए पांच हजार बनाये जायें। कुल मिलाकर 12 हजार हो जायेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो कहूँगा कि 12 हजार का ही टारगेट रखें। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि इन वेयर हाउसेज के बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। कहा जाता है कि एक वेअर हाउस बनाने में इतना सीमेंट लगेगा, जितना कि एक मकान में लगता है। अगर यही कठिनाई है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देहात में उस वक्त तक के लिये पक्के मकान बनवाना बन्द कर दें, जब तक कि सारे देश में उतने वेअर हाउसेज न बन जायें, जितनों की कि जरूरत है। किसान की तरक्की के लिये वेअर हाउसेज का बनना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि, जब तक ये वेअर हाउसेज नहीं बनेंगे, तब तक किसान को सस्ती दर पर कर्जा नहीं मिल सकेगा। आज हालत यह है कि अनाज तो पैदा करता है किसान और उसके ऊपर व्यापारी सस्ती दर पर कर्जा लेता है। लेकिन, किसान को उसके अनाज के बदले सस्ता कर्जा नहीं मिल सकता।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। वह है एग्रीकल्चुरल टैक्सेशन के बारे में। एक जमाना था कि सन् 1763-64 में हमारे देश में सारे देश की कुल आमदनी का 69 परसेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से आता था। लेकिन, सन् 1953-54 में जो इनकम हुई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसका 8.6 परसेंट लैण्ड रेवेन्यू से आया। अगर सूबों को अलग लिया जाय तो सन् 52 के अन्दर सूबों की कुल आमदनी का 20.3 परसेंट लैंड रेवेन्यू से आया। एक जमाना था, जबकि सन् 1952 में यह आमदनी लैण्ड रेवेन्यू से सूबों की कुल आमदनी 54 परसेंट थी। हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि अगर लैण्ड रेवेन्यू को भी उसी तरीके से असेस किया गया, जिस तरीके से कि इनकम टैक्स को असेस

किया जाता है तो आसमान गिर जायेगा। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। पंजाब सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह सिफारिश भेजी और अपने यहां इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि हम हर उस किसान की लैण्ड रेवेनयू को माफ करना चाहते हैं, जोकि 5 रूपये से कम मालगुजारी देता है। लेकिन, अफसोस है कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट इस बात के लिये जिम्मेदारी लेने को तेयार थी कि ऐसा करने से उसे जो 32 या 34 लाख का खसारा (घाटा) होगा, उसको वह किसी दूसरे तरीके से पूरा कर लेगी।

मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कब तक इस देश के अन्दर टैक्सेशन के दो तरीके चलते रहेंगे। एक आबादी इस देश में ऐसी है, जिसकी कई हजार की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी तरफ एक आबादी ऐसी है, जोकि देश की कुल आबादी का 70 फीसदी है, जोकि चाहे कुछ पैदा कर सके या न कर सके, चाहे उसे घाटा ही क्यों न उठाना पड़ रहा हो, तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है।

आप इस लैण्ड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकते। सरकार तो जनता की प्रतिनिधि है। वह लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकती। उसे इसको टैक्स कहना होगा और अगर उसको टैक्स कहा जायेगा तो टैक्स में डिफरेंसियेशन नहीं किया जा सकता। आपको इस भेदभाव को खत्म करना होगा। कुछ दोस्त समझते हैं कि ऐसा करने से राज्य सरकारों का दिवाला निकल जायेगा। लेकिन, मैं पूछता हूँ कि आखिर कुल लैंड रेवेन्यू देश की आमदनी का 8 परसेंट ही तो है। फिर यह सारी आमदनी खत्म नहीं हो जायेगी। ज्यादा से ज्यादा 4 परसेंट यानी कुल लैंड रेवेन्यू का 50 परसेंट कम हो जायेगा। अगर कोई सरकार इतनी कमी को भी किसी दूसरे तरीके से पूरा नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ कि वह काम चलाने लायक नहीं है।

अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार दूसरी पंचावर्षीय योजना में देश की आमदनी 20 परसेंट बढ़ा देगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस 4 परसेंट आमदनी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आप जितनी लैंण्ड रेवेन्यू है, उसका 50 परसेंट माफ कर दें और इतनी कमी को दूसरे

जरिये से पूरा कर लें। आप अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि अब हमारी अपनी सरकार है और जो अब तक हमारे साथ सौतेली मां का सा बरताव होता था, वह बदलने वाला है। हमारे साथ वही सलूक होगा जोकि दूसरे बड़े बड़े साहूकारों और इनकम टैक्स देने वालों के साथ हो रहा है।

अनुदान के लिए माँगें*

{प्रथम लोक सभा में 4 व 9 अप्रैल, 1956 को चौधरी रणबीर सिंह ने अनुदान मांगों पर बहस में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति पर निगाह डालते हुए बातें रखीं और अनेक पहलुओं को छुआ जिनमें गरीब व असहाय हरिजनों की स्थिति को उठाने की जरूरत पर बल दिया। 9 अप्रैल, 1956 के इस भाषण में उन्होंने साहूकारों द्वारा ग्रामीण कर्ज पर भारी सूद का सवाल भी उठाया। -सम्पादक }

————————

मैं कोई भी बात कहने से पहले उन करोड़ों किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से और जो सरकार की थोड़ी बहुत मदद मिली उसके जरिये देश के अन्दर वह हालात पैदा कर दिये हैं, जिनकी वजह से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कामयाब हुई और दूसरी पांच साला योजना के लिये एक मजबूत नींव रखी गई।

आपको मालूम ही है कि हमारी आबादी का तकरीबन 70 फीसदी हिस्सा खेती से सम्बध रखता है।.....

जबकि सरमाया जो दूसरी पांच साला योजना पर लगने को है, वह पहली पांच साला स्कीम से दुगने से भी ज्यादा है तो इस मंत्रालय के ऊपर है तो कम से कम जिस हिसाब से दूसरे महकमों पर खर्चा बढ़ा है, उसी हिसाब से इस विभाग का भी खर्चा बढ़ाना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि इस विभाग के लिये और अधिक रकम क्यों नहीं बढाई गई। वैसे मैं जानता हूँ कि इस खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के तीनों मंत्री महोदय बड़े काबिल आदमी हैं और

**संसदीय बहस (कार्यवाही, लोकसभा 1952–57), 9 अप्रैल, 1956, पुस्तक सं. 3, भाग 2, पृष्ठ 4724–4729*

तीनों के दिलों में इस देश के किसानों के लिये बड़ा प्यार है। पता नहीं प्लानिंग कमीशन से इस मंत्रालय ने ही कम रूपया मांगा या वहां से ही कम दिया गया। लेकिन, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अगर किसान मेहनत न करते तो यह पहली पंच साला योजना ही कामयाब नहीं होती। दूसरी का तो शायद हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। इससे बढ़िया इनवेस्टमेंट का जरिया क्या हो सकता है? चाहे सिंचाई वगैरह के ऊपर ज्यादा पहली योजना में खर्च नहीं किया गया है, हालांकि इस मंत्रालय के ऊपर तो सिर्फ 243 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ। अब जो हमारी आमदनी अनाज की पैदावार कम से कम उस पैदावार में हमारे आने वाले पांच सालों के अन्दर कम से कम 1200 करोड़ रूपये पहले बाहर भेजे जाते थे। अनाज, कपास या पटसन आदि मंगाने के लिये वह अब आगे नहीं किया जायेगा। एक रूपये के बदले में किसान ने पांच साल के अन्दर दो रूपये पैदा किये, तो इससे बढ़कर कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रूपया लगाने के लिये सरकार सोच सकती थी?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा डा. राम सुभग सिंह ने कहा कि इस देश के अन्दर किसानों की जो हालत है, वह ऐसी है कि उनको जितना मिलता है और जितना उसमें लगाते हैं, उसमें घाटा ही रहता है, आमदनी तो दूर रही। जिसका नतीजा है कि इस देश के किसानों के ऊपर कर्ज का भार बढ़ रहा है। आज अरबों रूपये के कर्ज का भार हमारे देश के किसानों के ऊपर है।

मुझे दूसरे सूबों का तो उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन अगर अपने सूबे के उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आप और हम रहने वाले हैं, उनके हालात को अगर आज हम मुकाबला करें तो हमें ताज्जुब होता है कि आया यह हिन्दुस्तान की आजादी किसानों के लिये है या मनीलैंडर्स (साहूकारों) की है। हमारे सूबे में कानून था कि कोई मनीलैंडर किसी काश्तकार की न तो जमीन नीलाम करा सकता था और न उसका कोई मींस ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) नीलाम करा सकता था। लेकिन, आज हालत दूसरी है और आज के कायदे के हिसाब से उसका मींस ऑफ प्रोडक्शन और उसकी जमीन भी कुर्क हो सकती है।

हमें तो उम्मीद थी कि बाकी प्रान्त भी देश के आजाद होने के बाद पंजाब से कुछ शिक्षा लेंगे और गरीब किसानों को इन सूद लेने वालों अर्थात

मनीलैंडर्स के पंजो और शिकंजो से बचायेंगे।

जो रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट निकली है, उससे जाहिर होता है कि अंदाजन कोई 25 परसेन्ट और 30 परसेंट तक सूद लिया जाता है। जबकि बिड़ला और दूसरे बड़े बड़े पूंजीपति और कारखानेदार जो आज भी ताकतवर हैं और अगर वे कोई नया काम चलाना चाहें तो उनको 3, 4 या 5 फीसदी की दर पर कर्ज दिया जा सकता है। इस दर से वे जितना चाहें कर्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ किसान है जो कर्ज के भार से दबे हुए हैं और अगर वे अपनी हालत को सुधारने के लिये कर्ज लेना चाहे या कर्ज लेने के लिये मजबूर हों तो उनको 18, 20 और 30 फीसदी की दर से कर्ज लेना पड़ता है। इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के किसानों का भविष्य कैसा अंधकारमय है?

देश के अन्दर अगर समाजवादी ढ़ंग का समाज बनाना है तो इस देश के नेताओं को और सरकार को सोचना होगा और बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा कि जो पहले के कर्ज हैं, उन कर्जों के बदले में किसानों की जमीनें और उनके मींस ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन) अवश्य बचाने होंगे। इस सम्बन्धम में जो कायदे और कानून पंजाब सूबे के अन्दर थे, वे तमाम देश के अन्दर लागू करने होंगे ताकि किसान लोग जो रूपया कर्ज देने वाले हैं अर्थात मनीलैंडर्स लोगों से अपने को बचा सकें। साथ ही साथ इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपनी उन्नति करने के लिए वाजिबी दर पर इनको आर्थिक सहायता मिल जाया करे।

सहकारी समितियों की इस देश में बड़ी चर्चा और शोरशराबा है। यह कहा जा रहा है कि इस देश के अन्दर अब आगे आने वाले पांच सालों के अन्दर बड़े बड़े गोदाम बनाये जायेंगे। हमें यह सब सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन, हमें इसमें एक डर है और वह यह है कि कोआपरेटिव्स के नाम से इसमें कुछ थोड़े से वही लोग दाखिल हो जाते हैं, जिनके पास रूपया है और जिनके बापदादा गरीब किसानों को कर्जा दिया करते थे। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे ही जिले के अन्दर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी बनी हैं। उसके बारे में मंत्री महोदय से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उनका खयाल यह है कि 10, 15 मील के इलाके से जहां से कि गन्ना आ सकता है और जहां से कि गन्ना आना चाहिये, उससे बाहर के इलाकों के जो शेयर

होल्डर्स हैं, वे इसमें नहीं होने चाहियें। मैं समझता हूँ कि मुझसे उनको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 50 फीसदी से ज्यादा जो हिस्से हैं वे ऐसे इलाकों के हैं, जिनका कि गन्ना उस शुगर फै क्टरी में नहीं आ सकता। यही नहीं, हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हमारी पंजाब सरकार से बातचीत हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वह 10, 15 मील के इलाके से बाहर के किसानों के हिस्से 10, 15 मील के अर्से के लिये जो डाइरेक्टर्स नामिनेट किये गये, उनमें 75 फीसदी ऐसे आदमी हैं जो 15 मील से दूर के रहने वाले हैं और 75 फीसदी ऐसे आदमी हैं, जिनका कि गन्ना उस मिल के अन्दर वे कोआपरेटिव ढ़ंग से कोई फायदा उठा नहीं सकेंगे। वे क्रेडिटर के नाते आ रहे हैं।

अगर आप सही मायनों में कोआपरेटिव सोसाइटियां लोगों की भलाई के लिए चलाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि चाहे आप झिझकें या और कोई बात कहें, एक ही उसूल हमें मानना होगा और उस ढ़ंग पर हमें कोशिश करनी होगी कि हर एक छोटे से छोटे इलाके में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाये और आपको किसान को उसमें शामिल होने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर उसके पास शेयर खरीदने के लिये अपना रूपया नहीं है तो उसको रूपया दिया जाये और हर एक आदमी को जो उस कोआपरेटिव सोसायटी का लाभ उठायेगा, उसको उसका हिस्सेदार बनाया जाये। इस तरह की कोआपरेटिव्स बनाई जानी बहुत जरूरी हैं। वरना आज जो गरीबों का 20, 30 और 40 फीसदी की दर से सूद लेकर लूटा जा रहा है, वह लूटखंसोट जारी रहेगी।

मंत्री महोदय से मैं कहूँगा कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि यहां पर कोआपरेटिव शुगर फै क्टरीज बनें और किसानों की भलाई के लिये काम हो तो उसकी एक ही तरकीब है कि सरकार अपना सरमाया उनमें लगाये। आज उन आदमियों से जिनमें से तकरीबन 52 या 57 फीसदी कर्जदार हैं, कैसे आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपको रूपये देने के लिए पैसे बचा कर रखेंगे? उनको रूपया तकावी की शकल में देना होगा। इसके अलावा आपको उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये कुछ काम करना होगा। अगर आपको उनके ऊपर बीस लाख रूपया लगाना है और उनसे सिर्फ चार या पांच लाख ही वसूल हो सकता है, तो बाकी का पंद्रह लाख रूपया आपको उनको तकावी की शक्ल में देना चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से। आपके और हमारे इलाके में भाखड़ा नंगल की स्कीम तकरीबन मुकम्मिल होने वाली है। आप जानते हैं कि यह सतलुज का पानी बहुत से शहरों और गांवों को तबाह कर दिया करता था। लेकिन, जो भाखड़ा नंगल का डैम बना है, इससे बहुत सारे शहर और गांव तबाही से बचेंगे और वह लोग भी बचेंगे जोकि मुल्क की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऐसी हालत में यह तमाम का तमाम रूपया आखिर बेटरमेंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाये? उसका कुछ हिस्सा सरकार फ्लड कंट्रोल या किसी दूसरे नाम से दे। बेटरमेंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाये? बेटरमेंट फीस किसानों की हैसियत से और लाभ के अनुपात में ही लगाई जाये।

किसानों की बहबूदी के लिये अगर कोई रोशनी हमारे सामने नजर आती है तो वह अम्बर चरखा है। आज अम्बर चरखा चलाने वाला और आल इंडिया खादी बोर्ड वाले सरकार के पास आने में घबराते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस अम्बर चरखे के लिये मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको कम से कम 50 फीसदी ग्रान्ट दे ताकि इस अम्बर चरखे की उन्नति हो सकें। मैं इसके बारे में आपके द्वारा और इस हाउस के द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री उन लोगों को हौंसला दे। आज देश के किसान 100 रूपये फी चरखा के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन, वह तभी सम्भव है जब मिनिस्ट्र ऑफ प्रोडक्शन या जो आपका सेक्रेटिरियेट है, जिसका रूझान बड़े बड़े सरमायेदारों की तरफ है, वह गरीब लोगों को उनके झंझट से निकाल कर हौंसला दे। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और इस मिनिस्ट्री ऑफ फूड एण्ड एग्रिकल्चर को इस चर्खे को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करनी चाहिये और बढ़ावा देना चाहिए। जैसा अभी डाक्टर राम सुभग सिंह ने बतलाया कि कितने आदमी ऐसे हैं जो अपना पूरा समय खेती में लगा सकते हैं। उनका काफी समय बच रहता है, जिसको वह अपनी तरक्की करने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।

साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि यहां बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली जाती हैं। हमारे देश में खेती को बढ़ाने के लिये भी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। लेकिन, क्या इस मंत्रालय ने कभी यह सोचा है कि जो हिन्दुस्तान के आम किसान हैं, जिनकी जमीन कुल तीन, चार या पांच एकड़ की है, उनको कैसे

एकानामिक खेती में तबदील किया जाये। क्या इसके लिये कोई कदम लिया गया ? मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह जापान गये थे। वहां हमने देखा कि जिस किसान के पास पांच एकड़ की मिल्कियत है वह करीब पंद्रह हजार रूपये साल कमा सकता है। तो क्या हम इस मंत्रालय से यह तवक्को कर सकते हैं कि वह बजाय इसके कि बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दें, जैसे इसकी तरह कि एक तरफ लोग यह कहते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सीलिंग नही होनी चाहिये। इन सबका हल करें और बेचारे किसानों की तरक्की के लिये सोचें। उन आदमियों की तरक्की की बात सोचे जिनके पास सिर्फ पांच या सात एकड़ खेती है। आज सरकार लाखों और करोड़ों रूपये रिसर्च के ऊपर खर्च करती जा रही है। उस रिसर्च को करने के बाद क्या वह इन चार या पांच एकड़ की मिल्कियत वालों की खेती को फायदेमन्द बनाने के लिये कोई तजवीज रखती है ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि किस तरह से वह आज यह कर सकती है कि रिसर्च पर जो करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है, उसका फायदा आम किसानों तक पहुंच सके।

आम बजट जनरल चर्चा*

{दूसरी लोकसभा में दिनांक 14 मार्च, 1958 को आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने सरकारी आंकड़ों का सहारा लेते हुए पहले चल रही विकास की धारा पर अंगुली उठाने वालों को जवाब दिया और सरकारी पक्ष की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर खेती के प्रति पक्षपात की नीतियों पर तर्कसंगत सवाल उठाए और सुझाव दिये। -सम्पादक }

————————

Mr. Speaker, yesterday I was saying that if reliance is to be given to the statistics mentioned by the Members of the various groups of the Opposition, the laymen in this country will be obliged to feel that everything is wrong with the Government. I do not claim that everything is O.K. with the administration but I must say that everything is not wrong with the administration.

I would like to mention some statistics to prove my contention. This is the seventh year of the Plan period. We started with an expenditure of Rs. 259.54 crores for implementing the Plan in 1951-52, while, according to the Budget estimates presented for the next year, 1958-59, the Plan expenditure is expected to come to about Rs. 1017 crores, which is almost four times the expenditure which was incurred in 1951-52, almost equal to 50 per cent of the expenditure of the First Plan.

Similarly, if one looks at the pace of net capital formation by

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 मार्च, 1958, पृष्ठ 4973-4979*

and through the Central Government under direct and indirect heads, it was Rs. 511 crores in 1956-57 while it is expected to be Rs. 700 crores in 1958-59. The increase in net capital formation will be more than 50 per cent in the year 1958-59 in comparison to 1956-57. Similarly, if one compares the potentialities of the revenues of the Central Government, one will be amazed to find that in 1948-49, it was Rs. 371.70 crores while in 1958-59, it is expected to be of the orderof Rs. 768.99 crores, which is more than double that of the year 1948-49.

As regards the pace of expenditure of the Central Government out of the Revenue Budget estimate, it was Rs. 320.87 crores in the year 1948-49, while it is expected to be Rs. 796 crores in 1958-59, which is also more than double that of 1948-49. It clearly denotes that the economy has expanded 100 per cent more in the last 10 years. The total expenditure of the Central Government exclusive of the operating expenses of departmental commercial undertakings was Rs. 1091 crores in 1956-57 while the same is expected to be Rs. 1609 crores in 1958-59. Here also, the increase is more than 50 per cent.

The pace of development of the country and the success of the First Five Year Plan have created confidence in the people in the country and also in foreign countries which is clearly depicted in the response shown by increase of net borrowings of the Central Government under the various loan heads. It was Rs. 186 crores in 1956 while the same is expected to be Rs. 537 crores in 1958-59. This includes a credit of Rs. 380 crores as foreign aid. The Framers of the Second Five Year Plan expected external assistance of the order of Rs. 600 crores for the implementation of the Plan. A sum Rs. 570 crores has already been committed as foreign aid for the Second Five Year Plan, leaving a margin of Rs. 230 crores which also, I believe, will be forthcoming. Many speakers, instead of being jubilant, developed a fear complex that probably the country may not be able to repay the loan according to the schedule. I am sure,

not only the Planning Commission must have looked into the matter minutely, but the creditors also must have taken due care of their interest more than our critic friends in this House. I do not know why some friends here have started advocating the interests of the creditors rather than for the development of this country although the help is coming from different blocks of the world. The creditors must have advanced it after due scrutiny. I can understand the anxiety of the Members of this House for a proper expenditure of the aid while I fail to understand the other aspect, that is, the paying capacity of the country. It can safely be left to the creditors.

Any way, I may submit that we would be paying something about Rs. 23 crores in the year 1958-59. The peak year in this respect is expected to be 1961-62 in which we will be required to pay Rs. 123 crores. God willing, the country shall cross that hurdle also as we have already crossed many hurdles in the past in our development era.

It is complained that the Government have resorted to deficit financing to the tune of Rs. 1,076 without any proper authority. I would like to present this fact in a slightly different way. I feel that it shows the soundness of the financial condition of this country as inflation has not been allowed to creep in spite of the deficit financing to the extent referred to above. Personally I feel that the limitation of the expansion of the currency should not be allowed to stand in the way of progress, and deficit financing will not harm the interests of the people at large provided agricultural production and cottage industry production expand with the required speed.

The agricultural sector or the cottage industry sector does not require much foreign currency. I am sure the agriculturists of this country shall not lag behind as they have already shown their potentialities. The agriculturists made this country surplus in wheat, rice, cotton, jute, sugar etc., to the extent that at one time it became a problem to the country to maintain the reasonable price levels of these commodities. The Government, I think, reluctantly had to

resort to a price support policy in order to safeguard the interests of the growers.

I am sure if the required cheap credit is provided and a reasonable price level is guaranteed by the State, the agriculturists and the artisans will not allow the evil of inflation to spread, even though the country may resort to deficit financing to more than double the extent envisaged in the Second Five Year Plan.

I do not know the reason why road development and social services are not expedited with the speed and to the extent that people demand today in the rural areas.

As regards agricultural credit, I would like to draw the attention of the Finance Minister to the demand made by the conference of Central and State Ministers of Agriculture held at Mussoorie in 1956. The conference demanded that an additional credit of Rs. 116 crores be placed at the disposal of the agriculturists to achieve the desired target of agricultural production. The agriculturists of the country are pained that the country which advanced Rs. 1,300 crores for import of foodgrains can not afford the necessary credit facility for the agricultural sector. On an average we have been spending Rs. 130 crores every year for import of food. Even today, I am fully convinced, if the Government decides to advance Rs.200 crores credit a year, the country will need no further import of foodgrains.

The credit requirements of the agricultural sector is about Rs. 750 crores a year for the existing level of productive operation. The peasant is obliged to accept finance even at about 30 per cent interest under the existing system. You can easily imagine how one can increase production with such dear capital and with the primitive methods prevailing.

The country will have to resort to more intensive utilisation of land in order to increase production, that is through better seeds, more water, more fertilisers, better techniques of cultivation, which will require extra finance in addition to Rs. 750 crores. About Rs.

250 crores finance has been allotted for the agricultural sector in the Second Five Year Plan. I am surprised to note that the borrowings from the Reserve Bank by the State co-operative banks on the last Friday of December, 1957 was only Rs. 34.66 crores and the total advances by the State co-operative banks was also Rs. 41.27 crores, while in a totalitarian country like China the target of agricultural finance for their First Five Year Plan was Rs. 640 crores and Rs. 560 crores had been carried out by August, 1958. Not only that the total outlay of government expenditure by way of loan and other investments in the agricultural sector has been kept at Rs. 1680 crores in the First Five Year Plan in China while the corresponding figure in a demoratic country like India was only Rs 758 crores in the in the First Five Year Plan. One can easily imagine the limitation of the Indian agriculturist.

It is very easy to fix the target for production, and it is also very easy to blame the agriculturists for not reaching the targets, or to complain against Nature or the environments in which he lives, but I am sure that if the facilities which are provided under totalitarian rule in China are provided to the Indian agriculturists, they will not only come up to our expectations, but will also place the financial condition of the country on a sound footing and increase the potentialities of development to a higher pitch than envisaged in the Second or the Third Five Year Plan.

Many friends have complained against the lowering of the minimum of the taxable income. I would like to submit that this country is composed not only of wage-earners, officers, shop-keepers and industrialists. More than 80 per cent of the people depend on land. The principle of taxation for 80 per cent of the population is different from the principle of taxation the 20 per cent. How long this discrimination will continue, and where it will end, I do not know.

The agriculturists on the one hand are obliged to pay land revenue, even if do not get Rs. 190 from their holdings; they are not allowed to get more than Rs. 3,600 income under our reorganised

contemplated scheme, while on the other hand, the taxable minimum for the rest of the population is Rs. 3,600. On might say that land revenue is a rent, or it is a State subject, but I would like to submit that in a Republic no one can call land revenue as rent. It is a tax. Every one living in this country has the same rights and privileges as anybody else. The Punjab and Andhra Governments expressed their desire to exempt land revenue to the extent of Rs. 5 and Rs. 10, respectively, but I am told that the Planning Commission of the Government of India has not allowed them to do so. It is really very strange that on the one hand every pie, or even less, is being taxed while on the other hand people complain of the lowering of the minimum taxable limit. I am sure the country will have to rationalise the land revenue system on the income-tax basis at some stage or other. We can no longer depend on the outmoded system of land revenue.

According to the report of the Taxation Enquiry Commission, the income from land revenue used to be 69 per cent of the total revenues of the Centre and the States in 1793-94. It came down to 8.6 per cent in the year 1953-54. The percentage of the receipts from land revenue to the total tax revenues of the erstwhile Part A States used to be 54.8 per cent in the year 1922, while it has dwindled down to 26.6 per cent in the year 1954. I am sure the Planning Commission can remove this discrimination in the principle of taxation of income from land and other sources if it makes up its mind to do so. I would urge the Planning Commission and the Government of India to help the State and the Central territories to remove this discrimination in the principle of taxation of the agricultural population and the rest of the population.

अनुदान मांगें*

{दिनांक 3 अप्रैल, 1958 को फिर चौधरी साहिब ने अनुदान मांगों पर बोलते हुए विगत 14 मार्च को रखे अपने विचारों की कड़ी को इस भाषण में जारी रखा और चीन का उदाहरण देकर कृषि को बढ़ावा देने की वकालत की। -सम्पादक }

————————

Mr. Deputy-Speaker, the Community Projects Administration was established in this country to change the face and the surface of the rural area and to increase the income potential of the people. As regards the face and surface, I presume the Community Projects Administration has been successful to some extent. In January, 1958 there were 2,152 blocks, which covered 2,76,000 villages.

Shri Feroze Gandhi (Rai Bareli) : How many blockheads were there?

Chaudhry Ranbir Singh : I do not know.

Mr. Deputy Speaker : If the hon. Member gets advice here, he will be taken astray.

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad) : He is not a good adviser.

Chaudhry Ranbir Singh : On the eve of independence of this country, the total investment under major irrigation schemes stood at Rs. 110 crores. While during the First Five

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 अप्रैल 1958, पृष्ठ 8234-8238*

Year Plan period Rs. 110 crores were invested for minor irrigation works alone and Rs. 400 crores were invested for major irrigation projects, during the First and Second Plan period something like Rs. 1,796 crores will be spent for the benefit of the rural areas. Still the condition today is that after independence this country was obliged to import foodgrains to the extent of something about Rs. 1,335 crores worth and we were obliged to give subsidy to the extent of about Rs. 200 crores to sell that grain at cheaper rate for the urban population.

Any amount of propaganda with jeeps or any other equipment will not produce more food for this country. We require cheap finance and a price support policy to induce the grower to produce more food for the country. I wanted to interrupt and suggest while the hon. Minister of Food and Agriculture was replying to the Budget discussion to saythat a Committee, whatsoever may be the personnel, to deal with the agricultural problems of this country may be sent to China. I said it for a certain purpose. I remember the day when agriculturists of this country were able to produce food in surplus and the price went down. Big people in the Food and Agriculture Ministry were of the view that it is not possible for this poor country to give price support. Well, some big officers when they went to China, changed their opinion. In this connection I would like to draw your attention to the Report of the Indian Delegation to China on agricultural planning and technique:

"Provision of the necessary finance for agriculture, price policy, technical assistance, supply of producers' goods like fertilisers etc., in accordance with the approved plan for production, and in some cases contracts for purchase of the produce at a predetermined price and supply of requisites against that contract are the principal means through which the Chinese authorities are inducing Chinese farmers now organised into producers' co-operatives to conform to the national plan"

They were further of the view that

"The targets for agricultural credit proposed tentatively in the Second Five Year Plan need to be revised upward in substantial measures and early steps should be taken to ensure an adequate provision of credit through co-operative channels whenever possible and through Government agencies elsewhere. The administrative procedures relating to the grant of credit by co-operatives as well as by Government agencies should be re-examined so that farmers can receive financial assistance within a week or at the most two weeks and without having to depend upon the favour of the petty officer."

They further remark :

"Like China, our surplus is marginal, temporary and manageable. If China can handle this problem, there is no reason why we should not be able to do so. As long as our problem continues to be one of the shortages and our main problem is to organise for increasing production we should not be worried that the policy of price stabilisation will lead to overproduction."

My friend was referring to the Credit Survey Committee's Report and its figures. He said 3 per cent of the credit was being supplied through co-operatives. I say now it has gone up. At that time the credit which came through the co-operative societies was Rs. 24 crores, while this year it is expected to be Rs. 100 crores, and next year it is expected to be Rs. 140 crores. But the Reserve Bank has helped the agriculturists only to the extent of Rs. 35 crores, while, on the other hand, the Reserve Bank, under the advice of the Finance Ministry, forced the other banks to withdraw finance to the extent of Rs. 25 crores in order to keep the prices low. If we proceed in this manner, I am not very sure whether the Community Development administration or any other

administration will help the country to produce more food in this country.

I do not know about the break-up of Rs. 227 crores which at present is provided according to the Second Five Year Plan, but according to the draft of the Second Five Year Plan, Rs. 200 crores were provided for the community projects administration and the break-up was : Rs. 52 crores for personnel, equipment of block headquarters, and if certain other items under social education, housing for projects, rural housing, community development, miscellaneous centres are to be added, I presume it comes to about Rs. 104 crores, which means that out of Rs. 200 crores, Rs. 104 crores are likely to be paid as emoluments to some officers or personnel irrespective of the fact whether they are serving as agricultural, educational or other personnel.

Shri Feroze Gandhi : Of what?

Chaudhry Ranbir Singh : In the Community Project administration.

Mr. Deputy Speaker : If the hon. Member wants to proceed, he shall have to be impervious to these interruptions.

Chaudhry Ranbir Singh : The rest, hardly Rs. 38 crores, is to be given as grant. Whatever balance remains will be advanced as loan. I presume that if that grant can be given through the Panchayats, probably we can achieve more.

An Hon. Member : How?

Chaudhry Ranbir Singh : I have got some figures regarding our own State, to show the way things are going on, I presume it will not be possible for us to go ahead.

Shri B.S. Murthy : Which is the State?

Chaudhry Ranbir Singh : Punjab State. The State of the Deputy-Speaker and myself.

Sh. D.C. Sharma (Gurdaspur) : That is my State also.

Chaudhry Ranbir Singh : The Panchayats Department sponsored schemes to increase the income potential of the Panchayats, worth about Rs. 18,22,150. Out of that the Panchayats, were to contribute Rs. 5,95,150. If the schemes had been implemented, they would have increased the income of the Panchayats to Rs. 14,02,591 a year. The schemes were ment for 1957-58, but actual sanction has not been given to the Panchayats Department to this day. So, the difficulty is in the method of releasing funds and the working of various departments which are concerned with the agriculturist.

As far as the block development officers are concerned, I have seen that they visit the villages during day and at night generally they go back to their houses. The jeep which would have served a very useful purpose for moving about and for doing service is generally being used by them for going back to their headquarters at night. If an inquiry is held, I am sure my contention will come out to be true that out of thirty nights in a month, on about twenty-five nights, they stay at their houses. I am of the view that it should be impressed upon the block development officers that they should spend at least twenty nights in the community development blocks in the villages.

Mr. Deputy-Speaker : No complaint about the day?

Chaudhry Ranbir Singh : I have no objection if they stay at their headquarters during day-time, because they may have to attend to some official routine, and hence I have no objection if they have to go back to their headquarters during day-time.

There are also other complaints of a serious nature. I have not seen any block in any village where every farmer has started sowing improved seed, what do talk of other developments. I shall be happy if in each block intensive work is carried out in ten or twenty villages where every farmer is

persuaded to sow improved seed. If that is done, even then we can sufficiently go ahead.

As regards the report of the Mehta Committee, I am sure they have mentioned many facts which do not go to the credit of the administration.Whether it be in regard to co-operatives or in regard to the agricultural sector, the position is not very encouraging or creditable for the department. Under the reorganised scheme, we propose that that there should be 2,50,000 primary multipurpose societies with as many panchayats to make arrangements for provision of cheap finance to the agriculturist as possible all over the country. If the target is achieved fully in the block areas, then I feel that during the remaining three years much can be done by the villager himself.

सिंचाई पर ध्यान दें तो अनाज की कमी पूरी हो सकती है*

{सदन में पूरक अनुदान मांगों पर बहस में 23 फरवरी, 1959 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने पाकिस्तान के साथ रावी, ब्यास, सतुलज नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर पूरे मामले से जनता को वाकिफ कराने का सुझाव दिया ताकि इस सवाल पर होने वाले किसी समझौते को वह ठीक से समझ सके। डनहोंने आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी दूसरी पांच साला योजना के तहत इतना रुपया तलाशा जाए कि पंजाब सरकार ब्यास, रावी व सतलुज के पानी का इन्तजाम कर सके। -सम्पादक। }

————————

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिमांड नम्बर 69 और 70 के बारे में कुछ अर्ज करना है। इन डिमांड्स में सतलुज, ब्यास और रावी के पानी के इन्तजाम के सिलसिले में जो डेलीगेशन गये हैं उनके लिए खर्चे की मांग की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें से एक नम्र निवेदन यह है कि क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है इसलिए हालत यह है कि अगर पंजाब को इन नदियों के पानी के बंटवारे में कुछ नुकसान होने की भी सम्भावना हो तो भी वह इसको प्रकट करने से डरता है। सरकार की जिस तरह से नीति चल रही है उसको देखते हुए यह अन्दाजा आसानी से लगाया

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 23 फरवरी 1959, पृष्ठ 2491-2497*

जा सकता है कि इस तरह की बात कहते हुए अफसरों के दिल में कितना डर हो सकता है।

पंजाब में आम जनता को यह आशंका है कि यह जो नहर के पानी का फै सला होने सकता है कि जब यह आखिरी तौर पर हो तो ऐसा हो कि जिससे पंजाब की जनता के दिल की तसल्ली न हो और जितना पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना चाहिए उतना न मिल पाये। इस सिलसिले में मैं चाहात हूं कि केन्द्रीय सरकार की मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एण्ड पावर एक पैमफलेट छपवाये, जिसमें नहरी पानी के झगड़े की सारी कहानी और सारे वाकयात दर्ज हों और जिसमें बताया जाये कि किस तरह से पहले पाकिस्तान के पंजाब और हिन्दुस्तान के पंजाब के बीच में इस बारे में फै सला हुआ, वह क्या था और उसक बाद वर्लड बैंक के इस झगड़े के बीच में पड़ने के बाद क्या हुआ और अब क्या पोज़ीशन है। मुझे यह देखकर बड़ा दु :ख होता है कि दिल्ली से हुक्म चलता है कि भाखड़ा बन्ध से जो पानी इकट्ठा किया गया है, उसको सतलुज में पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए डाल दिया जाये, चाहे पंजाब की नहरों के लिए पानी काफी हो या नहीं। इसकी वज़ह यह है कि इधर-उधर से इन्टरनैशनल दबाव पड़ते हैं, हालांकि जो पहला फै सला हुआ, उसके तहत इन तीनों दरियाओं का पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना था, लेकिन वर्लड बैंक ने कहा कि जहां खड़े हैं, वहां ही खड़े रह जायें और उसके बाद जब पाकिस्तान वाले उस समझौते से बैंक कर गये, उसके बाद भी हमें तरक्की करने से कई दफा रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल एफे यर्ज़ से सलाह मश्वरा करके इस बारे में एक पैम्फलेट छपवाए, जिसमें बताया जाये कि क्या हमारी पोज़ीशन थी और आगे क्या होना है, ताकि आम पंजाबी और आगे हिन्दुस्तानी को इस बारे में जो ग़लतफहमी है, वह दूर हो सके।

जहां तक माहू टनेल प्रोजेक्ट और प्राजेक्ट्स के लिए रुपया देने का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी दूसरे पांच-साला प्लान के

तहत इतना रुपया तलाश किया जाये कि पंजाब की सरकार व्यास, रावी और सतलुज के पानी का इन्तज़ाम कर सके। आप जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान सरकार काश्मीर वगैरह दूसरे झगड़ों में अदालती बदलती रहती है, उसी तरह पानी के झगड़े के बारे में भी अदलती बदलती है। जितनी जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा रुपया दिला सकेंगे, उतनी ही जल्दी इस मसले का हम हल करा सकेंगे।

इसके अलावा में यह भी कहना चाहता हूं कि भाखड़ा में पहला पावर हाउस 1960 में चालू होगा और दूसरे पावर हाउस बनाने के लिये हमें रुपया दिलाया जाये। आप जानते हैं कि जहां पर बारह, तेरह हज़ार आदमी काम करते हैं और उन्होंने वहां काम सीखा है। परसों हम भाखड़ा गए। वहां के एक अफसर ने बताया कि जो बाल्टी सीमेंट डालती है, उसमें काम करने वाले अमरीकन की सात हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती थी और अब जो हिन्दुस्तानी काम करता है, उसके ढाई सौ, तीन सौ, रुपए ही मिलते हैं और उसकी काम करने की शक्ति अमरीकन से भी ज्यादा है। मेरा निवेदन करने का मन्शा यह है कि पंजाब में भाखड़ा में लोगों ने जो स्किल सीखी है, वे उसको भूल न जाये और उसका ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठायें, इसके लिए जरूरी है कि वहां कम जारी रहने के लिए रुपया दिया जाये। असल बात यह है कि भाखड़ा पावर हाउस से जो बिजली मिलनी है, पंजाब वालों के लिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है। कुछ नांगल फ़रटिलाइज़र फै.क्टरी के लिए रखी गई है और कुछ दिल्ली और राजस्थान की सरकार को दी जायगी। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब की तरक्की के लिए बिजली की अशद जरूरत है। अगर कहीं आम आदमी और देहात के लोग बिजली का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वह जगह पंजाब है। यह बहुत नामुनासिब है कि पंजाब को सिर्फ इसलिए पीछे रखा जाये कि वहां बिजली पैदा न हो, हलांकि वहां के लोग पैदा कर सकते हैं। इसलिस इस काम के लिए जल्द से जल्द रुपया देना चाहिए।

अब मैं डिमाण्ड नम्बर 117 के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं।

आप को मालूम ही है कि पंजाब में 32 लाख एकड़ भूमि खराब हो गई। अगर यह ज़मीन खराब न होती और उसको खराब न होने दिया जाय - उसको ठीक कर दिया जाये, तो यहां पर नहरी पानी से खेती हो सकती है और अन्दाज़ा लगाया गया है कि यहां पर 172 लाख मन फूडग्रेन्ज़ पैदा हो सकते हैं और 25 लाख मन चीनी पैदा हो सकती है और 20 लाख मन कपास पैदा हो सकती है। आज ये तीनों चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार स्टेट को को कोसी प्रोजेक्ट के लिये दूसरे पांच-साला प्लान में जितना रुपया दिया गया है, उससे फालतू रुपया दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब के लिये पहले जोचार करोड़ रुपया रखा गया था, उसको घटाकर अब 2.96 करोड़ कर दिया गया है, हालांकि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड की स्कीम्ज़ 5.4 करोड़ की तैयार है। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में बाहर से अनाज आना बन्द हो, लम्बे रेशे की कपास आना बन्द हो, और देश में तरक्की हो सके, और जिस रुपए से हम अनाज और कपास मंगाते हैं, उससे हम मशीनें मंगा सकें, तो यह निहायत जरूरी है कि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने जितने रुपए की स्कीम्ज़ बनाई हैं, उनके लिए पूरा रुपया दूसरे पांच-साला प्लान में दिया जाये। उसको घटाने की कोई वजह नहीं है। हमें इस बात का गिला नहीं है कि कोसी के प्राजेक्ट में फ्लड कण्ट्रोल के लिए ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। अगर वहां ज्यादा रुपए की जरूरत है, तो वह बेशक दिया जाए, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस देश को नहरों के इरिगेशन पोटेंशियल का पूरा फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि नहरों कापानी इस्तेमाल करने की लोगों की आदत नहीं है। इसके बर-अक्स पंजाब में भाखड़ा की नहरें तीन साल पहले कम्पलीट हो चुकी थीं और वहां के किसान उनसे ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के लिए अनाज, कपास और चीनी पैदा करने के लिए तैयार है, वह मेहनतकश है, वह जंगलों को काटता है और पैदावार करता है। यह दु :ख की बात है कि हमारी फूड मिनिस्ट्री बाहर से

अनाज मंगवाने के लिए बजट में जितना रुपया रखा गया था उससे भी अधिक 69 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन पंजाब को पांच करोड़ रुपया भी नहीं दिया जाता है। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि वाटरलागिंग की वजह से 34 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। हम तो सिर्फ पांच करोड़ रुपये मांग रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वह कौनसा बनिया का हिसाब है। अगर कोई आम बनिया या साहूकार होता, तो मैं समझता हूं कि वह हमको जरूर यह रुपया दे देता।

उसके बाद मुझे यह भी कहना है कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है -- एक का नाम पंजाबी रिजन है और दूसरे का हिन्दी रिजन और इसको इस सदन ने माना है।

हिन्दी रिजन को और 16 करोड़ रुपया अगर मिले तब उनको वैस्टर्न यमुना कैनाल का जो पानी है उसका पूरा फायदा पहुंच सकता है। अगर इतना रुपया उसको मिले तभी वाटरलागिंग जो है उसको रोका जा सकता है। लेकिन इस पांच करोड़ में से बहुत कम रुपया ही उस इलाके को मिलने वाला है। हम पंजाब के छोटे भाई हैं और गिनती के हिसाब से भी हम कम हैं और इसका नतीजा यह है कि डेमोक्रेसी के अन्दर हमारा जो दबाव है वह थोड़ा है। हिन्दुस्तान की सरकार ने वहां के लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ उनको पंजाब के साथ जोड़ रखा है। लेकिन हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज़ नहीं है। यह बात जरूर है कि उस इलाके के रहने वालों के प्रति हिन्दुस्तान की सरकार की जिम्मेवारी आती है और मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार हमको पूरा रुपया दिलाये।

अब मैं डिमांड नम्बर्स 119 और 120 के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। ये डिमाण्डस फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। आज हमारे देश के अंदर अनाज की कमी है और हमको अनाज के वास्ते दूसरे देशों के आगे झोली पसारनी पड़ रही है और इसके बावजूद भी जो कमी है वह दूर नहीं हो पा रही है। अगर बनिये का हिसाब भी लगाया जाय तो पता चलेगा कि अनाज के महंगा होने के कारण गवर्नमेंट को

डीयरनेस एलाउण्स बढ़ाना पड़ा है और अब दूसरी इंस्टालमेंट की जो मांग है वह भी जोर पकड़ रही है। इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार का खर्चा करोड़ों में बढ़ा है और बढ़ता जाता है। लेकिन एक अजीब सी हालत चली आ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की। मेरे जिले के अन्दर जो एक कोआप्रेटिव सासाइटी है उसका पेड अप कैपिटल 76 लाख के करीब है। इतना होने पर भी जो रिज़र्व बैंक है वह वहां तीस लाख से ज्यादा की क्रेडिट की लिमिट नहीं रखता है हालांकि काश्तकार जो कर्ज़ा लेते हैं इसके खिलाफ वे अपनी ज़मीन रखते हैं और जो ज़मीन इस तरह से रखी जाती है उसकी कीमत कर्ज़े से कहीं ज्यादा होती है। काश्तकार अपनी जमीन को बेच नहीं सकता है और न ही कर्ज़े को मार सकता है। इंसान को अगर वह मार दे तो मार ले लेकिन सरकारी कर्ज़े को वह मार नहीं सकता है। इसे बावजूद भी वह उसको ज्यादा कर्ज़ा नहीं देता है। इस रुपये का इस्तेमाल वह शादी में करना नहीं चाहता या किसी और चीज़ में करना नहीं चाहता, इस रुपये से वह अव्वाम के लिए अनाज पैदा करना चाहता है या दूसरी चीजें पैदा करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको रुपया नहीं मिलता है। रिज़र्व बैंक कुछ बैकों का रिजर्व बैंक नहीं या साहूकारों का रिज़र्व बैंक नहीं है और मगर वह ऐसा होता तब तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन वह हिन्दुस्तान की सरकार का रिज़र्व बैंक है और इतना होने पर भी अगर वह हिन्दुस्तान के किसानों के लिए रुपया न निकाल सके तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है। इस सदन के अंदर भी ज्यादातर जो नुमाइन्दे हैं वे किसानों के ही हैं और उन्हीं के फै सलों से यह रिज़र्व बैंक चलता है लेकिन इतना होने पर भी किसानों को कर्ज़ा लेने में दिक्कत होती है या उनको रुपया नहीं मिलता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर बैटरमेंट लेवी के खिलाफ कुछ भाई लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिये या नहीं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। आप करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगा रहा है, दूसरों

के आगे झोली पसार रहे हैं क्या इससे यह अच्छा नहीं होगा कि आप सूबों को बगैर सूद के कर्ज़ा दे और अगर आपने बगैर सूद के दस पन्द्रह साल तक कर्ज़ा दिया तो मैं आपको बतलाना चाहात हूं कि आपका दूसरों के आगे झोली पसार कर जाना नहीं होगा। अगर आपकी यही बनिये की नीति चलती रही तो यकीन जानिये कि हम दुनिया के सामने भिखारी ही बने रहेंगे। मैं चाहूंगा रिज़र्व बैंक और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज्यादा बिना सूद के रुपया दे ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। मुझे मसूरी की बात याद आती है और दु :ख होता है जहां पर 146 करोड़ रुपये की मांग की गई है और वह रुपया न देकर पता नहीं आपने कितना रुपया, कितने सौ करोड़ रुपया विदेशों को दिया है। अगर आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की पैदावार रेडियो पर प्रचार करने से बढ़ सकती है तब तो ठीक बात है लेकिन अगर पैदावार खेतों में बढ़ सकती है तो आपको जितने रुपये की किसानों को आवश्यकता है वह देना होगा और सूद के देना होगा और अगर आपने ऐसा न किया तो आपका भिखारी ही बने रहना होगा।

भाषा के सवाल पर*

{चौधरी रणबीर सिंह ने सदन में राजभाषा पर संसद की समिति की रिपार्ट पर 3 सितम्बर, 1959 को बहस में भाग लेते हुए खेद जताया कि संविधान सभा में लगभग एकमत से राजभाषा का प्रश्न तय हो जाने के बावजूद 1965 के बाद से हिंदी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर राजभाषा के पद पर आसीन हो जाने की बात पूरी नहीं हो सकी है। वे सभी क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नती की कामना करते रहे। -सम्पादक। }

————————

सभापति महोदय, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना है इसलिये मैं इस विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक निदेवन कर सकूंगा।

जिस तरीके से अंग्रेज लोग जबकि वह इस देश पर हकूमत करते थे तो वे अपना उल्लू सीधा करने के लिये और इस देश पर अपना शासन सदा के लिये जमाये रखने के लिए यहां हिन्दू, मुसलमानों और सिक्खों आदि लोगों को आपस में लड़ाया करते थे। उसी तरीके से आज मुझे यह बड़े दु :ख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजी के पढ़े लिखे विधायकों, प्रशासकों, न्यायधीशों और वकीलों देश में अंग्रेजी को ने बनाये रखने की साजिश कर दी है।

यह कितनी बदकिस्मती की बात है कि बावजूद इस बात के कि जिस वक्त हमारा संविधान बना तो श्री एन्थनी भी संविधान परिषद के हमारे साथ सदस्य थे और उनका भी विधान बनाने में योग रहा और संविधान सभा

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 सितंबर, 1959, पृष्ठ 6288-6294*

ने देश की भाषा का प्रश्न प्राय : एकमत से और सर्वसम्मत राय से, सिवाय टंडन जी के कोई उसके विरोध में नहीं था और उनका भी विरोध एक अपने ढंग का खास विरोध था, लेकिन बाकी सब लोग भाषा सबनधी निर्णय से सहमत थे और जिसके कि अनुसार यह तय पाया गया कि सन् 1965 के बाद से हिन्दी इस देश की राजभाषा के पद पर आसीन हो जायेगी और वह अंग्रेजी का स्थान बहुत कर लेगी, इस निश्चय के बाद भी जैसे कि यहां पर अंग्रेज शासक भारतवासियों को आपस में लड़ा कर शासन करते थे वही नीति मैं आज यह कहने के लिये मजबूर हूं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐडमिनिस्ट्रेटर अपना रहे हैं। वह लड़ाई पैदा करते हैं बंगाली के नाम पर वह लड़ाई पैदा करते हैं तामिल और तेलगू के नाम पर और हिन्दी के नाम पर लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लड़ना तामिल, तेलगू और बंगाली की नहीं है। मुझे तो खुशी होती अगर बंगाल की सरकार डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वहां बंगाल चलाती होती। इसी तरह अगर तमिल या तेलगू के इलाके में डिस्ट्रिक्ट लेविल के ऊपर जो आज पत्र व्यवहार होता है वह तामिल और तेलगू भाषाओं में होता तो मुझे खुशी होती। लेकिन आज हो यह रहा है कि यह अंग्रेजी पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटर प्रान्तों में एक तरफ तो पंजाबी वाले को बहका देते हैं और उन्होंने 10 हजार आदमियों को पंजाबी के नाम से जेल में भिजवाया और दूसरी तरफ मेरे जो साथ बैठे हैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री, उनको और उनके साथियों को बहकाया और दस हजार आदमियों को हिन्दी के नाम पर जेल में भेजा। अब ज्यादा नहीं तो कम से कम गांव की लेविल पर तो उनकी क्षेत्रीय भाषा चलती है लेकिन पंजाब में आज तक गांव की लेविल पर न तो पंजाबी चलती है और न हिन्दी चलती है और पंजाबी और हिन्दी के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है।

सभापति महोदय, आज वास्तव में लड़ाई हिन्दी और अंग्रेजी के बीच नहीं है, वह भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच है। आज लड़ाई अंग्रेजी और हिन्दी की नहीं है बल्कि लड़ाई अंग्रेजी और बंगाली की है, अंग्रेजी और तामिल की है, अंग्रेजी और तेलगू की है और अंग्रेजी और हिन्दी की है। हिन्दी बोलने वाले सूबों के अन्दर भी आज जिले के लेविल पर हिन्दी

के पत्र व्यवहार नहीं होता है। हिन्दी सन् 1947 में जहां थी उससे आगे कम से कम सरकारी कामकाज में नहीं जाने दी गई है, न ही बंगला जाने दी गई है और न ही तामिल ओर तेलगू।

मेरे साथी 42 फीसदी की बात करते हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर अगर कोई ऐसी भाषा है जो कि कलकत्ते में समझी जा सकती है, मद्रास में समझी जा सकती है या बम्बई में समझी जा सकती है तो वह अकेले हिन्दी ही है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसके कि माध्यम से एक प्रान्त का निवासी दूसरे प्रान्त के आदमी को अपनी बात भले ही टूटी फूटी हिन्दी में ही सही, समझा सकता है और उसकी बात को स्वयं समझ सकता है। दक्षिण भारत के अन्दर कोई अन्दाजन् 5000 के करीब हाई स्कूल और 200 कालिजेज हैं जिनके कि अन्दर हिन्दी लाजिमी तौर पर पढ़ाई जाती है। आन्ध्र के अन्दर हिन्दी लाजिमी तौर पर पढ़ाई जाती है और तामिलनाडू में जहां कि हिन्दी लाजिमी नहीं है वहां 75 फीसदी बच्चे हिन्दी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि यह हिन्दी का और दूसरी जबानों का झगड़ा अंग्रेजी के साथ खत्म हो और उस झगड़े को ज्यादा देर तक न बढ़ने दिया जाये और उसके लिए जरूरी है कि हिन्दुस्तान की सरकार की और उसके अफसरों की नीति सही लाइन पर चले।

अब इस कमेटी की 20 नम्बर की सिफारिश के अनुसार वे सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक की हो गई हो उनके लिये यह हिन्दी की शिक्षा लेना जरूरी न समझा जाये। हमारी इस कमेटी ने जो सिफारिश की है मैं उसका कोई विरोध नहीं करना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने यह हमारे सदस्य जो कि अहिन्दी इलाकों से आते हैं और जो कि हिन्दी नहीं जानते थे अगर कोई हिन्दी का इम्तिहान पास कर ले तो सरकार या हमारी लोकसभा का जो सचिवालय है वह उनको एक हजार रुपया वजीफा दे दे। मैं तो चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के जितने भी अहिन्दी प्रदेशों के लेजिसस्लेटर्स हैं, वे अगर एक खास हिन्दी की परीक्षा पास कर लें तो हर एक विधायक को एक-एक हजार रुपया इनाम दिया जाये। यही नहीं बल्कि मैं तो चाहूंगा कि जो

उनको पढ़ाने वाले और सिखाने वाले अध्यापक हैं उनको भी दो-दो सौ और तीन-तीन सौ रुपया बतौर स्पेशल एवार्ड के दिये जायें। मैं उससे भी आगे जाकर कहना चाहता हूं कि अंडर सेक्रेटरी की लेविल से ऊपर के जो उच्च सरकारी कर्मचारी जैसे आई.ए.एस. और आई.सी.एस. वाले अगर कोई हिन्दी की परीक्षा पास कर लें तो उनको एक-एक हजार रुपये का इनाम दे दिया जाये और जो उनको पढ़ाये उनको दो सौ रुपया इनाम दिया जाये ताकि सही मायने में यह जो हमारी जनरेशन है जिसने कि अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा पाई और जो कि अंग्रेजी में ही पढ़ना लिखना जारी रखना चाहते हैं हालांकि वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि अब हिन्दी का जमाना आने वाला है लेकिन तो भी अंग्रेजी का मोह उनका पिंड नहीं छोड़ता और वह उससे दायें बायें नहीं होना चाहते हैं, वे आज के बदले हुए वातावरण को समझकर उसके अनुरूप अपने को ढाल सकें और हिन्दी को अपना सकें और उसको व्यवहार में ला सकें। मुझे बहिन वेद कुमारी ने हिन्दी के प्रति जो अपनी आशंका और विचार प्रकट किये मुझे उनको सुनकर बड़ा दु :ख हुआ क्योंकि मेरा ख्याल था कि वह एक नवयुवती होने के नाते शायद हिन्दी के बारे में ठीक और अच्छे ढंग से सोच सकेगी लेकिन उन्होंने भी जो ख्याल प्रकट किया उससे मुझे दु :ख हुआ।

अब यह जो सुनने में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरी की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की जा रही है तो उस हालत में 42 वर्ष से अधिक के सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी की आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने से जो छूट दी जा रही है तो क्या होम मिनिस्ट्री अगले पन्द्रह सालों तक इस देश का तमाम शासन कार्य अंग्रेजी में ही चलने देना चाहती है? हमें हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास करना है और उसको धीरे-धीरे एक योजना के साथ 1965 के बाद से अंग्रेजी के पद पर आसीन करना है।

मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि जो आदमी वहां पर बंगला में भाषण देता है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अन्य लोगों की सुविधा के लिए सुलभ कर दिया जाता और जो अंग्रेजी में बोलता है उसका बंगला में अनुवाद कर दिया जाता है,

उसी तरीके से लोक सभा के अन्दर इन्तजाम किया जाये ओर जल्दी से जल्दी किया जाये ताकि हिन्दी में भाषण करने वालों के भाषण अंग्रेजी में और अंग्रेजी में भाषण करने वालों के भाषण हिन्दी में सुने जा सकें। लोक सभा ही क्यों इसमें पीछे रहे और ऐसी व्यवस्था की जाये कि जो हिन्दी में बोलते हैं उनका सिम्पल ट्रान्सलेशन अंग्रेजी में उन लोगों के लिये जो कि हिन्दी नहीं समझते हैं सुलभ किया जाये और इसी तरह जो भाई अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं उनकी सुविधा के लिये अंग्रेजी भाषणों का हिन्दी में अनुवाद किया जाये। मैं तो चाहता हूं कि जितनी भी अन्य भाषाएं हैं वे आगे आयें और इस सदन के अन्दर उनका भी हिन्दी में तर्जुमा हो। इसी तरह से विभिन्न प्रान्तों में भी जो बिल और ऐक्ट वगैरह छपें वे वहां की प्रादेशिक भाषाओं में छपें और मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर राजकार्य वहां के लोगों की जबानों में चलेन कि अंग्रेजी में। आज हमें जो यह अंग्रेजी को बरकरार रखने की साजिश चल रही है इसको तोड़ना होगा। यह बड़े दु :ख की बात है कि इस साजिश में केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐडमिनिस्ट्रटर्स ही शामिल नहीं हैं बल्कि लेजिस्लेटर्स भी हैं, वकील भी है और जजेज भी हैं। अब एक अंग्रेजी पढ़ा वकील यह समझता है कि उसके हक में तो यही अच्छा है कि अंग्रेजी जबान ही बनी रहे क्योंकि उसमें वह अच्छे तरीके से वकालत कर सकता है और अब तक करता रहा है। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि वह वकील अगर उसके इलाके की जबान में कार्यवाही हो तो वह शायद अंग्रेजी के मुकाबिले में ज्यादा अच्छी तरह से पैरवी कर सकता है और वकालत में ज्यादा पैदा कर सकता है। अब भरूचा साहब को डर है कि अगर हिन्दी चली तो मुमकिन है कि उनकी वकालत उतनी न चमक सके और कोई उनसे बाजी मार ले जाये और मैं समझता हूं कि यही डर हमारे एन्थोनी साहब को सता रहा है कि अगर कहीं कोट्र्स में हिन्दी आ गयी तो वह शायद उतनी अच्छी वकालत नहीं कर सकेंगे जैसी कि आज करते हैं। हिन्दी में मैं शायद उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वकीलों की बहुत ज्यादा बहस से देश की या राजकाज की या मुकदमों के फै सलों की हालत सुधरती नहीं है। वकील

दोनों तरफ से ऐसी शक्ल पेश कर देते हैं कि जिससे मुकदमा उलझ और जाता है और जज के लिये उसको सुलझाना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि वकीलों की आवाज बहुत ज्यादा न सुनी जाये। जो देश के लोगों की आवाज है कि उनकी जबान में राजकाज चलाया जाये उसको जल्दी से जल्दी माना जाये। इस बारे में राष्ट्रपति को खास अधिकार दिया गया था। जिस तरह से और मामलों में उनको वजारत की सलाह पर चलना होता है वैसा इस मामले में जरूरी नहीं है। और मैं यह भी समझता हूं कि वह इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस देश के निजाम को देश में बोली जाने वाली भाषाओं में जल्दी से जल्दी चलाया जाये यही मैं चाहता हूं।

न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए*

{सदन में न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक पर 11 सितम्बर, 1959 को बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने कहा कि मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी मिले और जहां यह तय नहीं है तय हो। जो ज्यादा काम करता हे उसे ज्यादा मजदूरी मिले। -सम्पादक। }

————————

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल्मीकी जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और जब तक कि श्रम के हिसाब से कम से कम मजदूरी मुकर्रर नहीं होती है उस वक्त तो हमें यह मानना ही होगा कि जो समय से फालतू काम करता है उसे फालतू मजदूरी नहीं है वहां उसी हिसाब से जो बाल्मीकी जी ने बताया है वह मजदूरी दी जानी चाहिए। और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज का जो वर्ग सफाई का काम करता है, मुझे यह देखकर दु :ख होता है कि वह वर्ग ही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। यह वर्ग अधिकतर नगरपालिकाओं में औ जिला बोर्डों में काम करता है। ये संस्थाएं भी सरकार का ही एक अंग है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, राज्य सरकारें अपनी जगह पर हैं उसी प्रकार ये नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड भी अपनी जगह पर वहीं काम कर रहे हैं। अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता तो यह अच्छी बात नहीं है। जबकि हम दूसरे काम लेने वालों से, जैसे खेती का काम लेने वालों से, यह तवक्के करते हैं कि वे उचित मजदूरी दें तो सरकार को तो अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी देनी चाहिए। खती मं जो आदमी मजदूरी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 4737-4739*

करते हैं उनकी कोई मजदूरी निश्चित नहीं की गयी है, फिर भी इस बात का ख्याल नहीं की गयी है, फिर भी इस बात का ख्याल किए बिना कि किसान को खेती से लाभ होता है या नहीं यह तवक्को की जाती है कि उन मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी मिलनी चाहिए और जहां यह मुकर्रर नहीं है वहां मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसी हालत में जो संस्थाएं सरकार का ही अंग हैं अगर अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देती तो यह हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। श्री बाल्मीकी जी ने कहा कि इन मजदूरों का लाखों रुपया बकाया है जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। वह उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश की तरक्की के लिए ऐसा होना आवश्यक है। आज दुनिया में समाजवादी देश भी इस बात को मानते हैं कि एक मजदूर को एक निश्चित मजदूरी तो अवश्य मिलनी ही चाहिए और जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा न होने से आदमी आलसी बन जाता है और उसका ध्यान काम न करने की तरफ जाता है, उसका ध्यान केवल समय पूरा करने की तरफ जाता है। मैं समझता हूं कि हमको मिनिमम वेज़ेज के उसूल को जल्दी काम के हिसाब से जल्दी लागू करना चाहिए और उसी हिसाब से मजदूरी देनी चाहिए। एक आदमी को कम से कम कितना काम करना चाहिए उसके हिसाब से स्टेंडर्ड मजदूरी मुकर्रर की जानी चाहिए और जो आदमी उससे ज्यादा काम करता है उसको उसी हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी में देश का भला है, और समाजवादी देश को तो यह तरूर ही करना चाहिए। पूंजीवाद में भी वह चीज जरूरी होती है। लेकिन आज जबकि देश बन रहा है, उस वक्त तो देश की और भी ज्यादा जरूरत है कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा काम करे। इसके लिए उसको प्रलोभन देने की जरूरत है। जब तक स्टेंडर्ड काम के लिए स्टेंडर्ड वजेज निश्चित नहीं होगी और जब तक यह सिद्धान्त नहीं तय होगा कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी उस वक्त तक मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं होगा और वह ज्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना चाहत हैं या उनको पकड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने मजदूरों के दिल में

जोश पैदा करें। चाहे खेती काम करता हो, या किसी छोटे-मोटे कारखाने में काम करता हो या जिला बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड में काम करता हो हमें सबके लिए यह नियम बनाना चाहिए कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी दी जाएगी।

दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सिलिंग) विधेयक*

{सदन में दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सिलिंग) विधेयक पर 16 दिसम्बर, 1959 को बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने जमीनों की सिलिंग और जमीन अधिग्रहण के मामलों में बरते जा रहे भेदभावपूर्ण नीतियों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। -सम्पादक। }

————————

महोदय, मैं श्री पटेल का जो यह अमेंडमेंट है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिये सर्कुलेट किया जाए, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मंत्री महोदय ने इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना क्यों मान लिया। इस बिल में जो फाइनैंशियल मेमोरंडम दिया गया है उसको देखने से मालूम होता है कि गवर्नमेंट इस तरह से एक्सेस लैंड के एवज में जो मुआविजा देने वाली है वह करीब 1,20,000 रुपये के होगा। कम्पेंसेशन के नाते कुल एक लाख 20 हजार रुपये देने होंगे जबकि सेलेक्ट कमेटी जिसके यह बिल सुपुर्द किया जा रहा है वह अगर एक दिन के लिये भी बैठे। कम से कम उसके ऊपर 10 हजार रुपया खर्च आयेगा। जिसके मानी यह हुये कि दस फीसदी के करीब खर्चा। इस बिल को ऐक्ट बनाने में आयेगा। जितना मुआवजा उन लोगों को मिलेगा उसका दस फीसदी खर्चा। इस एक दिन की सेलेक्ट कमेटी की बैठक करने में ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह का यह कंट्रोवरशियल ईश्यु है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि यह

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 5442-5449*

कमेटी शायद 5, 6 दिन तक बैठे। उस हालत में बहुत आसानी से उसका डबल खर्चा हो सकता है और 10 हजार या 20 हजार। खर्च हो ही जाएगा। मैं यह इसलिये, भी कहना चाहता हूँ कि मेरे नुक्तेनिगाह से जिन भाइयों ने इस मुआविजे का हिसाब रखा है शायद उन्हें दिल्ली के बारे में मालूम नहीं है कि दिल्ली में सरकार ने काफी एकड़ जमीन लोगों से ली है। उसका हिसाब भी सरकार के पास है। कोई भी आदमी उस हिसाब को देखे और मुझे बता दे कि दिल्ली में जहां कहीं भी सरकार ने जमीन ली है वह 2, 3 और 4, 6 हजार रुपये एकड़ से कम ली है। उस हालत में मैं उस हिसाब को मान जाऊंगा। जब हर एक जगह सरकारी तौर पर जिस आदमी के पास भी सरप्लस जमीन हो अगर आज से एक साल पहले मान लिया जाए कि उसकी कोई 10 या 15 एकड़ जमीन स्कूल बनाने के लिये या सड़क बनाने के लिये ली गई। उसको उसका मुआविजा 200 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया। अगर उसने किसी तरह से वकील के जरिये लड़ भिड़ करके अपनी उस जमीन को छुड़ा लिया। उसको सिर्फ 2000 रुपया प्रति एकड़ दिया गया। कहां 6000 या 4000 रुपये एकड़ और 2000 रुपये एकड़ और कहां यह 200 रुपये एकड़? आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां तक दिल्ली का वास्ता है क्या उसके लिये यह ठीक है? इस सदन के अन्दर बहुत बड़े-बड़े माननीय सदस्य हैं और वे हर एक मामले पर बड़ी गम्भीरता से सोचते हैं। लेकिन, उन्हें अन्दाजा नहीं है कि दिल्ली के आसपास की जमीनों के क्या भाव हैं। यह भाई जिनके पास आज हम कानून के मुताबिक सरप्लस जमीन पाते हैं यह कोई किसी रजवाड़े के एजेंट नहीं हैं। किसी अंग्रेज को गदर में सहायता देने की वजह से उनकी जमीन नहीं मिली है। उन्होंने वह जमीन खरीदी है और खरीदी है हजार रुपये और दो हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। अब 10 दिन पहले भी 2, 3 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से कुछ भाइयों ने जमीन बेची होगी। अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया और समझा कि सरकार जिस भाव उसको एक्वायर करेगी उसका हम इंतजार करेंगे। उनको हम सजा दें यह मेरी समझ में नहीं आया।

मेरी खबर के मुताबिक। शायद उन्हें कोई एक एकड़ जमीन भी देने वाला नहीं है। जितना रुपया हम इस प्रवर समिति के ऊपर खर्चेंगे उतना रुपया भी हम बतौर मुआवजे के लिये लोगों को देने वाले नहीं हैं क्योंकि, मैं जानता हूँ कि दिल्ली के आसपास के काश्तकार रोहतक और दूसरी जगहों के काश्तकारों से कहीं ज्यादा समझदार हैं और जानकारी रखने वाले हैं। यहां। जमीन की फसल क्या, जमीन की मिट्टी भी बिकती है। जमीन की मिट्टी भी दिल्ली के अन्दर जिस भाव से बिकती है उस भाव पर अन्य जगहों की फसल भी नहीं बिक पाती है, फसल के उतने दाम हम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे हालात में हम दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं।

इसके अलावा अभी जब पंडित ठाकुर दास भार्गव बोल रहे थे। कई एक मेरे साथी बड़े जोर से बोल रहे थे। मुझे मालूम है कि आज का क्या कायदा है। एक तरफ ऐसे भाई जिन्होंने देहातों की जमीनों को खरीदा और जमीन पर खेती की और जिनकी जमीन के ऊपर कोई मुजारे नहीं, उनके ऊपर हम क्या कायदा रखना चाहते हैं। जो यह 200 रुपये फी एकड़ का हमने हिसाब रखा है। तीस एकड़ की कीमत जाकर 6000 रुपये होती है। अब इसके बरअक्स हम देखें कि हमारे श्री राधा रमण 10 हजार या 14 हजार की मोटर के मालिक होंगे। उनके अलावा दूसरे और भी साथी हैं जो मोटर रखते हैं और मकान भी रखते हैं। यह भाई और मैं भी उनमें शामिल हूँ कि जो कायदे कानून बनाते हैं। हम खुद 8000 रुपया साल कम से कम लेते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा 9000 रुपये साल के करीब हमको मिलता है। इसी तरह से यह प्लानिंग कमिशन के भाई जो हमें लैंड पर सीलिंग करने का सुझाव देते हैं वे खुद 36 हजार रुपये साल तनख्वाह लेते हैं। वह सेक्रेटरी जिसने कि इसके ऊपर तसदीक की है वह 30 हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता है। यह भाई जो इस कानून के मुताबिक यह फैसला करने बैठेगा कि यह एक एकड़ जमीन सीलिंग में आती है या नहीं वह भी कम से कम 10 हजार रुपये साल की तनख्वाह लेता होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो यह लम्बी-लम्बी तनख्वाहें पाने वाले लोग हैं

और दूसरी तरफ वे आदमी हैं जिनकी कुल जाएदाद 6000 रुपये की है। यह कहां का इंसाफ है कि आप रूरल लोगों पर। यह सीलिंग लगायें और शहर वालों पर जो उनसे अधिक आमदनी करते हैं, उनको टच न करें? मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वे लोग जो 400 रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं और 400 रुपये बतौर भत्ते के लेते हैं, उनके मौरेल्स क्या है? वे आखिर जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वे क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आमदनी पर सीलिंग लगे और मैं उसक हक में हूँ। भले ही 5 एकड़ पर सीलिंग लगा दीजिये। लेकिन, ऐसा तो न कीजिये कि आप सिर्फ एक तबके पर ही यह सीलिंग लगायें और दूसरी तबके को अछूता छोड़ दें। अब एक तरफ जिनके पास है उनसे हम छीनते हैं और दूसरी तरफ जिसे हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं उसको मकान बनाने के लिये सरकार 25 हजार रुपये का कर्जा देती है। जिसे लो इनकम ग्रुप का आदमी कहते हैं उसे 8 हजार रुपया कर्जा सरकार मकान बनाने के लिये देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वे जरा जवाब दें कि क्या यह न्याय है? आज जो हमारा टैक्सेशन का आय-कर कानून है उसके मुताबिक 3600 रुपये के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं हो सकता। श्री मू.चं. जैन पर 3600 रुपये तक कोई टैक्सन नहीं हो सकता। उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उनकी इनकम टैक्सेबिल नहीं है। और अगर दिल्ली के किसी काश्तकार की जमीन की कीमत 3600 रुपये है। वह जमीन सीलिंग में जरूर आनी चाहिये। इन बातों को हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये।

मैं मानता हूँ कि इस बिल में एक-दो चीजें अच्छी रखी हैं। हम मानते हैं कि पाच सा छ : घंटे काफी थे इसको पास करने के लिये। इसको पास करने में मुझे कई बहुत ज्यादा एतराज भी नहीं है, क्योंकि, मुझे विश्वास है कि एक एकड़ जमीन भी। कोई बाकी नहीं है। हमें उसूली तौर पर कानून बनाना है। वह हम बना लें; इसको प्रवर समिति के सामने भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह देश का 20,000 रुपया और खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि जिनकी जमीन मारगेज होगी उनके मुआवजे का किस तरह से हिसाब होगा। मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय को बताना चाहात हूँ कि दिल्ली स्टेट के अन्दर जो जमीन मारगेज होती है वह दो हजार और डेढ़ हजार रुपये की एकड़ से कम में मारगेज नहीं होती । आप उसको देंगे 200 रुपया फी एकड़ और उसमें वे दोनों हिस्सेदार होंगे। मुआवजा मिलने के बाद जिसकी जमीन है उसको अपने पल्ले से 1300 रुपये उस आदमी को और देने होंगे जिसको जमीन मारगेज की गई है। क्या यह न्याय है ? आनरेबिल मिनिस्टर चाहें। इस पर एक उसूल की बहस कर सकते हैं। लेकिन, यह न्याय तो नहीं है। सुभद्रा बहिन ने कहा कि दिल्ली में इस कानून से बहुत थोड़े, आदमियों पर असर होगा। इस बिल को लाने की भी जरूरत थी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। वह यहां पंजाब का कानून ला सकते थे, उसको यहां लागू कर सकते थे। इस सदन का इस कानून के लिये इतना वक्त लेना और प्रवर समिति का इतना समय लेना मेरी समझ में नहीं आता। आप वहां पंजाब का सीलिंग का कानून ला सकते थे, उत्तर प्रदेश का सकते थे या जिस किसी स्टेट के कानून को बहुत अच्छा समझते हों उसको ला सकते थे और लागू कर सकते थे। हमें कोई गिला नहीं होता। हम इस बात से कोई हमदर्दी भी नहीं है। लेकिन, एक बात मैं जरूर चाहात हूँ। एक जज के नाते हमको यह सोचना है कि न्याय होता है या नहीं। कम्पेन्सेशन को आप देखें कि एक तरफ राधा रमण जी का जिस वक्त मामला आता है, इम्पीरियल बैंक के शेअर्स के मुआवजे का मामला जब आता है तो जिस शेअर की फेस वैल्यू 100 रुपया है . . . . . .

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : मैंने। शेअर नहीं खरीदे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं। यह आपसे शहर के नाते कह रहा था। मैं अर्ज कर रहा था कि जिन शेअर्स की फेस वेल्यू 100 रुपया है उनको यह सदन कम्पेन्सेशन देता है 300 रुपया। यह ऐसी बात है जिसे हमें जरा शान्ति से सोचना चाहिये। मुझे मालूम नहीं, शायद इस बिल को लिखने वाले को

जमीन से कोई दुश्मनी है। इसमें लिखा है कि अगर मकान बना हुआ हो--खेत के ऊपर और वह जमीन सीलिंग में आ जाती है। मकान का कम्पेन्सेशन। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन, खेत को कम्पेन्सेशन, जिसमें इस देश के लिये फसलें पैदा होती हैं, जिसमें देश के लिये लाखों मन गल्ला पैदा किया गया है उस खेत का मुआवजा 200 रुपया फी एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा चाहे वह उसकी कीमत का बीसवां हिस्सा हो या चालीसिवां हिस्सा हो। यह हमारा न्याय है। यह सोचने की बात है।

दूसरे मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें यह दिया गया है कि जो जमीन सीलिंग से बचेगी--वह एक, दो, चार एकड़ जो भी हो--वह जमीन गांव पंचायत को तभी मिल सकती है जबकि चीफ़ कमिश्नर साहब का उसके लिये हुक्म हो। उसमें न जाने चीफ-कमिश्नर साहब कहां से आ गये। इसके लिये आप कोई उसूल रख सकते थे जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक्ट में लिखा है कि 25 एकड़ तक जमीन गांव के लिये होनी चाहिये। इस तरह की बात आप यहां भी कर सकते थे। मैं। चाहता हूं कि इसमें यह साफ किया जाना चाहिये कि जो जमीन बचेगी वह किन आदमियों को मिलनी चाहिये। मेरे मित्र ने कहा कि इसमें उनका हक है जिनका जमीन हमने ली है। अभी कल परसों मुझे दिल्ली के एक भाई मिले जिनकी चार एकड़ जमीन के एक भाई मिले जिनकी चार एकड़ जमीन में से दो एकड़ नहर के लिये ले जी गई। मैं समझता हूँ कि जिसकी जमीन से इस तरह दूसरे काश्तकारों को फायदा पहंचता है उसकी बची हुई जमीन दी जानी चाहिये। जैसा कि मैंने अर्ज किया था, जहां इस सदन की इमारत है वहा पर कुछ लोगों की जमीन थी। उनकी जमीन लेकर उसमें से कुछ को। बिलकुल बेघर कर दिया गया और कुछ को पंजाब के पाकिस्तान वाले हिस्से में जमीन मिल गई। जब पार्टीशन हुआ। वह वहां से उठकर भागे और यहां दिल्ली में आये। यहां पर उनको क्वासी परमानन्ट बेसिस पर जमीन अलाट हुई। वे 76 कुनबे थे। उनमें से 70 को। हक मिल्कियत मिल गया। लेकिन, 6 बदकिस्मत हैं जो किरकी गांव में है। उनसे कहा जा रहा है कि

क्योंकि, वह एरिया शहर के एरिया में आ सकता है इसलिये, उनको वहां से भी हटना होगा। यह जमीन उनको क्रासी परमानट बेसिस पर एलाट हुई थी। उस पर उन्होंने मकान बना लिय हैं, कुवें भी बना लिये हैं। उनका कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है। उनको हटाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें उनको हटाना पड़ता है। उनकी जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर आती है। ऐस आदमियों को जिनकी जमीन सड़क निकालने के लिये या देश और कौम के किसी और सफाद के लिये ली जाती है। उसका सबसे पहले जमीन दी जानी चाहिये। उनकी हक लैडलैस लेवरसं से भी अचछा उनकी जमीन से दो चार होने का तजुर्बा है। हमें देश के लिये अनाज की जरूरत है और वह लोग जमीन से अनाज पैदा कर सकते हैं।

खेती-किसानी करने वाले भेदभाव के शिकार हैं*

{दिन्नांक 11 मार्च, 1960 को सदन में दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने विक्षोभ भरे लहजे में कहा कि हमारे यहां बहुत लोग हैं जिनका विचार है कि हरयाणा वाले दिल्ली के साथ जुड़ जाएं। लेकिन जिस समय हम ऐसी बाते देखते हैं और ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं तो दिल्ली के साथ होने में हमें एक डर सा लगता है क्योंकि यहां जो भाई विचार करते हें उने दिल में जमीन की वह कीमत नहीं होती है जो पंजाब (हरयाणा) के किसी काश्तकार के दिल में जमीन को लेकर होती है। -सम्पादक।}

————————

उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से इस बात की बहुत आशा थी कि वह दिल्ली भूमि अधिकतम सीमा बिल पर अच्छी तरह सोच-विचार करेगी और जितनी भी धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है, उनके बारे में सदन के सामने अपनी तजवीजें पेश करेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव और दूसरे साथियों ने यह ख्याल जाहिर करने की कोशिश की थी कि हम उसूली तौर पर सीलिंग तो लगे, लेकिन सीलिंग के आगे जो कार्यवाही है, वह न्याय की रीति से ही की जाय और उसमें किसी के साथ ज्यादती न हो। इसके ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हमारे यहां बहुत से साथी हैं, जिनका ख्याल है कि हम दिल्ली के साथ मिल जायें, लेकिन जिस वक्त हम ऐसी बातें

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5465-5471*

देखते हैं और ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं तो हमें एक डर सा लगता है दिल्ली के साथ जुडत्रने में, क्योंकि यहां पर जो भाई विचार करते हैं, उनके दिल में जमीन की वह कीमत नहीं होती है, जो पंजाब के किसी काश्तकार के दिल में होती है।

इस बिल में कम्पेन्सेशन के बारे में जो धारा 10 है, मैं उसके खण्ड 2 और 3 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि जमीन तो जरिया-ए-पैदावार हैं और मकान तो सिर्फ रहने की सहूलियत है। इस बिल में हमने यह माना है कि मकान की कीमत तो जरूर बाजार भाव के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन जमीन की कीमत बाजार भाव के नजदीक भी न हो। मेरे भाई ने कहा कि वह डेढ़ दो सौ रूपये बैठता है। शायद उनको पता नहीं-क्योंकि वह मुश्किल से चालीस पचास रूपये एकड़ के हिसाब से बैठता है। दिल्ली में बाजार भाव एक एकड़ का पांच हजार रूपया हो और उसका मुआवजा हम पचास रूपया दें, यह कहां का न्याय है? हम कहते हैं कि सोशल रिफार्म के लिए समाज के हर एक अंग को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इम्पीरियल बैंक के जो हिस्सेदार थे, उनसे भी कुर्बानी कराई गई। अगर हिस्से की फे स वैल्यू ही दे दी जाती, तो हमें शिकायत न होती, लेकिन उससे पांच गुना मार्केट वैल्यू के तौर पर उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन, जो जमीन सोना पैदा करती है, जो अनाज पैदा करती है, उसके मुआवजे के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया है, उसमें कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। उस जमीन के ऊपर अगर किसी ने दो हजार रूपये का मकान बना दिया है तो उसकी कीमत दो हजार रूपये जरूर मिलेगी, चाहे एक एकड़ जमीन का मुआवजा सिर्फ साठ रूपये ही मिले।

यह समझ में नहीं आता। मैं जानता हूँ कि इस देश के अन्दर बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारे प्रान्तों से आते हैं। वहां जो जमीन का तरीका है, वह पंजाब में कभी नहीं रहा। पंजाब और दिल्ली के आसपास के जो भाई खुशहाल रहे, जो काश्तकार खुशहाल रहे, उनकी एक ही वजह थी कि दूसरे सूबों में तो

सन 1947 के बाद जमीन की जो खेती करते थे, मिल्कियत के हकूक यह जमींदारी एबालिशन के बाद मिले। लेकिन, यहां तो सालहा साल यह हक रहा। बहुत सारे राज्य आये दिल्ली के अन्दर और चले गये। लेकिन, जो खेती करने वाले थे वह वहीं के वहीं रहे और शान्ति से अपनी खेती करते रहे और खेती करने में वह होशियार थे। अगर यह जमीनें जमींदारी की होतीं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि उस हालत में शायद यह अंग्रेजों की सेवा करने के लिए या देश के साथ गद्दारी करने के नाते अगर कोई इनाम मिला होता तो मैं तो उससे भी आगे जाता और कहता कि एक कौड़ी भी उनको न दो। लेकिन, इन्होंने यह जमीन खरीदी है। यह जमीन उन्होंने कोई जागीरदारी के नाते नहीं ली। कोई जमींदारी के नाते नहीं ली बल्कि वह तो एक तरह से पीजेंट प्रापराइटर थे। अब उनके लिए यह जो 30 स्टैन्डर्ड एकड़ की सीमा मुकर्रर की है तो इसको तो किसी हद तक बर्दाश्त भी किया जा सकता है। लेकिन उससे यह कहना कि तुमको बाजारी भी नहीं देंगे यह उसके साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि जो अधिकतम सीमा मुकर्रर करते वक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश का और आसपास के सूबों का ख्याल रखा गया है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब के कानून में जो मुआवजे की धारा रखी है उसकी तरफ भी ध्यान क्यों नहीं दिया है? वहां उसमें लिखा हुआ है कि सीलिंग के बाद जो फालतू जमीन काश्तकारों से ली जायेगी उसका मुआवजा जो उस समय बाजारी रेट होगा उसका 75 फीसदी दिया जायेगा। मैं मान सकता था अगर 75 फीसदी के बजाय वह 60 फीसदी भी बाजारी रेट का मुआवजा देते। मैं दूसरे ढ़ंग से मानने को तैयार हूँ और वह यह कि जिस तरह पंजाब में मरला टैक्स लगाया यहां भी कोई इस तरह का मरला टैक्स लगता। यहां भी शहर बढ़ रहा है और उसके कारण जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए यह मरला टैक्स देना चाहिए लेकिन उसके बाद जो उसका हक पहुंचता है उतना मुआवजा उसको देना चाहिए। लेकिन, आज उसके साथ न्याय नहीं हुआ है यह देख कर मुझे बड़ा दु :ख होता है। जो

जमीन पर अनाज पैदा करे उसके मुआवजे का उसूल दूसरा है। जो भाई मुआवजा मुकर्रर कर रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि उनको जमीन से दुश्मनी है, ऐसा मालूम देता है, मकान से प्यार है और जो उसके अन्दर सामान लगाया जाय उससे प्यार है लेकिन जमीन से दुश्मनी है। मैं तो समझता हूँ कि इस देश के अन्दर 70 फीसदी देश की ऐसी आबादी है जिनका कि जमीन की मिल्कियत से एक रिश्ता है और इस तरह जमीन की मिल्कियत के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते को आज डेमोक्रेटिक जमाने के अन्दर इस तरह से ठेस पहुंचाना, मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो छूट दी गई है उस सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसके अन्दर लिखा है कि फलां तारीख के अन्दर अगर कोई बगीचा लगा हुआ था तो वह तो छूट सकता था। लेकिन, जो उसके बाद अगर बगीचा लगेगा वह नहीं छूट सकेगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कौन से न्याय की बात है? क्या उस तारीख के बाद देश को बगीचों की जरूरत नहीं है? देश के लिए जितने भी फल वगैरह पैदा करने थे वह उस वक्त तक जो बगीचे लगाये जा चुके हैं वह क्या हमारे देश की मांग को पूरा कर सकेंगे? अगर आपके ख्याल में वे पूरा कर सकेंगे तब तो मेरी समझ में यह आ सकता है कि फलां तारीख के बाद अगर कोई बगीचा लगाना चाहता है तो उसके साथ कोई रिआयत नहीं होनी चाहिए। लेकिन, अगर हमें फलों के और अधिक पैदा करने जरूरत है तो जाहिर है कि इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

उसी धारा के अन्दर चीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि जिस चीज के लिए जो छूट दी गई है उसको एक अर्से तक अगर वह पूरा न करे या पूरा करने में पीछे हट जय तो वह जमीन उससे वापिस ली जा सकती है। जब हमने इस धारा के अन्दर ऐसा लिखा हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बगीचे के लिए हम यह फरवरी 59 और 60 से क्यों प्यार करें। उसके लिए हमको वक्त देना चाहिए। साल, दो साल का वक्त हम दें। अगर उसके भीतर और बाद में कोई बगीचा लगा सके तो उसको लगाने का मौका

दिया जाय ताकि वह देश की सेवा कर सके। मेरे साथी श्री सिंहासल सिंह बहुत उतावले हैं। उनके दिल में एक भावना है और उस भावना की वजह है। मुझे उन्हांने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिड़ला साहब की 20 हजार एकड़ जमीन है और उसके अन्दर बड़े-बड़े टैऊक्टर्स, सामान और मकानात लगाये हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव दिया जाता है कि उसको भी छूट के अन्दर दिया जाये क्योंकि जैसा कि इसमें भी दर्ज है कि अगर जमीन के ऊपर ज्यादा इनवैस्टमेंट की है तो उसको छूट होनी चाहिये। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यहां तक तैयार हूँ कि 100, 150 या इतने में मिकैनाइज्ड फार्मिंग कर सकता है, उसको यह छूट मिल जाय और यह छूट उसके लिये होनी चाहिये। अब मेरे साथ श्री सिंहासन सिंह का चूंकि मिकैनाइज्ड खेती से कभी कोई खास वास्ता नहीं रहा, इसलिये उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर है। मैं समझता हूँ कि जो एफिशिएंट फारमर है और जो इतनी अधिक पैदावार कर सकता है उसके लिये कुछ तो रिआयत अवश्य होनी चाहिये। लेकिन, वह रिआयत इतनी अधिक नहीं होनी चाहये कि उसके अन्दर कोई ड़िला या टाटा पैदा हो सके। हां रिआयत इतनी जरूर होनी चाहिये कि जो भाई मशीन से खेती करते हैं और जिसके लिये 100, 150 या 200 एकड़ कोई ज्यादा जमीन नहीं है वह अच्छे ढ़ंग से ज्यादा पैदावार कर सके और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ सके।

अब सूरतगढ़ का फार्म मैंने देखा। वहां पर डेढ़ करोड़ रूपया लगा है। 750 रूपया फी एकड़ वहां पर इनवैस्टमेंट है। एक फसल के लिये 225 रूपया फी एकड़ के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगता है। लेकिन, उसके बावजूद भी वहां कभी तो 20 मन पैदा किया जाता है और कभी 12 मन और वहां जो यू. पी. के तराई के अफसर थे उन्होंने बतलाया कि सरकार का हिसाब लगाने का तरीका और होता है और आपकी तरह से वहां पर हिसाब नहीं रखा जाता। जितनी धरती बोई वह सारी बोई हुई मानी जाय और उसके ऊपर एवरेज निकाला जाय, ऐसा हिसाब नहीं है। वहां तो यों हिसाब है कि जिसकी एक खास परसेंटेज तक पैदावार न हो उसको उससे काट दिया जाता

है। मान लीजिये कि 3000 एकड़ जमीन बोई, 500 एकड़ भूमि के अन्दर फसल मामूली लगी तो उसको उसमें से काट कर 2500 एकड़ के ऊपर एवरेज निकाला जाता है। अब वहीं तराई के इलाके में जो पंजाब के किसान गये हैं और खेतीबाड़ी करते हैं और अगरउनकी एवरेज पैदावार सूरतगढ़ के फार्म से ज्यादा है तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ रिआयत करने का केस बनता है लेकिन बिड़ला और टाटा के साथ यह रियाअत नहीं होनी चाहिए।

कृषि अनुसंधान का मूल्यांकन*

{सदन में कृषि अनुसंधान के मूल्यांकन पर 11 मार्च, 1960 को बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने न केवल कृषि अनुसंधान पर जोर देने की वकालत की, अपितु कृषि अनुसंधान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले चौधरी रामधन जैसे कृषि वैज्ञानिकों को सर्वोच्च सदन में समुचित सम्मान देने की भी जोरदार पैरवी की। -सम्पादक। }

————————

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि यह मानने योग्य है। इस सिलसिले में दो तीन चार बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

चन्द दिन हुए जब उपमंत्री साहब ने - उसे वायदा तो नहीं कहा जा सकता -- ध्यान दिलाया था कि नालागढ़ कमेटी ने एक एग्रीकल्चर कमीशन बनाने की सिफारिश की है। जैसे हमारे देश के हालात हैं, दाएं ओर बाएं ओर के दबाव से शायद वह कुछ पीछे हटना चाहते हैं, गो कि उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर, वह ऐसा कमीशन बनाते हैं तो देश की 70 फीसदी जनता की मनोभावना और हमदर्दी उनके साथ होगी। वह शायद प्लानिंग कमीशन के बड़े भाईयों की तरफ देखते हैं। लेकिन, मैं उनसे कहता हूँ कि आप हौंसला करें। क्योंकि, दो साल बाद वह हौंसला आपको प्लानिंग कमीशन के भाईयों के बनिस्बत ज्यादा काम देने वाला है।

इसके अलावा एक दो बात और कहना चाहता हूँ। आपको याद

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5530-5536*

होगा कि हमारे पाटिल साहब ने, जिनको एक मजबूत आदमी कहा जाता है, यह ऐलान किया था कि प्राइस स्टेबीलाइजेशन बोर्ड बनाने का इरादा रखते हैं। उसको भी मालूम होता है कि दाएं बाएं के दबाव से दबाने की कोशिश हो रही है। यह जो कमेटी है यह तो एक मामूली सी कमेटी है। इसकी प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की थी और यह जरूरी है। इसलिए कि आज इस काम पर बहुत काफी रूपया खर्च हो रहा है। 1960-61 बजट के अन्दर 5,22,99,000 रूपया एग्रीकल्चरल रिसर्च पर खर्च होगा। यही नहीं, रिसर्च को किसान तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी देश के अन्दर काफी रूपया खर्च हो रहा है। वह भी करोड़ों की संख्या में है। वह खर्च हां होता है? यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा महकमा इसके लिए बनाया गया, एक्सटेंशन का महकमा इसके लिए बनाया गया और पांच साल के अन्दर इस पर 1950-60 करोड़ रूपया खर्च होगा। जो भाई इसके अन्दर नौकर हैं, चाहे उनकी तनख्वाह के लिए खर्च हुआ हो चाहे उनके भत्ते की शक्ल में खर्च हुआ हो, चाहे उनके लिए जीपों की शक्ल में खर्च हुआ हो या उनके लिए मकान बनाने में खर्च हुआ हो। 60 करोड़ रूपया उधर खर्च हुआ और 14-15 करोड़ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए खर्च हुआ। हमें इसका अन्दाजा लगाना जरूरी है। मुझे मालूम नहीं कि सरहदी साहब को क्या डर था कि उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया कि इस कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बर हों। मैं नहीं समझता कि अगर, पार्लियामेंट के मेम्बर इस कमेटी में रहेंगे तो कोई नुकसान होने वाला है। वह क्यों घबरा गए। वह अपनी सिफरिश खुद नहीं करना चाहते, शायद इस वजह से कि वह वकील हैं और उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन, मैं यह धृष्टता कर सकता हूँ कि मुझे खुद उस कमेटी का मेम्बर मंत्री महोदय बनाएं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : क्या आप बेकार हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : एक तरह से बेकार हूँ। कारण कि मेरे दिल में जो किसानों की सेवा करने की भूख है, वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस कमेटी की मारफत मैं किसान के लिए जिसने मुझे चुनकर भेजा है, दो आना चार आना सेवा कर सकूंगा। मैं किसानों द्वारा चुनकर 12 साल से इस सदन में

हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ बदला चुका सकूं।

जिस प्रदेश से आप आते हैं, उसी प्रदेश से मैं भी आता हूँ। आप जानते हैं कि उस प्रदेश के हमारे साथी हैं चौधरी रामधन सिंह जी, जो लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलिज के प्रिसिंपल थे, जिन्होंने 561 नम्बर का गेहूं पैदा किया था। इसके अलावा दूसरी किस्म के गेहूं पैदा किए। इस तरह उन्होंने रिसर्च करके खेती के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर, आज कोई प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च से मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए सिर ऊंचा कर सकता है तो वह पंजाब का प्रदेश है। लेकिन, हम देखते हैं कि हमारी काउंसिल है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन, ऐसे सज्जनों को जिन्होंने देश की इतनी बड़ी सेवा की है, इनमें कोई नाम नहीं है। आज मैं एस्टीमेट कमेटी की सन 1954 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के अन्दर तो 70 साल तक के जो आदमी रिसर्च का काम करने वाले हैं, उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाता है। उन्होंने सिफारिश की है कि हमारे देश में कम से कम 60 साल तक उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाए। लेकिन, बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी काउंसिल के अन्दर नामीनेशन होता है और राष्ट्रपति जी राज्य सभा में भी नामिनेशन करते हैं। लेकिन, वहां आपके बड़े अच्छे गाने वालों और नाचने वालों के लिए जगह है। लेकिन, जिसने देश की रिसर्च करके सेवा की है और जिसने देश का धन दौलत पैदा करने में मदद की है उसके लिए वहां स्थान नहीं है। इसका मुझे दु:ख है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी तो सोशल सरविसेज में आ जाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : यह ठीक है। लेकिन, पता नहीं वह उसमें क्यों नहीं आते ? खाते तो इसके लिए कई हो सकते हैं। लेकिन, कोई उनको लाता नहीं, यही मेरा गिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य इलैक्सन में आ रहे हैं। वह अभी जवान हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे तो भगवान ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया है कि मैं कोई 591 या कोई और दूसरा नम्बर गेहूं देश के लिए पैदा करता और देश की आमदनी को बढ़ावा देता, जिन्होंने ऐसा किया है, मैं समझता हूँ कि उनका हम मुझसे कहीं ज्यादा है। हमें उनको इलैक्सन से निकालकर मौका देना चाहिए। मुझे गिला न रहे हमारे पंजाब के गर्वनर या राष्ट्रपति के नामिनेशन से, अगर, डाक्टर साहब इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में उनसे कुछ फायदा उठायें। जब से वह पेन्शन पर गए हैं, तब से वह लगातार कागज निकाल रहे हैं। चूंकि वह देहाती हैं। इसलिए, वह उर्दू में ही छपवाते हैं। क्योंकि, उर्दू के अलावा कोई दूसरा अखबार उनको छापेगा नहीं। अगर, रिसर्च वर्कर देहाती हो तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई उसकी बात को सुनेगा ? उन्होंने बहुत काम की बातें छपवाई हैं। उन्होंने गन्ने के पेरने और कोल्हू लगाने के बारे में लिखा है। एक-एक नुक्ता-ए-निगाह से, एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के नुक्ता-ए-निगाह से उन्होंने काम किया है।

कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना रूपया खर्च किया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि यह महकमा बजाये उन भाईयों के, जिन्हें खेत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, बल्कि उन्हें सुपुर्द किया जाये, जिनका खेती से कोई वास्ता है। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज हालत यह है कि रिसर्च का काम तो पाटिल साहब की मिनिस्ट्री करती है और उसको फैलाने का काम डे साहब करते हैं। इसका नतीजा यह है कि वह चीज किसान तक पहुंच नहीं पाती है और नाच-गाने में फंस जाती है। मैं यह चाहता हूँ कि जिन भाईयों को खेती करने का तजुर्बा है, जो उसकी कीमत को समझ सकते हैं, उनके साथ कम्यूनिटी प्राजेक्ट के महकमे को लगाया जाये। आज यह महकमा दो जगह है--रिसर्च कोई करता है और उसको फैलाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रेजोल्यूशन से बहुत दूर जा रहे हैं। वह मिनिस्ट्रीज की इन्टेगरेशन में जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त सवाल तो यह है कि रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

चौधरी रणबीर सिंह : जब सरकार का यह हिसाब है कि वह मान कर भी पीछे हट जाती है, तो कम से कम मैं अपने विचार तो प्रकट कर दूं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस बात का अन्दाजा लगाना चाहिए कि खेती की जो रिसर्च है, आया वह किसान तक पहुंची है या नहीं। इतना रूपया जो खर्च किया गया है, उसका क्या रिटर्न देश को मिला है? इसके लिए कमेटी की आवश्यकता है। पांच करोड़ से ज्यादा रूपया हर साल खर्च होता है और दस करोड़ इसको फैलाने में खर्च होता है। मैं चाहता हूँ कि बहस का जवाब देते हुए मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या कोई ऐसी किताब या पैमफलेट छापे गए हैं, जो यह बता सकें कि रोहतक जिले में कौन सी फसल कोई किसान बोए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रूपया उसके पास पहुंच सकता है। मैं समझता हूँ कि एक कागज भी ऐसा नहीं छपा है जिसको पढ़कर कोई किसान अन्दाजा लगा सके कि मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ? मेरे पास पांच या दस एकड़ जमीन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए मैं क्या चीज बोऊं? जैसा मेरे भाई ने कहा है, रिपोर्टें छपती हैं, जिससे किसान को फायदा पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के बारे में आंकड़ों के साथ पैमफलेट छपाये जायें।

मैंने कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स, एकग्रीकल्चरल कमीशन और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड का जिक्र किया है। यह इसलिए जरूरी है कि आप आनते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद एक करोड़ नहीं, 1500 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया है। उसके अलावा 260 करोड़ रूपये की सबसिडी दी गई, ताकि शहरों में यह अनाज सस्ता बिक सके। इस तरह लगभग 1750 करोड़ रूपए का खर्च हुआ। यही नहीं, पहले पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के नतीजे के तौर पर जो तनख्वाह और भत्ते बढ़े, उन पर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम कोई 1300, 1400 करोड़ रूपए खर्च कर

चुके हैं। इस तरह से कोई तीन हजार करोड़ के करीब रूपया खर्च हुआ है। इस देश में बाहर से अनाज मंगाने के लिए, या सरकारी नौकरों के या व्हाइट कालर्ड लोगों को सस्ता अनाज खिलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च होना चाहिए और इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इस किस्म की कमेटी एपायंट हो। मैं यह मानता हूँ कि एक्सपर्ट इस देश में बहुत जरूरी है। लेकिन, कई दफा एक्सपट्र्स में आज और समाज के उस अंग में बहुत ज्यादा तालमेल नहीं होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के, जो लोग दफ्तर में सेक्रेटेरियट में -- बैठते हैं, उनके डर की वजह से वे लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूँ कि पार्लियामेंट के मेम्बर उस कमेटी में जरूर होने चाहिए। मैं सरदार अजित सिंह सरहदी से इत्तिफाक नहीं कर सकता कि उसमें पार्लियामेंट के मेम्बर न हों। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को मन्जूर करें और इसके साथ ही साथ यह आश्वासन भी दें कि इस देश में एग्रीकल्चरल कमीशन भी बनेगा और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड भी बनेगा।

अनुदान माँगें*

{सदन में 11 मार्च, 1960 को अनुदान माँगों पर बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने न किसानों को दिये जाने वाले कर्ज से जुड़ी विडम्बनाओं को सदन के सामने रखा और किसानों को कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक ब्याज देने की जोरदार वकालत की। -सम्पादक। }

————————

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस मन्त्रालय की खर्च की मांगों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिये जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और एल.आई.सी. के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आज से 12-13 साल पहले इस देश के अन्दर इसको चाहे लोगों का दबाव कहिये या लोगों की भावना का राज्य के ऊपर असर नहीं होता था, यह कहिये-रिजर्व बैंक इस तरह से चलता था कि लोगों की परवाह ही नहीं करता था। इम्पीरियल बैंक के हिस्से भी जब हमने खरीदे तो जो उनकी फेस वैल्यू थी, उसका चार गुना और पांच गुना रूपया दे करके खरीदे थे। यही इसलिये, किया गया था कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक देश के हित के कार्य करें। मैं मानता हूँ कि इन चीजों को चलाने के लिये जिस तरह के पहले लोगों के ख्याल हुआ करते थे, उसी तरह से आदमियों की नियुक्तियां होती थी। पहले बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूटशन्स के मुफाद ही मद्देनजर रखे जाते थे और उसी के मद्देनजर रखते हुए जो भी बड़े-बड़े काम होते थे, किये जाते थे। यह कुदरती बात भी थी। लेकिन, आज के बदले हुए जमाने में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी। आज भी यही चीज होती दिखाई दे रही

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 मार्च, 1960 पृष्ठ 7282-7288*

है। आज भी आप अगर, डारेक्टरशिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा आदमी उसमें नहीं है जो देश की 83-84 प्रतिशत आबादी के साथ सीधा सम्बन्ध रखता हो या उसका टेढ़ा भी उससे सम्बन्ध हो।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : टेढ़ा भी ?

चौधरी रणबीर सिंह : टेढ़ा लूटने के लिए तो हो सकता है, जिसे एक्सप्लायटेशन कहते हैं...

श्री ब्रजराज सिंह : फिर भी आप कांग्रेस में मौजूद हैं ?

चौधरी रणबीर सिंह : रिजर्व बैंक के जो डारेक्टर्स हैं, उनके मैं नाम आपको बतलाना चाहता हूँ। उनके नाम हैं :

Shri Kasturbhai Lalbhai, Shri B.M.Birla, Shri Shri Ram, Shri C.R. Srinivasan, Shri J.R.D. Tata, Shri D.R. Gadgil, Shri K.C.Mahindra, Shri D.N.Mitra, Shri B.H.Zaidi and Shri G. Parmameswaran Pillai.

बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नामिनेटिड हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक का भी हिसाब है और उसके डारेक्टर्स भी इसी तरह के हैं। उसमें भी बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं। अब आप देखें कि इसका असर क्या पड़ता है ? वह अगर, आप हिसाब किताब को देखें तो साफ जाहिर हो जाएगा। जो नक्शा है, वह साफ जाहिर हो जाता है। अगर, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट 1956 को देखें। उसके अन्दर एडवांसिस के बारे में लिखा हुआ है :-

"Debts due by companies or firms in which the Directors or Local Board Members of the Bank are interested as directors, partners or managing agents or, in the case of private companies, as members : Rs. 43,78,72,500.68.

Debts due by Directors or Local Board Members or Officers of the Bank or any of them either severally or jointly with any other persons : Rs. 928,755.88.

Maximum total amount of advances, including temporary advances made at any time during the year to Directors or Local

Board Members or Officers of the Bank or any of them either severally or jointly with any other persons : Rs. 11,91,419.55".

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

उस हिसाब के साथ-साथ अगर, आप देखें कि जो 80 परसेंट से अधिक आबादी देहातों में रहती है, उस रूरल क्रेडिट के बारे में इसने क्या किया है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लैंड मार्टगेज बैंक्स के डिबैंचर्स खरीदने का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वह एक नई चीज हुई है। वह इसलिये, कि स्टेट नुमाइन्दों का असर जरूर पड़ा है। लेकिन, यह चीज कहां तक पहुंच पाई है, इसका आप अन्दाजा लगायें। इन डायरेक्टर्स का वास्ता ऐसी कम्पनियों से है, जिनको करोड़ों रूपया दिया गया है। लेकिन, यहां पर लोगों के लिये उनकी संस्थाओं के इन्होंने 79 करोड़ के डिबैंचर्स खरीदे हैं। जहां तक कोआप्रेटिव प्रोसेसिंग सोसाइटीज का ताल्लुक है, इनको जो पैसा दिया गया है, वह 2 करोड़ 21 लाख दिया गया है। इससे ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितना जरूरी है कि डायरेक्टर्स को बदला जाए। इनको बदलने के लिये अगर, हमें कानून में भी तरमीम करनी पड़े तो वैसा करने के लिये भी मेरी राय में वक्त आ गया है।

मैंने अब तक स्टेट बैंक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रिजर्व बैंक के आंकड़े रखना चाहता हूँ।

श्री त्यागी : इन आदमियों की वजह से नया कुछ पालिसी में फर्क पड़ता है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने आपको बतलाया है कि इन डायरेक्टर्स के जिन कम्पनियों में हिस्से हैं, उनको कितना एडवांस किया गया है। आप उसका टोटल कर लीजिये और आपको पता चल जाएगा कि कितना एडवांस उन कम्पनीज को दिया गया है। 43 करोड़ 78 लाख 72 हजार 500 रूपये का एक ही एडवांस मैंने बता दिया है। इसके मुकाबले में मार्टगेज बैंकों के इन्होंने जो डिबैंचर खरीदे हैं वह सिर्फ 79 करोड़ के ही खरीदे हैं।

इसी तरह से जो कोआप्रेटिव प्रासेसिंग सोसाइटीज हैं उनको दो करोड़ से कुछ अधिक दिया गया है। मैं इन सारी फिगर्स को दुबारा कोट करना नहीं चाहता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक का जो खाता है, वह भी कुछ ऐसा ही है।

वहां पर भी इन बड़े-बड़े लोगों का असर है। शैड्यूल्ड बैंक्स को जो पैसा एडवांस किया गया है, रिजर्व बैंक की तरफ से 1958-59 में वह 519.56 करोड़ किया गया है। इसके मुकाबले में तमाम देश के अन्दर स्टेट कोओप्रेटिव बैंक्स जो है या दूसरे कोआप्रेटिव बैंक्स हैं, उनको इसी साल में 75.28 करोड़ ही एडवांस किया गया है।

Shri D.C. Sharma (Gurdaspur) : You want the Reserve Bank to be with the Agriculture Ministry?

Chaudhry Ranbir Singh : Unfortunately, the Reserve Bank is with the Finance Ministry. Had it been with the Agriculture Ministry, I would have been happy and the results would have been different. That is the case for which I am pleading.

उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने मुझे अच्छी बात की याद दिला दी है। मेरे दिल में यह बात नहीं थी। अब तो एक ही रास्ता मेरी समझ में आता है। पहले मैं समझे हुआ था कि शायद डायरेक्टर्स को बदलने से ही काम चल जाएगा। लेकिन, अब शर्मा जी का ख्याल है कि शायद वित्त मंत्रालय के तहत इन दोनों बैंकों को उक कर दिया जाए, तभी देश का सुधार हो सकता है। यह बात मुझे पहले नहीं सूझी थी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक पैसे का ताल्लुक है हमने यह फैसला कर रखा है कि देहातों में हम उसे सिर्फ कोओप्रटिव की मार्फत ही देंगे और यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। 1957-58 में जो जांच की गई थी उस जांच के नतीजे के तौर पर जो चीज सामने आई, उसे रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में नोट कर दिया है। उसको भी मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है :-

"Unfortunately, of the societies which were audited in 1956-57, only 16 per cent were A and B class societies, i.e., those which could be regarded as well run; 16 per cent were classified as D and E, that is to say they were hopeless and on the verge of liquidation. The large majority of societies belonged to the C class, that is to say, were mediocre societies which were functioning in a weak and haphazard manner and having heavy arrears."

उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज मैंने आपको इसलिये, पढ़कर नहीं

सुनाई है कि मुझे कोओप्रोटिव सोसाइटीज के खिलाफ कोई शिकायत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब तक इन सोसाइटीज को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। कोओप्रेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में इन सोसाइटीज के बारे में लिखा हुआ है कि जो अच्छी सोसाइटीज हैं, जो ए और बी क्लास की सोसाइटीज हैं, उनकी तादाद 22,000 है। इन 22,000 सोसाइटीज में से कोई 7000 सोसाइटीज ऐसी हैं जिनको लार्ज साइज कोओप्रेटिव सोसाइटीज कहा जाता है और जिनमें सरकार के भी हिस्से होते हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे के बारे में रिजर्व बैंक की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि इनके शेयर्स के अन्दर सरकारी पार्टिसिपेशन होना चाहिये, हिस्से सरकार को खरीदने चाहियें ताकि ये सोसाइटीज मजबूत हो सकें, अपने पांवों पर खड़ी हो सकें और देश के अन्दर तेजी से काम हो सके। मुझे मालूम नहीं कि प्लानिंग कमीशन जो हिन्दुस्तान के लिये बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाता है, उसकी समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि इन सोसाइटीज के शेयर्स के अन्दर पार्टिसिपेशन हो। उसने कह दिया कि यह चीज गलत है और आगे सरकार किसी सोसाइटी के हिस्से न खरीदे। उसने कहा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है, जिससे कि रिजर्व बैंक दिवालिया हो जाए। यदि इस तरह की कोई सलाह दे तो उसको कबूल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से एक तरफ तो दिवालिये होने का डर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ जो सलाह रिजर्व बैंक की है, उसको भी माना नहीं जाता है। मैं समझता हूँ कि 22,000 सोसाइटीज में से 7,000 जो हैं, वे लार्ज साईज सोसाइटीज हैं, वे ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाये जाने के बाद, जिनके शेयर कैपीटल हिस्से की खरीद की गई है। बाकी जो सोसाइटीज बचती हैं वे 13,000 के करीब ही बचती हैं और ये 1913 से बननी शुरू हुई हैं। इस हिसाब से एक साल के अन्दर एक हजार भी सोसाइटीज नहीं बनी होंगी। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ कि एक हजार भी नहीं, बल्कि सैंकड़ों ही बनी होंगी, जो इस लायक हो सकें कि उनको रूपया देना ठीक समझा जा सकता हो।

मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी मंशा क्या है? देहातों की तरक्की के लिये रूपया रिजर्व बैंक देना चाहता है या नहीं देना चाहता है? एक बार तो रिजर्व बैंक की ही सलाह होती है कि ये सोसायटीज ही इस लायक नहीं हैं कि उनके ऊपर ऐतबार किया जा सके। लेकिन, जब दूसरी बार रिजर्व बैंक की समझ में यह चीज आ जाती है कि इन सोसाइटीज को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे चालू रखा जा सकता है, कैसे ये ऐतबार लायक बन सकती है? ऐसा करने के लिये प्रोपोजल्स सामने रखी जाती है कि सरकार उनके हिस्से खरीदे तो उन प्रोपोजल्स को, उस सलाह को प्लानिंग कमीशन मंजूर नहीं करता है। यहां जिस ढ़ंग से कहा गया, उस ढ़ंग से तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सोसायटियों के नाम पर सोसायटियों को मारने की यह कोशिश है। अगर, हिसाब किताब लगाकर देखा जाये कि आज इस देश के अन्दर जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके जो एडवान्सेज हैं, वह कोई 800 करोड़ के ऊपर के हैं। वह अन्दाजन 983 करोड़ रूपये के एडवान्सेज दूसरे सेक्टर को, उनको आप शहर का सेक्टर कहिये, नान ऐग्रिकल्चर सेक्टर कहिये, देते हैं। इसके मुकाबले जो देहात का सेक्टर है, ऐग्रीकल्चर सेक्टर हैं, जो आज देश की एकानमी और इस वित्त मंन्त्रालय को कामयाबी से चलाने का सबसे अच्छा ढ़ंग बन सकता है, उसके लिये एक मीन्स बन सकता है, इसके लिये मैंने आपको दिखलाया कि सिर्फ 76 करोड़ रूपये ही दिये जाते हैं। यहां पर जो शहर का सेक्टर है या नान ऐग्रिकल्चर सेक्टर है, उसकी इमदाद के लिये तमाम देश के शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक का खाता भी आपके सामने पेश किया गया, स्टेट बैंक का खाता भी पेश किया गया। मैं नहीं समझता कि हमारी यह मंशा हो सकती है या वित्त मन्त्रालय की यह मंशा हो सकती है कि देहात तरक्की न करें। उसका तरक्की करना बहुत जरूरी है और यह सदन मानता है, वित्त मंत्रालय भी मानता है। लेकिन, उसको हम आगे कैसे चलायें, इसके ऊपर सोच-विचार करना बहुत आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रखने का जो फार्मूला बनाया है वह फार्मूला यह है कि जितना शेयर

कैपीटल है या उनका ओन फण्ड है, रिजर्व फण्ड वगैरह जो है, उनका पैसा जो है, उसका छह गुना मल्टिपल रिजर्व बैंक कर्ज के तौर पर दे सकता है। लेकिन, बदकिस्मती यह है कि उसके अन्दर जो देहात की तरक्की में जो बाटलनेक बन गया है वह यह है कि इसका हिसाब जब बैंक लगाता है, तब गाँव की कोआपरेटिव सोसायटी के हिस्सों व रूपयों का हिसाब नहीं लगाती। स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स के हिस्सों और पैसों का हिसाब लगाया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से जितनी हमारी देश की कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, उनका शेयअर कैपीटल 28.22 करोड़ रूपये का है और जो उनके अपने रिजर्व और अदर फण्ड्स हैं वह 14.15 करोड़ हैं। सारा मिल कर 42.37 करोड़ रूपये बैठता है। अगर, अपने फार्मूले को रिजर्व बैंक बदल दे और उन्होंने जो लिमिट मुकर्रर की है, वह लिमिट ऐवेक्स बग का शेयर कैपिटल या उनका जो ओन फण्ड है, उसका हिसाब रखकर नहीं करे, बल्कि देश के अन्दर जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनका नाम सर्विस कोआपरेटिवज है, उनके शेयर कैपिटल और उनके ओन फण्ड के हिसाब से की जाये तो इस देश के अन्दर रिजर्व बैंक अपने उस फार्मूले पर रहते हुए 254.22 करोड़ रूपया देश के अन्दर कर्जा बढ़ा सकता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मीडियम टर्म लोन देने के लिये जो फण्ड क्रिएट किया रिजर्व बैंक ने, जिसका नाम है, नेशनल ऐग्रिकल्चर क्रेडिट लांग टर्म आपरेशन फण्ड, उसके अन्दर आज 30 करोड़ रूपये का क्रेडिट है। 30 करोड़ रूपये का क्रेडिट होने के बाद जो आज वहां पर ऐडवान्सेज हैं, वह 14 करोड़ से कुछ ऊपर हैं। इसी तरह से जो दूसरा नैशनल ऐग्रिकल्चर क्रेडिट स्टैबिलाइजेशन फण्ड है, जो 46 बी धारा के तहत बना है, उसका 30.6.1959 को 4 करोड़ रूपये का क्रेडिट था। लेकिन, आज देश के अन्दर मीडियम टर्म लोन....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे ऐग्रीकल्चर पर बोलने का बहुत कम समय मिला और कोआपरेटिवज पर बिलकुल नहीं मिला। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह बहुत अहम मसला है कि हम कितना पैसा इसके लिए दे दें

और इससे देश की तरक्की हो सकती है, अनाज भी बढ़ सकता है, ताकि दूसरे देशों के ऊपर हमारा भरोसा ज्यादा न करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाइये अनाज अगर, आप बढ़ा सकें, मैं भी आपको वक्त दूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि मीडियम टर्म लोन जो सन 1958-59 में सैक्शन हुए वह 4.52 करोड़ रूपये के थे। अब सवाल यह है कि हालांकि, उनका फार्मूला है कि छह गुना रूपया देना चाहिये, एक गुना शार्ट टर्म लोन पर देना चाहिये, 4 गुना वीविंग कोआपरेटिव सोसायटीज वगैरह के लिये देना चाहिये, अगर, उसी हिसाब से चलें, जैसा मैंने कहा कि वह अपेक्स बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स के शेयर कैपिटल को पकड़ कर न चलें, सर्विस कोआपरेटिवज के कैपिटल को पकड़कर चलें तो इस देश के अन्दर 42.37 करोड़ रूपये इस फार्मूला के हिसाब से मीडियम टर्म लोन के रूप में दिया जा सकता है।

इसी तरह से काटेज इंडस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जहां तक उसके आगे बढ़ाने का वास्ता इस देश के अन्दर है, मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ रूपये बड़े-बड़े कारखानों को सामान खरीदने के लिये या उनको गहने करने के लिये दिया जाता है। लेकिन, जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, वहां पर सिर्फ 4 या 5 करोड़ रूपये दिया गया। आपको उसको भी उसी हिसाब से मानना चाहिये। लेकिन, उसमें इतना फर्क करें कि सर्विस कोआपरेटिव्ज के शेअर कैपिटल, ओन फण्ड का हिसाब लगाते हुए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करे। ऐसा किया जाता है तो उनको भी 42.37 करोड़ रूपया कर्जा दिया जा सकता है। हमारे देश के देहात वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, आदि के भिखारी नहीं बनना चाहते। वह सिर्फ कर्जा चाहते हैं, जो उनका हक है। हमारे देहात भी इस देश के हिस्से हैं। आज देश में कोआपरेटिव बैंक बने हैं। अगर, दूसरे तरह के बैंक बनते, शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड बैंक्स बनते तो उनमें जितना रूपया उनको मिल सकता, कम से कम उतना रूपया पाने के लिये हमारे देहात जरूनर मुस्तहक हैं।

इसी तरह मुझे मालूम है कि बम्बई के अन्दर जो शुगर कोआपरेटिव, फैक्ट्रीज हैं, रिजर्व बैंक उनको बैंक रेट के हिसाब से कर्जा देता है, 4 फीसदी के सूद के हिसाब से कर्ज देता है। 2 करोड़ रूपये का जो मैक्सिमम क्रेडिट सैक्शन हुआ है, वह सिर्फ बाम्बे स्टेट के लिये हुआ है। अगर, रिजर्व बैंक बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक को कर्जा दे सकता है तो मुझे मालूम नहीं कि पंजाब को रूपया क्यों नहीं दे सकता मुझे पता नहीं है कि पंजाब के स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने ही कर्जे के लिये अर्जी नहीं दी या कि पंजाब स्टेट ही इस बैंक का रूपया कर्ज लेना सही नहीं समझती। लेकिन, बहरहाल वहां परजो तीन शुगर कोआपरेटिव फैक्ट्रीज हैं उनको वह सहूलियतें नहीं हैं। बम्बई की शुगर फैक्ट्रीज को मिलनी चाहियें। उनको भी 4 परसंट के सूद पर कर्जा मिलना चाहिये।

मैं रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश का पार्टीशन हुआ, पंजाब का सूबा बंटा। पंजाब सूबे के बंटने से नतीजा यह हुआ कि हमारे पंजाब के अन्दर जो होशियारपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है उसका काफी सरमाया पाकिस्तान में रह गया। जो भी नतीजा हुआ वह तो एक कुदरती बात थी उसके लिये। उसकी मदद के लिये स्टेट बैंक को आगे आना चाहिये ताकि वह अपना काम बढ़ा सके। आपको ताज्जुब होगा कि होशियारपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लोगों को 2 परसेंट के ऊपर कर्जा देता है, जितना कि हमारा रिजर्व बैंक भी नहीं दे सकता।। लेकिन, अब उसकी शक्ति कम है। क्योंकि, देश का पार्टिशन हुआ। उसका रूपया वहां फंस गया, तब भी जो बैंक अपने मेम्बरों को 2 परसेंट सूद पर रूपया दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि देश का बंटवारा हो जाने से उसको जो घाटा पड़ा है, उसको स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक को सब्सिडी देकर पूरा करना चाहिये। जब भी पंजाब का रूपया उधर से मिले वह उसके खाते में जमा हो जाये। लेकिन, अब जो घाटा है, उसको स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय मुझे मालूम नहीं कि इसके अन्दर वित्त मन्त्रालय का कोई हाथ है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज है, उसका कोई हाथ है।

जितनी भी स्कीमें जिनका ताल्लुक देहात से है, रूरल वाटर वर्क्स स्कीम के ऊपर जो रूपया खर्च होता है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जितना रखा गया है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में खर्च नहीं हुआ और न ही वह सेकेंड फाइव इयर प्लान में खर्च होने वाला है। इस तरीके से पंचायत और कोआपरेटिव्ज का जितना रूपया सीधा देहात में लगने वाला है तो वह खर्च कम होगा। हो सकता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज का भी कसूर हो। लेकिन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे कृषि मन्त्री महोदय की बात कोई सुनता नहीं है। यहां पर बहुत अच्छे और मजबूत फूड एण्ड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। लेकिन, उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि वे भी कृषि की उन्नति के लिये वित्त मंत्रालय का सहयोग हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। उनके मुकाबले में तो यह स्टेट्स मिनिस्टिर्स शायद और भी कमजोर हैं। पता नहीं कि उनका कागज प्लानिंग कमीशन में रूक जाता है, यानि वित्त मन्त्रालय में आकर रूक जाता है, जो रूपया खर्च नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं एक बात कहकर समाप्त किये देता हूँ। स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक बड़े-बड़े कारखानों और छोटे-छोटे कारखानों की इमदाद के लिये कर्ज देते हैं। देश में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये स्टेट्स गवर्नमेंट को कर्जे आदि देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एक करोड़ एकड़ जमीन को पानी बढ़ा लिया है। उसके वाटर लेबल के अन्दर फर्क आ गया है। तीस लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसकी पैदावार के अन्दर फर्क पड़ा है और कम हो गया तो मैं समझता हूँ कि जैसे और बैंक कर्जा दे रहा है उसी तरह से इस खेती के प्रोत्साहन के वास्ते कर्ज देने की व्यवस्था की जाये। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट्स का इस वाटर लौंगिंग को रोकने के वास्ते कर्ज देना शुरू करें।

भूमि सुधार के तहत काश्तकार के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए*

{ब्रिटिश शासन से आजाद होने के तुरन्त बाद राह खोजते भारत में उद्योग और खेती-किसानी के बीच का रिश्ता सुखद नहीं बन सका। उद्योग को विकास की धुरी मान कर काम आरम्भ हुआ और उसको बढावा देने के लिए जो नीतियां बनीं तो खेती-किसानी के चरित्र को बदला जाने लगा। दोनो खेत्रों के बीच भेदभाव मुखर होता चला गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से बहुत लोग दुखी थे। यह भेदभाव चुभा। दूसरे, आजादी आन्दोलन में 'जो जोते वह जमीन का मालिक' का नारा उठा। सन् 1947 के बाद इसपर अमल आरम्भ हुआ तो अनेक विकृतियां सामने आने लगीं। इसपर चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान सभा से आरमी करके अनेक दूसरे संसदीय मंचो पर इसबारे में मुखरता से प्रश्न उठाए। दूसरी लोक सभा में उनके भाषणों में भी ग्रामीण भारत छाया रहा।

2 व 3 अगस्त, 1960 को जब मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक व त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयकों पर सदन में बहस हुई तो उसमें भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने काश्तकारों के प्रति अपने सरोकारों को एक बार फिर पुरजोर दोहराया। इन बिलों पर बहस का अवसर लेते हुए देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रति गहरी अपनी संवेदनाओं को जाहिर करते हुए मणिपुर व त्रिपुरा में काश्तकारों के हितों की खुलकर वकालत की और साथ ही दूसरे क्षेत्रों में सामने आ रही ऐसी समस्याओं को सदन के सामने रखा। इनका अवलोकन क्रमशः भाग-क, ख, ग और घ में किया जा सकता है। -सम्पादक।}

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 438-445*

भाग-क

सभापति महोदय, बावजूद इस बात के कि यह विधेयक 13 साल के बाद आया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने अब भी यह कोशिश की है कि इस क्षेत्र के लोगों को भी न्याय मिले और यहां के काश्तकारों के लिये भी वैसे ही कायदे और कानून बनाये जायें जैसे कि देश के दूसरे राज्यों में 13 साल पहले और कुछ में, जैसे उत्तर प्रदेश में, 13 साल से भी पहले बन चुके हैं। पंजाब में बहुत अरसे से यह कायदा चला आता है कि जिसके मुताबिक खेती की हर जमीन का सर्वे किया जाता है और हर छमाही के बाद, हर फसल के बाद, लिखा जाता है कि क्या पैदा हुआ और दिखलाया जाता है कि कितनी आमदनी की या घाटे की फसल हुई? लेकिन, फिर भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ कि, चाहे 13 साल के बाद ही सही, इस सदन के सदस्यों को मौका दिया जा रहा है कि एक छोटे से इलाके के बारे में विचार कर सकें और उस क्षेत्र की जमीन के कायदे और कानूनों के बारे में ध्यान दे सकें।

सभापति महोदय, यह कहते हुए मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बावजूद इस बात के कि हमारा ध्यान बड़ी देर बाद गया, लेकिन आज भी हम बहुत पुराने ढ़ंग से सोच रहे हैं। किस बेसिस पर मालिया या लैंड रेवेन्यू लिया जाये, इसके बारे में हम आज सन 1960 में भी बहुत पुराने तरीके से सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि इसी सदन में कायदे और कानून बनाये गये हैं कि 3600 तक की आमदनी पर कोई टैक्सेशन न किया जाये। लेकिन, दूसरी तरफ आप मणिपुर के इलाके वालों के लिये यह कायदा बनाने जा रहे हैं कि चाहे काश्तकार को घाटा भी रहे उसको मालिया देना होगा। एक क्लाज तो यहां तक कहता है कि चाहे उसकी जमीन बह जाये, अगर वह जमीन एक एकड़ से कम है और उसको दरिया बहा ले जाये तो भी उसको मालिया देना होगा। यह अजीब हालत है। हम देश के उन बाशिन्दों के लिये किस तरह के कायदे और कानून बनाने जा रहे हैं। एक तरफ तो समाज का करीब दो फीसदी वाला वह हिस्सा है जो खुशहाल है, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने को ज्यादा मौका है और जिसको चलने के लिये कहीं काली, कहीं पीली और कहीं सीमेंट की सड़कें मौजूद हैं। दूसरी तरफ वह लोग हैं, जिनको अपने घर जाने के

लिये कोई रास्ता नहीं है, जिनको अपने लिये पीने के पानी का अच्छा इन्तिजाम नहीं है। जो लोग उन देहातों में रहते हैं जहां के लोगों के लिये पीने के पानी तक का इन्तिजाम नहीं है, उनके लिये टैक्सेशन का जो कायदा है वह उन दो फीसदी भाईयों के कायदे से मुख्तलिफ है जोकि शहरों में रहते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। आज के जमाने में हमें इस पर सोचना चाहिये। मैं तो समझता था कि आज इस सदन को मौका मिला है तो वह दूसरे सूत्रों को रास्ता दिखायेगा कि किस तरह से खेती की आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिये।

पहले देश के वाज इकानिमिस्ट कहा करते थे कि लैंड रेवेन्यू जो है, वह टैक्स नहीं है, वह तो रेंट है। आज तो इस देश का हर आदमी चाहे वह खेती पर निर्भर हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे कारखाने से या दूसरे तरीके से रोजी कमाता हो, इस देश का बराबर का सिटीजन है। आज तो देश के अन्दर कोई सैकिंड रेट सिटीजन नहीं है। जितना कारखाने वाले को हक है, उतना ही आज खेती करने वाले को भी है। अगर सरकार कारखानेदार से रेंट नहीं ले सकती है तो इसी तरह से काश्तकार से भी कोई रेंट नहीं लिया जा सकता तो यह मानना होगा कि लैंड रेवेन्यू एक टैक्स है।

मुझे खुशी है कि इसके अन्दर तक सैक्शन रखा गया है, जिसके मुताबिक अन्दाजा लगाया जायेगा कि खेत की आमदनी से कितना मुनाफा होता है। मैं तो जानता हूँ कि मुनाफा कितना होता है। इस सिलसिले में अगर मंत्री महोदय जानना चाहें तो इसके लिये पंजाब में एक तरीका कायम है सर्वे का। जहां तक खेती का और खेती की पैदावार का ताल्लुक है, पंजाब देश में बहुत आगे बढ़ी हुई स्टेट है। वहां के एकानिमिस्ट्स की रिपोर्ट है कि खेती की आमदनी में कितना मुनाफा होता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने जिक्र तो किया कि वह अन्दाजा लगायेंगे कि किसान को खेत से कितना मुनाफा होता है। मेरी समझ में तो इसमें यह लिखा होना चाहिये था कि इसका अन्दाजा लगाया जाये कि किसान को खेती में कितना घाटा होता है। मेरे नुक्ते निगाह से तो आपको उसकी खेती में कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर आप जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको कितना घाटा होता है और किस तरह से पेटर पर पट्टी

बांध कर काश्तकार आपको टैक्स अदा करता है। खैर, उस अफसर की रिपोर्ट के बाद या उस अफसर की जानकारी के बाद उनको ज्ञान हो जायेगा कि किसान को कितना मुनाफा या घाटा होता है। हालांकि वह ज्ञान आज भी आपको पंजाब के या दूसरी स्टैट्स के इकानिमिस्ट्स से मिल सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो हम यह कानून बनाते हैं कि 3600 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता और दूसरी तरफ यह कानून बनाते है। कि चाहे किसी को आमदनी है या नहीं, चाहे उसको घाटा ही होता है, चाहे उसे अपने पेट पर पट्टी क्यों न बांधनी पड़ती हो, चाहे हम उसकी सुरक्षा के लिये कोई पैसा खर्च न करते हों, लेकिन उसको मालिया देना होगा। यह दृष्टिकोण पुराने रजवाड़ेशाही का सा है। किसी डिमाक्रेटिक राज का यह दृष्टिकोण नहीं हो सकता। मुझे दु :ख है कि आज सन 1960 में इस तरह का कानून इस सदन में पेश हो जिसमें कि रजवाड़ेशाही दृष्टिकोण है, इसको पास करना सदन के लिये कोई इज्जत की बात नहीं होगी। लेकिन, अभी तो हमें इसके बारे में विचार करना है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में लेंड रेवेन्यू के बारे में जो सेक्शन हैं, जैसे सैक्शन 16, 17, 18, 19, 25, 30, 32, 37, 38 उनके बारे में हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा और आज के हालात के मुताबिक विचार करना होगा।

एक जमाना था जब कि देश की सरकारों की तकरीबन तमाम की तमाम आमदनी लैंड रेवेन्यू के जरिये होती थी। उस वक्त की सरकारों के सामने सवाल रहता था कि उनको सरकार का काम चलाना है, खर्चा चलाना है और इसके लिये उनको आमदनी चाहिये। उस वक्त राज्य की आमदनी का 70 या 80 फीसदी लेंड रेवेन्यू से होता था। उस वक्त अगर कोई यह बात करता कि लेंड रेवेन्यू का सिस्टम इनकम टैक्स के सिस्टम के मुताबिक होना चायिे तो इकानोमिस्ट कहते या एडमिनिस्ट्रेटर कहते कि यह किस जमाने की बात कहता है। लेकिन, आज तो जमाना बदल गया है। चाहे आप स्टेटों की आमदनी लें या सेंटर की आमदनी लें, तो आप देखेंगे कि उनकी आमदनी का मुश्किल से 7 या 8 परसेंट की आमदनी में बड़े-बड़े जागीरदार भी शामिल हैं, जिनमे ऊपर आप सीलिंग लगा रहे हैं, और जिनकी जमीनें छीन कर आप कुछ भाईयों को देना चाहते हैं।

आज आपका ख्याल है कि उनकी जमीन लेकर उन लोगों को दी जाए जिनके पास कोई आमदनी नहीं है। यही आज समाज का भी ख्याल है। लेकिन, हम जिन आदमियों की जमीन लें उसको उनकी वह कीमत मिलनी चाहिये जोकि उनको बाजार में मिल सकती है। लेकिन, यहां बाजार की कीमत से कोई वास्ता नहीं रखा गया है। इन लोगों पर जो टैक्स का तरीका आप देख रहे हैं, वह भी उस तरीके के मुकाबले बहुत सख्त है जोकि आपने देश में बड़ी-बड़ी आमदनी वालों के लिये रखा है। मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें। मेरी तो साफ राय है कि आज यह मुश्किल नहीं है कि हम देश को एडमिनिस्ट्रेटली रास्ता दिखायें। आंध्र की सरकार ने कोशिश की थी हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को नया रास्ता दिखाने की। उन्होंने रखा था कि जिनके पास दस एकड़ तक की मिल्कियत की जमीन है उन काश्तकारों को लैंड रेवेन्यू कोई न हो। इसी तरह से पंजाब की असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से कम की मिल्कियत वाले जो किसान हैं उन पर कोई लैंड रेवेन्यू न हो। लेकिन, वह ऐसा नहीं कर सके। हमारे बडत्रे-'बड़े समझदार साथी प्लानिंग कमीशन में हैं और प्लानिंग कमीशन आज हिन्दुस्तान के राज्यों की सरकारों को रास्ता दिखाता है। लेकिन, इन दो सरकारों की राय उनकी समझ में सही नहीं थी और उनको मजबूर किया गया और वह अपनी राय पर नहीं चल सके। मैं तो चाहता था कि आज आपको आज आपको मौका मिला है, आप मजबूत हैं, प्लानिंग कमीशन को आपने बनाया है, आप आज देश को रास्ता दिखाते और प्लानिंग कमीशन भी आपकी राय को शायद मानता, आपको यह रखना चाहिये था कि जो पांच या दस एकड़ से कम मिल्कियत के काश्तकार हैं, उन पर लैंड रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। पंजाब में तो यह है कि जिसके पास जमीन नहीं है, उससे आप लैंड रेवेन्यू नहीं ले सकते, लेकिन मणिपुर में तो आप यह रख रहे हैं कि चाहे उसके पास जमीन हो या न हो, चाहे दरिया उसकी जमीन बहा ले जाए, लेकिन फिर भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस सेक्शन को तो एक दम ही हटा देना चाहिए। उसको तो किसी तरह नहीं रखना चाहिए। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हमने दूसरी तरफ यह भी तो रखा है कि दरिया अगर कहीं नयी नयी जमीन बनाता है और अगर वह जमीन एक एकड़ से कम

है तो उस पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप माफ कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उसको मजबूर कर रहे हैं, जिसकी जमीन वह गयी है। यह तो ठीक नहीं है। एक को रियायत दें और दूसरे को कैद में डाल दें यह तो ठीक कानून नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस तरह से सोचना पुराने तरीके से सोचना है। यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता है।

जहां तक सीलिंग का सवाल है, जैसा कि श्री ाधन गुप्त जी ने कहा है, मणिपुर में जमीन के हालात और प्रदेशों से मुख्तलिफ हैं। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने भी माना है कि हर स्टेट के हालात को देखते हुए वहां के लिए कायदा कानून बनाया जाए। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इसीलिए दिल्ली स्टेट में भी, जहां की जमीलन की कीमत एक लाख रूपये एकड़ तक है। जो जमीन कभी सरकार ने मेरे जैसे काश्तकारों से सौ दो सौ रूपए एकड़ के हिसाब से ली होगी, उसको वह एक लाख रूपए एकड़ पर बेचती है--जमीन की हद तीस एकड़ रखी गई है। मणिपुर में हम 25 एकड़ रख रहे हैं, इसलिए कि वहां के हालात मुख्तलिफ हैं, दिल्ली के मुकाबले में। अभी माननीय सदस्य ने वहां के हालात का जिक्र किया और वहां के प्रिंस का भी जिक्र किया। वह खुद मानते हैं कि वह प्रिंस वहां के हालात को जानता था। वह वहां के हालात को जानता था और उसने सही काम किया। लेकिन चूंकि वह काम प्रिंस ने किया, इसलिए वह काम उलट कर दें, यह समझ की बात नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि जमीन पर यह जो सीलिंग लगाया जा रहा है, वह सही है।

हमारे वित्तमंत्री महोदय भी बैठे हैं। अभी तक हम टैक्सेशन की जो बात करते थे, उसका वित्त मंत्रालय से ही ताल्लुक रहता था। लेकिन आज इस सदन को मौका मिला है कि वह लैंड के बारे में टैक्सेशन की पालिसी पर लैंड रेवेन्यू की पालिसी पर गौर कर सके। अगर सरकार यह व्यवस्था कर दे कि कोड़ी-कोड़ी पर टैक्स लगेगा और किसी को 3600 रूपए की माफी नहीं होगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन, अगरदो फीसदी खुश किस्मत लोगों को माफी देनी है, तो फिर हम बदकिस्मत लोगों पर भी रहम कीजिए और हमारे लिए भी 3600 रूपए की माफी दीजिए।

मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक*

————————

भाग-ख

सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रश्न किया था और कहा था कि क्लाज 18 को कुछ बदलने की आवश्यकता है, उसके लिये मैंने अमेंडमेंट तो नहीं भेजा और इसके लिये मैं ही कुसूरवार हूँ। लेकिन मैं मंत्री महोदय का फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्लॉज 18 का जो यह हिस्सा है :

"if any portion thereon thereof not being less than one acre in extent."

इसको हटा दिया जाये तो यह क्लाज सही क्लाज हो जायेगा। असल बात यह है कि अगर हम इसको रखें तो इसके माने यह होंगे कि लोगों के साथ अन्याय होगा। फर्ज कीजिये मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी और 5 एकड़ पर सरकार ने मालिया बांधा। उसकी मैं काश्त करता था और उसका मालिया देता था। बाद में मेरी बदकिस्मती से नदी आई और उसे उठा ले गई।

Mr. Chairman : If one decimal is lost by diluvion, then what happens?

चौधरी रणबीर सिंह : वह मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप .1 भी मान लें तो भी इसके माने हैं कि जो जमीन मैं काश्त नहीं कर रहा हूँ, जोकि

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 481-484*

सैक्शन 11 के मुताबिक सरकार की हो गई, भले ही यह .1 हो, लेकिन मैं उस पर सरकार को मालिया दे रहा हूँ। 11 क्लॉज के तहत वह सरकारी जमीन बन जाती है जो दरिया के नीचे आ गई और सरकार उसका मालिया पा रही है। ऐसी हालत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा, आज भी पंजाब के अन्दर अगर 1/10 हिस्सा भी फसल खराब हो जाय तो पटवारी की उसमें जिम्मेदारी है कि वह उसकी रिपोर्ट करे और उसके लिये मुझे माफी मिल सकती है। यहां तो मेरे पास जमीन भी नहीं रही। यह .1 हो या 4/5 एकड़ तक यह जमीन हो, अगर वह काश्त नहीं करता तो भी मालिया देना होगा। मैं यह मानता हूँ कि जो कानून हम आज बना रहे हैं, वह पंजाब के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है। पंजाब में एक कानून आज से 20 साल पहले बना था, जिसके तहत हम आज तक चलते थे। अगर आज उसके मुकाबले भी पिछड़ा हुआ कानून सदन बनाये तो यह सही नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका रिकार्ड़ जो हर फसल का होगा उसमें जहां सब कुछ दर्ज होगा, वहां यह भी दर्ज हो कि जितना भी हिस्सा जमीन का दरिया के नीचे आ गया उसका जो माल होता है, वह इसी फसल में माफ न हो, बल्कि जब तक जमीन वापस न आये, उस वक्त तक के लिये माफ हो जाये। मैं दूसरे स्टेट्स के बारे में भी जानता हूँ। सभापति महोदय, आपकी स्टेट के अन्दर अगर मेरे पास एक एकड़ का कितना ही हिस्सा हो, अगर मैं उस पर काश्त नहीं करता तो सिर्फ इसलिये कि वह जमीन किसी की मिल्कियत है, मुझे उस पर माल नहीं देना होता। जब दूसरे स्टेट्स के अन्दर ऐसा हो और यह सदन कानून बनाये तो उसके लिये समाजवादी ढ़ांचा रख कर बनाये, जैसाकि हम दावा करते हैं कि हम देश में समाजवादी ढ़ांचा बनाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं होगा। जैसा मंत्री महोदय ने कहा, उनके ख्यालके बमूजिब शायद इनकम टैक्स को बेसिस लेना सही नहीं होगा, क्योंकि वह 5 करोड़ रूपये खर्च के लिये दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब आप 5 करोड़ रूपये दे रहे हैं तो अगर आप यह 2 रूपये और माफ कर दें तो आपका घाटा है? कर की दर का लेखा लगाते हुए अगर आप 2 रूपये भी माफ न करें तो मैं केसे आपको दातार साहब समझूं? मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहां का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वह

इतना टापहेवी है जैसा कि किसी दूसरी स्टेट का नहीं है, और इसके लिये कुछ देखने की जरूरत है। उनके ऊपर जब आप इतना लगा रहे हैं तो मेरे लिये भी दातार साहत 2 रूपये देना चाहें तो इसमें आपका कोई ज्यादा घाटा नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, अगर वह माल के हिसाब से लें तो बहुत थोड़ा रूपया उनके पास आता है। 5 करोड़, 35 लाख में से 35 लाख रूपये टैक्स के जरिये आया। अगर 5 लाख रूपये माफ कर दिया जायेगा तो क्या इस देश के लिये यह कोई बहुत बड़ी बात हो जायेगी। जहां आप 5 करोड़ रूपये देते हैं, वहां 5 करोड़ 5 लाख सही। आपके यहां 5 लाख का तो खाता भी नहीं। जहां पर 50 लाख से कम का खाता न हो वहां अगर आप 5 लाख रूपये माफ कर दें और 2 रूपये माफ करने पर सहमत हो जायें तो क्या यह बहुत बड़े घाटे की बात है? मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को इस पर विचार करने की जरूरत है।

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक*

————————

भाग–ग

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि तेरह साल के बाद मंत्रालय ने उन काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया है, जो जागीरदारों और इनामदारों के नीचे दबे हुए थे और जिनकी किस्मत को ठीक करने के लिए इस देश के दूसरे हिस्सों में काफी साल पहले ही कायदे और कानून बन चुके थे। यह मंत्रालय सीलिंग के बारे में देश के सामने माडल कानून रखना चाहता है। पर वह एक पिछलग्गू की तरह से उन बेकस बादमियों की मदद के लिए इस कानून के मसौदे को लाया है। अगर काम अच्छा हो, तो वह देर से ही क्यों न हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी तारीफ किए बगैर नीं रह सकता।

तीन किस्म के इंसान हैं, जिनका जमीन से रिश्ता है। एक तो वे, जो कि खुद खेती करते हैं और खुद मालिक हैं। उनके पास थोड़ी जमीन हो सकती है, या ज्यादा जमीन हो सकती है। सीलिंग के कानून से उन पर असर पड़ेगा। दूसरे वे हैं, जिनके पास जागीरदारी इनामदारी थी। उनका जमीन से कोई वास्ता नहीं था। कुछ गरीब आदमी उनकी खेती करते थे। इस कानून का उन पर असर होगा, उन पर कुछ पाबन्दी होगी, उनसे जमीन का अख्तियार कुछ लिया जायेगा। दूसरी तरफ जो खेती करते थे उनको अखितयार व ऊंचा दर्जा दिया जाये। लेकिन, इसमें जो भाई जमीन से सिर्फ जागीरदार और जमींदार का रिश्ता रखते थे, उनके साथ कुछ रियायत की गई है। आपको

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 493–497*

मालूम है कि आज से कई साल पहले उत्तर प्रदेश में जागीरदारी और जमींदारी को खत्म करने के लिए एक कानून बना। उसमें सिर्फ यहां तक रियायत थी कि जो जमीन बंजर थी, उनका उनको अख्तियार रह गया, लेकिन जो जमीन चलती थी, उसमें जो खेती करता था, उसको हक मिल गया और वह उसका मालिक तसब्बुर कर लिया गया, उसको भूमिधारी का हक मिल गया। लेकिन, हम उन सबको भूमिधारी का हक नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके मुकाबले में, जिन जागीरदारों जमींदारों और इनामदारों को आज से छ : सात साल पहले पन्त जी ने उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं दिया था, आज हमारा गृह मंत्रालय उनको भी अख्तियार दे रहा है और अगर वे खेती करना चाहें, तो वे कर सकते हैं। उन पर भी रहम की दृष्टि हुई। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिनके बाप दादाओं के पास जमीन रही, जिनको मौका मिला, जिनके पास राज का साथ रहा, जब वे उसक वक्त खेती नहीं कर सके, तो आज क्या करेंगे ? जिनके साथ न लोगों की हमदर्दी है और न सरकार की--सिर्फ चन्द अफसरों की हमदर्दी हो सकती है--आज वे काश्तकार नहीं हो सकते हैं। अगर सरकार उनको काश्तकार बनाना चाहती है, तो वे पांच दस एकड़ के काश्तकार नहीं बन सकते हैं। जैसा कि श्री सिंहासन सिंह ने कहा है, वे बिड़ला और टाटा की तरह जमीन के ऊपर भी कैपिटल की मदद से खेती करना चाहें, तो वे शायद कर सकें और उसके लिए उनको बड़ी-बड़ी जागीरदारी और जमींदारी चाहिए। अगर सरकार की मंशा है कि ऐसे बड़े-बड़े जागीरदार पैदा करे, तो यह जो सिलसिला रखा गया है, वह ठीक है। मुझे ताज्जुब है कि एक तरफ दिल्ली में एक तारीख रखी गई और प्रतीत होता है कि यह मान लिया है कि उससे पहले बोया हुआ आम का फल मीठा होगा और अगर उसके बाद बोया जायेगा, तो वह खारी होगा, इसलिए आम लगाने के लिए, उस बाग के लगाने के लिए, उस तारीख के बाद कोई रियायत नहीं होगी। मैं इस बिल को पूरे तौर पर नहीं पढ़ सका। आप जानते हैं कि मंत्री महोदय की अमेंडमेंट आज आई, पहले सर्कुलेट नहीं हुई। इस सदन के बहुत से सदस्य समझते थे कि यह बिल कल आयेगा और वे रात को इस बिल को पढ़ते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस सदन में यह ख्याल रखा है कि अगर कोई टी या

काफी का फार्म बनाना चाहेंगे, तो उनको एक्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन, दिल्ली में आम के बगीचे का कोई एग्जेम्प्शन नहीं रखा गया है। शायद वह समझते हैं कि दिल्ली में आम तो खारी पैदा होगा और त्रिपुरा में टी और कुाी बहुत बढ़िया होगी। शायद वह समझते हैं कि देश में आम बहुत ज्यादा पैदा होता है और अी और काफी की कमी है।

चूंकि बदकिस्मती से मेरा जन्म देहात में हुआ और एक खेती करने वाले के घर में हुआ, इसलिए मुझे एक फर्क देख कर बड़ा दु :ख होता है, जिसको मंत्री महोदय ने एक मामूली ही बात कहकर टाल दिया कि यह बहुत बड़ा मामला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब किसान, जो एक दो पांच एकड़ खेती कराता है, जिसकी आमदनी 3600 रूपये नहीं है, उसका फै सला करने के लिए एक कांफ्रेस मुझे बुलानी है, प्लानिंग कमीशन ने बुलानी है या मंत्रालय ने बुलानी है। मैं समझता हूँ कि इस मसले की अहमियत केन्द्रीय सरकार को उस वक्त मान लेनी चाहिए थी, जबकि हिन्दुस्तान के दो सूबों की असैम्बिलियों ने इस बारे में प्रस्ताव पास किए। आन्ध्र असैम्बली ने यह प्रस्ताव पास किया कि दस एकड़ जमीन पर खेती करने वाले पर कोई लैंड रैवन्यू नहीं लगाया जाना चाहिए और पंजाब असैम्बली ने यह कहा कि पांच एकड़ पर खेती करने वाले पर लैंड रेवन्यू नहीं लेना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार और प्लांनिग कमीशन को पहले सूझ नहीं आई थी, तो इस तरह दो बार हैम्मर किए जाने पर उनकी नींद खुलनी चाहिए थी और उनको प्रदेश सरकारों के रेवन्यू मिनिस्टर्ज की कांफ्रेस बुलानी चाहिए थी और उस मसले पर गोर करना चाहिए था। आज मंत्री महोदय ने कहा कि यह बहुत बड़ा मसला है, इस पर फिर गौर करेंगे। उस कांफ्रेस को डांगे साहब बुलायेंगे या दातार साहब बुलायेंगे ? अगर दातार साहब या प्लांनिंग कमीशन को बुलानी थी, तो आज तक क्यों नहीं बुलाई गई ? मुझे दु :ख इस बात का है कि चाहे मिल्कियत या आमदनी का सवाल है, चाहे टैक्सेशन का सवाल है, इस देश के दो सैक्टर हैं--एक एग्रीकल्चरल सैक्टर और एक इंडस्ट्रियल सैक्टर। इंडस्ट्रियल सैक्टर की आमदनी पर टैक्स लगाने का तरीका मुख्तलिफ है। ये दो किस्म की बातें कब तक इस देश में चलेंगी ? हां, चल सकती थीं,

अगर हमको राय का अधिकार न होता। जिस वक्त देश का संविधान बना, उस वक्त बहुत से भाईयों ने यह कहा कि ये देहात के आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए इनके हाथ में राय का हक दे देना देश के मफाद के खिलाफ है। अगर सरकार इस ढ़ंग से चलना चाहती थी, तो वह उस वक्त ही यह व्यवस्था कर देती।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कितना समय और लेना चाहेंगे ?

चौधरी रणबीर सिंह : चार-पांच मिनट।

सभापति महोदय : तब वह खत्म कर लें।

चौधरी रणबीर सिंह : दस मिनट भी हो सकते हैं।

सभापति महोदय : तब कल जारी रखें।

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक*

————————

भाग-घ

अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसके अन्दर छोटे छोटे गाँव कोई 3626 के करीब हैं और वहां पर कोई 26 लाख एकड़ के करीब भूमि है। उसमें से मुश्किल से तीन लाख 90 हजार एकड़ भूमि के अन्दर चावल पैदा होता है। वैसे तो एक छोटा इलाका होने के नाते इस सदन का उसके लिये बहुत ज्यादा समय लेना सही नहीं है। लेकिन, इसमें कई एक नीति के सवाल पैदा होते हैं। जहां तक लैंड रैवेन्यू का वास्ता है, इस सदन में कई दफा आम तौर पर कोई आदमी कोई राय नहीं रख सकता। क्योंकि यहां पर कर की नीति दूसरे सेक्टर पर आधारित है, उसका वास्ता तनख्वाह पाने वालों से रहता है या उनसे रहता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैदावार करते हैं।

इस सिलसिले में कल मैं कह रहा था कि जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज हैं, उनके ऊपर जो खर्च होता है वह आम इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। अगर मेरे आंकड़े सही नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनको सही कर दें। मुझे पता लगा है कि वहां पर सर्वे हो रहा है जोकि सन 1964 तक खत्म हो जायेगा और वहां पर इस सर्वे में ही एक करोड़ 33 लाख रूपया खर्च होगा। इस छोटे से इलाके के सर्वे पर इतना खर्च होगा। मेरा

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 अगस्त, 1960, पृष्ठ 640-647*

दावा है कि और राज्यों में तो कंसालीडेशन के ऊपर भी इतना खर्चा नहीं आता है।

इसके साथ-साथ वहां पर जो इंटर मीजियरी, जमींदारी, ईमानदार, या जागीरदार, खत्म किये जा रहे हैं, उनको जो मुआवजा दिया जायेगा वह एक करोड़ 18 लाख के करीब होगा। वह भी खासा बड़ा मुआवजा है। इस प्रदेश के लिए जो नीति अपनाई जा रही है उसका पता नहीं क्या कारण है। उत्तर प्रदेश में जो नीति अपनाई गई थी उससे यहां भेद किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी जागीरदार या जमींदार की जमीन पर कोई दूसरा काश्त करता था तो उस काश्त करने वले को भूमिधरी का हक दे दिया गया था और उनके लिये कोई जमीन रिज्यूम करने का अधिकार नहीं रखा गया था। लेकिन, इस कानून के तहत--गौर कि यह बहुत देर बाद आया है--उत्तर प्रदेशज्ञ से कुछ उलटा तरीका रखा गया है। सरकार अब उन जागीरदारों या जमींदारों पर कुछ मेहरबान हो गयी है और उनको हक देना चाहती है कि अगर वह खुद काश्त करना चाहें तो उनको जमीन दी जायेगी हालांकि इतने सालों से उनके पास जमीन थी और उन्होंने खुद काश्त नहीं की। मुझे मालूम नहीं कि क्यों इस मंत्रालय को ऐसा खयाल है कि अब वह खुद खेती करने लगेंगे।

जहां तक सीलिंग का वास्ता है, इसमें कुछ भाईयों के खयाल के बमूजिब, और हमारे में से बहुत ज्यादा भाईयों के खयाल के मुताबिक शायद सीलिंग लगाना देश के अन्दर जरूरी था खास तौर से जमीन के ऊपर। यद्यपि हमारे साथियों में से बहुत यह सोचते हैं कि प्लानिंग कमीशन के जो अधिकारी साढ़े तीन और चार हजार तनख्वाह पा रहे हैं उनके ऊपनर भी सीलिंग लगनी चाहिये थी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जिनकी लाखों और करोड़ों रूपये के सालाना आमदनी है, उनके ऊपर भी कोई सीलिंग लगनी चाहिये थी। इस भेद को जो कि सीलिंग के सिलसिले हैं, जोकि जमीन और कारखानों और तनख्वाहों के बारे में किया जाता है, उसको तो शायद कोई बरदाश्त कर भी ले। लेकिन, देश के अन्दर कर नीति के भेद को बरदाश्त

नहीं किया जा सकता खाकर जब कि देश में हर एक को हमारा संविधान, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया था, बराबर की राय का हक देता है।

इस बात की तरफ देश का ण्ध्यान दिलाया था आंध्र प्रदेश की असेम्बली ने। वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था कि दस एकड़ से कम भूमि का जो मालिक है, उससे कोई लेंड रेवेन्यू न लिया जाय। इसी तरह से पंजाब असेम्बली ने भी एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से जिसके पास कम भूमि हो उसके ऊपर लैंड लेवन्यू न हो।

श्री त्यागी (देहरादून) : उनकी जमीन वापिस ले लेनी चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : त्यागी जी कहते हैं कि उनकी जमीन वापस ले ली जाय। मैं पूछता हूँ कि आप और मैं जो सदस्य हैं इस सदन के, हमारी 3600 की आमदनी पर कोई कर नहीं लग सकता, तो हमारी तनख्वाह भी क्यों न वापस ले ली जाये। यह तो सवाल है नीति का। हमारे देश ने एक नीति निर्धारित की है कि 3600 तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन दु :ख की बात है कि यहां पर भी काश्तकार के साथ भेदभाव की नीति पर चला जा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि त्रिपुरा का बिल और जो दूसरे बिल लैंड रेवन्यू के बारे में आये हैं, उनमें हिन्दुस्तान की सरकार दूसरी सरकारों को रास्ता दिखायेगी। आन्ध्र और पंजाब की सरकारें अपनी नीति पर नहीं चल सकीं क्योंकि प्लानिंग कमीशन के मुकाबले में वे बहुत छोटी चीज हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार तो प्लानिंग कमीशन को बनाती है। इसलिये मुझे उम्मीद थी कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में देश को रास्ता दिखायेगी और दूसरी राज्यों के लिए आसानी पैदा करेगी।

इस सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के वाल्यूम तीन के पेज 216 पर एक खाता पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के आमदनी में लैंड रेवेन्यू का क्या औसत था? उसमें बतलाया गया है कि सन 1953-54 में भूमि कर से जो आमदनी होती थी उसका केन्द्र की ओर राज्य

सरकारों की टोटल आमदनी में 69 परसेंट का औसत था। सन 1939-40 में यह ज्यादा से ज्यादा गया जब कि यह 70.6 फीसदी हो गयी। लेकिन, 1938-39 में यह 61.1 फीसदी था और सन 1953-54 में यह घट कर सिर्फ 8-9 फीसदी हो गया था। यह तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की तमाम आमदनी में हिसाब लगाया गया था। अगर आप यह देखना चहों कि राज्य सरकार की तमाम आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का क्या हिस्सा था तो आपको उसके आंकड़े पेज 227 पर मिलेंगे। उनमें दिया गया है कि सनप 1922 में तमाम राज्य सरकारों को आमदनी में भूमि कर का औसत था 56-8, जोकि सन 1947 में 23-7 फीसदी हो गया, पर न मालूम किस वजह से सन 1954 में वह 26-6 फीसदी हो गया।

इसी तरह से जो हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बने हैं उन्होंने भी इसका अन्दाजा लगाया है। 1952 के फाईनेंस मीशन की रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जो आमदनी थी, उसके अन्दर भूमि कर का हिस्सा सन 1937-38 में 10-2 था और 1944-45 के अन्दर वह हिस्सा 5-9 है। सन 1946-47 में 5-5 फीसदी है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का हिस्सा बनना है। इसी तरीके से आगे चल कर उसी रिपोर्ट के अन्दर जो सारी राज्य सरकारों को आमदनी है, उसके अन्दर हिस्सा जो दिखाया गया है, वह इस तरह से है। सन 1950-51 के अन्दर यह 13 फीसदी था और 1951-52 से यह 12-5 फीसदी था और 1952-53 के जो बजट एस्टिमेट्स हैं, उनके अन्दर यह 14-6 फीसदी था। इसके कुछ आंकड़े फाइनेंस कमिशन सन 1957 ने दिये हैं। उसमें 1955-56 के आंकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ रियासतों की और प्रदेशों की उन्होंने आमदनी दी है और उसका उनके लैंड रेवेन्यू से और भूमि कर से क्या औसत है, वह भी दिया है। आन्ध्र में तकरीबन वह सबसे ऊंचा तो नहीं, लेकिन 1,2 को छोड़ कर बाकी सबसे ऊपर तीसरे नम्बर पर है। वह 21-9 फीसदी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मुकाबले में आसाम में जायें तो इसका औसत आसाम की एक स्टेट की आमदनी के मुकाबले में 9-3 फीसदी है। हैदराबाद

में 19-2 फीसदी है। मध्य भारत में 25-4 फीसदी है। मध्य प्रदेश में 16 फीसदी है। बिहार में 14 फीसदी है। बम्बई के अन्दर 9-3 फीसदी है, मद्रास में 8-4, मैसूर में 9, उड़ीसा में 7-7, पैप्सू में 10-1, पंजाब में 7-5 और राजस्थान में 21-4 फीसदी है। उत्तर प्रदेश के अन्दर वह जरूर कुछ ज्यादा है। इसके अलावा जो आंकड़े हमें पंजाब सरकार के मिले हैं जो लेटस्ट हो सकते हैं, 1958-59 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे स्टेट को जो कुल रेवेन्यू रैसीट्स थीं, वह 50 करोड़ और 21 लाख रूप्ये की थीं और उसमें से जो लैंड रेवेन्यू से भूमि कर से जो नैट आमदनी हुई जो नैट रैसीट्स मिलीं, वह 2-9 करोड़ की हैं और जोकि हमारीसारी आमदनी का पांच बटा सात फीसदी है। लेकिन, यह तो सारे भूमि कर का हिसाब है। पंजाब सरकार ने जो अन्दाजा लगाया था, उसके हिसाब से 36 या 40 करोड़ का कुल खस्सारा बनता था और उसके लिये उसने यह सिफारिश की थी कि हम इसको दूसरे तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन, पता नहीं किस तरह से प्लानिंग कमिशन ने उन दोनों सरकारों की सिफारिशों को नहीं माना और उनको मजबूर किया कि यह जो पहली नीति है कि किसान का चाहे घ्झाटा क्यों न हो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, माने। दूसरे भाई जो तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज से आमदनी कमाते हैं, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे बिड़ला हो अथवा टाटा, उसकी 3600 रूपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा।

इसके अलावा मैं कुछ आंकड़े गवर्नमेंट की रिपोर्ट में से सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। पंजाब के अन्दर जो एक बोर्ड और उसने अपनी रिपोर्ट में 22 किसानों का खाता दिखाया है कि कितनी उनकीं आमदनी होती है और इसका उस रिपोर्ट में अंदाज लगाया गया है। उसके अन्दर जो 22 कुनबे हैं और उन 22 कुनबों में से ज्यादा से ज्यादा जिसके पास जमीन थी, वह 55 एकड़ जमीन थी जोकि आज सीलिंग के तहत खत्म हो जायेगी और कम से कम जो जमीन थी वह 4-93 एकड़ थी। उस खाते से जो एवरेज आमदनी आई वह 1702 रूपये है और ज्यादा से ज्यादा जो आमदनी आई है, वह 2971 रूपये और 87 नये पैसे बनती है। अब अध्यक्ष महोदय, इससे आप

बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसानों की क्या हालत है और किन हालात में वे टैक्स देते हैं। उसकी खाते और दूसरे जरायों से होने वाली आमदनी भले ही 3600 रूपये सक कम हा वह सीलिंग वाला काश्तकार हो और चाहे उसके पास 55 एकड़ भी हो, मैं उसी पंजाब की बोर्ड ऑफ एकोनामिक एनक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूँ। एक किसान को अगर जिस तरीके से एक व्यापारी हिसाब लगाता है, अगर वह हिसाब लगाया जाये तो फी एकड़ कितनी नेट इनकम होती है इसका अन्दाजा उन्होंने 32 रूपये के ऊपर दिया है और उन्होंने हर एक इलाके का अलग-अलग हिसाब लगाया है। पहाड़ी इलाके के बारे में लिखा है कि उन्हें फी एकड़ के ऊपर घाटा है। इस तरीके से जो पहाड़ से नीचे के इलाके हैं, उनमें 132 रूपये फी एकड़ के हिसाब से घाटा रहता है, अगर बनिये वाला हिसाब लगाया जाय। जो सेंट्रल पंजाब है, उसके अन्दर 55 रूपया एकड़ घाटा रहता है.....

Mr. Speaker : How is all that relevant?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि जो लैंड रेवेन्यु इस कानून के द्वारा किसानों से लिया जायेगा, वह कितना गलत है और देश की कर नीति में कितना भेदभाव विद्यमान है। एक तरफ तो वे भाई हैं, जिनको कि जमीन पर काश्त करने से व्यापारी हिसाब की हैसियत से घाटा रहता है। लेकिन, इसके बावजूद भी उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सदन जब कानून बनाता है तो जो आदमी तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज चलाते हैं और उससे आमदनी करते हैं उनको सरकार 3600 रूपये तक की होने वाली आमदनी पर टैक्स से छूट देती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जे भेदभाव बरतने की नीति है यह ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय या तो अभी इस कानून में ही आवश्यक तबदीली करें और अगर इसमें वह तबदीली नहीं कर सकते तो इसदेश के तमाम प्रदेष्ज्ञों के रेवेन्यु मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेस बुलायें और वहां इस कर निर्धारण नीति के बारे में कोई उचित

फै सला कर लें। अभी कल जब मनीपुर बिल के ऊपर बहस हो रही थी तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि यह तो बहुत बड़ा सवाल है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े सवाल को हल करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और यह कोई अपोजीशन के मेम्बर्स की या काग्रेस पार्टी के मेम्बर की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। हम या अपोजीशन का कोई साथी अपनी तौर परकानून को बदल नहीं सकता है। उचित यह था कि अब से पहले उनको इस लैंड रेवेन्यु के बारे में क्या सिस्टम और पालिसी रखी जाये इस सवाल को हल करने के लिये एक कांफ्रेस बुलानी चाहिए थी। जहां तक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज का ताल्लुक है उनके लिये तो सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर ही है और इस पर विचार करना चायिे था कि उसके बारे में क्या सिद्धान्त निश्चित किये जायें और खास तौर पर जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं तो हमें इसके लिये विशेष सावधानी बर्तनी चाहिए थी और इस किस्म की एक काफ्रेंस पहले होनी चाहिए थी। अब अगर ऐसी कांफ्रेस पहले नहीं हुई और उस कांफ्रेंस के बगैर मंत्री महोदय इस बिल के अन्दर कोई फर्क नहीं डाल सकते हैं तो मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय तमाम राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस बुलायें ताकि हिन्दुस्तान के किसानों के साथ न्याय का सलूक हो औरआज जो कर नीति के सम्बन्धमें भेदभाव बरता जाता है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वह समाप्त हो।

कोई ऐसा बूढा देशभक्त न रहे जिसे हाथ पसारना पड़े*

{(राजा) महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरस्त) विधयेक पर 21 नवम्बर, 1960 को सदन में बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने कहा कि राजा साहिब जैसे देशभक्त को सन् 1947 में ही एक पुराने व सचर कानून को समाप्त करके अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय को समाप्त करना चाहिए था वहीं तमाम देशभक्त को पेंशन देने की वकालत की और कहा कि ऐसा कोई बूढा देशभक्त न बचे जिसे अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। -सम्पादक। }

————————

अध्यक्ष महोदय, इस विधयेक में जो स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स एंड रीजेंस दिए हुए हैं, उनको देखने से यह पता चलता है कि इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है कि हम राजा महेन्द्र प्रताप को इस लायक बना सकें कि वह पोते या परपोते से पैसे ले सकें, इमदाद उनको वे दे सकें उनकी मेंटेनेन्स लिये। इस बिल की मंशा यह है और यहचीज आबजैक्ट्स एंड रीजंज में भी दर्ज है कि जिस नुक्तेनिगाह को सामने रखते हुए, जिस ध्येय को सामने रखते हुए, वह एक्ट जब बना था उसको आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमारे कानूनों में नहीं रहना चाहिये, बैसा गन्दा कानून नहीं रहना चाहिये। जो कारण तब मौजूद थे वे आज के जमाने के लिये सही नहीं है जैसा कि मानीय मंत्री जी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 21 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 1417-1420*

ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1950 से पहले अगर यह कानून बनता तो हम बना सकते थे और यह चीज कांस्टीट्यूशन के लागू होने से पहले ही हो सकती थीं। मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद से, जब हम आजाद हुए, इस कानून का हमारे कानूनों में शामिल रहना हमारे देश के लिये बहुत बुरी बात थी और इसको हटना चाहिये था उसी रोज जिस रोज हम आजाद हुए। अगर उसको तब हम रिपील नहीं कर सके तो इसमें कसूर हमारी सरकार का है न कि उसका जिसके ऊपर इसका असर पड़ता है। हम हर कानून में यह कहते हैं कि अगर कोई गलती रह जाए किसी महकमे के अफसर से और बुरी इंटेंशन न रखते हुए वह एक्ट करे तो उसका जुर्माना वह नहीं भुगतता उसकी सजा वह नहीं भुगतता है, उसी तरह से मैं मानता हूँ कि हमारी एक गलती थी जिसमें सरकार भी शामिल है और संसद के वे सदस्य भी शामिल हैं जो 1947 के बाद से, जो चाहे प्राविजन पार्लियामेंट के सदस्य रहे हों या कांस्टिट्यूएंट असैम्बजली (लैजिस्लेटिव) के सदस्य रहे हों। वे सभी कुछ न कुछ हद तक कसूरवार हैं। उस कसूर की जो सजा है वह हमें राजा महेन्द्र प्रता को भुगतने पर मजबूर नहीं करना चाहिये जिन्होंने इस देश के लिए आम तौर पर उस वक्त ऐसा शानदार काम किया जबकि जो रजवाड़े थे, जागीरदार थे, अंग्रेजों से इतने ज्यादा डरते थे। राजा महेन्द्र प्रताप के लिए अंग्रेजों काराज्य कोई माने नहीं रख्ता था बमुकाबिल हम जैसे गरीब आदमियों के। उस वक्त जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्हें सजा भुगतने के लिए, मजबूर नहीं किया जा सकता। कसूर अगर हमारा है कसूर अगर लीगल फिजियोलोजी कम है जैसा कि पन्त जी ने कहा है तो उसकी सजा राजा महेन्द्र प्रताप, देशभक्त को दी जाए, यह ठीक नहीं होगा। उसका मुआवजा--अगर आप मुआवजा कहना चाहते हैं--उनको मिलना चाहिये।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के साथ उनकी इस राय से सहमत हूँ कि यह एक पब्लिक परपज है और इसमें जो कसूर है वह हमारी सरकार का है, लोक सभा का है, पहली और दूसरी लोक सभा का है, उसके सदस्यों का है कि उन्होंने इस कानून को हटवाया नहीं। जहां तक राजा महेन्द्र प्रताप के

कामों का सम्बन्ध है मैं पन्त जी के साथ सोलहों आने सहमत हूँ कि उनके ढ़र्रे के आदमी, उनके मुकाबले के आदमी हमारे देश में बहुत कम हुये हैं।

मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान के देश भक्तों की कोई इमादाद नहीं की गई है और न ही उनके परिवारों की आज कोई की जा रही है। सरदार भगत सिंह के भतीजे, जब उनको कोई तकलीफ हुई और उसके इलाज के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा उनको प्राइम मिनिस्टर फंड में से दिया गया और वह अपना इलाज करवा सके। उनके बाप भी जेल गए देश की खातिर और गई साल उन्होंने अपनी जिन्दगी के जेल में काटे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से पैसा देकर मदद न की गई होती तो शायद वह आज जिन्दा न रहते। लेकिन, मैं समझता हूँ कि इस देश के कानूनों में, देश के तरीके राज में यह कमी है कि उनकी मदद नहीं की जा सकती है। वैसे तो हम मानते हैं कि हर देशवासी को हम तालीम देंगे, आगे चलकर जब हमारे में शक्ति होगी, हर बूएत्रे आदमी को हम पेंशन देंगे, और हर बीमार का मुफ्त इलाज करेंगे। लेकिन, आज हमारा देश इतना शक्तिशाली नहीं है कि हर उस आदमी को हम तालीम दे सकें जो वह पाना चाहता है, उसका फ्री ऐजुकेशन दे सकें या दूसरी सहूलियतें मुहैयां कर सकें, बावजूद इस बात के कि कांस्टीट्यूशन में एक डायरेक्टिव यह भी है कि कम से कम कुछ सालों के लिए सरकार फ्री तालीम देगी, हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं। इसी तरह से मुफ्त इलाज की और पैंशन की बात को हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। मैं चाहता हूँ सरकार जो ये नेक काम है, जोकि वह हर निवासी के लिये करना चाहती है, इनकी शुरूआत वह देशभक्तों से करे। इस देश के अन्दर कोई ऐसा बूढ़ा देशभक्त न रहे जोकि पचास साल की उम्र में अपने बच्चों की तरफ मदद के लिए मुंह ताकता रहे। मुझे मालूम है सैंकड़ों मिसालें, जिनकी सेवा शुश्रुषा कि उनके बच्चों को करनी चाहिये, लेकिन वे करते नहीं हैं। ये जो बूढ़े, देशभक्त हैं, इनकी आज बहुत बुरी हालत है। मैं चाहता हूँ कि पचास साल से ऊपर के सारे बेढ़े देशभक्तों के बारे में सरकार यह फै सला करे कि उनको पेंशन दी जाएगी और वह पेंशन उनको तब तक मिलती रहेगी जब

तक कि वे जिन्दा रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि आज कल हमारी सरकार कर देती है कि पांच सौ रूपया एड हाक ग्रांट के तौर पर उनको दे दिया गया या एक साल के लिये मदद दे दी या दो साल के लिये दे दी। आज वे बेचारे गरीब पिस रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो देशभक्त हमारे साथ जेल गये थे, उनमें से बहुत से आज अन्ध हैं, लेकिन, उनके लिये आज कोई रोजगार नहीं, उनके लिये मुजारे का कोई इन्तजाम नहीं और वह एक तरह से दूसरों के रहम पर हैं। इसलिये जैसा मैंने कहा, हम उनकी पेंशन का इन्तजाम करें। सारे देशभक्तों के लिये जोकि देश की आजादी की खातिर जेल में गये और जो भी पचास साल के ऊपर हो गये, हम उनके लिये पेंशन का इन्तजाम करें। इसके अलावा उनके बच्चों की तालीम का इन्तजाम करें और जो बीमार हो उनके इलाज का भी सरकारी तौर पर इन्तजाम हो न कि इसके लिये हमें प्राइम मिनिस्टर्स फंड या चीफ मिनिस्टर्स फंड या पोलिटिकल रिलीफ फंड की शरण लेनी पड़े। सरकार के पास इसके लिए अलाहदा पैसा हो।

ग्रामीण आबादी घाटे में*

{दूसरी लोक सभा के अन्तिम वित्तीय वर्ष के बजट व अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने जहां देश में हो रही योजनागत प्रगति को सराहा, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के साथ हो रही ज्यादतियों व भेदभावपूर्ण नीतियों को सदन के सामने रखा और कृषि उत्पादन व पशुपालन को बढावा देने की वकालत की। सदन में 19 अप्रैल, 1961 को अनुदान मांगों पर बोलते हुए उन्होंने सरकारी आंकड़े देकर बड़ी बेबाकी से कहा कि काश्तकारों की पैदावार उसका भाव तो घटा है और काश्तकार जिन चीजों का इस्तेमाल करता हे उनके भाव बीते समय में बढे हैं। -सम्पादक। }

————————

अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह बता रहा था कि इन पिछले दस सालों के अंदर सरकारी नौकरियों और अन्य नौकरियों की तादाद काफी बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे के महकमे को छोउत्र कर सन 1951 में जहां सरकारी नौकरियों की तादाद 5 लाख 90 हजार थी वहां अब यह तादाद बढ़कर 7 लाख 49 हजार हो गई है। इसी तरीके से सन 1958 में कारखानों के अंद जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद 29 लाख से बढ़ कर 34 लाख पहुंच गयी है। इसके अलावा 11 लाख के करीब वह भाई हैं जोकि रेलवे के महकमें में नौकर हैं। इस तरह आप देखेंगे कि जो अपने को मिडिल क्लास कहते हैं उनकी तादाद देश में कारोबार के बढ़ने से इन पिछले चंद सालों में

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 19 अपैल, 1961, पृष्ठ 12429-13435*

काफी बढ़ी है और सरकारी नौकरियों की तादाद में भी बहुत वृद्धि हुई है और यह तमाम नौकरियां आमतौर पर उन मिडिल क्लास के लोगों को मिली हैं।

हमारे कुछ भाईयों का यह ख्याल है कि हमारे उन भाईयों को जोकि अपने को मिडिल क्लास कहते हैं, उनको इस देश के अंदर काफी कुर्बानी करनी पड़ी है। वे गाहे-बेगाहे यह कहते रहते हैं कि मंहगाई बहुत बढ़ गयी है और सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। अब मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ कि चीजों के भाव नहीं बढ़े हैं। भाव जरूर बढ़े हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं।

मैं इस सिलसिले में कुछ आंकड़े जोकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एनफोर्मल स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे थे, रखना चाहता हूँ। सन 1952-53 में इंडैक्स नम्बर 100 मानकर उन्होंने आंकड़े बताये हैं। उन्होंने माना है कि जहां तक चावल का वास्ता है, सन 1960 में उसका इंडैक्स नम्बर 100 से बढ़कर 109.1 हो गया। लेकिन, जहां तक गेहूं का वास्ता है, उसका इंडैक्स नम्बर 100 से घटकर 91.2 रह गया। इसी तरीके से जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि कपड़े का सामान कपड़े का इंडैक्स नम्बर जोकि सन 52-35 में 100 था, वह सन 1960 के अन्दर बढ़कर 127.5 हो गया है।

एक तरह से देखा जाये तो काश्तकार जो पैदा करता है, उसका भाव तो घटा है और जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है, उनका भाव बढ़ा है। एक तरीके से अगर कोई घाटे में रहा है तो हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही घाटे में रही है। इतना ही नहीं पिछले 5-10 वर्षों के अन्दर देश में जो काम हुआ और उसके आंकड़े अगर देखे जायें तो उससे भी यही साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट बैंक के 31-12-60 के जो ऐडवांसेज थे, जो उन्होंने इस देश के मुख्तलिफ अंकों को उधार दे रखा था, वह रकम 232.24 करोड़ रूपये है। इसी तरह से (उपाध्यक्ष पदासीन हुए) लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के जो एडवांसिज थे या जो इन्वेस्टमेंट था, वह 455.98 करोड़ रूपये था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जरा कोई बताये कि हिन्दुस्तान के देहात

में जो मुल्क की सत्तर फीसदी आबादी बसती है, उसकी तरक्की के लिये उस रकम में से कितना रूपया लगाया गया है। यही नहीं मेरा अन्दाजा है कि दूसरे पांच साला प्लान में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिये रिजर्व बैंक ने जो अपनी स्कीम रखी थी, वह 125 करोड़ रूपये के करीब थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 98 करोड़ रूपया रिजर्व बैंक ने देहात में खेती की तरक्की में लगाने के लिए भेजा है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट में को-आपरेशन फंड के बारे में जयपुर में को-आपरेशन मिनिस्टर्ज और अफसरों की जो कांफ्रेस हुई थी, उसने सिफरिश की थी :-

"Reserve Bank may consider the question of making larger funds availabe for medium-term loans. The long-term operation fund may be expanded, if necessary by amendment of the law."

इसी तरह से उन्होंने दूसरी सिफारिश यह की, जिसका जिक्र श्री वी. पी. नायर ने पिछले दिनों किया था :—

"The question of making medium term loan available for purchase of milch catttle should be examined and the Reserve Bank Act amended to make such loans possible."

इसके अलावा वह कांफ्रेस मानती है कि देश में खेती की तरक्की के लिये पैसा ज्यादा लम्बे अरसे के लिए कर्ज दिया जाये। मैं यह नहीं मानता कि कर्जा देते वक्त हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि वह रूपया मारा तो नहीं जायेगा, इसका पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिए और बड़ी समझ से पैसा आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन असल बात तो यह है कि काश्तकार का जहां तक ताल्लुक है वह किसी को कत्ल करके तो छूट सकता है, लेकिन सरकारी कर्ज को मारकर वह बच नहीं सकता है। मैनें अभी आंकड़ दिये हैं कि जिन बड़े-बड़े लखपतियों को करोड़ रूपये 500, 600 करोड़ रूपये एनआईसी और स्टेट बैंक से दिये जाते हैं, उनमें से कुछ भाई पचास, पचास लाख रूपया रख कर दिवालिया बन जाते हैं, लेकिन काश्तकार दिवालिया

नहीं बन सकता है। अगर सरकार यह समझे कि ऐसे सैक्टर में, जहां कोई आदमी दिवालिया नहीं बन सकता है, रूपया लगाने में कोई खतरे की बात है, तो वह सही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि तीसरे पांच-साला प्लान में रिजर्व बैंक ने खेती की तरक्की के लिये कर्ज देने के लिये 400 करोड़ रूपये की रकम रखी है, ताकि वह ठीक सूद पर काश्तकार तक पहुंच सके। स्टेट को-आपरेटिव बैंक की मार्फत रिजर्व बैंक एग्रीकल्चर और देहात की तरक्की के लिये जो रूपया कर्ज देता है, वह बैंक रेट से दो फीसदी कम देता है। उस रूपये को स्टेट बैंक की मार्फत सस्ते सूद पर दिया जा सकता है, ताकि काश्तकार और समाज के गरीब अंग को जो सूद देना पड़ता है, वह घट सके। रिजर्व बैंक काश्तकार को दो परसेंट सूद के ऊपर जो रूपया बढ़ाता है, वह 98 करोड़ रूपये तक पहुंचा है। लेकिन काश्तकार तक वह रूपया सात से नौ फीसदी तक के सूद पर पहुंचता है, यानी सूद की तादाद तिगुनी और चौगुनी बढ़ जाती है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक काश्तकार का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंटस ने करोड़ रूपया खर्च किया है और इस सिलसिले में एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का महकमा बनाया गया है। उस महकमे के ऊपर दूसरे पांच साला प्लान में जीपों, कर्मचारियों और अफसरों की तनख्वाहों और भत्तों और उनके लिये मकानों की शक्ल में कोई 60 करोड़ रूपया खर्च किया गया। लेकिन, इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि नान-प्रोजेक्ट एरियाज में पब्लिक को-आपरेशन ज्यादा मिला। मैं कम्यूनिटी प्रोजेक्ट महकमे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आज से डेढ़ साल पहले इस देश में चीनी की पैदावार 19 लाख टन थी। इस अरसे में एक या दो सीजन्ज में--बोने का तो एक ही सीजन गुजरा है--सरकार ने कुछ बुद्धिमता से काम लिया और किसानों को तकरीबन 58 लाख रूपये का सहारा दिया, जिसकी वजह से हालत बेहतर हुई और चीनी की पैदावार में दस लाख टन का इजाफा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि कल हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर

मिनिस्टर ने कहा कि जो चीनी हम बाहर भेजेंगे, उसमें जो घाटा पड़ता है, वह सरकार कबूल करेगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि शूगरकेन को ज्यादा बढ़ा कर जो चीनी की मिकदार ज्यादा बढ़ी और उससे सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मिली, क्या वह फायदा भी किसान की वजह से नहीं हुआ। आज हालत अजीब है। पिछले तेरह-चौदह सालों में जो रूपया एक तरह से अनाज खाने के लिये इमदाद की शक्ल में उपभोक्ताओं को दिया गया, उसकी तादाद 298.94 करोड़ रूपये है। एक तरफ तो अनाज खाने के लिये यह लगभग तीन सौ करोड़ रूपये की इमदाद दी जाती है और दूसरी तरफ इमदाद नहीं दी गई, बल्कि चीनी से जो भी आमदनी होती है, इसमें से सिर्फ पांच करोड़ रूपये की माफी हिन्दुस्तान की सरकार ने गन्ने की पैदावार करने और गन्ने के कारखाने वालों को दी। मुझे बताया जाये कि हमारी यह नीति हमको कहां ले जायेगी ? मुझे साफ दिखाई देता है कि जो भाई उपभोक्ता हैं, उनके लिये ज्यादा रियायतें हैं और उसका नतीजा यह है कि 1946 से 1960 तक हिन्दुस्तान में 1791.96 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर चीनी बाहर भेजने में हमको कुछ घाटा रहता है और एक्साइज ड्यूटी को छोड़ने के बावजूद घाटा रहता है तो मैं मानता हूँ कि उसको घाटा नहीं मानना चाहिए। अगर आप किसी भी देश की इसके मुतालिक पालिसी को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह बात सत्य है। जापान के लोगों ने एक्सपोर्ट को इसी ढ़ंग से बढ़ाया है। वहां के भाव और एक्सपोर्ट के भाव में काफी फर्क है। एक्सपोर्ट हमेशा घाटा खाकर किया जाता है, यह इकानामिक्स भी मानती है और अगर कई दफा अपनी मार्केट को बनाने के लिये अपने देश में चीज महंगी बेची जाती है और जिस कीमत पर वह पैदा होती है, उससे कम पर और घाटा उठाकर बाहर भेजी जाती है।

जो एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में रिपोर्ट निकली है, उसमें लिखा है कि अगर हिन्दुसतन के गरीब अंगों की रक्षा करनी है तो उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, जो भाई हल के पीछे काम करते हैं, जो हाली हैं, जो खेती करते हैं, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। अगर इसका कोई

तरीका मुझे आज दिखाई देता है तो वह यह है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा से ज्यादा की जाये। किसानों ने पांच करोड़ से 46 करोड़ रूपया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन-कर के रूप में चीनी पर दिया है। अगर थोड़ी बहुत और भी रियायत देनी पड़े तो वह देनी चाहिए क्योंकि उससे तरक्की होती है।

आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश की पैदावार बढ़े, इस देश की इकानोमी सही तौर पर और मजबूत नींव स्थानांतरित की जा सके तो इसके लिये यह जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाये। लेकिन, उसके लिये सिर्फ अफसरों को भेजने की जरूरत नहीं है। उसके लिये रूपया चाहिए, उसके लिये बेहतर हालत चाहिए, ताकि किसान ज्यादा पैदा कर सकें। आज काश्तकार चाहता है कि वह एक एकड़ में 600 पौंड के बजाय 4,000 पौंड धान पैदा करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक हालत नहीं है और वे हालात पैदा किये जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि घंटी की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश की आबादी के सत्तर फीसदी हिस्से का सवाल है। बीस, पच्चीस फीसदी वाले पता नहीं कितना समय ले लेते हैं।

घर देते वक्त किसी को बेघर न करें*

{सदन में पेश दिल्ली (शहरी किरायेदार राहत) विधेयक पर पहली मई, 1961 को बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने इसे यह बिल उन आदमियों के लिए एक तरह से आंसू पोंछने वाला जिनकी आं,ाों के आगे मौत नांच रही है। देखना यह है कि किसी को घर देते वक्त दूसरे को बेघर न कर दें। देहली बड़ा हो गया जहां कुछ भाईयों को बेघर करके दूसरों को बसाया गया है और जमीन का मुआवजा भी ढंग नहीं दिया गया। -सम्पादक।}

————————

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा उन मुजारों को किसी हद तक, थोड़ बहुत संरक्षण मिला है, जो दिल्ली स्टेट के उस हिस्से में काश्त करते हैं, जिसे 1956 से पहले से शहरी हिस्सा कहा जा सकता था। मुझे मालूम है कि दिल्ली शहर के आसपास के इलाके में कई जमीनें हैं, जिनको लीज पर दिया जाता है सोसायटियों को और वे सोसायटियां आगे खेती करने वालों को लीज पर देती हैं। वह लीज का मनी 200, 250 रूपये फी एकड़ तक पहुंचता है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो भाई शहरी इलाकों में खेती करते हैं, उनकी क्या समस्यायें हैं। लेकिन कुछ भाई यह भूल जाते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर ने कहा है कि यह विधेयक बड़े महदूद इलाके के लिये है। सारी दिल्ली रियासत या दिल्ली टैरिटरी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के बारे

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 मई, 1961, पृष्ठ 14763-14769*

में है, जिनके इलाकों को 1956 में शहरी इलाके करार दे दिया गया था। लेकिन, जैसा अभी श्री बलराज मधोक ने कहा है मैं समझता हूँ कि यह जो बिल है, यह एक तरह से आंसू पोंछने वाला है, उन आदमियों के जिनकी आंखों के सामने उनकी मौत नाच रही है और दो, चार, पांच, सात, आठ, दस या बारह साल के अन्दर अन्दर जिनको कि वहां से उठाया जाएगा। उस वक्त उठाना होगा, अपने खेतों को छोड़ना होगा, ुरि चाहे वे मुजारे हों या जमीन के मालिक और चाहे भूमिधर। अभी मेरे माननीय सदस्य श्री मधोक ने कहा है कि उन लोगों के दिलों में बड़ी ख्वाहिश है कि जिनके पास घर नहीं हैं, उनको इस बढ़ती जाने वाली दिल्ली नगरी के अन्दर घर मिलें। हर इन्सान चाहेगा कि उसको धर मिले। लेकिन, देखना यह है कि किसी को घर देते वक्त हम दूसरे को बेघर न कर दें। लेकिन, हो यही रहा है और यही होता चला आया है। दिल्ली शहर जो इतना बड़ा हो गया है, वह कुछ भाईयों को बेघर करके बसा है। मुझे दो चार दिन हुए एक आदमी ने जिनकी जमीन दिल्ली कैंट में ली गई थी, बताया और मुझे कागज दिखाया कि 1912 या 1928 में उस वक्त की सरकार ने यह कहा था कि जहां वह उसकी जमीन 15 रूपये एकड़ पर लेती है, वहां साथ ही साथ अगर कभी उस जमीन को वह लीज पर देगी तो उसी को देगी या उसके वारिसों को देगी। लेकिन, आज हालत यह है कि जिस भाई की जमीन पन्द्रह रूपये एकड़ के हिसाब से ली गई थी, वह बेघर हुआ फिरता है। उस जमीन को हम जिस काम के लिए वह ली गई थी, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब उसको हम लीज पर देते हैं तो उसको या उसके वारिसों को न दे करके दूसरों को देते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राध रमण जी ने कहा कि बहुत सारी जमीन दिल्ली शहर में ऐसी है, जिसके बारे में एक्विजिशन नोटिस कई साल पहले निकाला गया था, लेकिन आज तक वे जमीनें नहीं ली गई हैं। जमीन के ऊपर एक और नोटिस निकल गया है। उसमें से कितनी जमीन ली जाएगी, कितनी नहीं ली जाएगी और कब ली जाएगी, कोई नहीं जानता। यही नहीं, जो कम्पेंसेशन का तरीका है, मुआवजा देने का तरीका है, वह भी अजीब है। अभी चन्द दिन हुए इसकी टेबल पर एक स्टेटमेंट रखा गया था और उसमें

बताया गया था कि 34,000 एकड़ जो भूमि ली जाएगी, उसके बारे में कम्पेंसेशन का या बंटवारे का क्या तरीका होगा। उसमें लिखा है कि जिन भाईयों ने जो जमीन इवक्की प्रापर्टी की थी, खरीदी थी, उनका जो बिड मनी है, वह उतना जरूर दिया जाएगा और उससे कोई 15 परसेंट के करीब ज्यादा भी दिया जा सकता है। अीाी एक बहुत बड़े अखबार के ज्वाएंट एडीटर मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तीस चालीस हजार की बिड के अन्दर एक जमीन खरीदी और उसकी कीमत सरकार को कम्पेंसेशन बांड की शक्ल में या नकदी की शक्ल में अदा की और अब वह जमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ली जा रही है। अगर वह जमीन 34,000 एकड़ भूमि का हिस्सा होती तो उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होता। अब चूंकि वह दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिए ली जा रही है, इस वास्ते उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होगा। यह सब उस आदमी का कसूर नहीं हो सकता, जिसने जमीन खरीद है और न ही वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आप किस काम के लिए उसको ले रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि आपके मुआवजे का जो तरीका होना चाहिये, वह यकसां होना चाहिये। मुआवजा भी उसको नहीं मिलता है और वह मारा मारा फिरता है और उसको सलाह दी जाती है कि वह अदालत में जा सकता है। यह सही है कि कोई भी अदालत में जा सकता है। जिसकी जमीन ली जाती है, उसके कम्पेंसेशनके बारे में जो कानून है, वह दूसरा है, हिदायतें दूसरी हैं और होम मिनिस्ट्री का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सीटी के लिए हम जमीन ले रहे हैं, उसके जो मुआवजे का तरीका है, वह तरीका 34,000 एकड़ वाली जो जमीन है, उससे मुख्तलिफ है।

हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कल परसों एक दोस्त मुझे बतला रहे थे कि उनका कसूर यह है कि उन्होंने जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिए लेकिर किसी सोसायटी के मेम्बर नहीं बने। अब किसी कोआप्रेटिव सोसायटी का मैम्बर बनने के लिए किसी ने सौ दो सौ रूपया दे दिया और अपना नाम लिखवा लिया, उनको तो जमीन मिल

जाएगी और जिनसे जमीन ले ली गई है, वे बिना जमीन के रह जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको उतीन जमीन नहीं दी जा सकती है, जितनी उनको जरूरत है। वैसे तो यहां पर समाजवाद है और इसके अन्दर किसी के स्टैट्स का कोई लिहाज नहीं है, कोई ऊंचा और नीचा कानून की नजर से नहीं है। लेकिन, कुछ भाई हैं जिनको बारह सौ तक मिल जाएगी और उन्होंने खरीदी भी नहीं है, सिर्फ सौ दो सौ रूपये देकर किसी सोसायटी के मैम्बर बन गए हैं, लेकिन जिस भाई ने दस, पन्द्रह या बीस हजार रूपया लगाया और जमीन खरीद की है और चाहा है कि मकान बना लूं, उसको जमीन नहीं मिल सकती है, या बहुत कम मिल सकती है। अब अगर किसी का कुटुम्ब बड़ा है, बारह चौदह बच्चे हैं, उसको भी उस हिसाब से नहीं मिलेगी। लेकिन, अगर उसने किसी कोआप्रेटिव सोसाइटी में नाम लिखा दिया है, तो उसको दूसरे तरीके से अधिक ही जमीन मिल सकती है।

एक बात देखकर बड़ा दु :ख होता है। हम भी सरकारी मकानों में किराया देकर रहते हैं। हमें चार सौ मिलता है और हमसे डेढ़ सौ रूपया किराया ले लिया जाता है। दूसरी तरफ जो सरकारी अफसर हैं, उनको दस परसेंट ही अपनी तनख्वाह का देना पड़ता है।

Mr. Chairman : The hon. Member mayconfine his speech to this Bill. We are not discussing the general rent structure at the present moment.

चौधरी रणबीर सिंह : यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं जो कहना चाह रहा था, उसको आपको ठीक तरह से समझा नही सका हूँ। लेकिन, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल रेलेवेंट हूँ। मैं यह कह रहा था कि किस जमीन को शहरी कहा जाता है, वह जो एक्रायर की जानी है, उसके कम्पेसेशन का जो तरीका है, वह क्या है ? मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। एक अजीब हिसाब से हम चलते हैं। मैं बंटवारे के तरीके को ही लेता हूँ। जिस चीज के लिए जमीन ली जाएगी, उसको आप देखें। सरकारी नौकर जब तक वह नौकरी में था तब तक तो वह सस्ते किराये के मकान में रहा। बाद में वह सरकारी

नौकरों की कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन गया। अब नौकरी के बाद उसको चाहिये था कि जिस प्रदेश से वह आया है, वहां वापिस चला जाए, लेकिन अगर वह वापिस जाना नहीं चाहता है और चाहता है कि यहां दिल्ली में ही रहे, क्योंकि यह केपिटल है, तो उस वक्त भी किसी को बेघर करके हम उसको जमीनदेते हैं और उस सोसाइटी के जरिये देते हैं जो कि सरकारीनौकरों की बनती है। किसी को बेघर करके हम दूसरों को जो घर देते हैं, यह कोई न्यायप्रद नीति नहीं है।

माननीय श्री नवल प्रभाकर जी ने कम्पेसेशन का जिक्र किया है। एक तरफ उन्होंने मौरूसी मुजारों का जिक्र किया और दूसरी तरफ गैर-मौरूसी। अगर गैर मौरूसी मुजारों को भी मौरूसी मुजारा जितना कैम्पेसेशन मिलना है तो गैर मौरूसी मुजारों को गर-मौरूसी कहने की क्सया आवश्यकता है। बहरहाल एक बात मैं नहीं समझा हूँ कि अगर किसी मुजारे को उठाया जाएगा तो उसको कोई मुआवजा देने का सिलसिला क्यों नहीं रखा है। मुझे मालूम है कि प्लानिंग कमिशन की यह नीति है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जो दूसरों की जमीन बोते हैं और वह पांच एकड़ से कम है---

श्री नवल प्रभाकर : इस बिल में जो मुआवजा मिलेगा, वह मालिक को मिलेगा, मुजारे को नहीं मिलेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं वही कहने जा रहा हूँ। प्लानिंग कमिशन की नीति है कि जिन मुआरों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उनको अगर बेदखल किया जाता है, किसी भी वजह से तो उनके लिए दूसरी जमीन या दूसरे काम धंधे का या पेशे का जब तक कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, उस वक्त तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है और बावजूद इस बात के कि अदालत बेदखली की डिग्री भी दे देती है, तो भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून सारी रियासतों में हैं। फर्ज किया कि किसी को जमीन के बदले जमीन दी भी जाए तो भी बेदखल करते वक्त उसको मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिये। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिये कि उसमें से दस आने अगर मालिक को मिलते हैं तो छ : आने मुजारे को मिल जायें या

इसका उलट हो जाए कि छ : आने मालिक को मिलें और दस आने मुजारे को मिल जायें। जो गैर-मौरूसी मुजारे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत इंतजाम जरूर होना चाहिये।

श्री महावीर त्यागी ने कहा और खास तौर पर विधवा के नाम पर कहा तो उससे मन्त्री महोदय को जरा दिल में रहम आया। मेरा ख्याल है कि वे शायद इसमें कुछ तबदीली भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहूंगा। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे फौज के अन्दर सिपाही हो, या वह विधवा ही हो, यास विधवा दुबारा शादी कर ले, उसको जो सहूलियत है, वह एक दफा ही मिले। इस बातें में मुझे कोई ऐतराज नहीं कि जब वह छोटा बच्चा बड़ा हो तभी उसकी जमीन बेदखल हो सके, हालांकि शायद वह दिन आयेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त तक शायद यहां महल बन जायें, यह सिर्फ दो या चार साल की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह उसके लिये एक भुलावे की बात है। छोटे बच्चे को या जो आदमी फौज में है, उसको अधिकार रहे, लेकिन यह चीज ध्यान में रखी जानी चाहिये कि यह बेदखल करने का अधिकार एक दफा से ज्यादा इस्तेमाल न हो सके। विधवा को अधिकार रहे यह जरूरी नहीं कि वह रिमैरेज करे, तीाी उसे बेदखल करने का अधिकार मिले, या लड़का बालिग बने तभी उसे अधिकार मिले। वह अधिकार उसका रहे, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने का हक एक बार ही होना चाहिये।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर आखिर में यह बात जरूर कहना चाहता हूँ कि प्लैनिंग कमीशन के हिसाब से इस देश के अन्दर 5 करोड़ 40 लाख एकड़ जमीन कल्चरेबल वैस्ट लैण्ड है और जैसा कि मधोक साहब ने कहा, राजस्थान के अन्दर बहुत अच्छी भूमि है। वहां नई नहर आयेगी और वह गैर आबाद इलाका है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी है। जिस समय नई दिल्ली बसी थी उस समय जिन भाईयों से यहां जमीन ली गई थी उनको पंजाब के अन्दर जमीन देकर कालोनी बसाई गई। इसी तरह से आज की सरकार जिनका धन्धा छीनती है, उसको उसे धंधा देना चाहिए और वे दूसरा

धन्धा कर नहीं सकते सिवा जमीन पर खेती करने के। इसलिये उनको राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में जमीन के बदले में जमीन देने का इन्तजाम होना चाहिये। यहां जो भाव हो वह सरकार उनको दे और वहां जो भाव हो वह उनसे सरकार ले।

दबाव में न आकर बाढ की रोकथाम हो*

{सदन में 30 अगस्त, 1961 को बाढ की स्थिति पर प्रस्ताव आया। उसपर बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने हरियाणा क्षेत्र में आई बाढ, खास कर रोहतक से गुजरने वाली ड्रेञ नम्बर 8 की तबाही का जिक्र किया और कहा कि किसी दबाव में आकर पानी निाकसी व बाढ नियन्त्रण का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए । -सम्पादक। }

————————

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचसाला योजना के अन्दर 661 करोड़ रूपया सिंचाई विभाग के लिये मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन एंड पावन के लिए रखा गया है, जिसमें से सिर्फ 61 करोड़ रूपया फ्लड कंट्रोल और वाटर लागिंग के लिए है।

आप जानते हैं कि पंजाब के अन्दर पिछले दस बारह सालों के अन्दर 200 करोड़ रूपया नहरों के ऊपर और बिजली के ऊपर खर्च हुआ है और उसके जरिए 60 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आई। लेकिन, उसी के साथ पिछले 10-12 साल में पंजाब के अन्दरवाटलागिंग के नीचे तीस लाख एकड़ भूमि आ गयी। उसके इंतजाम के लिए सौ दो सौ करोड़ रूपया नहीं चाहिए, 50-60 करोड़ रूपए से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन, मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्लानिंग कैसा है कि उसके लिए यह रूपया नहीं दिया जाता। आप भाखड़ा डैम से तीस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए सौ करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं और उस पर 14 साल

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 30 अगस्त, 1961, पृष्ठ 6005-6008*

से काम लगा हुआ है और अभी उसमें और भी समय लगेगा तब कहीं उसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन, यहां तो केवल 50-60 करोड़ रूपये में उतना ही फायदा हो सकता है और उसका फायदा आपको दूसरे साल में ही मिलने लगेगा। लेकिन, इसके लिए रूपया नहीं रखा गया। मेरा ख्याल है कि जो 61 करोड़ रूपया इस काम के लिए रखा गया है उसको बढ़ाना चाहिए और पंजाब को ज्यादा से ज्यादा रूपया मिलना चाहिए ताकि उसके वाटर लाग्ड ऐरिया का इंतजाम हो सके और उस ऐरिया में फिर पहले जैसी पैदावार होने लगे।

पिछले साल भी मेरे जिले रोहतक शहर में बाढ़ आयी थी, लेकिन उस वक्त मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं अस्पताल में था। यह बाढ़ ड्रेन नंबर 8 की वजह से आई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : शुक्र कीजिए कि आप उस वक्त अस्पताल में थे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं नहीं जानता कि अस्पताल में होने के लिए मुझे ईश्वर का शुक्र करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : फ्बाढ़ का असर इस वजह से आप पर नहीं पड़ा।

चौधरी रणबीर सिंह : बाढ़ का असर तो मेरे चुनाव क्षेत्र के ऊपर पड़ना ही था। लेकिन, मुझे खुशी है कि पंजाब की सरकार ने और हिन्दुस्तान की सरकार ने बाढ़ग्रस्त लोगों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद की और मेरे इलाके के ऊपर डेढ़ करोड़ के करीब रूपया खर्च किया गया बाढ़ग्रस्त लोगों को इमदाद देने में।

मैं आपसे निवेदन करूं कि ड्रेन नम्बर 8 के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए पंजाब सकरार ने एक करोड़ रूपया निकाला और वह उस स्कीम को तेजी के साथ पूरा करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती है रोहतक की और दिल्ली के देहात की कि वह काम पूरा न हो सका और रोहतक के 286 गाँवों में और दिल्ली के 90 गाँवों में ड्रेन नम्बर 8 और 6 के पानी के कारण बाढ़ आ गयी। यह बाढ़ केवल इसलिए आयी कि दिल्ली के कई नेताओं ने पंजाब की सरकार को काम नहीं करने दिया। पंजाब सरकार

इस ड्रेन को जमुना में मिलाना चाहती थी और इसके लिए वे लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे। वह बहुत अच्छे इन्सान हैं और किसी आदमी की चोट से उनका दिल तड़प उठता है। उन्होंने समझा कि इस बात को देखा जाए। लेकिन, दिल्ली के लोकसभा के सदस्यों ने पंजाब सरकार को काम नहीं करने दिया और आज फिर इस इलाके में बाढ़ आयी है और रोहतक जिले में काफी से ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन दोस्तों ने, जो दिल्ली में भारत सेवक समाज के कार-मुख्तार हैं, ड्रेन का गहरा, डीपन, करने और नजफगढ़ झील के पानी को जमुना के साथ जोड़ने का ठेका लिया, लेकिन वे उस काम को नहीं का पाये और न ही उन्होंने पंजाब सरकार को काम करने दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के देहात में किसानों की लाखों रूपये की फसल तबाह हुई--दिल्ली के 90 देहात को और रोहतक जिले के 286 देहात को तबाही का मुंह देखना पड़ रहा है। श्री पाणिग्रही ने कहा कि पिछले दस बारह सालों में फ्लड कंट्रोल और ड्रेन्ज के बारे में कोई काम नहीं किया गया है। मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में काम किया गया है। हम जानते हैं कि पहले अम्बाला और करनाल में में फ्लड्ज आते थे और उनका इलजा हो गया है। लेकिन उसके साथ ही उसका असर यह भी हुआ है कि अम्बाला और करनाल का सारे का सारा पानी रोहतक में आता है और पिछले चार पांच सालों में रोहतक जिले को तबाह करता है, क्योंकि ड्रेन नम्बर 8 का कोई आउट-फाल नहीं है, सरकार ने कोशिश की थी कि उसको जमुना से जोड़ दिया जाये, ताकि दिल्ली और रोहतक के देहात को बचाया जा सके, लेकिन यह बदकिस्मती है, हम देहातियों की कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ कि यहां पर दिल्ली प्रदेश में देहातियों के नुमायंदे भी थे, लेकिन उन में से एक ने भी इस बारे में आवाज नहीं उठाई। जिन लोगों ने इस बड़े काम को इतने थोड़े अर्से में करने का ठेका लिया, वे उसमें फे ल हुए। वे दिल्ली राज्य के काम में भी रोड़ा बने और पंजाब राज्य के काम में भी रोड़ा बने और पंजाब सरकार के काम में भी रोड़ा बने।

इसमें प्लानिंग की भी गलती है। अगर ड्रेन्ज वगैरह के सिलसिले में

ऊपर के बजाय पहले नीचे आउटफुल का इन्तजाम किया जाय, तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि किसी को नुकसान न हो, वरना नतीजा यह होता है कि अम्बाला और करनाल तो तबाही से बच गये लेकिन रोहतक और दिल्ली के देहात की तबाही की भयंकरता बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय और हिन्दुस्तान की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितना ही बड़ा दोस्त हो, चाहे वह दिल्ली से लोक सभा का सदस्य हो, चाहे कोई भाई सौ, दो सौ लोगों के साथ यहां पर आये, लेकिन, अगर उसकी बात सही नहीं है, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ भाई आते हैं, तो उनकी बात सुननी ही चाहिए। उनके दबाव को मानना कोई सही तरीका नहीं है। अगर कोई मुकाबला करना चाहे तो मैं उनसे दस गुना आदमी पंडित जवाहर लाल नेहरू और मंत्र.ी महोदय की सेवा में पेश कर सकता हूँ। लेकिन, मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि यह तरीका गलत है और इसीलिये मैं हिन्दुस्तान की सरकार के मंत्रियों, हाफिज जी और हाथी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वे किसी दबाव में न आयें और वे एक ही दबाव मानें और वह यह कि दिल्ली और रोहतक के देहात के लोगों की तबाही बचे। उनको तबाही से बचाने के लिए जो भी प्रोग्राम हो, उसको जल्दी से चलाया जाये। अगर दिल्ली का भारत सेवक समाज इस काम को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसको बीच में से निकाल दिया जाए और जो कोई भी ठेकेदार उस पानी को जमुना से जोड़ सकता है और वह जुड़ सकता है--उसको वह काम दिया जाये। यह तबाही कई महीने तक चलेगी। जहाजगढ़ के इलो में तो तबाही पिछले पांच साल से चल रही है। लोग पिछले पांच साल से फसल नहीं बो सकते हैं। उस तबाही से उस इलाके को बचाया जा सकता है और उसके लिए अहम कदम जितनी जल्दी हो सके, उठाये जायें।

भारत सेवक समाज से मेरा वास्ता रहा है और उसके लिए मेरे दिल में श्रद्धा है, लेकिन भारत सेवक समाज की संस्था से ऊपर भारत के नर-नारियों का हित है और वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर उसको बीच में से निकालने की आवश्यकता हो, तो उसको निकाला जाये।